



SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

विनियोग लेखे 2023-24



हिमाचल प्रदेश सरकार

विनियोग लेखे

2023-24

हिमाचल प्रदेश सरकार

विनियोग लेखे
2023- 24
विषय-सूची

भूमिका	पृष्ठ (iii)
विनियोग लेखों का सारांश	(v-xvii)
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट	(xix-xxi)
अनुदान/विनियोग का नाम और संख्या	
1. विधान सभा	1-3
2. राज्यपाल और मंत्री परिषद्	4-5
3. न्याय प्रशासन	6-10
4. सामान्य प्रशासन	11-17
5. भू-राजस्व व जिला प्रशासन	18-26
6. आबकारी और कराधान	27-30
7. पुलिस और सम्बद्ध संगठन	31-37
8. शिक्षा	38-50
9. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	51-65
10. लोक निर्माण- सड़क, पुल एवं भवन	66-78
11. कृषि	79-89
12. उद्यान	90-94
13. सिंचाई, जलापूर्ति एवं सफाई	95-114
14. पशु पालन, दुग्ध विकास एवं मत्स्य	115-122
15. योजना एवं पिछड़ा क्षेत्र विकास कार्यक्रम	123-132
16. वन और वन्य जीवन	133-145
17. निर्वाचन	146-147
18. उद्योग, खनिज, आपूर्ति एवं सूचना प्रौद्योगिकी	148-153
19. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	154-179
20. ग्रामीण विकास	180-189
21. सहकारिता	190-192
22. खाद्य और नागरिक आपूर्ति	193-196
23. विद्युत विकास	197-200
24. मुद्रण एवं लेखन सामग्री	201-202
25. सड़क और जल परिवहन	203-207
26. पर्यटन और नागर विमानन	208-211
27. श्रम, रोजगार और प्रशिक्षण	212-218
28. शहरी विकास, नगर एवं ग्राम योजना तथा आवास	219-227
29. वित्त	228-240
30. विविध सामान्य सेवाएं	241-246
31. जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम	247-331
32. अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम	332-402
परिशिष्ट	
वर्ष 2023-24 के लेखाओं में व्यय में कमी के रूप में समायोजित वसूलियों के अनुमानों और वास्तविकताओं के आँकड़ों का अनुदानवार विवरण	403

(iii)

भूमिका

हिमाचल प्रदेश सरकार के वर्ष 2023-24 के विनियोग लेखाओं के इस संकलन में 31 मार्च 2024 को समाप्त हुए वर्ष में व्यय की गई राशियों के लेखे प्रस्तुत किये गए हैं। लेखाओं की व्ययित राशियों की तुलना भारत के संविधान की धारा 204 व 205 के अर्न्तगत पारित विनियोग अधिनियमों में संलग्न अनुसूचियों में निर्दिष्ट राशियों से की गई है।

इन लेखाओं में:-

‘मूल’ का तात्पर्य मूल अनुदान या विनियोजन से है।

‘पूरक’ का तात्पर्य पूरक अनुदान या विनियोजन से है।

‘पुनर्वि0’ का तात्पर्य किसी सक्षम - प्राधिकारी द्वारा संस्वीकृत पुनर्विनियोजनों, धन -वापसियों या अभ्यर्पणों से है।

प्रभारित विनियोजन और व्यय को इटालिक में दर्शाया गया है।

हिमाचल प्रदेश विधानमंडल की लोक लेखा समिति के पत्र संख्या VS-PAC(A.G.) 7-6/1998 विधान सभा दिनांक 13 मई 2016 द्वारा निम्नलिखित मानकों को अनुमोदित किया गया, जिन्हें विनियोजन लेखे की टिप्पणियों में अपनाया गया है।

बचत

दत्तमत प्रावधान

बचत ₹ 20 लाख से अधिक या प्रावधान का 20 प्रतिशत जो भी अधिक हो, के लिए टिप्पणियाँ की जानी चाहिए।

प्रभारित विनियोजन

यदि बचत ₹ 8 लाख से अधिक या प्रावधान का 20 प्रतिशत जो भी अधिक हो, के लिए टिप्पणियाँ की जानी चाहिए।

आधिक्य

दत्तमत प्रावधान

यदि आधिक्य ₹ 15 लाख या प्रावधान का 20 प्रतिशत जो भी कम हो, के लिए टिप्पणियाँ की जानी चाहिए।

प्रभारित विनियोजन

यदि आधिक्य ₹ 6 लाख या प्रावधान का 20 प्रतिशत जो भी कम हो, के लिए टिप्पणियाँ की जानी चाहिए।

विनियोग लेखाओं का सारांश

विनियोग			
विनियोग लेखाओं			
अनुदान/विनियोजन की संख्या एवं नाम		कुल अनुदान/विनियोजन	
		राजस्व	पूंजीगत
	1	2	3
		(₹ हजार में)	
1-	विधान सभा-		
	दत्तमत	45,36,39	5,67,00
	प्रभारित	1,37,51	..
2-	राज्यपाल और मंत्री परिषद्-		
	दत्तमत	22,58,21	..
	प्रभारित	9,05,71	..
3-	न्याय प्रशासन-		
	दत्तमत	2,56,17,57	16,76,00
	प्रभारित	68,29,09	..
4-	सामान्य प्रशासन-		
	दत्तमत	2,32,44,95	41,75,33
	प्रभारित	14,00,87	..
5-	भू-राजस्व व जिला प्रशासन-		
	दत्तमत	31,90,53,81	54,46,95
	प्रभारित	2,35	..
6-	आबकारी और कराधान-		
	दत्तमत	1,33,76,99	2,00,00
	प्रभारित	..	..
7-	पुलिस और सम्बद्ध संगठन-		
	दत्तमत	16,91,42,05	88,48,05
	प्रभारित	97,52	..
8-	शिक्षा-		
	दत्तमत	80,30,67,37	1,11,47,00
	प्रभारित	2,68,87	..
9-	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण-		
	दत्तमत	27,15,08,82	2,33,91,44
	प्रभारित	..	..
10-	लोक निर्माण- सड़क, पुल एवं भवन-		
	दत्तमत	33,07,74,35	18,52,35,24
	प्रभारित	90,96	2,40,66

लेखे					
का सारांश					
व्यय		कुल अनुदान/विनियोजन के साथ व्यय की तुलना			
		बचत		आधिक्य	
राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
4	5	6	7	8	9
(₹ हजार में)					
48,40,02	5,54,69	96,37	12,31	..	..
70,18	..	67,33	..	..	..
22,23,31	..	34,90	..	..	..
8,45,19	..	60,52	..	..	..
2,47,68,57	17,05,03	8,49,00	..	..	29,03
					(29,02,742)
62,15,51	..	6,13,58	..	..	..
2,14,24,12	41,76,90	18,20,83	..	..	1,57
					(1,56,705)
13,29,00	..	71,87	..	..	..
30,69,07,39	1,43,54,26	1,21,46,42	..	..	89,07,31
					(89,07,31,500)
2,35	..	..	..	..	..
1,12,27,55	..	21,49,44	2,00,00	..	..
..	..	..	..	..	..
16,36,69,68	79,16,46	54,72,37	9,31,59	..	..
97,49	..	3	..	..	..
72,30,03,20	1,13,96,34	8,00,57,17	..	..	2,49,34
					(2,49,33,718)
2,68,87	..	..	..	..	..
25,27,80,97	2,36,67,72	1,87,27,85	..	..	2,76,28
					(2,76,28,007)
..	..	..	..	..	..
26,30,07,53	15,00,97,57	6,77,66,82	3,51,37,67	..	..
83,32	..	7,64	2,40,66	..	..

विनियोग			
विनियोग लेखाओं			
अनुदान/विनियोजन की संख्या एवं नाम		कुल अनुदान/विनियोजन	
		राजस्व	पूंजीगत
1		2	3
(₹ हजार में)			
11-	कृषि-		
	दत्तमत	4,13,52,45	47,32,95
	प्रभारित	19,47	..
12-	उद्यान-		
	दत्तमत	4,58,99,48	14,69,12
	प्रभारित	..	..
13-	सिंचाई, जलापूर्ति एवं सफाई-		
	दत्तमत	27,48,75,47	11,09,15,91
	प्रभारित	57,22	9,14,31
14-	पशुपालन, दुग्ध विकास एवं मत्स्य-		
	दत्तमत	5,21,00,40	10,15,82
	प्रभारित	..	..
15-	योजना एवं पिछड़ा क्षेत्र विकास कार्यक्रम-		
	दत्तमत	72,01,93	6,81,61,00
	प्रभारित	..	..
16-	वन और वन्य जीवन-		
	दत्तमत	8,03,69,31	13,99,00
	प्रभारित	1,50	..
17-	निर्वाचन-		
	दत्तमत	77,64,47	75,00
	प्रभारित	..	..
18-	उद्योग, खनिज, आपूर्ति एवं सूचना प्रौद्योगिकी-		
	दत्तमत	1,90,38,21	5,62,00
	प्रभारित	..	..
19-	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता-		
	दत्तमत	17,59,12,38	28,43,62
	प्रभारित	88	..
20-	ग्रामीण विकास-		
	दत्तमत	15,06,15,30	12,25,00
	प्रभारित	..	..

लेखे					
का सारांश					
व्यय		कुल अनुदान/विनियोजन के साथ व्यय की तुलना			
		बचत		आधिक्य	
राजस्व	पूँजीगत	राजस्व	पूँजीगत	राजस्व	पूँजीगत
4	5	6	7	8	9
(₹ हजार में)					
3,26,81,32	33,73,83	86,71,13	13,59,12	..	..
19,47	..	..	..	..	..
4,44,45,91	14,40,07	14,53,57	29,05	..	..
..	..	..	..	..	..
27,20,43,47	10,79,18,34	28,32,00	29,97,57	..	..
47,78	9,14,31	9,44	..	..	..
					(344)
5,11,11,73	7,50,50	9,88,67	2,65,32	..	..
..	..	..	..	..	..
55,72,21	3,36,40,54	16,29,72	3,45,20,46	..	..
..	..	..	..	..	..
6,49,82,26	2,96,29	1,53,87,05	11,02,71	..	..
3,60	..	..	..	2,10	..
				(2,10,000)	
76,44,57	75,00	1,19,90	..	..	..
..	..	..	..	..	..
1,74,81,93	70,61,89	15,56,28	..	..	64,99,89
				..	(64,99,88,786)
..	..	..	..	..	..
16,15,09,69	27,01,62	1,44,02,69	1,42,00	..	..
..	..	88	..	..	..
10,22,95,19	9,52,47	4,83,20,11	2,72,53	..	..
..	..	..	..	..	..

विनियोग			
विनियोग लेखाओं			
अनुदान/विनियोजन की संख्या एवं नाम		कुल अनुदान/विनियोजन	
		राजस्व	पूंजीगत
	1	2	3
		(₹ हजार में)	
21-	सहकारिता-		
	दत्तमत	45,25,61	17,10
	प्रभारित	..	..
22-	खाद्य और नागरिक आपूर्ति-		
	दत्तमत	2,24,56,64	11,00
	प्रभारित	..	..
23-	विद्युत विकास-		
	दत्तमत	7,68,89,91	1,06,33,19
	प्रभारित	42,50,40	..
24-	मुद्रण एवं लेखन सामग्री-		
	दत्तमत	32,49,49	30,00
	प्रभारित	..	..
25-	सड़क और जल परिवहन-		
	दत्तमत	5,09,90,94	2,68,86,27
	प्रभारित	..	3,43,01
26-	पर्यटन और नागर विमानन-		
	दत्तमत	33,96,92	4,90,43,00
	प्रभारित	..	..
27-	श्रम, रोजगार और प्रशिक्षण-		
	दत्तमत	3,99,62,78	83,37,12
	प्रभारित	2,00	..
28-	शहरी विकास, नगर एवं ग्राम योजना तथा आवास-		
	दत्तमत	8,42,85,00	1,04,80,46
	प्रभारित	..	37,09
29-	वित्त-		
	दत्तमत	94,28,18,47	9,17,16
	प्रभारित	56,59,56,01	88,56,62,24

लेखे					
का सारांश					
व्यय		कुल अनुदान/विनियोजन के साथ व्यय की तुलना			
		बचत		आधिक्य	
राजस्व	पूँजीगत	राजस्व	पूँजीगत	राजस्व	पूँजीगत
4	5	6	7	8	9
(₹ हजार में)					
45,25,39	17,10	22	..	..	..
..	..	..	..	..	..
1,63,42,80	5,79	61,13,84	5,21	..	..
..	..	..	..	..	..
7,64,55,57	1,10,98,48	4,34,34	..	..	4,65,29
					(4,65,29,000)
..	..	42,50,40	..	..	..
28,70,48	..	3,79,01	30,00	..	..
..	..	..	..	..	..
4,82,84,12	2,56,47,22	27,06,82	12,39,05	..	..
..	3,43,01	..	..	..	..
25,69,37	2,74,47,84	8,27,55	2,15,95,16	..	..
..	..	..	..	..	..
3,76,57,97	91,57,18	23,04,81	..	..	8,20,06
					(8,20,06,000)
2,00	..	..	..	..	..
9,39,76,88	1,10,54,74	..	..	96,91,88	5,74,28
				(96,91,88,399)	(5,74,28,266)
..	37,09	..	..	..	..
1,04,08,81,71	7,31,71	..	1,85,45	9,80,63,24	..
				(9,80,63,24,113)	
56,48,73,30	78,95,86,86	10,82,71	9,60,75,38	..	..

विनियोग			
विनियोग लेखाओं			
अनुदान/विनियोजन की संख्या एवं नाम		कुल अनुदान/विनियोजन	
		राजस्व	पूंजीगत
	1	2	3
		(₹ हजार में)	
30-	विविध सामान्य सेवाएं-		
	दत्तमत	1,04,94,29	32,83,26
	प्रभारित	..	..
31-	जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम-		
	दत्तमत	18,64,05,92	4,98,13,57
	प्रभारित	54,08	..
32-	अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम-		
	दत्तमत	26,96,17,91	12,61,21,81
	प्रभारित	..	..
जोड़			
	दत्तमत	4,51,31,96,79	71,86,60,37
	प्रभारित	58,00,74,44	88,71,97,31
सकल जोड़		5,09,3271,23	1,60,58,57,68*

लेखे					
का सारांश					
व्यय		कुल अनुदान/विनियोजन के साथ व्यय की तुलना			
		बचत		आधिक्य	
राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
4	5	6	7	8	9
(₹ हजार में)					
97,53,13	24,73,66	7,41,16	8,09,60	..	..
..	..	..	..	..	..
15,35,42,25	3,09,16,25	3,28,63,67	1,88,97,32	..	..
54,07	..	1	..	..	..
23,86,75,18	8,78,16,79	3,09,42,73	3,83,05,02	..	..
..	..	..	..	..	..
4,25,91,55,47	57,84,46,28	36,17,96,44	15,80,37,14**	10,77,55,12 (10,77,55,12,512)	1,78,23,05 (1,78,23,04,724)
57,39,12,13	79,08,81,27	61,64,41	9,63,16,04	2,10	..
				(2,10,000)	(344)
4,83,30,67,60*	1,36,93,27,55	36,79,60,85*	25,43,53,18**	10,77,57,22	1,78,23,05
				(10,77,57,22,512)	(1,78,23,05,068)

पादटिप्पणी:-1** पूर्ण आंकड़ें (-) ₹ 02 हजार से पूर्णांकित करने से भिन्न है।

2* पूर्ण आंकड़ें (+)/(-) ₹ 01 हजार से पूर्णांकित करने से भिन्न है।

विनियोग लेखे
विनियोग लेखाओं का सारांश
(क्रमशः)

वर्ष 2023-24 में आकस्मिक निधि से कोई अग्रिम नहीं लिया गया। 31 मार्च 2024 के अन्त तक गत वर्षों की कोई भी राशी आकस्मिक निधि से वसूल करने को शेष नहीं है।

निम्नलिखित दत्तमत अनुदान में आधिक्य का नियमन अपेक्षित है:-

राजस्व प्रवर्ग

28- शहरी विकास, नगर और ग्राम योजना तथा आवास

29- वित्त

पूँजीगत प्रवर्ग

03- न्याय प्रशासन

04- सामान्य प्रशासन

05- भू-राजस्व व जिला प्रशासन

08- शिक्षा

09- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

18- उद्योग, खनिज, आपूर्ति एवं सूचना प्रौद्योगिकी

23- विद्युत विकास

27- श्रम, रोजगार और प्रशिक्षण

28- शहरी विकास, नगर एवं ग्राम योजना तथा आवास

निम्नलिखित अनुदानों में प्रभारित विनियोजन के आधिक्य का नियमन अपेक्षित है:-

राजस्व प्रवर्ग

16- वन और वन्य जीवन

पूँजीगत प्रवर्ग

13- सिंचाई, जलापूर्ति एवं सफाई

चूंकि अनुदान एवं प्रभारित विनियोजन व्यय हेतु अपेक्षित सकल राशियों के प्रति होती है, अतः उनके सम्मुख दर्शाए गए व्यय के आंकड़ों में यह वसूलियां (परिशिष्ट पृष्ठ संख्या 403) सम्मिलित नहीं होती हैं, जिन्हें लेखाओं में व्यय से कम करके समायोजित किया जाता है। शुद्ध व्यय के आंकड़े वित्त लेखाओं में दर्शाए गए हैं।

विनियोग लेखे
विनियोग लेखाओं का सारांश
(क्रमशः)

वर्ष 2023-24 के दौरान चार अनुदान संख्या (अनुदान संख्या- 16, 18, 28 व 32) के अन्तर्गत ₹ 94,35,52,150 का व्यय मूल व पूरक बजट अनुमानों में बिना बजट प्रावधान के हुआ। जिसमें से तीन अनुदानों (अनुदान संख्या- 16, 18 व 32) के अंतर्गत ₹ 66,50,52,150 का व्यय किया गया, जिसके लिए मार्च 2024 में ₹ 55,52,900 का पुनर्विनियोजन किया गया, जिसके लिए अनुपूरक बजट अनुमानों के माध्यम से धनराशि प्राप्त की जानी थी, लेकिन प्राप्त नहीं की गई। बिना बजट प्रावधान के पुनर्विनियोजन हिमाचल प्रदेश की बजट नियमावली के पैरा 12.5 के प्रावधान के विपरीत था।

टिप्पणी:-

- (i) वर्ष 2019-20 के लिए उप-वाउचर और अन्य दस्तावेजों को प्रस्तुत न करने के कारण "ओबी उच्चंत" के अंतर्गत ₹ 32,49,73 हजार की बकाया राशि में से ₹ 31,79,23 हजार (₹ 26,85,73 हजार राजस्व प्रवर्ग तथा ₹ 4,93,50 हजार पूंजीगत प्रवर्ग के अन्तर्गत) का वर्ष 2023-24 में सम्बंधित विभागों द्वारा अनुपालना प्रस्तुत करने के कारण समायोजन किया गया।
- (ii) वर्ष 2020-21 के लिए उप-वाउचर और अन्य दस्तावेजों को प्रस्तुत न करने के कारण "ओबी उच्चंत" के अंतर्गत ₹ 8,00,00 हजार की समस्त राशि का वर्ष 2023-24 में सम्बंधित विभागों द्वारा अनुपालना प्रस्तुत करने के कारण समायोजन किया गया।
- (iii) वर्ष 2021-22 के लिए उप-वाउचर और अन्य दस्तावेजों को प्रस्तुत न करने के कारण "ओबी उच्चंत" के अंतर्गत ₹ 28,08 हजार की समस्त राशि का वर्ष 2023-24 में सम्बंधित विभागों द्वारा अनुपालना प्रस्तुत करने के कारण समायोजन किया गया।
- (iv) वर्ष 2022-23 के दौरान ₹ 19,50 हजार की समस्त राशि "ओबी उच्चंत" के अन्तर्गत बजट में योजना के अधिसूचित किये बिना किये गये व्यय के कारण रखा गया था जिसका वर्ष 2023-24 में वित्त विभाग द्वारा अनुपालना प्रस्तुत करने के कारण समायोजन किया गया।

विनियोग लेखे
विनियोग लेखाओं का सारांश
(समाप्त)

वर्ष 2023-24 के विनियोग लेखाओं के अनुसार कुल व्यय तथा उस वर्ष के वित्त लेखाओं में दर्शाए गए कुल व्यय का समाधान नीचे दर्शाया गया है:-

	<u>प्रभारित</u>		<u>दत्तमत</u>	
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
	(₹ हजार में)		(₹ हजार में)	
विनियोग लेखाओं के अनुसार कुल व्यय	57,39,12,13	79,08,81,27	4,25,91,55,47	57,84,46,28
घटाएं-परिशिष्ट में दर्शाई गई कुल वसूलियां	..	..	35,99,04,58	60,66,37
शुद्ध जोड़ जैसा कि वित्त लेखाओं की विवरणी संख्या-11 में दर्शाया गया है।	57,39,12,13	79,08,81,27	3,89,92,50,89	57,23,79,91

उपरोक्त वसूलियों के विवरण परिशिष्ट पृष्ठ संख्या 403 पर दिये गये हैं।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट

हिमाचल प्रदेश सरकार के विनियोजन लेखाओं की लेखापरीक्षा

अभिमत

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार के विनियोग लेखे, वर्ष में व्यय की गई राशियों के लेखाओं को संविधान के अनुच्छेद 204 और 205 के अंतर्गत पारित विनियोग अधिनियमों से जुड़ी अनुसूचियों में निर्दिष्ट राशियों की तुलना में प्रस्तुत करते हैं। वर्ष के लिए सरकार की प्राप्तियों और संवितरण के लेखों के साथ वित्तीय स्थिति को दर्शाने वाले वर्ष के लिए सरकार के वित्त लेखे अलग से प्रस्तुत किए जाते हैं।

मेरे अधिकारियों द्वारा अपेक्षित और प्राप्त की गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के आधार पर तथा लेखाओं की परीक्षण लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप, मेरे अभिमत में, विनियोग लेखे इस संकलन में टिप्पणियों के साथ पठित, 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष में व्यय की गई राशियों के लेखों को, भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 और 205 के अंतर्गत राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विनियोग अधिनियमों से जुड़ी अनुसूचियों में निर्दिष्ट राशियों की तुलना में निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत करते हैं।

इन खातों की लेखापरीक्षा के साथ-साथ वर्ष या पूर्व के वर्षों के दौरान किए गए लेखापरीक्षा से उत्पन्न टिप्पणियां 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए अलग से प्रस्तुत की जा रही हिमाचल प्रदेश सरकार पर मेरी वित्तीय, अनुपालन और निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में निहित हैं।

अभिमत के लिए आधार

लेखापरीक्षा का संचालन सीएजी के लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार किया गया है। ये मानक यह अपेक्षा करते हैं कि हम इस आशय का तर्क संगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा की योजना तैयार करके उसका निष्पादन करें कि लेखे वस्तुपूरक अशुद्ध विवरण से मुक्त हैं। एक लेखापरीक्षा में, परीक्षण के आधार पर, वित्तीय विवरणों में राशियों और प्रकटीकरणों से संबंधित साक्ष्यों की जांच शामिल है। हमारे द्वारा प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य मेरे अभिमत के लिए एक आधार प्रदान करते हैं।

प्रारंभिक और अनुषंगी लेखाओं की तैयारी का उत्तरदायित्व

राज्य सरकार राज्य विधानमंडल से बजट का प्राधिकरण प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी है। राज्य सरकार और वे जो बजट के निष्पादन के लिए उत्तरदायी हैं जैसे हिमाचल प्रदेश सरकार के कोषागार, कार्यालय और विभाग, प्रारंभिक और अनुषंगी खातों की तैयारी और शुद्धता के साथ-साथ लागू विधियों, मानकों, नियमों एवं विनियमों के अनुसार लेनदेन की नियमितता सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार हैं।

इसके अलावा, वे विनियोग लेखाओं के संकलन और तैयारी के लिए हिमाचल प्रदेश के प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) के कार्यालय को प्रारंभिक और अनुषंगी लेखाओं और उससे संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए जिम्मेदार हैं।

वार्षिक लेखाओं के संकलन का उत्तरदायित्व

मेरे नियंत्रणाधीन कार्यरत हिमाचल प्रदेश के प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) का कार्यालय राज्य सरकार के वार्षिक लेखों के संकलन एवं तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। यह नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की आवश्यकताओं के अनुसार है।

वार्षिक लेखा वाउचरों, चालानों और कोषागारों, कार्यालयों और हिमाचल प्रदेश सरकार के विभाग और भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त विवरण और प्रारंभिक एवं अनुषंगी लेखाओं से संकलित किया गया है।

वार्षिक लेखाओं की लेखापरीक्षा के उत्तरदायित्व

वार्षिक लेखाओं की लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 और 151 तथा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की आवश्यकताओं के अनुसार प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के कार्यालय के माध्यम से ऐसी लेखापरीक्षा के परिणामों के आधार पर इन लेखाओं पर अभिमत व्यक्त करने के लिए की जाती है।

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) और प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) के कार्यालय अलग-अलग संवर्ग, अलग रिपोर्टिंग लाइन और प्रबंधन संरचना के साथ स्वतंत्र संगठन हैं।

मामले का महत्व

मैं, निम्नलिखित पर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ:

वर्ष 2023-24 के दौरान ₹ 1,255.80 करोड़ के अधिक व्यय का अनुदान/विनियोजन से अधिक राशि का संवितरण हुआ था। यद्यपि ₹ 11,262.78 करोड़ का प्राधिकृत अनुदान/विनियोजन से अधिक संवितरण वर्ष 2014-15 से वर्ष 2022-23 तक राज्य विधानसभा से नियमितिकरण होना अभी शेष है।

'मामले के महत्व' खंड के कारण विनियोग लेखाओं पर मेरे अभिमत संशोधित नहीं हुए।

दिनांक: 14/ फरवरी/ 2025

स्थान: नई दिल्ली



(के. संजय मूर्ति)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-1-विधान सभा

(शीर्ष- 2011-संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधानमण्डल, 2216-आवास तथा 7610-सरकारी कर्मचारी आदि को ऋण)

		कुल अनुदान/ विनियोजन	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य (+) बचत (-)
राजस्व प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	42,98,65			
		49,36,39	48,40,02	(-)96,37
पूरक	6,37,74			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..
प्रभारित				
मूल	1,22,51			
		1,37,51	70,18	(-)67,33
पूरक	15,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..
पूंजीगत प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	3,05,00			
		5,67,00	5,54,69	(-)12,31
पूरक	2,62,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..

टिप्पणियाँ तथा अभ्युक्तियाँ

- (i) राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 96.37 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से फरवरी 2024 में प्राप्त ₹ 637.74 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्याधिक सिद्ध हुआ तथा विभाग द्वारा वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (ii) राजस्व प्रवर्ग के प्रभारित विनियोजन में ₹ 67.33 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से फरवरी 2024 में प्राप्त ₹ 15.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ जबकि मूल अनुदान भी अप्रयुक्त रहा तथा विभाग द्वारा वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-1 (क्रमशः)

राजस्व प्रवर्ग

(iii)	दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्ष के अन्तर्गत हुई:-			
	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य (+) बचत (-)

2011- संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मंडल-

02- राज्य/संघ क्षेत्र विधान मंडल-

101- विधान सभा-

01- हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष/उपाध्यक्ष-

(i)	मूल	40.00	40.00	25.00	(-)15.00
-----	-----	-------	-------	-------	----------

03- हिमाचल प्रदेश विधानसभा सदस्य-

(ii)	मूल	1,643.30			
	पूरक	127.00	1,756.50	1,696.57	(-)59.93
	पुनर्वि0	(-)13.80			

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 74.93 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतिक्षित थे (जुलाई 2024)।

(iv) प्रभारित विनियोजन में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

	शीर्ष	कुल विनियोजन	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य (+) बचत (-)
--	-------	--------------	------------------------------	-----------------------

2011- संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मंडल-

02- राज्य/संघ क्षेत्र विधान मंडल-

101- विधान सभा-

01- हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष/उपाध्यक्ष-

	मूल	122.51			
			137.51	70.18	(-)67.33
	पूरक	15.00			

₹ 67.33 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतिक्षित थे (जुलाई 2024)।

पूंजीगत प्रवर्ग

(v) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्ष के अन्तर्गत हुई:-

	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य (+) बचत (-)
--	-------	------------	------------------------------	-----------------------

7610- सरकारी कर्मचारियों को ऋण-

201- गृह निर्माण अग्रिम-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-1 (समाप्त)

06-	पूर्व विधायकों को गृह निर्माण हेतु अग्रिम ऋण-				
	मूल	20.00			
			35.00	15.00	(-)20.00
	पूरक	15.00			
₹ 20.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।					

विनियोग लेखे

अनुदान संख्या-2 -राज्यपाल और मंत्री परिषद्

(शीर्ष- 2012-राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति/राज्यपाल, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक, 2013-मंत्री परिषद तथा 2216-आवास)

		कुल अनुदान/ विनियोजन	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य(+) बचत(-)
राजस्व प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	16,19,24			
		22,58,21	22,23,31	(-)34,90
पूरक	6,38,97			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..
प्रभारित				
मूल	8,83,59			
		9,05,71	8,45,19	(-)60,52
पूरक	22,12			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)				30,05

टिप्पणियाँ तथा अभ्युक्तियाँ

- राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 34.90 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से फरवरी 2024 में प्राप्त ₹ 638.97 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ तथा विभाग द्वारा वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- राजस्व प्रवर्ग के प्रभारित विनियोजन में ₹ 60.52 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से फरवरी 2024 में प्राप्त ₹ 22.12 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ जबकि मूल अनुदान भी अप्रयुक्त रहा तथा ₹ 30.05 का अभ्यर्पण अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

राजस्व प्रवर्ग

- दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य (+) बचत (-)
2013- मंत्री परिषद-			
101- मंत्रियों/उप मंत्रियों का वेतन-			
01- मंत्रियों तथा उप मंत्रियों का वेतन-			
(i) मूल	1,067.90		
	1,187.90	1,167.25	(-)20.65
पूरक	120.00		

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-2 (समाप्त)

105-	मंत्रियों की ऐच्छिक निधि-				
02-	अन्य उद्देश्यों के लिए-				
(ii)	मूल	9.00	9.00	6.00	(-)3.00

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 23.65 लाख लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतिक्षित थे (जुलाई 2024)।

(iv)	प्रभारित विनियोजन में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्ष के अन्तर्गत हुई:-				
	शीर्ष	कुल	वास्तविक	आधिक्य (+)	
		विनियोजन	व्यय	बचत (-)	
			(₹ लाख में)		

2012- राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति/राज्यपाल, संघ क्षेत्र के प्रशासक-

03-	राज्यपाल/संघ क्षेत्रों के प्रशासक-				
800-	अन्य व्यय-				
01-	मरम्मत-				
(i)	मूल	1.00			
			..	..	..
	पुनर्वि०	(-)1.00			
06-	मरम्मतें-				
(ii)	मूल	5.00			
			..	..	..
	पुनर्वि०	(-)5.00			

मार्च 2024 में उपरोक्त दो मामलों में ₹ 6.00 लाख के समस्त प्रावधान को पुनर्विनियोजन द्वारा मरम्मतों तथा कार्यों के सुधार के कम निष्पादन होने के कारण कम कर दिया गया।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-3- न्याय प्रशासन

(शीर्ष- 2014-न्याय प्रशासन, 2059-लोक निर्माण कार्य, 2062-सतर्कता, 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं, 2216-आवास तथा 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय)

		कुल अनुदान/ विनियोजन	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य (+) बचत (-)
राजस्व प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	2,37,52,83			
		2,56,17,57	2,47,68,57	(-)8,49,00
पूरक	18,64,74			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)				15,00
प्रभारित				
मूल	58,82,39			
		68,29,09	62,15,51	(-)6,13,58
पूरक	9,46,70			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..
पूंजीगत प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	10,39,00			
		16,76,00	17,05,03	(+)29,03
पूरक	6,37,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..

टिप्पणियाँ तथा अभ्युक्तियाँ

- (i) पूंजीगत प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 29,02,742 के आधिक्य के नियमन अपेक्षित है।
- (ii) राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 8,49.00 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से फरवरी 2024 में प्राप्त ₹ 1,864.74 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ तथा ₹ 15.00 लाख का अभ्यर्पण अपर्याप्त सिद्ध हुआ।
- (iii) राजस्व प्रवर्ग के प्रभारित विनियोजन में ₹ 613.58 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से फरवरी 2024 में प्राप्त ₹ 946.70 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ तथा वर्ष के दौरान विभाग द्वारा कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (iv) पूंजीगत प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 29.03 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से फरवरी 2024 में प्राप्त ₹ 637.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-3- (क्रमशः)

राजस्व प्रवर्ग

(v) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य (+) बचत (-)
-------	------------	------------------------------	-----------------------

2014- न्याय प्रशासन-

105- सिविल और सेशन न्यायालय-

01- सिविल तथा सत्र न्यायालय स्थापना-

मूल	17,890.15			
पूरक	662.00	18,296.46	17,964.17	(-)332.29
पुनर्वि०	(-)225.69			

₹ 332.29 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 255.69 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि भारत संचार निगम लिमिटीड के नेटवर्क को जोड़ने पर अधिक व्यय, किराया तथा टैक्स बिलों की अधिक प्राप्ति तथा बाह्य सेवाओं की अधिक नियुक्ति के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुआ जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 332.29 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

114- विधि सलाहकार और परामर्शदाता-

01- महाधिवक्ता-

(i) मूल	1,343.28			
		1,601.29	1,318.10	(-)283.19
पूरक	258.01			

02- अन्य विधि अधिकारी-

(ii) मूल	2,736.20			
पूरक	80.55	2,801.75	2,607.92	(-)193.83
पुनर्वि०	(-)15.00			

119- कानूनी सहायता सेवाएँ-

01- हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण-

(iii) मूल	705.38			
		898.21	874.67	(-)23.54
पूरक	192.83			

02- पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना-

(iv) मूल	200.00			
		250.00	227.00	(-)23.00
पूरक	50.00			

उपरोक्त चार मामलों में ₹ 523.56 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

2059- लोक निर्माण कार्य-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-3- (क्रमशः)

01-	कार्यालय भवन-				
053-	रखरखाव तथा मुरम्मत-				
48-	अभियोजन विभाग कार्यालय भवन का रखरखाव-				
	मूल	1.52	1.52	..	(-)1.52
	मार्च 2024 में ₹ 1.52 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।				
57-	लोकायुक्त कार्यालय भवन का रखरखाव-				
	मूल	1.52			
			25.52	26.52	(-)1.00
	पूरक	25.00			
	₹ 1.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।				
(vi)	उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-				
	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)	बचत (-)
			(₹ लाख में)		
2014-	न्याय प्रशासन-				
105-	सिविल और सेशन न्यायालय-				
07-	फॉस्ट ट्रैक विशेष अदालतें (पोक्सों)-				
	मूल	150.01			
	पूरक	21.68	346.69	346.34	(-)0.35
	पुनर्वि०	175.00			
	मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 175.00 लाख का आवर्धन वेतन पर अधिक व्यय होने के कारण हुआ।				
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
	मूल	0.01			
	पूरक	177.43	195.14	195.13	(-)0.01
	पुनर्वि०	17.70			
	मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 17.70 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ।				
108-	दण्ड न्यायालय-				
01-	गवाहों को यात्रा तथा भोजन राशि-				
	मूल	90.00			
	पूरक	7.00	160.00	160.00	..
	पुनर्वि०	63.00			
	मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 63.00 लाख का आवर्धन गवाहों को यात्रा तथा भोजन की राशि के लिए अधिक दावों की प्राप्ति के कारण हुआ।				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-3- (क्रमशः)

2059- लोक निर्माण कार्य-

01- कार्यालय भवन-

053- रखरखाव तथा मरम्मत-

38- उच्च न्यायालय एवं अधिनस्थ न्यायालय
भवनों का रखरखाव-

(i) मूल 122.21

390.39

416.64

(+)26.25

पूरक 268.18

2216- आवास-

05- साधारण पूल आवास-

053- मरम्मत एवं रखरखाव-

01- अन्य रखरखाव व्यय-

(ii) मूल 40.58

40.58

64.81

(+)24.23

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 50.48 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

(vii) प्रभारित विनियोजन में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल विनियोजन	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
		(₹ लाख में)	

2014- न्याय प्रशासन-

102- उच्च न्यायालय-

01- उच्च न्यायालय स्थापना-

मूल 5,599.71

6,516.34

5,907.43

(-)608.91

पूरक 916.63

₹ 608.91 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

पूंजीगत प्रवर्ग

(viii) दत्तमत अनुदान में आधिक्य मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
		(₹ लाख में)	

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-

01- कार्यालय भवन-

051- निर्माण-

15- न्यायपालिका के संरचना का उन्नयन-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना

मूल 1.00

467.00

600.00

(+)133.00

पूरक 466.00

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-3-(समाप्त)

₹ 133.00 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

केन्द्रीय प्रायोजित योजना-

मूल	111.00			
पूरक	164.41	575.41	472.05	(-)103.36
पुनर्वि०	300.00			

₹ 103.36 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 300.00 लाख का आवर्धन मुख्य कार्यों पर अधिक व्यय होने के कारण हुआ जोकि अत्यधिक सिद्ध हुआ। जबकि भारत सरकार से ₹ 600.00 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ।

₹ 103.36 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

- (ix) उपरोक्त आधिक्य मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई बचत से अंशतः प्रतिसंतुलित हुआ:-
- | शीर्ष | कुल अनुदान | वास्तविक व्यय | आधिक्य (+)
बचत (-) |
|-------|------------|---------------|-----------------------|
| | | (₹ लाख में) | |

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिय्य-

01- कार्यालय भवन-

051- निर्माण-

31- राष्ट्रीय विधि विश्व विद्यालय-

मूल	658.00			
		358.00	357.89	(-)0.11
पुनर्वि०	(-)300.00			

मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 300.00 लाख की बचत मुख्य कार्यों के कम निष्पादन होने के कारण हुई।

42- फास्ट ट्रैक विशेष अदालतें (पोक्सों)-

मूल	1.00	1.00	..	(-)1.00
-----	------	------	----	---------

₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-4-सामान्य प्रशासन

(शीर्ष- 2051-लोक सेवा आयोग, 2052- सचिवालय-सामान्य सेवाएं, 2053- जिला प्रशासन, 2059- लोक निर्माण-कार्य, 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं, 2075- विविध सामान्य सेवाएं, 2216- आवास, 2235- सामाजिक सुरक्षा और कल्याण, 2251- सचिवालय -सामाजिक सेवाएं, 3425- अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान, 3435- पारिस्थितिकी विज्ञान और पर्यावरण, 3451- सचिवालय-आर्थिक सेवाएं, 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय और 4216- आवास पर पूंजीगत परिव्यय)

		कुल अनुदान/ विनियोजन	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य (+) बचत (-)
राजस्व प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	2,19,66,01			
		2,32,44,95	2,14,24,12	(-)18,20,83
पूरक	12,78,94			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित (31 मार्च 2024)				10,48,24
प्रभारित				
मूल	12,40,49			
		14,00,87	13,29,00	(-)71,87
पूरक	1,60,38			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..
पूंजीगत प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	5,93,00			
		41,75,33	41,76,90	(+)1,57
पूरक	35,82,33			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..

टिप्पणियाँ तथा अभ्युक्तियाँ

- (i) पूंजीगत प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 1,56,705 के आधिक्य के नियमन अपेक्षित है।
- (ii) राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 1,820.83 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से फरवरी 2024 में प्राप्त ₹ 1,278.94 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ जबकि मूल अनुदान भी अप्रयुक्त रहा तथा ₹ 1,048.24 लाख का अभ्यर्पण अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-4 (क्रमशः)

- (iii) राजस्व प्रवर्ग के प्रभारित विनियोजन में ₹ 71.87 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से फरवरी 2024 में प्राप्त ₹ 160.38 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ तथा विभाग द्वारा वर्ष के दौरान कोई भी राशी अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (iv) पूंजीगत प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 1.57 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से फरवरी 2024 में प्राप्त ₹ 3,582.33 लाख का अनुपूरक अनुदान अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

राजस्व प्रवर्ग

- (v) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-
- | शीर्ष | कुल अनुदान | वास्तविक व्यय
(₹ लाख में) | आधिक्य (+)
बचत (-) |
|-------|------------|------------------------------|-----------------------|
|-------|------------|------------------------------|-----------------------|

2052- सचिवालय-सामान्य सेवाएं-

090- सचिवालय-

01- मुख्य सचिवालय-

मूल	6,209.67			
पूरक	546.61	6,231.83	6,183.47	(-)48.36
पुनर्वि०	(-)524.45			

₹ 48.36 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 524.45 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने तथा मंहगाई भत्ते का भुगतान न करने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 48.36 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

06- वित्त विभाग-

- (i) मूल 962.22
- | | | | | |
|------|-----------|--------|--------|---------|
| | | 854.12 | 854.06 | (-)0.06 |
| पूरक | (-)108.10 | | | |

07- विधि विभाग-

- (ii) मूल 727.93
- | | | | | |
|------|----------|--------|--------|---------|
| | | 667.78 | 667.75 | (-)0.03 |
| पूरक | (-)60.15 | | | |

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2024 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 168.25 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने तथा मंहगाई भत्ते का भुगतान न करने के कारण हुई।

2059- लोक निर्माण कार्य-

01- कार्यालय भवन-

053- रखरखाव तथा मरम्मत-

22- सैनिक कल्याण विभाग भवनों पर रखरखाव पर व्यय-

मूल	3.82	3.82	..	(-)3.82
-----	------	------	----	---------

₹ 3.82 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-4 (क्रमशः)

2075- विविध सामान्य सेवाएं-

104- पेंशन तथा अवार्ड की विशिष्ट
सेवाओं पर विचार-

01- युद्ध जागीरों पर व्यय-

(i)	मूल	25.00	25.00	18.33	(-)6.67
-----	-----	-------	-------	-------	---------

02- वीरता पुरस्कार-

(ii)	मूल	250.00	250.00	212.05	(-)37.95
------	-----	--------	--------	--------	----------

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 44.62 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतिक्षित थे (जुलाई 2024)।

03- 65 वर्ष से अधिक आयु के भूतपूर्व सैनिकों को पेंशन का भुगतान-

मूल 680.00

		620.00	595.93	(-)24.07
--	--	--------	--------	----------

पुनर्वि0 (-)60.00

₹ 24.07 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 60.00 लाख की कमी लाभार्थियों की मृत्यु होने से राशियाँ प्रयुक्त न होने के कारण हुईं जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुईं।

₹ 24.07 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतिक्षित थे (जुलाई 2024)।

800- अन्य व्यय-

13- सैनिक कल्याण विभाग के अन्तर्गत
संगठनों को सहायता-

मूल 6.00

		7.00	3.15	(-)3.85
--	--	------	------	---------

पूरक 1.00

₹ 3.85 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतिक्षित थे (जुलाई 2024)।

14- अन्य उद्देश्यों के लिए हेलिकॉप्टर सेवाएं-

मूल 1,500.00

		1,348.36	1,203.69	(-)144.67
--	--	----------	----------	-----------

पुनर्वि0 (-)151.64

₹ 144.67 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान ₹ 151.64 लाख की कमी मासिक उड़ानों के बिलों की कम प्राप्ति होने के कारण हुईं जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुईं।

₹ 144.67 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतिक्षित थे (जुलाई 2024)।

2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-

60- अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम-

200- अन्य कार्यक्रम-

02- जिला कर्मचारी वर्ग-

मूल 433.95

पूरक 2.94

		436.04	385.90	(-)50.14
--	--	--------	--------	----------

पुनर्वि0 (-)0.85

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-4 (क्रमशः)

₹ 50.14 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतिक्षित थे (जुलाई 2024)।

05- हिमाचल प्रदेश स्वतंत्रता सेनानी

कल्याण कोष-

मूल 800.93

682.57

620.47

(-)62.10

पुनर्वि0 (-)118.36

₹ 62.10 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 118.36 लाख की कमी पेंशन के प्रस्तावों की कम प्राप्ति होने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 62.10 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतिक्षित थे (जुलाई 2024)।

08- स्वतंत्रता सेनानियों की कन्याओं/प्रपोत्रियों

के विवाह हेतु सहायता-

(i) मूल 13.00

8.82

8.82

..

पुनर्वि0 (-)4.18

09- मृतक स्वतन्त्रता सेनानियों के अंतिम संस्कार

हेतु अनुग्रहित अनुदान-

(ii) मूल 4.00

2.85

2.85

..

पुनर्वि0 (-)1.15

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2024 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 5.33 लाख की कमी दोनों स्कीमों में बिलों की कम प्राप्ति होने के कारण हुई।

2251- सचिवालय-सामाजिक सेवाएं-

090- सचिवालय-

01- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग-

(i) मूल 462.80

433.93

433.88

(-)0.05

पुनर्वि0 (-)28.87

02- स्थानीय स्वशासन सरकार विभाग-

(ii) मूल 155.90

132.23

132.22

(-)0.01

पुनर्वि0 (-)23.67

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2024 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 52.54 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने तथा मंहगाई भत्ते का भुगतान न करने के कारण हुई।

3425- अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान-

60- अन्य-

001- निदेशन तथा प्रशासन-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-4 (क्रमशः)

02- पर्यावरण एवं वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी विभाग-
मूल 715.00

523.65 350.30 (-)173.35

पुनर्वि0 (-)191.35

₹ 173.35 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 191.35 लाख की कमी यात्रा व्यय बिलों की कम प्राप्ति के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 173.35 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

200- अन्य विज्ञानिक निकायों को सहायता-

01- कार्यरत अभिकरणों को सहायता अनुदान-

(i) मूल 319.00 319.00 282.75 (-)36.25

3435- परिस्थिति विज्ञान तथा पर्यावरण-

03- पर्यावरण अनुसंधान तथा परिस्थितिक पुनरुद्भूत भवन-

103- अनुसंधान तथा परिस्थितिक पुनरुद्भूत भवन-

01- परिस्थिति विकास कार्यक्रम-

(ii) मूल 124.00 124.00 94.25 (-)29.75

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 66.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

3451- सचिवालय-आर्थिक सेवाएं-

090- सचिवालय-

01- कृषि विभाग-

(i) मूल 318.25 269.34 269.25 (-)0.09

पुनर्वि0 (-)48.91

04- पशुपालन विभाग-

(ii) मूल 162.46 139.50 139.47 (-)0.03

पुनर्वि0 (-)22.96

11- पब्लिक फाईनैस तथा पब्लिक इन्टरप्राइजिज
सेल की स्थापना-

(iii) मूल 58.77 18.59 18.58 (-)0.01

पुनर्वि0 (-)40.18

उपरोक्त तीन मामलों में मार्च 2024 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 112.05 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने तथा मंहगाई भत्ते का भुगतान न करने के कारण हुई।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-4 (क्रमशः)

(vi)	उपरोक्त बचत निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-			
शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)	बचत (-)
		(₹ लाख में)		

2053- जिला प्रशासन-

094- अन्य स्थापनाएं-

06- हिमाचल दिवस के समारोह पर व्यय-

मूल	50.00			
		150.00	51.44	(-)98.56
पुनर्वि०	100.00			

₹ 98.56 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 100.00 का आवर्धन धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में जिला स्तरीय समारोह के आयोजन पर अधिक व्यय होने के कारण हुआ जोकि अत्यधिक सिद्ध हुआ।

₹ 98.56 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

2059- लोक निर्माण कार्य-

01- कार्यालय भवन-

053- रखरखाव तथा मरम्मत-

28- हिमाचल प्रदेश आवासीय आयुक्त नई दिल्ली के भवनों के रखरखाव पर व्यय-

मूल	9.16			
		23.99	16.30	(-)7.69
पुनर्वि०	14.83			

₹ 7.69 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 14.83 लाख का आवर्धन चण्डीगढ़ के हिमाचल भवन में मरम्मत व रखरखाव पर अधिक व्यय होने के कारण हुआ जोकि अत्यधिक सिद्ध हुआ।

₹ 7.69 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

2070- अन्य प्रशासनिक सेवाएं-

115- अतिथि गृह सरकारी छात्रवास इत्यादि-

01- आतिथ्य संगठन-

मूल	127.41			
पूरक	36.94	406.19	406.09	(-)0.10
पुनर्वि०	241.84			

मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 241.84 लाख का आवर्धन राज्य के अतिथियों तथा प्रतिनिधियों के आतिथ्य पर अधिक व्यय होने के कारण हुआ।

2075- विविध सामान्य सेवाएं-

800- अन्य व्यय-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-4 (समाप्त)

04-	मृतक/विकलांग रक्षा कर्मियों के परिवारों को सहायता-				
	मूल	150.00			
	पूरक	107.10	325.00	322.00	(-)3.00
	पुनर्वि०	67.90			

मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 67.90 लाख का आवर्धन वित्तीय सहायता के लिए अधिक मामले प्राप्त होने के कारण हुआ।

(vii) प्रभारित विनियोजन में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्ष के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल विनियोजन	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
		(₹ लाख में)	

2051- लोक सेवा आयोग-

102- राज्य लोक सेवा आयोग-

01- राज्य लोक सेवा आयोग-

मूल	1,240.49			
		1,400.87	1,329.00	(-)71.87
पूरक	160.38			

₹ 71.87 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-5-भू-राजस्व व जिला प्रशासन

(शीर्ष- 2029-भू-राजस्व, 2030- स्टाम्प तथा पंजीकरण, 2053- जिला प्रशासन, 2055-पुलिस, 2059- लोक निर्माण-कार्य, 2216- आवास, 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, 2245- प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत, 2401- फसल कृषि कर्म, 2506- भूमि सुधार, 2702- लघु सिंचाई, 3454- जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, 4059- लोक निर्माण कार्यो पर पूंजीगत परिव्यय तथा 4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय)

		कुल अनुदान/ विनियोजन	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य (+) बचत (-)
राजस्व प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	14,47,58,30			
		31,90,53,81	30,69,07,39	(-)1,21,46,42
पूरक	17,42,95,51			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..
प्रभारित				
मूल	..			
		2,35	2,35	..
पूरक	2,35			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..
पूंजीगत प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	8,00,00			
		54,46,95	1,43,54,26	(+)89,07,31
पूरक	46,46,95			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..

टिप्पणियाँ तथा अभ्युक्तियाँ

- (i) पूंजीगत प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 89,07,31,500 के आधिक्य का नियमन अपेक्षित है।
- (ii) राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 12,146.42 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से फरवरी 2024 में प्राप्त ₹ 1,74,295.51 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ तथा वर्ष के दौरान विभाग द्वारा कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (iii) पूंजीगत प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 8,907.31 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से फरवरी 2024 में प्राप्त ₹ 4,646.95 लाख का अनुपूरक अनुदान अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-5 (क्रमशः)

राजस्व प्रवर्ग

(iv) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-				
शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य (+) बचत (-)	
2029- भू-राजस्व-				
102- सर्वेक्षण तथा बन्दोबस्त कार्य-				
02- वन बन्दोबस्त तथा सीमांकन-				
(i) मूल	772.91			
	774.71	739.30	(-)35.41	
पूरक	1.80			
103- भू-अभिलेख-				
02- जिला स्थापना प्रभार-				
(ii) मूल	13,866.20			
पूरक	169.53	14,035.85	13,946.48	(-)89.37
पुनर्वि0	0.12			
2030- स्टाम्प तथा पंजीकरण-				
01- स्टाम्प न्यायिक-				
102- स्टाम्प बिक्री पर व्यय-				
01- स्टाम्प विक्रेताओं के माध्यम से स्टाम्पों की बिक्री पर व्यय-				
(iii) मूल	18.50	18.50	14.04	(-)4.46
02- स्टाम्प न्यायिकेत्तर-				
102- स्टाम्प बिक्री पर व्यय-				
02- नोटोरियल टिकटों की बिक्री-				
(iv) मूल	15.50	15.50	3.73	(-)11.77
03- राजस्व टिकटों की बिक्री-				
(v) मूल	7.50	7.50	4.96	(-)2.54
2053- जिला प्रशासन-				
093- जिला स्थापनाएं-				
01- सामान्य स्थापना-				
(vi) मूल	18,152.38			
	18,556.82	17,762.97	(-)793.85	
पूरक	404.44			
2059- लोक निर्माण कार्य-				
01- कार्यालय भवन-				
053- रखरखाव तथा मरम्मत-				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-5 (क्रमशः)

02-	खरखाव व्यय-				
(vii)	मूल	80.00	80.00	25.67	(-)54.33

2216- आवास-

05-	साधारण पूल आवास-				
053-	खरखाव एवं मरम्मत -				
01-	अन्य खरखाव व्यय-				
(viii)	मूल	100.00	100.00	55.77	(-)44.23

उपरोक्त आठ मामलों में ₹ 1,035.96 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतिक्षित थे (जुलाई 2024)।

2245- प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत-

02-	बाढ़, चक्रवात आदि-				
101-	अनुग्राहिक राहत-				
01-	नकद सहायता-				
	मूल	3,570.00			
			2,919.32	2,015.00	(-)904.32
	पुनर्वि०	(-)650.68			

₹ 904.32 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 650.68 लाख की कमी दावेदारों द्वारा मांग की कम प्राप्ति के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 904.32 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

पूरक	4,500.00	4,500.00	2,806.55	(-)1,693.45
------	----------	----------	----------	-------------

₹ 1,693.45 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

102-	पेयजल आपूर्ति-				
01-	पेयजल पर व्यय-				
	मूल	500.00			
			95.00	60.00	(-)35.00
	पुनर्वि०	(-)405.00			

₹ 35.00 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 405.00 लाख की कमी दावों की कम प्राप्ति के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 35.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

104-	चारा आपूर्ति-				
01-	चारे के वितरण पर व्यय-				
	मूल	300.00			
			..	..	..
	पुनर्वि०	(-)300.00			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-5 (क्रमशः)

₹ 300.00 लाख के समस्त प्रावधान को पुनर्विनियोजन द्वारा दावेदारों से मांग की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया।

106-	क्षतिग्रस्त सड़कों एवं पुलों की मरम्मत और पुर्नस्थापन-				
01-	सड़कों और पुलों के निर्माण पर व्यय- केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(i)	पूरक	31,296.50			
			31,296.51	30,838.31	(-)458.20
	पुनर्वि०	0.01			

109-	क्षतिग्रस्त जलापूर्ति जल निकासों और सीवरेज कार्य की मरम्मत एवं पुर्नस्थापन-				
01-	पेयजल तथा सीवरेज योजनाओं को इस नुक्सान की मरम्मत पर व्यय- केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(ii)	पूरक	27,700.00	27,700.00	27,330.43	(-)369.57
	उपरोक्त दो मामलों में ₹ 827.77 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।				

111-	शोक संतप्त परिवारों को अनुग्रह अनुदान-				
01-	अनुग्रहपूर्वक अनुदान-				
	मूल	4,000.00			
			2,346.44	1,860.99	(-)485.45
	पुनर्वि०	(-)1,653.56			

₹ 485.45 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,653.56 लाख की कमी अनुग्रहपूर्वक अनुदान के भुगतान के लिए दावों की कम प्राप्ति होने के कारण हुई जोंकि अप्रर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 485.45 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

(i)	पूरक	2,470.00	2,470.00	1,480.86	(-)989.14
02-	राज्य विशेष आपदा के कारण मृत्यु-				
(ii)	मूल	6,000.00			
			6,020.00	3,675.67	(-)2,344.33
	पूरक	20.00			
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(iii)	पूरक	1,000.00	1,000.00	703.29	(-)296.71

उपरोक्त तीन मामलों में ₹ 3,630.18 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-5 (क्रमशः)

113-	घरों की मरम्मत/पुनर्निर्माण के लिए अनुदान-				
01-	घरों की मरम्मत एवं निर्माण पर व्यय-				
	मूल	2,500.00			
			2,235.35	1,103.17	(-)1,132.18
	पुनर्वि०	(-)264.65			

₹ 1,132.18 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 264.65 लाख की कमी प्राकृतिक आपदा के तहत घरों के मरम्मत एवं निर्माण के लिए दावों की कम प्राप्ति होने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 1,132.18 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

(i)	पूरक	4,498.00	4,498.00	2,810.36	(-)1,687.64
193-	स्थानीय निकायों तथा गैर सरकारी				
	संस्थाओं को अनुदान-				
01-	स्थानीय निकायों तथा अन्य गैर सरकारी				
	संस्थाओं को सहायता-				
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(ii)	पूरक	8,857.00	8,857.00	8,729.81	(-)127.19
08-	राज्य आपदा शमन कोष-				
101-	आपदा न्यूनीकरण-				
01-	राज्य आपदा शमन निधि-				
(iii)	मूल	10,020.00	10,020.00	9,378.37	(-)641.63
797-	विशेष आरक्षित निधियों और जमा				
	खातों में स्थानान्तरण-				
01-	राज्य आपदा शमन कोष में स्थानांतरण-				
(iv)	मूल	10,020.00	10,020.00	9,520.00	(-)500.00
80-	सामान्य-				
102-	प्राकृतिक आपदा प्रबंधन, आपदाग्रस्त				
	क्षेत्रों में आकस्मिक योजनाएँ-				
05-	क्षमता निर्माण-				
(v)	मूल	5,010.00	5,010.00	4,351.99	(-)658.01
2506-	भूमि सुधार-				
102-	चकबन्दी-				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-5 (क्रमशः)

01- मुख्यालय स्थापना-					
(vi)	मूल	129.96			
			130.36	96.38	(-)33.98
	पूरक	0.40			
02- जिला स्थापना-					
(vii)	मूल	63.29	63.29	18.43	(-)44.86
उपरोक्त सात मामलों में ₹ 3,693.31 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।					
2702- लघु सिंचाई-					
80- सामान्य-					
800- अन्य व्यय-					
07- सिंचाई आंकड़ों की सुधार योजना-					
केन्द्रीय प्रायोजित योजना					
	मूल	50.00	50.00	..	(-)50.00
₹ 50.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।					
(v)	उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-				
	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)	बचत (-)
			(₹ लाख में)		
2029- भू-राजस्व-					
102- सर्वेक्षण तथा बन्दोबस्त कार्य-					
04- बंदोबस्त अधिकारी कांगड़ा-स्थापना-					
(i)	मूल	2,120.19			
	पूरक	9.36	2,129.54	2,299.97	(+)170.43
	पुनर्वि०	(-)0.01			
103- भू-अभिलेख-					
04- प्राथमिक तथा सर्वेक्षण भू-अभिलेख अभिलेखों का सुदृढीकरण - जिला कर्मचारी वर्ग-					
(ii)	मूल	2,388.40	2,388.40	2,445.28	(+)56.88
2053- जिला प्रशासन-					
094- अन्य स्थापनाएं-					
01- उप मंडल स्थापना-					
(iii)	मूल	2,291.43			
			2,291.35	2,408.34	(+)116.99
	पुनर्वि०	(-)0.08			
उपरोक्त तीन मामलों में ₹ 344.30 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)					

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-5 (क्रमशः)

2245- प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत-

02- बाढ़, चक्रवात आदि-

106- क्षतिग्रस्त सड़कों एवं पुलों की मरम्मत तथा पुर्नस्थापन-

01- सड़कों और पुलों के निर्माण पर व्यय-

मूल	9,000.00			
पूरक	4,000.00	14,000.00	13,996.30	(-)3.70
पुनर्वि०	1,000.00			

मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,000.00 लाख का आवर्धन सड़को व पुलों की मरम्मत पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

109- क्षतिग्रस्त जलापूर्ति, जल निकासी तथा मल निकासी की मरम्मत एवं पुर्नस्थापन-

01- पेयजल तथा सीवरेज योजनाओ पर हुए नुकसान की मरम्मत पर व्यय-

मूल	5,000.00			
पूरक	1,554.90	7,354.90	7,344.46	(-)10.44
पुनर्वि०	800.00			

मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 800.00 लाख का आवर्धन क्षतिग्रत जलापूर्ति, जल निकासी तथा सीवरेज की मरम्मत पर अधिक व्यय होने के कारण हुआ।

193- स्थानीय निकायों तथा गैर सरकारी संस्थाओं को अनुदान-

01- स्थानीय निकायों तथा गैर सरकारी संस्थाओं को सहायता-

मूल	4,200.00			
		5,673.89	5,432.66	(-)241.23
पुनर्वि०	1,473.89			

₹ 241.23 लाख के अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,473.89 लाख का आवर्धन आवासों, वन पथ, सामुदायिक भवनों तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों आदि की मरम्मत पर अधिक व्यय होने के कारण हुआ जोकि अत्यधिक सिद्ध हुआ।

₹ 241.23 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

3454- जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी-

02- सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी-

110- राज विवरणिका तथा सांख्यिकी संस्मरण-

02- आपदा प्रबंधन सैल-

मूल	70.39			
		8,153.59	9,456.05	(+)1,302.46
पूरक	8,083.20			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-5 (क्रमशः)

₹ 1,302.46 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

पूंजीगत प्रवर्ग

(vi) दत्तमत अनुदान में आधिक्य मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य (+) बचत (-)
4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-			
01- कार्यालय भवन-			
051- निर्माण-			
37- कानूनगो/पटवार भवनों का निर्माण-			
मूल	526.00		
		576.00	606.34 (+)30.34
पूरक	50.00		

₹ 606.34 लाख के कुल व्यय में से ₹ 365.00 लाख का व्यय वर्ष 2019-20 की आपत्ति पुस्तिका के उंचत के समायोजन के कारण हुआ।

80- सामान्य-			
051- निर्माण-			
05- संयुक्त कार्यालय भवन एवं सचिवालय-			
मूल	274.00		
		4,750.84	13,627.82 (+)8,876.98
पूरक	4,476.84		

₹ 8,876.98 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

(vii) आपदा राहत निधि

तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने अधिसूचना संख्या न0 रेव (डी.एम.सी.) (एफ) 4-2/2000-VII दिनांक 21/02/2011 के द्वारा भारत सरकार एवं हिमाचल प्रदेश सरकार से अंशदान प्राप्त करने के उद्देश्य से राज्य आपदा प्रबंधन निधि एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन निधि का गठन किया ताकि प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, ओलावृष्टि, चक्रवात, आग लगने और सूखा इत्यादि पर राहत प्रदान की जा सके। भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निधि में क्रमशः 90:10 के अनुपात में अंशदान दिया जायेगा।

विनियोग लेखे अनुदान संख्या-5 (समाप्त)

तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार केन्द्र सरकार से निधि हेतु अंशदान को लोक लेखा के शीर्ष 8121- सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियां, 122- राज्य आपदा राहत निधि के अंतर्गत वर्गीकृत किया जायेगा ताकि राज्य आपदा प्रबंधन निधि में अन्य घटकों से प्राप्त आय को अलग से दर्शाया जा सके। इस प्रकार यह निधि राज्य सरकार के अन्य संस्थानों के खण्ड का हिस्सा नहीं है। निधि में अन्य प्राधिकार से किसी भी प्रकार का अग्रिम शेष भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट विधि से रखा जाता है। मुख्य सचिव के राज्य स्तरीय समिति का पदेन अध्यक्ष होने के नाते द्वारा संचालन किया जाता है।

प्रत्येक वित्तीय वर्ष में समिति द्वारा संस्तुत राशि की प्राप्ति को मुख्य शीर्ष 2245- प्राकृतिक विपत्ति के लिए राहत, 05-राज्य आपदा राहत निधि, 08-राज्य आपदा संवर्धन कोष, 101- आरक्षित निधियों और जमा लेखों को अन्तरण आपदा राहत निधि से मुख्य शीर्ष 8121-सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियां, 122-राज्य आपदा राहत निधि, 130-राज्य आपदा संवर्धन कोष और 8235-सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियां, 125-राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया निधि में स्थानान्तरण द्वारा सुनिश्चित करती है। 1 अप्रैल 2023 को निधि में जमा अथ शेष ₹ 11,355.66 लाख (₹ 5,554.90 लाख राज्य आपदा प्रबंधन निधि और ₹ 4,204.25 लाख राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन निधि और ₹ 1,596.51 लाख राष्ट्रीय आपदा राहत निधि) था। वर्ष 2023-24 के दौरान ₹ 40,100.00 लाख (भारत सरकार से ₹ 36,080.00 लाख तथा ₹ 4,020.00 लाख हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार से) की राशि राज्य आपदा निधि तथा ₹ 9,520.00 लाख की राशि (भारत सरकार से ₹ 8,560.00 लाख एवं ₹ 960.00 लाख हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकार से) और ₹ 78,725.00 लाख की राशि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन निधि में प्राप्त हुई। इस प्रकार यह निधि बढ़ कर ₹ 1,39,700.66 लाख हो गई। इस वर्ष ₹ 1,23,918.22 लाख (₹ 39,840.23 लाख राज्य आपदा प्रबंधन निधि से, ₹ 9,378.37 लाख राज्य आपदा शमन निधि से एवं ₹ 74,699.62 लाख राष्ट्रीय आपदा निधि से) का व्यय हुआ है। मार्च 2024 के अन्त में निधि में ₹ 15,782.44 लाख जमा रहे (विस्तृत विवरण के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार के वर्ष 2023-24 के वित्त लेखों की विवरणी संख्या 21 में दर्शाया गया है)।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-6- आबकारी और कराधान

(शीर्ष- 2039-राज्य उत्पाद शुल्क, 2040- विक्रय एवं व्यापार आदि पर कर, 2043- राज्य वस्तु एवं सेवा कर के अन्तर्गत संग्रहण प्रभार, 2045- वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क, 2059- लोक निर्माण-कार्य, 2216- आवास, 2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, 3604- स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन, 4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय तथा 4216- आवास पर पूंजीगत परिव्यय)

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
		(₹ हजार में)		
राजस्व प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	1,13,70,39			
		1,33,76,99	1,12,27,55	(-)21,49,44
पूरक	20,06,60			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)				
				16,28,13
पूंजीगत प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	2,00,00			
		2,00,00	..	(-)2,00,00
पूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				

टिप्पणियाँ तथा अभ्युक्तियाँ

- (i) राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 2,149.44 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से फरवरी 2024 में प्राप्त ₹ 2,006.60 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ तथा ₹ 1,628.13 लाख का अभ्यर्पण अपर्याप्त सिद्ध हुआ।
- (ii) पूंजीगत प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में कुल ₹ 200.00 लाख की बचत हुई परन्तु वर्ष के दौरान विभाग द्वारा कोई राशी अभ्यर्पित नहीं की गई।

राजस्व प्रवर्ग

- (iii) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
(₹ लाख में)			

2039- राज्य उत्पाद शुल्क-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-6 (क्रमशः)

001- निर्देशन तथा प्रशासन-

01- जिला स्थापना व्यय-

मूल	1,159.14			
पूरक	24.00	829.72	819.72	(-)10.00
पुनर्वि०	(-)353.42			

मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 353.42 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने तथा कर्मचारियों के कम यात्रा के कारण हुई।

104- शराब और स्पिरिट की खरीद-

02- शराब की क्लिनिकल सैंपलिंग-

मूल	13.00			
		23.00	15.70	(-)7.30
पूरक	10.00			

₹ 7.30 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

2040- विक्रय एवं व्यापार इत्यादि पर कर-

101- संग्रहण प्रभार-

01- मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कर्मचारी-

मूल	330.27			
पूरक	451.30	727.75	529.28	(-)198.47
पुनर्वि०	(-)53.82			

₹ 198.47 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 53.82 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 198.47 लाख के अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

2043- राज्य वस्तु एवं सेवाकर के अंतर्गत

संग्रहण प्रभार-

101- संग्रहण प्रभार-

02- राजस्व वृद्धि एवं क्षमता संवर्धन परियोजना-

मूल	500.00	500.00	208.04	(-)291.96
-----	--------	--------	--------	-----------

₹ 291.96 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

2045- वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क-

104- संग्रहण प्रभार माल तथा यात्रियों पर कर-

02- जिला स्थापना-

मूल	5,553.68			
पूरक	40.00	5,391.29	5,387.87	(-)3.42
पुनर्वि०	(-)202.39			

मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 202.39 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, दैनिक वेतन भोगियों के कम नियमितीकरण कर्मचारियों की कम यात्रा तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों के कम आयोजन के कारण हुई।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-6 (क्रमशः)

2059- लोक निर्माण कार्य-

01- कार्यालय भवन-

053- रखरखाव तथा मरम्मत-

02- रखरखाव व्यय-

मूल	1.93	1.93	0.38	(-)1.55
-----	------	------	------	---------

₹ 1.55 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

2216- आवास-

05- साधारण पूल आवास-

053- मरम्मत एवं रखरखाव-

01- अन्य रखरखाव व्यय-

मूल	8.11			
		2.94	2.94	..

पुनर्वि० (-)5.17

मार्च 2024 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 5.17 लाख की कमी रखरखाव कार्यों के कम निष्पादन के कारण हुई।

3604- स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन-

107- स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर-

01- स्थानीय शहरी निकायों को सहायता अनुदान-

(i) मूल 463.33

	..	..	..
--	----	----	----

पुनर्वि० (-)463.33

02- पंचायतों/ग्रामीण निकायों को सहायता अनुदान-

(ii) मूल 600.00

	..	..	..
--	----	----	----

पुनर्वि० (-)600.00

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2024 में ₹ 1,063.33 लाख के समस्त प्रावधान को संहितागत औपचारिकतायें पूरी न होने के कारण कम कर दिया गया।

(iv) उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
			(₹ लाख में)

2040- विक्रय एवं व्यापार इत्यादि पर कर-

101- संग्रहण प्रभार-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-6 (समाप्त)

03- गोवंश रक्षा के लिए पशुपालन विभाग को सहायता-

मूल	1,030.07			
पूरक	1,171.54	2,233.23	2,233.23	..
पुनर्वि०	31.62			

मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 31.62 लाख का आवर्धन गोवंश की सहायता के लिए शराब की बिक्री से उपकर के अधिक संग्रह के कारण हुआ।

पूंजीगत प्रवर्ग

(v) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य (+) बचत (-)
-------	------------	------------------------------	-----------------------

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-

01- कार्यालय भवन-

051- निर्माण-

09- आवकारी एवं कराधान-

(i)	मूल	100.00	100.00	..	(-)100.00
-----	-----	--------	--------	----	-----------

4216- आवास पर पूंजीगत परिव्यय-

01- सरकारी रिहायशी भवन-

106- साधारण पूल आवास-

08- आबकारी एवं कराधान के लिए आवासीय भवन-

(ii)	मूल	100.00	100.00	..	(-)100.00
------	-----	--------	--------	----	-----------

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2024 में ₹ 200.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिस के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-7- पुलिस और सम्बद्ध संगठन

(शीर्ष- 2055-पुलिस, 2056-जेल, 2059-लोक निर्माण कार्य, 2062-सतर्कता, 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं, 2216-आवास, 4055-पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय, 4059-लोक निर्माण-कार्य पर पूंजीगत परिव्यय तथा 4070- अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय)

		कुल अनुदान/ विनियोजन	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य (+) बचत (-)
राजस्व प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	16,34,63,78			
		16,91,42,05	16,36,69,68	(-)54,72,37
पूरक	56,78,27			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)				46,78,93
प्रभारित				
मूल	..			
		97,52	97,49	(-)3
पूरक	97,52			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..
पूंजीगत प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	57,74,00			
		88,48,05	79,16,46	(-)9,31,59
पूरक	30,74,05			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..

टिप्पणियाँ तथा अभ्युक्तियाँ

- (i) राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 5,472.37 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से फररवरी 2024 में प्राप्त ₹ 5,678.27 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ तथा ₹ 4,678.93 लाख का अभ्यर्पण अपर्याप्त सिद्ध हुआ।
- (ii) पूंजीगत प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 931.59 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में प्राप्त ₹ 3,074.05 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ तथा वर्ष के दौरान विभाग द्वारा कोई भी राशी अभ्यर्पण नहीं की गई।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-7- (क्रमशः)

राजस्व प्रवर्ग

(iii) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य (+) बचत (-)
-------	------------	------------------------------	-----------------------

2055- पुलिस-

001- दिशा एवं प्रशासन-

01- निदेशालय-

मूल	2,032.19			
पूरक	95.06	2,029.83	2,008.69	(-)21.14
पुनर्वि०	(-)97.42			

₹ 21.14 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 97.42 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि टेलीफोन, पानी, बिजली प्रभारों तथा नए वाहनों की खरीद पर अधिक व्यय होने के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 21.14 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

03- सड़क सुरक्षा कोष-

मूल	50.00	50.00	..	(-)50.00
-----	-------	-------	----	----------

₹ 50.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

101- आपराधिक अन्वेषण और सतर्कता-

01- आपराधिक अन्वेषण-

(i) मूल	5,864.15			
पूरक	85.65	5,781.24	5,779.02	(-)2.22
पुनर्वि०	(-)168.56			

108- राज्य मुख्यालय पुलिस-

01- राज्य रिजर्व पुलिस-

(ii) मूल	9,956.75			
पूरक	37.60	9,501.14	9,490.78	(-)10.36
पुनर्वि०	(-)493.21			

02- अन्य सरकारी संस्थाओं के लिए पुलिस-

(iii) मूल	3,871.04			
पूरक	5.00	3,649.85	3,649.80	(-)0.05
पुनर्वि०	(-)226.19			

उपरोक्त तीन मामलों में मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 887.96 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-7- (क्रमशः)

05- भारतीय रिजर्व वाहिनी-

मूल	33,596.75			
पूरक	258.20	31,959.81	31,934.32	(-)25.49
पुनर्वि०	(-)1,895.14			

₹ 25.49 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,895.14 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 25.49 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

109- जिला पुलिस-

01- जिला कार्यकारिणी फोर्स-

मूल	73,461.09			
पूरक	997.97	72,762.58	72,729.39	(-)33.19
पुनर्वि०	(-)1,696.48			

₹ 33.19 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,696.48 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने तथा यात्रा व्यय में कम प्राप्ति के कारण हुई जोकि पेट्रोल, तेल, स्नेहकों, वाहनों के रखरखाव पर अधिक व्यय, बिजली, टेलीफोन, पानी के बिलों की अधिक प्राप्ति के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 33.19 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

114- बेतार तथा कम्प्यूटर-

01- पुलिस रेडियो कर्मचारी वर्ग-

मूल	2,892.70			
पूरक	20.97	2,485.22	2,485.08	(-)0.14
पुनर्वि०	(-)428.45			

मार्च 2024 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 428.45 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

115- पुलिस बल का आधुनिकीकरण-

02- सुरक्षा संबंधी व्यय-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना-

मूल	280.00	280.00	250.75	(-)29.25
-----	--------	--------	--------	----------

₹ 29.25 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

03- अपराध और मुजरिम ट्रैकिंग नेटवर्क

प्रणाली (सीसीटीएनएस) पर व्यय-

पूरक	95.05			
		72.25	18.05	(-)54.20
पुनर्वि०	(-)22.80			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-7- (क्रमशः)

₹ 54.20 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 22.80 लाख की कमी उपकरणों की कम खरीद के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 54.20 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

2056- जेल-

101- जेल-

02- जेल प्रशासन का आधुनिकीकरण-

मूल 280.78

248.75

248.74

(-)0.01

पुनर्वि० (-)32.03

मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 32.03 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

2059- लोक निर्माण कार्य-

01- कार्यालय भवनों-

053- रखरखाव एवं मरम्मत-

20- जेल विभाग के भवनों पर रखरखाव पर व्यय-

(i) मूल 40.00 40.00 17.56 (-)22.44

31- पुलिस विभाग के भवनों के रखरखाव पर व्यय-

(ii) मूल 325.59 325.59 294.75 (-)30.84

47- अग्निशमन सेवा विभाग भवनों की मरम्मत और रखरखाव पर व्यय-

(iii) मूल 6.00 6.00 3.35 (-)2.65

2062- सतर्कता-

104- राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का सतर्कता आयोग-

01- राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो-

(iv) मूल 3,610.89

पूरक 144.27

3,738.85

3,693.78

(-)45.07

पुनर्वि० (-)16.31

2070- अन्य प्रशासनिक सेवाएं-

107- होम गार्ड-

02- जिला कर्मचारी वर्ग-

(v) मूल 4,732.94

5,583.24

5,544.78

(-)38.46

पुनर्वि० 850.30

108- अग्नि सुरक्षा और नियंत्रण-

02- जिला कर्मचारी-

(vi) मूल 5,740.17

पूरक 1,013.26

6,736.43

6,150.31

(-)586.12

पुनर्वि० (-)17.00

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-7- (क्रमशः)

उपरोक्त छः मामलों में ₹ 725.58 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

(iv) उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य (+) बचत (-)
2055- पुलिस-			
109- जिला पुलिस-			
02- पंचायत चौकीदारों/गृह रक्षकों पर व्यय (समन सेवाओं हेतु)-			
मूल 379.50			
	459.50	459.48	(-)0.02
पूरक 80.00			
मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 80.00 लाख का आवर्धन पंचायत चौकीदार/गृह रक्षकों द्वारा वारंट/समन की सेवाओं पर अधिक व्यय होने के कारण हुआ।			
03- पुलिस के साथ कानून व्यवस्था हेतु तैनात गृह रक्षकों पर व्यय-			
मूल 7,282.08			
पूरक 1,400.00	8,925.65	8,925.55	(-)0.10
पुनर्वि0 243.57			
मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 243.57 लाख का आवर्धन पुलिस के साथ कानून तथा व्यवस्था हेतु तैनात गृह रक्षक स्वयं सेवकों को वेतन भुगतान हेतु अधिक व्यय होने के कारण हुआ।			
111- रेलवे पुलिस-			
01- अपराध पुलिस-			
(i) मूल 490.57			
पूरक 1.30	511.22	511.19	(-)0.03
पुनर्वि0 19.35			
03- ऑर्डर पुलिस-			
(ii) मूल 284.61			
पूरक 5.37	316.97	316.95	(-)0.02
पुनर्वि0 26.99			
उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 46.34 लाख का आवर्धन लंबित बकाया के भुगतान करने के कारण हुआ।			
2056- जेल-			
101- जेल-			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-7- (क्रमशः)

01- जेलों की स्थापना-

मूल	3,605.52			
पूरक	265.34	3,880.25	4,069.08	(+)188.83
पुनर्वि०	9.39			

₹ 188.83 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

102- जेल उत्पाद-

01- जेल उद्योग-

मूल	111.54			
पूरक	30.00	164.33	167.83	(+)3.50
पुनर्वि०	22.79			

मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 22.79 लाख का आवर्धन कैदियों के भुगतान हेतु अधिक व्यय होने के कारण हुआ।

2070- अन्य प्रशासनिक सेवाएं-

108- अग्नि सुरक्षा तथा नियंत्रण-

01- मुख्यालय कर्मचारी वर्ग-

मूल	98.20			
पूरक	10.31	125.51	119.54	(-)5.97
पुनर्वि०	17.00			

मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 17.00 लाख का आवर्धन मंहगाई राहत बकाया के भुगतान के कारण हुआ।

पूंजीगत प्रवर्ग

(v) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
		(₹ लाख में)	

4055- पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय-

211- पुलिस आवास-

03- पुलिस बलों का आधुनिकीकरण-

(i) मूल	3,191.00			
		5,691.00	5,403.79	(-)287.21
पूरक	2,500.00			
केन्द्रीय प्रायोजित योजना				

(ii) मूल	286.00	286.00	110.95	(-)175.05
----------	--------	--------	--------	-----------

05- राज्य फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला का निर्माण-

(iii) मूल	150.00	150.00	38.97	(-)111.03
-----------	--------	--------	-------	-----------

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-

01- कार्यालय भवनों-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-7- (समाप्त)

051-	निर्माण-				
23-	जेल भवनों का निर्माण-				
(iv)	मूल	700.00			
			1,200.00	1,144.84	(-)55.16
	पुनर्वि०	500.00			
4070-	अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय-				
800-	अन्य व्यय-				
01-	गृह रक्षक विभाग के कार्यालयीन भवनों का निर्माण-				
(v)	मूल	450.00	450.00	346.04	(-)103.96
02-	अग्निशमन सेवा विभाग के कार्यालयीन भवनों का निर्माण-				
(vi)	मूल	750.00	750.00	556.78	(-)193.22

उपरोक्त छः मामलों में ₹ 925.63 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)। जबकि क्रम संख्या (ii) में ₹ 77.75 लाख का अनुदान भारत सरकार से प्राप्त हुआ।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-8 शिक्षा

(शीर्ष- 2059- लोक निर्माण-कार्य, 2202-सामान्य शिक्षा, 2205-कला एवं संस्कृति, 2216- आवास तथा 4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय)

	कुल अनुदान/ विनियोजन	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
	(₹ हजार में)		
राजस्व प्रवर्ग			
दत्तमत			
मूल	78,66,54,26		
	80,30,60,37	72,30,03,20	(-)8,00,57,17
पूरक	1,64,06,11		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)			2,51,40,73
प्रभारित			
मूल	..		
	2,68,87	2,68,87	..
पूरक	2,68,87		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			..
पूंजीगत प्रवर्ग			
दत्तमत			
मूल	98,73,00		
	1,11,47,00	1,13,96,34	(+)2,49,34
पूरक	12,74,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			..

टिप्पणियाँ तथा अभ्युक्तियाँ

- (i) पूंजीगत प्रवर्ग के प्रभारित विनियोजन में ₹ 2,49,34,718 का नियमन अपेक्षित है।
- (ii) राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 80,057.17 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में प्राप्त ₹ 16,406.11 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ जबकि मूल अनुदान भी सारभूत रूप से अप्रयुक्त रहा और ₹ 25,140.73 लाख का अभ्यर्पण अपर्याप्त सिद्ध हुआ।
- (iii) पूंजीगत प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 249.34 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2024 में प्राप्त ₹ 1,274.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-8 (क्रमशः)

राजस्व प्रवर्ग

(iv) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य (+) बचत (-)
2059- लोक निर्माण कार्य-			
01- कार्यालय भवन-			
053- रखरखाव तथा मरम्मत-			
33- माध्यमिक शिक्षा विभाग भवनों का रख रखाव-			
(i) मूल 7.70	362.70	147.04	(-)215.66
पूरक 355.00			
70- प्राथमिक पाठशालाओं के भवनों का रखरखाव-			
(ii) मूल 1,000.00	996.00	849.10	(-)146.90
पुनर्वि0 (-)4.00			
72- उच्च शिक्षा के भवनों का रख रखाव-			
(iii) मूल 70.00	70.00	51.01	(-)18.99
उपरोक्त तीन मामलों में ₹ 381.55 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।			
2202- सामान्य शिक्षा-			
01- प्रारम्भिक शिक्षा-			
101- राजकीय प्राथमिक विद्यालय-			
01- शिक्षा पर व्यय-			
(i) मूल 1,82,957.33	1,71,393.17	1,57,053.32	(-)14,339.85
पुनर्वि0 (-)11,564.16			
03- माध्यमिक स्कूल-			
(ii) मूल 1,66,302.67	1,65,936.83	1,48,700.64	(-)17,236.19
पुनर्वि0 (-)365.84			
उपरोक्त दो मामलों में ₹ 31,576.04 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 11,930.00 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि बहुउद्देशीय कार्यकर्ता की नई नियुक्ति, टेलीफोन, बिजली एवं पानी के बिलों पर अधिक व्यय, छात्रवृत्ति के लिए अधिक विद्यार्थियों की पात्रता तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों की अधिक प्राप्ति के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।			
उपरोक्त दो मामलों में ₹ 31,576.04 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-8 (क्रमशः)

11-	उर्दू तथा पंजाबी अध्यापकों पर व्यय-				
	मूल	20.71			
			15.17	12.86	(-)2.31
	पुनर्वि०	(-)5.54			
	मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 5.54 लाख की कमी उर्दू तथा पंजाबी शिक्षकों के नियमितिकरण के कारण हुई।				
15-	ज्ञानोदय अध्ययन एवं पाठन गुणवत्ता योजना-				
(i)	मूल	1.00			
			..	..	..
	पुनर्वि०	(-)1.00			
16-	डिजिटल शिक्षा-				
(ii)	मूल	1.00			
			..	..	..
	पुनर्वि०	(-)1.00			
	उपरोक्त दो मामलों में ₹ 2.00 लाख का समस्त प्रावधान संहितागत औपचारिकताएँ पूरी न होने के कारण कम कर दिया गया।				
17-	प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत अभिभावक शिक्षक संघ को अनुदान सहायता-				
	मूल	450.00			
			313.93	300.16	(-)13.77
	पुनर्वि०	(-)136.07			
	मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 136.07 लाख की कमी अभिभावक शिक्षक संघ के अन्तर्गत शिक्षकों के नियमितिकरण के कारण हुई।				
102-	राजकीय प्राथमिक विद्यालयों को सहायता-				
03-	निजी पाठशालाओं में कमजोर वर्ग के छात्रों की फीस की प्रतिपूर्ति-				
	मूल	61.00			
			53.04	28.77	(-)24.77
	पुनर्वि०	(-)7.96			
	₹ 24.77 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।				
104-	निरीक्षण-				
01-	खण्ड प्राथमिक शिक्षा अधिकारी-				
	मूल	2,105.30			
			1,927.61	1,912.14	(-)15.47
	पुनर्वि०	(-)177.69			
	मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 177.69 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि बाह्य स्रोत से वाहनों की मरम्मत तथा बाह्य स्रोत सेवाओं के पारिश्रमिक की वृद्धि के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-8 (क्रमशः)

02- खण्ड प्राथमिक शिक्षा अधिकारी-

मूल 7,343.88

7,179.00

7,109.46

(-)69.54

पुनर्वि0 (-)164.88

₹ 69.54 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 164.88 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि पानी, बिजली और टेलीफोन के बिलों, बाह्य स्रोत सेवाओं तथा बाह्य स्रोत सेवाओं की मानदेय की दरों में वृद्धि होने से हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 69.54 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

107- अध्यापक प्रशिक्षण-

04- जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों पर व्यय-

मूल 2,499.12

2,586.43

2,196.34

(-)390.09

पुनर्वि0 87.31

₹ 390.09 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 87.31 लाख का आवर्धन वेतन भुगतान पर अधिक व्यय तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की अधिक प्राप्ति के कारण हुई जोकि अनावश्यक सिद्ध हुई।

₹ 390.09 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

109- छात्रवृत्तियाँ तथा प्रोत्साहन-

03- शीर्ष 100 छात्रवृत्ति योजना-

मूल 200.00

99.89

66.96

(-)32.93

पुनर्वि0 (-)100.11

₹ 32.93 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 100.11 लाख की कमी योजना के अन्तर्गत छात्रों के कम नामांकन होने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 32.93 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

112- प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण-

01- मध्यांतर भोजन-

मूल 5,712.00

4,092.82

4,092.82

..

पुनर्वि0 (-)1,619.18

मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,619.18 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति के कारण हुई जोकि बाह्य स्रोत सेवाओं, सामग्री व आपूर्ति के लिए निधियों की प्राप्ति न होने से हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

मूल 8,223.00

7,957.61

7,957.61

..

पुनर्वि0 (-)265.39

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-8 (क्रमशः)

मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 265.39 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति तथा रसोईये सह सहायकों की कम नियुक्ति के कारण हुई जोकि योजना के तहत बाह्य स्रोत सेवाओं तथा सामग्री एवं आपूर्ति के लिए अधिक धन राशी की प्राप्ति के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई। जबकि भारत सरकार से ₹ 7,181.00 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ।

113- समग्र शिक्षा-

01- राज्यों के लिए शिक्षण अधिगम और परिणाम
को सुदृढ़ बनाना (स्टार परियोजनाएं)-

मूल	1.00			
		1,918.44	402.96	(-)1,515.48
पूरक	1,917.44			

₹ 1,515.48 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

मूल	675.00			
पूरक	13,103.34	16,590.98	3,626.64	(-)12,964.34
पुनर्वि०	2,812.64			

₹ 12,964.34 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 2,812.64 लाख का आवर्धन भारत सरकार से केन्द्रीय अंश की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ। जबकि भारत सरकार से ₹ 3,626.64 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ।

₹ 12,964.34 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

02- समग्र शिक्षा अभियान-

(i) मूल 2,890.00

		1,935.02	1,935.02	..
पुनर्वि०	(-)954.98			

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

(ii) मूल 30,569.00

		17,415.15	17,415.15	..
पुनर्वि०	(-)13,153.85			

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2024 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 14,108.83 लाख की कमी की गई; जिसके कारण सूचित नहीं किये गये थे।

02- माध्यमिक शिक्षा-

001- निदेशन तथा प्रशासन-

01- निदेशालय-

मूल	2,233.81			
		2,215.80	2,184.31	(-)31.49
पुनर्वि०	(-)18.01			

₹ 31.49 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-8 (क्रमशः)

101-	निरीक्षण-				
01-	निरीक्षणालय-				
	मूल	2,350.10			
			2,104.64	2,069.50	(-)35.14
	पुनर्वि०	(-)245.46			
₹ 35.14 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 245.46 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई। ₹ 35.14 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।					
107-	छात्रवृत्ति-				
03-	अन्य पिछड़ा वर्ग और अन्य (पोस्ट मैट्रिक) के लिए वाईव्रेंट इंडिया हेतु प्रधानमंत्री यंग अचीवर्स छात्रवृत्ति पुरस्कार योजना-				
	मूल	66.00			
			..	..	..
	पुनर्वि०	(-)66.00			
मार्च 2024 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 66.00 लाख का समस्त प्रावधान कम कर दिया गया; जिसके कारण सूचित नहीं किये गये थे (जुलाई 2024)। केन्द्रीय प्रायोजित योजना					
	मूल	600.00	600.00	497.15	(-)102.85
₹ 102.85 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)। जबकि भारत सरकार से ₹ 1,503.91 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ।					
04-	वाईव्रेंट इंडिया हेतु अन्य पिछड़ा वर्ग और अन्य (प्री-मैट्रिक) के लिए यंग अचीवर्स छात्रवृत्ति पुरस्कार योजना- केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
	मूल	135.00			
	पूरक	144.24	335.24	279.24	(-)56.00
	पुनर्वि०	56.00			
₹ 56.00 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 56.00 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ। ₹ 56.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।					
109-	राजकीय माध्यमिक विद्यालय-				
01-	उच्चतर पाठशालाएं-				
	मूल	2,83,900.98			
			2,84,686.96	2,80,456.32	(-)4,230.64
	पुनर्वि०	785.98			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-8 (क्रमशः)

₹ 4,230.64 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 785.98 लाख का आवर्धन चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों की अधिक प्राप्ति, बाह्य स्रोत सेवाओं पर अधिक व्यय, दैनिक मजदूरों को आहार राशी दरों में वृद्धि तथा दैनिक मजदूरों की अधिक नियुक्तियों के कारण हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ।

₹ 4,230.64 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

₹ 2,80,456.32 लाख के कुल व्यय में से ₹ 350.00 लाख का व्यय वर्ष 2019-20 की आपत्ति पुस्तिका के उचंत के समायोजन के कारण हुआ।

14-	माध्यमिक स्तर पर विकलांगों के लिए समावेशी शिक्षा पर व्यय-				
	पूरक	6.77	6.77	3.97	(-)2.80

₹ 2.80 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

15-	श्रीनिवास रामानुजन छात्र डिजिटल योजना-				
(i)	मूल	1,645.00	1,645.00	..	(-)1,645.00

21-	मुख्यमंत्री ज्ञान दीप योजना-				
(ii)	मूल	71.00	71.00	..	(-)71.00

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 1,716.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

22-	अटल विद्यालय वर्दी योजना-				
	मूल	1.00			
			..	..	..
	पुनर्वि०	(-)1.00			

₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान मार्च 2024 में अभ्यर्पण द्वारा देयता को अन्य योजना से पूर्ण किए जाने के कारण कम कर दिया गया।

30-	खेल से स्वास्थ्य योजना-				
	मूल	132.00			
			82.73	..	(-)82.73
	पुनर्वि०	(-)49.27			

₹ 82.73 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधानों ₹ 49.27 लाख की कमी खेल सामग्री की खरीद पर कम व्यय के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 82.73 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

38-	राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल-				
	मूल	974.00			
			..	..	..
	पुनर्वि०	(-)974.00			

मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 974.00 लाख के समस्त प्रावधान को संहितागत औपचारिकतायें पूर्ण न होने के कारण कम कर दिया।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-8 (क्रमशः)

03-	विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा-				
103-	राजकीय कॉलेज तथा संस्थान-				
01-	राजकीय महाविद्यालय-				
	मूल	42,540.28			
	पूरक	30.00	42,215.78	40,887.37	(-)1,328.41
	पुनर्वि०	(-)354.50			
₹ 1,328.41 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 354.50 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने तथा छात्रवृत्ति के लिए छात्रों की पात्रता कम होने के कारण हुई जाकि अपर्याप्त सिद्ध हुई। ₹ 1,328.41 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।					
07-	राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान-				
(i)	मूल	138.00			
			90.49	90.49	..
	पुनर्वि०	(-)47.51			
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(ii)	मूल	1,244.00			
			814.40	814.40	..
	पुनर्वि०	(-)429.00			
उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2024 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 447.11 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति तथा केन्द्रीय हिस्सेदारी की कम प्राप्ति से अनुपातिक राज्य की हिस्सेदारी जारी करने के कारण हुई। जबकि क्रम संख्या (ii) पर ₹ 814.00 लाख का अनुदान भारत सरकार से प्राप्त हुआ।					
08-	ललिता कला महाविद्यालय की स्थापना-				
	मूल	291.43			
			268.38	261.10	(-)7.28
	पुनर्वि०	(-)23.05			
मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 23.05 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।					
09-	खेल से स्वास्थ्य योजना-				
	मूल	50.00	50.00	..	(-)50.00
₹ 50.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।					
104-	गैर सरकारी कॉलेजों तथा संस्थानों को सहायता-				
01-	व्यक्तिगत महाविद्यालयों को सहायता-				
	मूल	1,942.50			
			1,922.50	1,889.07	(-)33.43
	पुनर्वि०	(-)20.00			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-8 (क्रमशः)

₹ 33.43 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 20.00 लाख की कमी निजी महाविद्यालयों के वेतनों पर कम व्यय होने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 33.43 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

05- भाषा विकास-

103- संस्कृत शिक्षा-

04- गैर सरकार संस्कृत पाठशाला-

मूल 3.00

.. ..

पुनर्वि० (-)3.00

मार्च 2024 में ₹ 3.00 लाख के समस्त प्रावधान को अभ्यर्पण द्वारा निजी महाविद्यालयों से वेतन दावों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया।

80- सामान्य-

004- अनुसंधान-

03- राज्य शिक्षा अनुसंधान परिषद एवं प्रशिक्षण परिषद, सोलन-

मूल 323.61

293.66 275.02 (-)18.64

पुनर्वि० (-)29.95

मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 29.95 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

107- छात्रवृत्तियाँ-

18- कल्पना चावला छात्रवृत्ति योजना-

मूल 247.00 247.00 .. (-)247.00

19- मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना-

मूल 71.00

73.10 .. (-)73.10

पूरक 2.10

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 320.10 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

800- अन्य व्यय-

01- राष्ट्रीय कैडेट कोर सामान्य स्थापना-

मूल 603.20

पूरक 30.57 606.37 593.74 (-)12.63

पुनर्वि० (-)27.40

मार्च 2024 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 27.40 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

08- सैनिक स्कूलों के लिए व्यय-

मूल 126.90 126.90 75.00 (-)51.90

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-8 (क्रमशः)

₹ 51.90 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

(v)	उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-			
शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)	बचत (-)
				(₹ लाख में)

2202- सामान्य शिक्षा-

01- प्रारंभिक शिक्षा-

001- निर्देशक और प्रशासन-

01- निदेशालय-

मूल	2,101.82			
		2,243.28	2,196.79	(-)46.49
पुनर्वि0	141.46			

₹ 46.49 लाख के अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 141.46 लाख का आवर्धन प्रतियोगिताओं के आयोजन पर अधिक व्यय होने के कारण हुआ जोकि रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई कमी से अंशतः प्रतिसंतुलित हुआ जोकि अत्यधिक सिद्ध हुआ।

₹ 46.49 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

101- राजकीय प्राथमिक विद्यालय-

12- अटल वर्दी योजना-

मूल	1.00			
		..	447.18	(+)447.18
पुनर्वि0	(-)1.00			

मार्च 2024 में ₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान संहितागत औपचारिकताओं के पूरा न करने के कारण कम कर दिया गया।

₹ 447.18 लाख का समस्त व्यय वर्ष 2020-21 की आपत्ति पुस्तिका के उंचत के समायोजन के कारण हुआ।

105- अनौपचारिक शिक्षा-

01- नव भारत साक्षरता कार्यक्रम-

(i) मूल 1.00

14.39 3.60 (-)10.79

पुनर्वि0 13.39

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

(ii) मूल 1.00

129.58 32.39 (-)97.19

पुनर्वि0 128.58

विनियोग लेखे

अनुदान संख्या-8 (क्रमशः)

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 107.98 लाख के अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 141.97 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति तथा केन्द्रीय हिस्सेदारी के अनुपात में राज्य की हिस्सेदारी जारी करने के कारण हुआ जोकि अत्यधिक सिद्ध हुआ। जबकि क्रम संख्या (ii) में ₹ 32.39 लाख का अनुदान भारत सरकार से प्राप्त हुआ। उपरोक्त दो मामलों में ₹ 107.98 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

02- माध्यमिक शिक्षा-

109- राजकीय माध्यमिक विद्यालय-

20- स्कूल प्रबंधन समिति को सहायता अनुदान-

मूल	1,102.50			
पूरक	2.79	1,303.55	1,212.34	(-)91.21
पुनर्वि०	198.26			

₹ 91.21 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 198.26 लाख का आवर्धन स्कूल प्रबंधन समिति के तहत अध्यापकों के वेतनों में वृद्धि होने के कारण हुआ जोकि अत्यधिक सिद्ध हुआ।

₹ 91.21 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

34- माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत अभिभावक

शिक्षक संघ को सहायता अनुदान-

मूल	40.00			
		48.60	46.19	(-)2.41
पुनर्वि०	8.60			

मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 8.60 लाख का आवर्धन अभिवाहक शिक्षक संघ के तहत अध्यापकों को सहायता अनुदान पर अधिक व्यय होने के कारण हुआ।

113- समग्र शिक्षा-

01- समग्र शिक्षा अभियान-

मूल	1,362.00			
पूरक	88.98	1,873.73	1,873.73	..
पुनर्वि०	422.75			

मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 422.75 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति होने के कारण हुआ।

03- विश्वविद्यालय एवं उच्च शिक्षा-

103- सरकारी महाविद्यालय एवं संस्थान-

02- प्रशिक्षण महाविद्यालय-

मूल	420.55			
		455.54	453.43	(-)2.11
पुनर्वि०	34.99			

मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 34.99 लाख का आवर्धन वेतन के भुगतान पर अधिक व्यय होने के कारण हुआ।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-8 (क्रमशः)

13-	राजकीय महाविद्यालयों को अभिभावक शिक्षक संघ के अन्तर्गत सहायता अनुदान-मूल	25.00	36.52	35.99	(-)0.53
	पुनर्वि०	11.52			
	मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 11.52 लाख का आवर्धन अभिवाहक अध्यापक संघ के तहत महाविद्यालय के शिक्षकों के वेतन पर अधिक व्यय होने के कारण हुआ।				
05-	भाषा विकास-				
103-	संस्कृत शिक्षा-				
01-	संस्कृत पाठशालाओं का आधुनिकीकरण-मूल	712.59			
	पूरक	21.79	759.38	752.76	(-)6.62
	पुनर्वि०	25.00			
	मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 25.00 लाख का आवर्धन वेतन पर अधिक व्यय होने के कारण हुआ।				
2205-	कला एवं संस्कृति-				
105-	सार्वजनिक पुस्तकालय-				
01-	राज्य एवं जिला पुस्तकालय-मूल	599.61			
	पूरक	65.75	1,611.35	1,598.29	(-)13.06
	पुनर्वि०	945.99			
	मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 945.99 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ जोकि रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई बचत से अशतः प्रतिसंतुलित हुआ।				
पूँजीगत प्रवर्ग					
(vi)	दत्तमत अनुदान में आधिक्य मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अंतर्गत हुआ:-				
	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)	
			(₹ लाख में)		
4202-	शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय-				
01-	सामान्य शिक्षा-				
202-	माध्यमिक शिक्षा-				
01-	भवन-मूल	2,139.00			
			2,289.00	4,486.26	(+)2,197.26
	पूरक	150.00			
	₹ 2,197.26 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-8 (समाप्त)

(vii) उपरोक्त आधिक्य मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अंतर्गत हुई बचत से अंशतः प्रतिसंतुलित हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य (+) बचत (-)
4202- शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-			
01- सामान्य शिक्षा-			
201- प्राथमिक शिक्षा-			
01- भवन-			
(i) मूल	850.00	850.00	824.36
			(-)25.64
202- माध्यमिक शिक्षा-			
10- राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल-			
(ii) मूल	2,500.00		
		3,474.00	2,500.00
			(-)974.00
पूरक	974.00		
203- विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा-			
01- भवन-			
(iii) मूल	4,384.00		
		4,534.00	3,585.71
			(-)948.29
पूरक	150.00		

उपरोक्त तीन मामलों में ₹ 1,947.93 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-9- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

(शीर्ष- 2059-लोक निर्माण-कार्य, 2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 2211-परिवार कल्याण, 2216-आवास, 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण तथा 4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय)

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य (+) बचत (-)
राजस्व प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	25,21,13,77			
		27,15,08,82	25,27,80,97	(-)1,87,27,85
पूरक	1,93,95,05			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)				63,61,79
पूंजीगत प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	95,02,34			
		2,33,91,44	2,36,67,72	(+)2,76,28
पूरक	1,38,89,10			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..

टिप्पणियाँ तथा अभ्युक्तियाँ

- (i) पूंजीगत प्रवर्ग के दत्तमत अनुदान में ₹ 2,76,28,007 के आधिक्य का नियमन अपेक्षित है।
- (ii) राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 18,727.85 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से फरवरी 2024 में प्राप्त ₹ 19,395.05 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ तथा ₹ 6,361.79 लाख का अभ्यर्पण अपर्याप्त सिद्ध हुआ।
- (iii) पूंजीगत प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 276.28 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से फरवरी 2024 में प्राप्त ₹ 13,889.10 लाख का अनुपूरक अनुदान अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

राजस्व प्रवर्ग

- (iv) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-
- | शीर्ष | कुल अनुदान | वास्तविक
व्यय
(₹ लाख में) | आधिक्य (+)
बचत (-) |
|-------|------------|---------------------------------|-----------------------|
|-------|------------|---------------------------------|-----------------------|

2059- लोक निर्माण कार्य-

01- कार्यालय भवन-

053- रखरखाव और मरम्मत-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-9 (क्रमशः)

36- चिकित्सा महाविद्यालय का रखरखाव-

मूल 654.99

506.93

102.14

(-)404.79

पुनर्वि0 (-)148.06

₹ 404.79 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 148.06 लाख की कमी रखरखाव कार्यों के कम निष्पादन के कारण हुआ जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

₹ 404.79 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

49- स्वास्थ्य विभाग के भवनों का रखरखाव-

(i) मूल 1,100.00

1,100.00

1,057.23

(-)42.77

51- चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग
के भवनों का रखरखाव-

(ii) मूल 0.01

164.26

148.23

(-)16.03

पूरक 164.25

55- डॉ० राजेंद्र प्रसाद चिकित्सा महाविद्यालय
के भवनों का रखरखाव-

(iii) मूल 173.26

173.26

78.00

(-)95.26

उपरोक्त तीन मामलों में ₹ 154.06 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-

01- शहरी स्वास्थ्य सेवाएं- पाश्चात्य
चिकित्सा पद्धति-

001- निदेशन तथा प्रशासन-

02- जिला स्थापना-

मूल 1,508.27

1,385.57

1,381.72

(-)3.85

पुनर्वि0 (-)122.70

मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 122.70 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, बिजली, पानी तथा टेलीफोन प्रभार बिलों पर कम व्यय होने के कारण हुई।

04- निदेशालय, दन्त स्वास्थ्य सेवाएं-

मूल 159.89

159.96

119.82

(-)40.14

पूरक 0.07

₹ 40.14 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

110- अस्पताल तथा औषधालय-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-9 (क्रमशः)

03- शहरी स्वास्थ्य-

मूल	30,046.94			
पूरक	2,564.03	32,649.44	32,092.92	(-)556.52
पुनर्वि०	38.47			

₹ 556.52 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 38.47 लाख का आवर्धन बाह्य स्रोत आधार पर कोविड-19 के प्रबंधन के लिए नियुक्त सेवाओं पर अधिक व्यय, दैनिक वेतनभोगियों की अधिक नियुक्ति के कारण हुआ जोकि रिक्त पदों को न भरने, किराया, दरों तथा करों के भुगतान पर कम व्यय होने के कारण हुई बचत से अंशतः प्रतिसंतुलित हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ।

₹ 556.52 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

07- जैव चिकित्सा अपशिष्ट-

मूल	800.00			
		737.42	697.84	(-)39.58
पुनर्वि०	(-)62.58			

₹ 39.58 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 62.58 लाख की कमी सामग्री की कम खरीद तथा विविध मदों पर कम व्यय होने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 39.58 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

02- शहरी स्वास्थ्य सेवाएं- अन्य
चिकित्सा पद्धतियां-

001- निदेशन तथा प्रशासन-

01- निदेशालय-

मूल	553.27			
पूरक	4.29	519.65	518.19	(-)1.46
पुनर्वि०	(-)37.91			

मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 37.91 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

02- जिला स्थापना-

मूल	8,852.39			
पूरक	23.11	8,437.39	8,409.85	(-)27.54
पुनर्वि०	(-)438.11			

₹ 27.54 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 438.11 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 27.54 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

101- आयुर्वेद-

01- आयुर्वेदिक अस्पताल-

(i) मूल	1,282.50			
		1,182.22	1,180.59	(-)1.63
पुनर्वि०	(-)100.28			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-9 (क्रमशः)

03-	आयुर्वेदिक फार्मसी-				
(ii)	मूल	585.74			
			530.82	529.34	(-)1.48
	पुनर्वि०	(-)54.92			
	उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 155.20 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।				
03-	ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति-				
110-	अस्पताल तथा औषधालय-				
01-	ग्रामीण स्वास्थ्य-				
	मूल	46,349.29			
			43,906.15	43,397.23	(-)508.92
	पुनर्वि०	(-)2,443.14			
	₹ 508.92 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 2,443.14 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, आहार राशी पर कम व्यय, दवाओं और विविध सामग्रियों की कम खरीद, बिजली, पानी व टेलीफोन बिलों पर कम व्यय, रोगी कल्याण समीति के तहत संविदा कर्मचारियों को नियमित करने के कारण हुई जोकि बाह्य स्रोत सेवाओं की अधिक भर्ती होने के कारण हुए आधिक्य से अशतः प्रतिसंतुलित हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।				
	₹ 508.92 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।				
04-	ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं- अन्य चिकित्सा पद्धतियां-				
101-	आयुर्वेद-				
02-	आयुर्वेदिक औषधालय-				
	मूल	12,697.55			
			12,083.92	12,060.69	(-)23.23
	पुनर्वि०	(-)613.63			
	₹ 23.23 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 613.63 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।				
	₹ 23.23 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।				
07-	जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन-				
	मूल	10.00	10.00	..	(-)10.00
	₹ 10.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।				
05-	चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-				
105-	पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति-				
01-	इंदिरा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय शिमला-				
	मूल	22,950.42			
	पूरक	890.16	23,622.07	23,358.08	(-)263.99
	पुनर्वि०	(-)218.51			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-9 (क्रमशः)

₹ 263.99 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 218.51 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, वजीफा व छात्रवृत्ति के भुगतान के लिए मामलों की कम प्राप्ति तथा मशीनरी और उपकरणों की कम खरीद होने के कारण हुई जोकि बाह्य स्रोत सेवाओं की अधिक नियुक्ति तथा पंजीकरण, आवेदन व निरीक्षण फीस पर अधिक व्यय होने से हुए आधिक्य से अशतः प्रतिसंतुलित हुई जाकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 263.99 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

06- डॉ० राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा-

मूल	16,292.70			
पूरक	882.43	17,025.48	16,834.68	(-)190.80
पुनर्वि०	(-)149.65			

₹ 190.80 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 149.65 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 190.80 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

07- राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों का उन्नयन-

(i) मूल 1.17

		..	..	..
पुनर्वि०	(-)1.17			
केन्द्रीय प्रायोजित योजना				

(ii) मूल 1.17

		..	..	..
पुनर्वि०	(-)1.17			

उपरोक्त दो मामलों में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 2.34 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने तथा केन्द्रीय हिस्सेदारी जारी न होने से राज्य की हिस्सेदारी अप्रयुक्त रही।

11- इंटर-म्यूरल अनुसन्धान निधि-

मूल	8.55			
		..	..	..
पुनर्वि०	(-)8.55			

मार्च 2024 में ₹ 8.55 लाख के समस्त प्रावधान को प्रस्तावों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया।

12- डॉ. यशवंत सिंह परमार राजकीय
मेडिकल कॉलेज, नाहन-

मूल	5,591.89			
पूरक	506.35	6,028.05	5,874.98	(-)153.07
पुनर्वि०	(-)70.19			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-9 (क्रमशः)

₹ 153.07 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 70.19 लाख की कमी अंतरंग रोगियों के आहार दवाईयों की खरीद, सामग्री व आपूर्ति पर कम व्यय तथा रोगी कल्याण समिति के तहत संविदा कर्मचारियों को नियमित करने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 153.07 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

13- डॉ० राधाकृष्णन राजकीय

गमहाविद्यालय हमीरपुर-

मूल	6,808.80			
पूरक	326.57	7,152.44	6,948.46	(-)203.98
पुनर्वि०	17.07			

₹ 203.98 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 17.07 लाख का आवर्धन टेलीफोन, बिजली व पानी के बिलों पर अधिक व्यय होने के कारण हुआ जोकि रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई कमी से अशतः प्रतिसंतुलित हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ।

₹ 203.98 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

14- पंडित जवाहर लाल नेहरू राजकीय

चिकित्सा महाविद्यालय चम्बा-

मूल	4,831.45			
पूरक	288.71	4,961.53	4,890.90	(-)70.63
पुनर्वि०	(-)158.63			

₹ 70.63 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 158.63 लाख की कमी अंतरंग रोगियों के आहार व दवाओं की खरीद पर कम व्यय, रिक्त पदों को न भरने तथा पंजीकरण व निरीक्षण शुल्क पर कम व्यय के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 70.63 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

18- हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय-

मूल	66.00	66.00	5.48	(-)60.52
-----	-------	-------	------	----------

₹ 60.52 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

20- अटल चिकित्सा सुपर स्पेशलिटीज संस्थान-

मूल	2,369.79			
पूरक	647.10	2,972.14	2,944.89	(-)27.25
पुनर्वि०	(-)44.75			

₹ 27.25 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 44.75 लाख की कमी प्रस्तावों की प्राप्ति न होने, सामग्री की कम खरीद तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों की कम प्राप्ति के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 27.25 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

06- लोक स्वास्थ्य-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-9 (क्रमशः)

101- रोगों का निवारण तथा नियंत्रण-

02- क्षय रोग अस्पताल-

मूल 995.66

942.75

930.56

(-)12.19

पुनर्वि० (-)52.91

मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 52.91 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

05- मानसिक चिकित्सा एवं पुनर्वास चिकित्सालय-

मूल 413.56

272.79

257.17

(-)15.62

पुनर्वि० (-)140.77

मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 140.77 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, रखरखाव कार्यों के कम निष्पादन तथा मशीनरी व उपकरणों की कम खरीद के कारण हुई।

08- घेंघा रोग का उपचार-

मूल 1.60

..

..

..

पुनर्वि० (-)1.60

मार्च 2024 में ₹1.60 लाख के समस्त प्रावधान को पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा रिक्त पदों को न भरने के कारण कम कर दिया गया।

21- राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम-

मूल 698.00

621.05

621.05

..

पुनर्वि० (-)76.95

मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 76.95 लाख की कमी सामग्री की कम खरीद होने के कारण हुई।

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

(i) मूल 1.00

..

..

..

पुनर्वि० (-)1.00

23- अभिघात केन्द्रों पर व्यय-

(ii) मूल 1.00

..

..

..

पुनर्वि० (-)1.00

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

(iii) मूल 1.00

..

..

..

पुनर्वि० (-)1.00

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-9 (क्रमशः)

उपरोक्त तीन मामलों में मार्च 2024 में ₹ 3.00 लाख के समस्त प्रावधान को पुनर्विनियोजन द्वारा भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने तथा केन्द्रीय हिस्सेदारी प्राप्त न होने से राज्य की हिस्सेदारी अप्रयुक्त रहने के कारण कम कर दिया गया।

102-	खाद्य पदार्थों में मिलावट की रोकथाम-				
02-	खाद्य सुरक्षा पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत बनाना-				
	पूरक	43.72	43.72	31.83	(-)11.89

₹ 11.89 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

200-	अन्य प्रणाली-				
04-	मुख्यमंत्री निरोग योजना-				
	मूल	1.00			
			..	..	..
	पुनर्वि०	(-)1.00			

मार्च 2024 में ₹ 1.00 लाख के समस्त प्रावधान को पुनर्विनियोजन द्वारा प्रस्तावों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया।

05-	मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना-				
	मूल	665.00			
			..	..	..
	पुनर्वि०	(-)665.00			

मार्च 2024 में ₹ 665.00 लाख के समस्त प्रावधान को अभ्यर्पण द्वारा निविदाओं को अंतिम रूप न दिये जाने के कारण कम कर दिया गया।

06-	निशुल्क दवाईयां-				
	मूल	1,087.00			
			528.28	291.04	(-)237.68
	पुनर्वि०	(-)558.28			

₹ 237.68 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 558.28 लाख की कमी लाभार्थियों से मामलों की कम प्राप्ति के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 237.68 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

10-	संपूर्ण स्वास्थ्य योजना-				
	मूल	1.00			
			..	..	..
	पुनर्वि०	(-)1.00			

मार्च 2024 में ₹ 1.00 लाख के समस्त प्रावधान को पुनर्विनियोजन द्वारा प्रस्तावों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया।

12-	सम्मान योजना-				
	मूल	40.00			
			2.97	2.97	..
	पुनर्वि०	(-)37.03			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-9 (क्रमशः)

मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 37.03 लाख की कमी लाभार्थियों द्वारा प्रस्तावों की कम प्राप्ति होने के कारण हुई।

2211- परिवार कल्याण-

001- निदेशन तथा प्रशासन-

02- जिला मुख्यालय-

मूल 290.42

175.31

175.00

(-)0.31

पुनर्वि0 (-)115.11

मार्च 2024 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 115.11 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

06- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत बुनियादी ढांचे का रखरखाव-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना

मूल 2,170.00

1,978.93

1,733.28

(-)245.65

पुनर्वि0 (-)191.07

₹ 245.65 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 191.07 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई। जबकि भारत सरकार से ₹ 8,935.59 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ।

₹ 245.65 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

101- ग्रामीण परिवार कल्याण सेवाएं-

01- ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार कल्याण केन्द्र-

मूल 9,195.85

8,459.56

7,985.67

(-)473.89

पुनर्वि0 (-)736.29

₹ 473.89 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 736.29 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, यात्रा व्यय तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों की कम प्राप्ति होने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 473.89 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

102- शहरी परिवार कल्याण सेवाएं-

01- शहरी क्षेत्रों में परिवार कल्याण केन्द्र-

मूल 929.26

887.41

883.85

(-)3.56

पुनर्वि0 (-)41.85

मार्च 2024 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 41.85 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, पेट्रोल, तेल, स्नेहक तथा वाहनों की मरम्मत पर कम व्यय होने के कारण हुई।

200- अन्य सेवाएं तथा पूर्तियाँ-

01- आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-9 (क्रमशः)

केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
मूल	1.00			
पुनर्वि०	(-)1.00			
मार्च 2024 में ₹ 1.00 लाख के समस्त प्रावधान को पुनर्विनियोजन द्वारा भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया।				
02- इन्दिरा गांधी बालिका सुरक्षा योजना-				
मूल	55.00			
		39.00	29.85	(-)9.15
पुनर्वि०	(-)16.00			
मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 16.00 लाख की कमी प्रस्तावों की कम प्राप्ति के कारण हुई।				
03- पंचायतों को उत्कृष्ट महिला जन्म दर अनुपात हेतु अतिरिक्त विकास अनुदान-				
मूल	50.00			
		40.00	10.00	(-)30.00
पुनर्वि०	(-)10.00			
₹ 30.00 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 10.00 लाख की कमी मामलों की कम प्राप्ति के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।				
₹ 30.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।				
05- राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत प्रावधान-				
मूल	7,074.00			
पूरक	10.80	7,244.24	6,721.66	(-)522.58
पुनर्वि०	159.44			
₹ 522.58 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 159.44 लाख का आवर्धन भारत सरकार से प्राप्त निधियों के अनुपात में राज्य की हिस्सेदारी जारी करने के कारण हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ।				
₹ 522.58 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।				
केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
मूल	28,946.00	28,946.00	20,886.00	(-)8,060.00
₹ 8,060.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।				
06- राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना-				
मूल	1.00			
पुनर्वि०	(-)1.00			
मार्च 2024 में ₹ 1.00 लाख के समस्त प्रावधान को पुनर्विनियोजन द्वारा प्रस्तावों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया।				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-9 (क्रमशः)

08-	राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा (एनएसएस)-				
(i)	मूल	1.00	..	..	..
	पुनर्वि०	(-)1.00			
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(ii)	मूल	1.00	..	..	..
	पुनर्वि०	(-)1.00			
10-	स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम पंक्ति कर्मचारियों का कोविड-19 टीकाकरण- केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(iii)	मूल	1.00	..	..	..
	पुनर्वि०	(-)1.00			
12-	भारत कोविड-19 आपातकालीन प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य व्यवस्था तत्परता पैकेज-				
(iv)	मूल	1.00	..	..	..
	पुनर्वि०	(-)1.00			
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(v)	मूल	1.00	..	..	..
	पुनर्वि०	(-)1.00			
	उपरोक्त पांच मामलों में मार्च 2024 में ₹ 5.00 लाख के समस्त प्रावधान को पुनर्विनियोजन द्वारा भारत सरकार से निधियां प्राप्त न होने तथा केन्द्रीय हिस्सेदारी प्राप्त न होने से राज्य की हिस्सेदारी अप्रयुक्त रहने के कारण कम कर दिया गया।				
13-	प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन- केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
	मूल	674.00	1,332.00	1,232.00	(-)100.00
	पूरक	658.00			
	₹ 100.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।				
2216-	आवास-				
05-	साधारण पूल आवास-				
053-	खरखाव एवं मरम्मत-				
05-	निदेशक चिकित्सा शिक्षा के आवासीय भवनों का खरखाव-				
	मूल	52.50	52.50	..	(-)52.50

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-9 (क्रमशः)

₹ 52.50 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

(v) उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
		(₹ लाख में)	
2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-			
01- शहरी स्वास्थ्य सेवाएं- पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति-			
200- अन्य स्वास्थ्य योजनाएँ-			
01- दंत चिकित्सालय (शहरी)-			
मूल	6,329.12		
	6,349.57	6,613.28	(+)263.71
पूरक	20.45		

₹ 263.71 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

05- चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-			
101- आयुर्वेद-			
01- आयुर्वेदिक महाविद्यालय-			
मूल	1,617.89		
पूरक	53.58	1,757.70	1,757.63
पुनर्वि0	86.23		(-)0.07

मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 86.23 लाख का आवर्धन वजीफे के भुगतान पर अधिक व्यय होने के कारण हुआ जोकि रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई बचत से अंशतः प्रतिसंतुलित हुआ।

105- पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति-			
03- विभिन्न विषयों पर स्वास्थ्य प्रशिक्षण-			
मूल	452.18		
	477.13	476.24	(-)0.89
पुनर्वि0	24.95		

मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 24.95 लाख का आवर्धन लम्बित बकाया राशी के भुगतान करने के कारण हुआ।

04- दंत चिकित्सा महाविद्यालय-			
मूल	2,435.26		
पूरक	161.69	2,618.03	2,608.03
पुनर्वि0	21.08		(-)10.00

मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 21.08 लाख का आवर्धन बाह्य स्रोत सेवाओं की अधिक नियुक्ति के कारण हुआ।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-9 (क्रमशः)

- 15- लाल बहादुर शास्त्री राजकीय चिकित्सा
महाविद्यालय एवं अस्पताल नैर चौक-

मूल	9,146.64			
पूरक	960.71	10,737.57	10,724.49	(-)13.08
पुनर्वि०	630.22			

मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 630.22 लाख का आवर्धन लम्बित बकाया राशी के भुगतान करने के कारण हुआ।

2211- परिवार कल्याण-

- 200- अन्य सेवाएं तथा आपूर्तियां-

- 13- प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन-

मूल	1.00			
पूरक	58.76	136.89	136.89	..
पुनर्वि०	77.13			

मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 77.13 लाख का आवर्धन भारत सरकार से प्राप्त निधियों के अनुपात में राज्य की हिस्सेदारी जारी करने के कारण हुआ।

पूँजीगत प्रवर्ग

- (vi) दत्तमत अनुदान में आधिक्य मुख्यतः निम्नवत शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
		(₹ लाख में)	

4210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय-

- 03- चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-

- 105- पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति-

- 06- हमीरपुर में नये मेडिकल कॉलेज का निर्माण-

मूल	263.00			
पूरक	4,660.88	5,683.50	6,300.88	(+)617.38
पुनर्वि०	759.62			

₹ 617.38 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 759.62 लाख का आवर्धन निर्माण कार्यों के अधिक निष्पादन के कारण हुआ जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

₹ 617.38 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

- 12- राष्ट्रीय टर्शरी स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम-

(i) मूल	2.33			
		1.16	284.78	(+)283.62
पुनर्वि०	(-)1.17			

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

(ii) मूल	2.33			
		1.16	2,563.00	(+)2,561.84
पुनर्वि०	(-)1.17			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-9 (क्रमशः)

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 2,845.46 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

13- राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों का उन्नयन-

मूल	2.34			
पूरक	121.94	123.11	142.61	(+)19.50
पुनर्वि०	(-)1.17			

मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1.17 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण राज्य की हिस्सेदारी अप्रयुक्त रही। ₹ 142.61 लाख के कुल व्यय में से ₹ 19.50 लाख का व्यय वर्ष 2022-23 के उच्चतम के समायोजन के कारण हुआ।

- (vii) उपरोक्त आधिक्य मुख्यतः निम्नवत् शीर्ष के अन्तर्गत हुई बचत से अंशतः प्रतिसंतुलित हुआ:-
- | शीर्ष | कुल अनुदान | वास्तविक व्यय | आधिक्य (+)
बचत (-) |
|-------|------------|---------------|-----------------------|
| | | (₹ लाख में) | |

4210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-

01- शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-

110- अस्पताल और औषधालय-

01- शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-

(i) मूल 1,294.90 1,294.90 1,254.90 (-)40.00

02- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-

110- अस्पताल और औषधालय-

01- ग्रामीण स्वास्थ्य-

(ii) मूल 2,563.10 2,963.10 2,466.10 (-)497.00

पूरक 400.00

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 537.60 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

03- चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-

105- पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति-

01- चिकित्सा महाविद्यालय-

मूल 1,185.00 1,145.82 523.66 (-)622.16

पुनर्वि० (-)39.18

₹ 622.16 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 39.18 लाख की कमी कार्यों के कम निष्पादन के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 622.16 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-9 (समाप्त)

02-	दन्त चिकित्सा महाविद्यालय-				
	मूल	37.00			
			..	..	..
	पुनर्वि०	(-)37.00			
	मार्च 2024 में ₹ 37.00 लाख के समस्त प्रावधान को पुनर्विनियोजन द्वारा कार्यों के निष्पादन न होने के कारण कम कर दिया गया।				
03-	डॉ राजेन्द्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा-				
	मूल	1,185.00			
			1,170.12	320.26	(-)849.86
	पुनर्वि०	(-)14.88			
	₹ 849.86 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।				
05-	नाहन में मेडिकल कॉलेज का निर्माण-				
(ii)	मूल	658.00			
			76.00	7.69	(-)68.31
	पुनर्वि०	(-)582.00			
	₹ 68.31 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 582.00 लाख की कमी कार्यों के निष्पादन न होने तथा मशीनरी व उपकरणों की कम खरीद होने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।				
	₹ 68.31 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।				
07-	चंबा में मेडिकल कॉलेज का निर्माण-				
(i)	मूल	658.00			
			6,537.63	6,039.39	(-)498.24
	पूरक	5,879.63			
08-	नेरचौक में नये मेडिकल कॉलेज का निर्माण-				
(ii)	मूल	148.00			
			144.94	67.14	(-)77.80
	पुनर्वि०	(-)3.06			
	उपरोक्त दो मामलों में ₹ 576.04 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।				
11-	अटल चिकित्सा सुपर स्पेशलिटीज संस्थान-				
	मूल	658.00			
			578.00	29.50	(-)548.50
	पुनर्वि०	(-)80.00			
	₹ 548.50 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 80.00 लाख की कमी मशीनरी व उपकरणों की कम खरीद के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।				
	₹ 548.50 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।				

विनियोग लेखे

अनुदान संख्या-10- लोक निर्माण- सड़क, पुल एवं भवन

(शीर्ष- 2059-लोक निर्माण-कार्य, 2216-आवास, 3054-सड़क तथा पुल, 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय, 4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय तथा 5054-सड़कों तथा पुलों पर पूंजीगत परिव्यय)

		कुल अनुदान/ विनियोजन	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य (+) बचत (-)
राजस्व प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	33,07,74,34			
		33,07,74,35	26,30,07,53	(-)6,77,66,82
पूरक	1			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)				3,50,67,37
प्रभारित				
मूल	..			
		90,96	83,32	(-)7,64
पूरक	90,96			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..
पूंजीगत प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	10,76,46,00			
		18,52,35,24	15,00,97,57	(-)3,51,37,67
पूरक	7,75,89,24			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..
प्रभारित				
मूल	..			
		2,40,66	..	(-)2,40,66
पूरक	2,40,66			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..

टिप्पणियाँ तथा अभ्युक्तियाँ

- राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 67,766.82 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से ₹ 35,067.37 लाख का अभ्यर्पण अपर्याप्त सिद्ध हुआ।
- राजस्व प्रवर्ग के प्रभारित विनियोजन में ₹ 7.64 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि फरवरी 2024 में प्राप्त ₹ 90.96 लाख की अनुपूरक अनुदान अत्याधिक सिद्ध हुई तथा विभाग द्वारा वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या- 10 (क्रमशः)

- (iii) पूंजीगत प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 35,137.67 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से फरवरी 2024 में प्राप्त ₹ 77,589.24 लाख की अनुपूरक अनुदान अत्याधिक सिद्ध हुई तथा वर्ष के दौरान विभाग द्वारा कोई राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (iv) पूंजीगत प्रवर्ग के प्रभारित विनियोजन में ₹ 240.66 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से फरवरी 2024 में प्राप्त ₹ 240.66 लाख की अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुई।
- (v) पूंजीगत प्रवर्ग में अनुपूरक अनुदान से प्राप्त समस्त प्रभारित विनियोजन अप्रयुक्त रहा।

राजस्व प्रवर्ग

- (vi) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य (+) बचत (-)
2059- लोक निर्माण कार्य-				
80- सामान्य-				
001- निदेशन तथा प्रशासन-				
01- निदेशन-				
(i)	मूल	1,556.90		
		1,556.89	1,453.03	(-)103.86
	पुनर्वि०	(-)0.01		
03- डिजाइन-				
(ii)	मूल	686.65		
		686.63	572.76	(-)113.87
	पुनर्वि०	(-)0.02		
052- उपकरण तथा उपस्कर-				
02- मरम्मत तथा भार ढुलाई-				
(iii)	मूल	48.77	4.98	(-)43.79
उपरोक्त तीन मामलों में ₹ 261.52 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।				
053- रखरखाव तथा मरम्मत-				
03- निष्पादन-				
(i)	मूल	15,112.68		
		14,250.11	13,015.38	(-)1,234.73
	पुनर्वि०	(-)862.57		
05- स्थाई स्थापना में बदले गए कामगार-				
(ii)	मूल	10,291.32		
		9,559.09	8,493.94	(-)1,065.15
	पुनर्वि०	(-)732.23		

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या- 10 (क्रमशः)

₹ 2,299.88 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,594.80 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 2,299.88 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

06- वसूलियों के समायोजन हेतु रखरखाव का प्रावधान-

मूल	10,291.32			
		10,084.13	8,205.94	(-)1,878.19
पुनर्वि०	(-)207.19			

₹ 1,878.19 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 207.19 लाख की कमी वसूलियों के समायोजन हेतु रखरखाव पर कम व्यय होने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 1,878.19 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

799- उचंत-

01- स्टॉक-

(i) मूल 11,880.00 11,880.00 4,109.04 (-)7,770.96

02- स्टॉक निर्माण-

(ii) मूल 5,280.00 5,280.00 4,400.30 (-)879.70

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 8,650.66 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

3054- सड़कें तथा पुल-

04- जिला तथा अन्य सड़कें-

105- रखरखाव तथा मरम्मत-

06- वसूलियों के समायोजन हेतु रखरखाव का प्रावधान-

मूल	68,461.65			
		53,827.13	39,698.28	(-)14,128.85
पुनर्वि०	(-)14,634.52			

₹ 14,128.85 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 14,634.52 लाख की कमी वसूलियों के समायोजन हेतु रखरखाव पर कम व्यय के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 14,128.85 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

07- स्थाई स्थापना में बदले कामगार-

मूल	68,461.65			
		53,772.70	53,375.99	(-)396.71
पुनर्वि०	(-)14,688.95			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या- 10 (क्रमशः)

₹ 396.71 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 14,688.95 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 396.71 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

13- उपकरण तथा औजार एवं अन्य रखरखाव पर व्यय-

मूल	658.94			
		566.60	532.31	(-)34.29
पुनर्वि०	(-)92.34			

₹ 34.29 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 92.34 लाख की कमी वसूलियों के समायोजन हेतु रखरखाव पर कम व्यय होने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 34.29 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2023)।

16- उपकरण तथा औजार के रखरखाव पर व्यय-

मूल	310.23			
		197.50	205.21	(+)7.71
पुनर्वि०	(-)112.53			

मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 112.53 लाख की कमी मशीनरी व उपकरणों के रखरखाव पर कम व्यय होने के कारण हुई।

19- निष्पादन-

मूल	18,794.27			
पूरक	0.01	18,944.20	17,919.86	(-)1,024.34
पुनर्वि०	149.92			

₹ 1,024.34 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 149.92 लाख का आवर्धन बाह्य स्रोत सेवाओं की अधिक नियुक्ति तथा बिजली व पानी बिलों के भुगतान पर अधिक व्यय होने के कारण हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ।

₹ 1,024.34 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

20- वसूलियों के समायोजन हेतु रखरखाव का प्रावधान-

मूल	27,964.46			
		23,933.14	15,763.32	(-)8,169.82
पुनर्वि०	(-)4,031.32			

₹ 8,169.82 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 4,031.32 लाख की कमी वसूली के समायोजन हेतु रखरखाव पर कम व्यय होने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 8,169.82 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या- 10 (क्रमशः)

21-	स्थाई स्थापना में बदले गए कामगार- मशीनरी एवं उपकरण-				
	मूल	8,581.85			
			6,841.53	6,861.53	(+)20.33
	पुनर्वि०	(-)1,740.65			
	₹ 20.33 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,740.65 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि अत्याधिक सिद्ध हुई।				
	₹ 20.33 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।				
22-	स्थाई स्थापना में बदले गए कामगार पुल (सेतु)-				
(i)	मूल	7,907.98			
			7,189.12	7,080.06	(-)109.06
	पुनर्वि०	(-)718.86			
23-	स्थाई स्थापना में बदले गए कामगार- सड़क निर्माण कार्य-				
(ii)	मूल	11,474.63			
			9,834.83	9,708.06	(-)126.77
	पुनर्वि०	(-)1,639.80			
	उपरोक्त दो मामलों में ₹ 235.83 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 2,358.66 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।				
	उपरोक्त दो मामलों में ₹ 235.83 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।				
27-	माननीय मुख्यमंत्री के अधीन स्वतन्त्र गुणवत्ता नियंत्रण जाँच उड़ान दस्ता-				
	मूल	91.91			
			1.14	1.14	..
	पुनर्वि०	(-)90.77			
	मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 90.77 लाख की कमी पेंशनरों की नियुक्ति न करने तथा वाहनों को भाड़े पर न लेने के कारण हुई।				
80-	सामान्य-				
001-	निदेशन तथा प्रशासन-				
01-	निदेशन तथा पर्यवेक्षण-				
	मूल	5,870.60			
			5,933.47	5,300.58	(-)632.89
	पुनर्वि०	62.87			
	₹ 632.89 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 62.87 लाख का आवर्धन बिजली तथा पानी प्रभार बिलों के भुगतान तथा नए वाहन की खरीद पर अधिक व्यय होने के कारण हुआ जोकि अन्यायसंगत सिद्ध हुआ।				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या- 10 (क्रमशः)

₹ 632.89 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

05-	वास्तुकार-				
	मूल	616.49			
			491.93	462.18	(-)29.75
	पुनर्वि०	(-)124.56			

₹ 29.75 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 124.56 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 29.75 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

(vii)	उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसन्तुलित हुई:-				
	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)	
			(₹ लाख में)		

2059- लोक निर्माण कार्य-

80- सामान्य-

051- निर्माण-

03- शिमला/धर्मशाला में विधानसभा भवन-

(i)	मूल	10.50	10.50	19.80	(+)9.30
-----	-----	-------	-------	-------	---------

799- उच्चत-

03- विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम-

(ii)	मूल	6,050.00	6,050.00	8,826.92	(+)2,776.92
------	-----	----------	----------	----------	-------------

2216- आवास-

05- सामान्य पूल आवास-

053- रखरखाव तथा मरम्मत-

01- अन्य रखरखाव व्यय-

(iii)	मूल	1,191.60	1,191.60	1,266.63	(+)75.03
-------	-----	----------	----------	----------	----------

उपरोक्त तीन मामलों में ₹ 2,861.25 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

3054- सड़कें तथा पुल-

01- राष्ट्रीय राजमार्ग-

337- सड़क निर्माण कार्य-

01- राष्ट्रीय उच्चमार्गों की मरम्मत-

मूल 679.72

			1,291.96	1,277.40	(-)14.56
--	--	--	----------	----------	----------

पुनर्वि० 612.24

मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 612.24 लाख का आवर्धन रखरखाव कार्य के अधिक निष्पादन होने के कारण हुआ।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या- 10 (क्रमशः)

04- जिला और अन्य सड़कें-

105- मरम्मत तथा रखरखाव-

02- अन्य रखरखाव व्यय सड़क निर्माण कार्य-

मूल 27,219.35

27,824.93

28,381.63

(+)556.70

पुनर्वि0 605.58

₹ 556.70 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 605.58 लाख का आवर्धन रखरखाव कार्यों के अधिक निष्पादन तथा मुआवजों के मामलों की अधिक प्राप्ति होने के कारण हुआ जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

₹ 556.70 लाख के अंतिम आधिक्य कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

09- भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से प्राप्त
प्रशासनिक और आकस्मिक शुल्क निधि-

मूल 117.34

147.70

120.25

(-)27.45

पुनर्वि0 30.36

₹ 27.45 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 30.36 लाख का आवर्धन वाणिज्यिक एकल उपयोगकर्ता साफ्टवेयर की खरीद पर अधिक व्यय होने के कारण हुआ जोकि अत्याधिक सिद्ध हुआ।

₹ 27.45 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

15- अन्य रखरखाव व्यय-सड़क निर्माण कार्य-

मूल 2,000.00

2,632.50

2,618.91

(-)13.59

पुनर्वि0 632.50

मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 632.50 लाख का आवर्धन मल्टी टास्क कार्यकर्ताओं को मानदेय भुगतान पर अधिक व्यय होने के कारण हुआ।

17- सड़कों के रखरखाव पर व्यय-

मूल 2,337.34

2,337.34

3,264.07

(+)926.73

₹ 926.73 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

28- प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की
सड़कों का रखरखाव-

मूल 5,000.00

6,500.00

6,503.62

(+)3.62

पुनर्वि0 1,500.00

मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,500.00 लाख का आवर्धन रखरखाव कार्यों के अधिक निष्पादन के कारण हुआ।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या- 10 (क्रमशः)

30- मुख्यमंत्री सड़क रखरखाव योजना-

मूल	4,000.00	4,000.00	4,382.50	(+382.50)
-----	----------	----------	----------	-----------

337- सड़क निर्माण कार्य-

06- आउटपुट आधारित कार्य निष्पादन
रखरखाव अनुबंध-

मूल	2,518.87			
		3,518.87	3,832.86	(+313.99)

पुनर्वि0	1,000.00			
----------	----------	--	--	--

₹ 313.99 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में
₹ 1,000.00 लाख का आवर्धन बिना कोई कारण बताए किया गया जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

₹ 313.99 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

पूंजीगत प्रवर्ग

(viii) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य (+) बचत (-)
-------	------------	---------------------------------	-----------------------

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-

01- कार्यालय भवन-

051- निर्माण-

04- जिला प्रशासन-

(i) मूल	200.00			
		1,200.00	1,152.04	(-)47.96

पूरक	1,000.00			
------	----------	--	--	--

07- लोक निर्माण-

(ii) मूल	1,244.00			
		1,422.82	1,313.44	(-)109.38

पूरक	178.82			
------	--------	--	--	--

4216- आवास पर पूंजीगत परिव्यय-

01- सरकारी आवासीय भवन-

106- सामान्य पूल आवास-

01- विभिन्न जिलों में आवासीय भवनों का निर्माण-

मूल	848.00	848.00	773.24	(-)74.76
-----	--------	--------	--------	----------

(iii) उपरोक्त तीन मामलों में ₹ 232.10 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-

04- जिला तथा अन्य सड़कें-

337- सड़क निर्माण कार्य-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या- 10 (क्रमशः)

06- प्रतिपूरक पौद्यरोपण (वन भूमि की लागत और निवल वर्तमान मूल्य का भुगतान)-

मूल 1,316.00

516.00

493.05

(-)22.95

पुनर्वि0 (-)800.00

₹ 22.95 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 800.00 लाख की कमी मुआवजों के मामलों की कम प्राप्ति होने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 22.95 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

09- प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना कार्यों के अंतर्गत कार्यक्रम एवं प्रशासनिक व्यय निधि-

(i) मूल 14,807.00

67,307.00

33,183.00

(-)34,124.00

पूरक 52,500.00

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

(ii) मूल 1,645.00

7,478.00

3,687.44

(-)3,790.56

पूरक 5,833.00

11- मुख्यमंत्री सड़क योजना

(iii) मूल 3,087.00

6,087.00

5,981.87

(-)105.13

पूरक 3,000.00

उपरोक्त तीन मामलों में ₹ 38,019.69 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

19- राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के अंतर्गत सड़कों का निर्माण-

मूल 41,065.00

39,316.53

39,353.25

(+)36.72

पुनर्वि0 (-)1,748.47

₹ 36.72 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,748.47 लाख की कमी कार्यों के कम निष्पादन के कारण हुई जोकि अत्यधिक सिद्ध हुई।

₹ 36.72 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

₹ 39,353.25 लाख के कुल व्यय में से ₹ 20.00 लाख का व्यय वर्ष 2021-22 की आपत्ति पुस्तिका के उचंत के समयोजन के कारण हुआ।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या- 10 (क्रमशः)

80- सामान्य-

800- अन्य व्यय-

03- सड़क किनारे सुविधा/पौद्य रोपण-

मूल	526.00	526.00	500.74	(-)25.26
-----	--------	--------	--------	----------

₹ 25.26 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

(ix) उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसन्तुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
		(₹ लाख में)	

5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-

04- जिला तथा अन्य सड़कें-

101- सेतु-

01- पुलों का निर्माण-

मूल	4,086.00			
पूरक	318.30	6,152.77	6,681.05	(+)528.28
पुनर्वि०	1,748.47			

₹ 528.28 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,748.47 लाख का आवर्धन पुलों के निर्माण पर अधिक व्यय होने के कारण हुआ जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

₹ 528.28 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

337- सड़क निर्माण कार्य-

02- ग्रामीण सड़को का निर्माण-

मूल	20,806.00			
		27,770.16	29,831.54	(+)2,061.38
पूरक	(-)6,964.16			

₹ 2,061.38 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

08- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कार्यों में वृद्धि-

मूल	658.00			
		1,458.00	1,434.11	(-)23.89
पुनर्वि०	800.00			

₹ 23.89 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 800.00 लाख का आवर्धन कार्यों के अधिक निष्पादन होने के कारण हुआ जोकि अत्याधिक सिद्ध हुआ।

₹ 23.89 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

10- ब्लैक स्पोर्ट्स में सुधार, सड़क सुरक्षा उपाय तथा
जियोमैट्रिक्स और राइडिंग गुणवत्ता में सुधार-

(i) मूल	658.00	658.00	704.88	(+)46.88
---------	--------	--------	--------	-----------

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या- 10 (क्रमशः)

15-	विवाचन मामलों के लिए भुगतान (सड़के एवं पुल)-				
(ii)	मूल	150.00			
			1,204.96	1,591.35	(+)386.39
	पूरक	1,054.96			
20-	केंद्रीय सड़क निधि के अंतर्गत सड़को का निर्माण- केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(iii)	मूल	7,239.00			
			10.979.00	11,112.43	(+)133.43
	पूरक	3,740.00			
	उपरोक्त तीन मामलों में ₹ 566.70 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।				
(x)	प्रभारित विनियोजन में बचत निम्नवत् शीर्ष के अंतर्गत हुई:-				
	शीर्ष	कुल	वास्तविक	आधिक्य (+)	
		विनियोजन	व्यय	बचत (-)	
			(₹ लाख में)		

5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-

04- जिला तथा अन्य सड़कें-

337- सड़क निर्माण कार्य-

15- विवाचन मामलों के लिए भुगतान
(सड़के एवं पुल)-

पूरक	240.66	240.66	..	(-)240.66
------	--------	--------	----	-----------

अनुपूरक अनुपूरक द्वारा प्राप्त ₹ 240.66 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

(xi) उच्चतम लेन देन-

इस अनुदान के अंतर्गत लघु-शीर्ष 'उच्चतम' के अंतर्गत लेखांकित किए गए व्यय में ₹ 17,336.26 लाख (₹ 17,336.26 लाख राजस्व प्रवर्ग में तथा पूंजीगत प्रवर्ग में ₹ 0.00 लाख) सम्मिलित है।

यह शीर्ष अंतिम लेखा शीर्ष नहीं है बल्कि यह उन कुछ अंतरिम लेन देनों के समायोजन के लिए है जिनके संबंध में लेनदेन को पूर्ण तथा अंतिम रूप से लेखांकित मानने के पूर्व आगामी अदायगी या मूल्य का समायोजन आवश्यक है। तदनुसार इस शीर्ष के अंतर्गत लेन-देनों को, यदि उन्हें अंतिम लेखा शीर्ष के अंतर्गत समायोजित नहीं किया जाता है तो, उसे वर्षानुवर्ष आगे ले जाया जाता है।

विनियोग लेखे अनुदान संख्या- 10 (क्रमशः)

उच्चंत शीर्ष के तीन उप-खंड है:-

- (1) स्कन्ध
- (2) विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम तथा
- (3) कार्यशाला उच्चंत।
- (4) कार्यशाला उच्चंत

इन प्रत्येक उपखंडों के अंतर्गत लेनदेनों के स्वरूप तथा उनके लेखांकन का वर्णन निम्न प्रकार से है:-

(i) स्कन्ध-

इस शीर्ष को ऐसी सामग्री के मूल्य को डेबिट किया जाता है जिसे किसी विशेष कार्य हेतु नहीं बल्कि मंडलों के सामान्य उपयोग के लिए प्राप्त किया गया हो। इसमें निर्माण कार्यों की जारी की गई सामग्री अथवा अन्य मंडलों को अंतरित अथवा अन्यथा निपटाई गई सामग्री के मूल्य से क्रेडिट किया जाता है। अतः यह उप शीर्ष स्टॉक में पड़ी सामग्री तथा विनिर्माण से संबंधित असमायोजित प्रभारों, यदि कोई हो, के मूल्य के संदर्भ में डेबिट बकाया दर्शाएगा।

(ii) स्कन्ध निर्माण-

यह उप-शीर्ष अनिवार्य रूप से एक उच्चंत खाता है क्योंकि संचालन की लागत का अंतिम समायोजन तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि वे बंद नहीं हो जाती। इसलिए निर्माण लेन देन को एक अलग उप-शीर्ष के तहत दर्ज किया जाता है जिसे स्कन्ध उच्चंत खाते का “निर्माण” कहा जाता है:-

(iii) विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम-

यह उप-शीर्ष, क्रेडिट पर बेचे गए स्टॉक, निक्षेप-निर्माण कार्यों पर प्राप्त निक्षेपों से अधिक किए गए व्यय, भंडार, जो अभी प्राप्त नहीं हुए हैं, हेतु की गई अदायगी, अपलेखित न किए गए रोकड या भंडारों की क्षति तथा सरकारी कर्मचारियों आदि से वसूल की जाने वाली राशि से संबंधित मूल्य के संदर्भ डेबिटों के समायोजन के लिए है। इस प्रकार डेबिट-शेष, वसूली योग्य राशि को दर्शाता है।

(iv) कार्यशाला उच्चंत-

इस उप-शीर्ष को, विभागीय कार्यशालाओं में कार्यों या अन्य संचालनों पर किए गए सभी प्रभारों को डेबिट किया जाता है। कार्य की पूर्णता पर, उस कार्य से संबद्ध प्रभारों को जो इस उप-शीर्ष को डेबिट किए गए हों, को वसूली अथवा संबंधित अंतिम शीर्ष को अंतरण द्वारा समाशोधित किया जाता है। इस प्रकार इस शीर्ष के अंतर्गत डेबिट-शेष अपूर्ण कार्यों/संचालनों या कार्यों पर किए गए व्यय आदि से संबद्ध प्रभारों, जो वसूल या समायोजित नहीं किए गए हैं, को दर्शाता है।

विभिन्न उप-शीर्षों के अधीन अथ तथा अन्त शेषों सहित, वर्ष 2023-24 के दौरान इस अनुदान के अन्तर्गत लेखाबद्ध किए गए ‘उच्चंत’ लेनदेनों का विश्लेषण, निम्नवत् दिया जाता है:-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 10 (समाप्त)

शीर्ष	01 अप्रैल 2023 को प्रारम्भिक शेष डैबिट (+) क्रेडिट (-)	डैबिट (₹ लाख में)	क्रेडिट	31 मार्च 2024 को अन्त शेष डैबिट (+) क्रेडिट (-)
राजस्व प्रवर्ग				
2059- लोक निर्माण कार्य				
80- सामान्य-				
799- उच्चत-				
01- स्कन्ध-	(-)22,859.79	4,109.04	2,235.57	(-)20,986.32*
02- स्कन्ध				
विनिर्माण-	(+)8,120.96	4,400.30	2,387.65	(+)10,133.61
03- विविध लोक				
निर्माण कार्य	(+)60,830.29	8,826.92	8,706.37	(+)60,950.84
अग्रिम-				
04- कार्यशाला				
उच्चत-	(+)0.07	0.00	0.00	(+)0.07
कुल 2059	(+)46,091.53	17,336.26	13,329.59	(+)50,098.20
कुल राजस्व प्रवर्ग	(+)46,091.53	17,336.26	13,329.59	(+)50,098.20
पूंजीगत प्रवर्ग				
5054- सड़कों तथा पुलों पर				
पूंजीगत परिव्यय-				
03- राजकीय उच्च मार्ग-				
799- उच्चत-				
01- स्कन्ध-	(-)15.03	0.00	0.00	(-)15.03*
02- स्कन्ध				
विनिर्माण-	(-)16.87	0.00	0.00	(-)16.87*
03- विविध लोक निर्माण				
कार्य अग्रिम-	(-)22.98	0.00	0.00	(-)22.98*
04- कार्यशाला				
उच्चत-	(-)199.52	0.00	0.00	(-)199.52*
कुल 5054	(-)254.40	0.00	0.00	(-)254.40*
कुल पूंजीगत प्रवर्ग-	(-)254.40	0.00	0.00	(-)254.40*
कुल माँग का जोड़-	(+)45,837.13	17,336.26	13,329.59	(+)49,843.80

* ऋणात्मक शेषों के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-11- कृषि

(शीर्ष- 2059-लोक निर्माण-कार्य, 2216-आवास, 2401-फसल कृषि-कर्म, 2402-मृदा तथा जल संरक्षण, 2403-पशु पालन, 2407-बागान, 2415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा, 2435-अन्य कृषि कार्यक्रम, 2810-नई तथा नवीकरण ऊर्जा, 4401-फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय तथा 4402-मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय)

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य (+) बचत (-)
राजस्व प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	4,05,88,15			
		4,13,52,45	3,26,81,32	(-)86,71,13
पूरक	7,64,30			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)				49,81,46
प्रभारित				
मूल	..			
		19,47	19,47	..
पूरक	19,47			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..
पूंजीगत प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	47,32,95			
		47,32,95	33,73,83	(-)13,59,12
पूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)				64,01

टिप्पणियाँ तथा अभ्युक्तियाँ

- (i) राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत अनुदान में ₹ 8,671.13 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से फरवरी 2024 में प्राप्त ₹ 764.30 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ जबकि मूल अनुदान भी अप्रयुक्त रहा तथा ₹ 4,981.46 लाख का अभ्यर्पण अपर्याप्त सिद्ध हुआ।
- (ii) पूंजीगत प्रवर्ग के दत्तमत अनुदान में ₹ 1,359.12 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से ₹ 64.01 लाख का अभ्यर्पण अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-11- (क्रमशः)

राजस्व प्रवर्ग

(iii) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य (+) बचत (-)
2216- आवास-			
05- साधारण पूल आवास-			
053- रखरखाव एवं मरम्मत-			
01- अन्य रखरखाव व्यय-			
मूल	14.92	14.92	4.95
			(-)9.97

₹ 9.97 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

2401- फसल- कृषि-कर्म-

001- निदेशन तथा प्रशासन-

01- निदेशालय-

मूल	1,253.99			
		1,118.07	1,064.72	(-)53.35
पुनर्वि०	(-)135.92			

₹ 53.35 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 135.92 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 53.35 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

03- राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना कृषि-

(i) मूल 22.00

पुनर्वि०	(-)22.00	..	..	..
----------	----------	----	----	----

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

(ii) मूल 195.00

पुनर्वि०	(-)195.00	..	..	..
----------	-----------	----	----	----

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2024 में ₹ 217.00 के समस्त प्रावधान को पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा भारत सरकार से केन्द्रीय हिस्सेदारी प्राप्त न होने के कारण कम कर दिया गया।

102- खाद्यान्न फसलें -

01- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना -

(i) मूल 219.00

		60.00	28.08	(-)31.92
पुनर्वि०	(-)159.00			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-11- (क्रमशः)

केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(ii)	मूल	1,974.00		
		514.00	252.75	(-)261.25
	पुनर्वि०	(-)1,460.00		
उपरोक्त दो मामलों में ₹ 293.17 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,619.00 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति तथा केन्द्रीय हिस्सेदारी की कम प्राप्ति से राज्य की हिस्सेदारी अप्रयुक्त रहने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।				
उपरोक्त दो मामलों में ₹ 293.17 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।				
02-	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-			
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना			
	मूल	533.00		
		489.57	489.57	..
	पुनर्वि०	(-)43.43		
मार्च 2024 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 43.43 लाख की कमी भारत सरकार से कम हिस्सेदारी प्राप्त होने तथा इसलिए राज्य की हिस्सेदारी भी अप्रयुक्त रहने के कारण हुई।				
103-	बीज-			
01-	बीज वितरण-			
	मूल	1,329.13		
		1,229.28	1,228.87	(-)0.41
	पुनर्वि०	(-)99.85		
मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 99.85 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।				
11-	सतत कृषि पर राष्ट्रीय मिशन-			
(i)	मूल	64.00		
		28.00	14.00	(-)14.00
	पुनर्वि०	(-)36.00		
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना			
(ii)	मूल	580.00		
		246.00	123.00	(-)123.00
	पुनर्वि०	(-)334.00		
उपरोक्त दो मामलों में ₹ 137.00 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 370.00 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति तथा केन्द्रीय हिस्सेदारी की कम प्राप्ति से राज्य की हिस्सेदारी अप्रयुक्त रहने के कारण हुई जोकि अप्रयुक्त रही।				
उपरोक्त दो मामलों में ₹ 137.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।				
107-	वनस्पति रक्षण-			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-11- (क्रमशः)

08- मुख्यमंत्री कृषि उत्पादन संरक्षण योजना-

मूल 3,356.00

1,158.00

1,078.14

(-)79.86

पुनर्वि0 (-)2,198.00

₹ 79.86 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,198.00 लाख की कमी मामलों, बिजली तथा टेलीफोन बिलों की कम प्राप्ति के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 79.86 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

108- वाणिज्यिक फसलें -

15- परम्परागत कृषि विकास योजना-

मूल 64.00

19.11

9.56

(-)9.55

पुनर्वि0 (-)44.89

मार्च 2024 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 44.89 लाख की कमी भारत सरकार से केन्द्रीय हिस्सेदारी की कम प्राप्ति के कारण हुई।

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

मूल 545.00

172.00

86.00

(-)86.00

पुनर्वि0 (-)373.00

₹ 86.00 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 373.00 लाख की कमी भारत सरकार से केन्द्रीय हिस्सेदारी की कम प्राप्ति होने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 86.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

16- मुख्यमंत्री कृषि संवर्धन योजना-

मूल 2,218.18

2,112.17

1,967.33

(-)144.84

पुनर्वि0 (-)105.83

₹ 144.84 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 105.83 लाख की कमी संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 144.84 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

17- परिवर्तनकारी पहल के माध्यम से उत्कृष्ट उत्पादन,

प्राकृतिक खेती और कृषि पर किसान परिवारों के

उत्थान के लिए हिमालयन एकीकृत मॉडल-

पूरक 0.05

1,648.00

..

(-)1,648.00

पुनर्वि0 1,647.95

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-11- (क्रमशः)

₹ 1,648.00 लाख के समस्त प्रावधान के अप्रयुक्त रहने की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,647.95 लाख का आवर्धन नई शुरू की गई योजना के कार्यान्वयन, बिजली और पानी बिलों के भुगतान पर अधिक व्यय तथा बाह्य स्रोत वाहनों की अधिक मरम्मत होने के कारण हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ।

अनुपूरक अनुदान तथा पुनर्विनियोजन से प्राप्त ₹ 1,648.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

109-	विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण-				
25-	सामान्य विस्तार गतिविधियाँ-				
	मूल	2,535.78			
			2,166.72	2,166.34	(-)0.38
	पुनर्वि०	(-)369.06			

मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 369.06 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

30-	बीज और उपजाऊ सामग्री पर उपलाभ-				
(i)	मूल	83.00			
			32.42	32.42	..
	पुनर्वि०	(-)50.58			
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(ii)	मूल	797.00			
	पूरक	0.01	291.78	291.78	..
	पुनर्वि०	(-)505.23			

उपरोक्त दो मामलों में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 555.81 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति तथा केन्द्रीय हिस्सेदारी की कम प्राप्ति से राज्य की हिस्सेदारी अप्रयुक्त रहने के कारण हुई।

31-	कृषि यंत्रीकरण पर उप मिशन-				
(i)	मूल	166.00			
			53.10	26.55	(-)26.55
	पुनर्वि०	(-)112.90			
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(ii)	मूल	1,696.00			
			478.00	239.00	(-) 239.00
	पुनर्वि०	(-)1,218.00			

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 265.55 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा ₹ 1,330.90 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति तथा केन्द्रीय हिस्सेदारी की कम प्राप्ति से राज्य की हिस्सेदारी अप्रयुक्त रहने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-11- (क्रमशः)

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 265.55 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

32- राष्ट्रीय बांस मिशन (एनबीएम)-

(i) मूल 1.00

पुनर्वि० (-)1.00

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

(ii) मूल 1.00

पुनर्वि० (-)1.00

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2024 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 2.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से केन्द्रीय हिस्सेदारी की प्राप्ति न होने तथा केन्द्रीय हिस्सेदारी की कम प्राप्ति से राज्य की हिस्सेदारी अप्रयुक्त रहने के कारण कम कर दिया गया।

33- कृषि से सम्पन्नता योजना-

मूल 1.00

पुनर्वि० (-)1.00

मार्च 2024 में ₹ 1.00 लाख के समस्त प्रावधान को पुनर्विनियोजन द्वारा कम कर दिया गया जिसके कारण सूचित नहीं किए गए।

34- मृदा स्वास्थ्य और उर्वरता पर उप मिशन-

मूल 16.00

7.34

3.67

(-)3.67

पुनर्वि० (-)8.66

₹ 3.67 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 8.66 लाख की कमी भारत सरकार से केन्द्र की हिस्सेदारी की कम प्राप्ति हुई इसलिए राज्य की हिस्सेदारी अप्रयुक्त रहने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 3.67 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

मूल 145.00

66.00

33.00

(-)33.00

पुनर्वि० (-)79.00

₹ 33.00 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 79.00 लाख की कमी भारत सरकार से केन्द्रीय हिस्सेदारी की कम प्राप्ति के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 33.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

35- स्थानांतरण प्रौद्योगिकी के लिए समर्थन-

मूल 1.00

..

..

..

पुनर्वि० (-)1.00

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-11- (क्रमशः)

मार्च 2024 में ₹ 1.00 लाख के समस्त प्रावधान को अभ्यर्पण द्वारा संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण कम कर दिया गया।

110-	फसल बीमा-				
01-	फसल बीमा योजना-				
	मूल	658.00			
			441.48	439.48	(-)2.00
	पुनर्वि०	(-)216.52			

मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 216.52 लाख की कमी फसल बीमा की किस्तों के भुगतान के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

111-	कृषि अर्थव्यवस्था तथा सांख्यिकी-				
01-	कृषि सांख्यिकी अनुभाग (सांमयिक रिपोर्टिंग योजना)-				
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(i)	मूल	65.00			
			33.11	30.61	(-)2.50
	पुनर्वि०	(-)31.89			
02-	निदान नमूना सर्वेक्षण एवं अध्ययन				
	(फसल सांख्यिकी में सुधार)-				
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(ii)	मूल	50.00			
			36.09	30.39	(-)5.70
	पुनर्वि०	(-)13.91			

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 45.80 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति होने के कारण हुई।

115-	छोटे/उपांतक किसानों तथा कृषि				
	श्रम की योजना-				
01-	मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर मजदूर				
	जीवन सुरक्षा योजना-				
	मूल	26.00			
			14.70	11.70	(-)3.00
	पुनर्वि०	(-)11.30			

मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 11.30 लाख की कमी किसानों से आपातकाल दावों की कम प्राप्ति होने के कारण हुई।

02-	कृषि कोष-				
	मूल	1.00			
			..	..	..
	पुनर्वि०	(-)1.00			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-11- (क्रमशः)

मार्च 2024 में ₹ 1.00 लाख के समस्त प्रावधान को पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों की कम आवश्यकता होने के कारण कम कर दिया गया।

2402- भू तथा जल संरक्षण-

101- मृदा सर्वेक्षण एवं परीक्षण -

01- कृषि योग्य बंजर भूमि का सर्वेक्षण (कृषि विभाग)-

(i)	मूल	183.35			
			149.59	149.56	(-)0.03
	पुनर्वि०	(-)33.76			

102- मृदा संरक्षण-

01- कृषि भूमि भू-संरक्षण (कृषि विभाग)-

(ii)	मूल	2,378.03			
			2,132.78	2,133.38	(+)0.60
	पुनर्वि०	(-)245.25			

03- भू-संरक्षण अनुसंधान निरूपण केन्द्र
की स्थापना (कृषि विभाग)-

(iii)	मूल	74.10			
			51.07	58.12	(+)7.05
	पुनर्वि०	(-)23.03			

उपरोक्त तीन मामलों में मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 302.04 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

55- जल से कृषि को बल योजना-

(i)	मूल	658.00	658.00	560.72	(-)97.28
-----	-----	--------	--------	--------	----------

56- प्रवाह सिंचाई योजना-

(ii)	मूल	526.00	526.00	466.74	(-)59.26
------	-----	--------	--------	--------	----------

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 156.54 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

57- सौर सिंचाई योजना-

	मूल	329.00	..	..	..
	पुनर्वि०	(-)329.00			

मार्च 2024 में ₹ 329.00 लाख के समस्त प्रावधान को पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण कम कर दिया गया।

103- भूमि सुधार तथा विकास-

01- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-

	मूल	264.00	264.00	38.11	(-)225.89
--	-----	--------	--------	-------	-----------

₹ 225.89 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-11- (क्रमशः)

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

मूल	1,199.00			
		726.80	345.00	(-)381.80
पुनर्वि०	(-)472.20			

₹ 381.80 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 472.20 लाख की कमी भारत सरकार से केन्द्रीय हिस्सेदारी की कम प्राप्ति के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई ।

₹ 381.80 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

2435- अन्य कृषि कार्यक्रम-

01- विपणन तथा गुणवत्ता नियंत्रण-

190- सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों को सहायता-

01- विपणन बोर्ड को मार्केटिंग बोर्ड के निर्माण हेतु सहायता अनुदान-

मूल	1.00			
		..	..	..
पुनर्वि०	(-)1.00			

मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1.00 लाख के समस्त प्रावधान को कम कर दिया गया; जिसके कारण सूचित नहीं किये गये।

2810- नई एवं नवीकरणीय ऊर्जा-

103- शहरी, औद्योगिक और वाणिज्यिक अनुप्रयोगों के लिए नवीकरणीय ऊर्जा-

01- गोबर गैस संयंत्र की स्थापना-

मूल	519.92			
		425.53	320.01	(-)105.52
पुनर्वि०	(-)94.39			

₹ 105.52 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 94.39 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 105.52 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

(iv) उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
		(₹ लाख में)	

2401- फसल- कृषि-कर्म-

105- खाद तथा उर्वरक-

04- भू-विज्ञान तथा रसायन-

(i) मूल	311.39			
		345.85	345.84	(-)0.01
पुनर्वि०	34.46			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-11- (क्रमशः)

07- गुण नियन्त्रक प्राप्तियों का विकास-

(ii) मूल	40.60			
		52.56	55.55	(-)2.99
पुनर्वि०	11.96			

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 46.42 लाख का आवर्धन वेतन के लिए अधिक निधियों की आवश्यकता के कारण हुआ।

12- प्राकृतिक खेत खुशहाल किसान-

मूल	329.00			
		878.97	854.31	(-)24.66
पुनर्वि०	549.97			

₹ 24.66 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 549.97 लाख का आवर्धन योजना के प्रचार व कार्यान्वयन तथा वेतनमानों के संशोधन पर अधिक व्यय होने के कारण हुआ जोकि अत्यधिक सिद्ध हुआ।

₹ 24.66 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

109- विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण-

27- राष्ट्रीय विस्तार एवं प्रौद्योगिकी मिशन-

मूल	98.00			
		120.96	120.95	(-)0.01
पुनर्वि०	22.96			

मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 22.96 लाख का आवर्धन केन्द्रीय हिस्सेदारी के अनुदान में राज्य की हिस्सेदारी जारी करने के कारण हुआ।

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

मूल	901.00			
		1,088.60	1,088.60	..
पुनर्वि०	187.60			

मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 187.60 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति होने के कारण हुआ।

800- अन्य व्यय-

20- फसल विविधिकरण योजना (जापान
अन्तराष्ट्रीय सहकारी अभिकरण) चरण-II-

मूल	1,974.00			
		3,291.00	3,291.00	..
पुनर्वि०	1,317.00			

मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,317.00 लाख का आवर्धन परियोजना के कार्यान्वयन होने के कारण हुआ।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-11- (समाप्त)

पूंजीगत प्रवर्ग

(v) दत्तमत्त अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य (+) बचत (-)
-------	---------------	---------------------------------	-----------------------

4401- फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय-

103- बीज-

01- उन्नत बीजों की खरीद-

मूल	3,997.58			
		3,942.55	3,071.23	(-)871.32
पुनर्वि०	(-)55.03			

₹ 871.32 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 55.03 लाख की कमी उन्नत बीजों की कम खरीद करने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 871.32 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

105- खाद तथा उर्वरक-

01- खादों का क्रय-

मूल	17.19			
		9.21	7.71	(-)1.50
पुनर्वि०	(-)7.98			

मार्च 2024 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 7.98 लाख की कमी किसानों द्वारा उर्वरक की मांग की कम प्राप्ति होने के कारण हुई।

113- कृषि इंजीनियरींग-

01- उन्नत औजारों का क्रय-

मूल	261.66	261.66	179.60	(-)82.06
-----	--------	--------	--------	----------

₹ 82.06 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

800- अन्य व्यय-

01- कृषि विभाग के भवन-

मूल	329.00	329.00	..	(-)329.00
-----	--------	--------	----	-----------

₹ 329.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

4402- मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय-

102- मृदा संरक्षण-

02- पॉली हाउस तथा सूक्ष्म सिंचाई योजना
(ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि)-

मूल	1.00			
		..	..	..
पुनर्वि०	(-)1.00			

मार्च 2024 में ₹ 1.00 लाख के समस्त प्रावधान को अभ्यर्पण द्वारा वित्तपोषण एजेंसी द्वारा परियोजनाओं को मंजूरी न दी जाने के कारण कम कर दिया गया।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या- 12- उद्यान

(शीर्ष- 2059-लोक निर्माण-कार्य, 2216-आवास, 2401-फसल कृषि-कर्म, 2415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा, 4401- फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय तथा 6401- फसल कृषि-कर्म के लिए ऋण)

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य (+) बचत (-)
राजस्व प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	3,84,39,34			
		4,58,99,48	4,44,45,91	(-)14,53,57
पूरक	74,60,14			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				
(31 मार्च 2024)				
				8,47,89
पूंजीगत प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	7,69,12			
		14,69,12	14,40,07	(-)29,05
पूरक	7,00,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				
..				

टिप्पणियाँ तथा अभ्युक्तियाँ

- (i) राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 1,453.57 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से फरवरी 2024 में प्राप्त ₹ 7,460.14 लाख की अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुई तथा ₹ 847.89 लाख का अभ्यर्पण अपर्याप्त सिद्ध हुआ।
- (ii) पूंजीगत प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 29.05 लाख के अंतिम बचत की दृष्टि से फरवरी 2024 में प्राप्त ₹ 700.00 लाख की अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।

राजस्व प्रवर्ग

- (iii) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य (+) बचत (-)
-------	------------	---------------------------------	-----------------------

2216- आवास-

05- साधारण पूल आवास-

053- रखरखाव एवं मरम्मत-

01- अन्य रखरखाव व्यय-

मूल	6.67	6.67	5.06	(-)1.61
-----	------	------	------	---------

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 12 (क्रमशः)

₹ 1.61 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

2401- फसल कृषि-कर्म-

119- बागवानी तथा वनस्पति फसलें-

01- निदेशालय-

मूल	1,144.98			
		1,053.98	1,039.47	(-)14.51
पुनर्वि०	(-)91.00			

मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 91.00 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

02- जिला एवं अधिनस्थ कर्मचारी-

मूल	2,923.54			
पूरक	0.01	2,696.93	2,674.43	(-)22.50
पुनर्वि०	(-)226.62			

₹ 22.50 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 226.62 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 22.50 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

04- वनस्पति संरक्षण योजना-

मूल	500.00	500.00	475.04	(-)24.96
-----	--------	--------	--------	----------

₹ 24.96 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

05- उद्यान विकास-

मूल	6,939.02			
		6,224.02	6,165.48	(-)58.54
पुनर्वि०	(-)715.00			

₹ 58.54 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 715.00 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति होने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 58.54 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

35- उद्यान अर्थव्यवस्था तथा सांख्यिकी-

मूल	37.00			
		27.23	24.09	(-)3.14
पुनर्वि०	(-)9.77			

मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 9.77 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या- 12 (क्रमशः)

56-	उद्यान एकीकृत विकास मिशन-				
	मूल	593.00			
			161.11	123.96	(-)37.15
	पूरक	(-)431.89			
	₹ 37.15 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 431.89 लाख की कमी केन्द्रीय हिस्सेदारी की कम प्राप्ति से राज्य की हिस्सेदारी अप्रयुक्त रहने के कारण हुई जोकि अप्रर्याप्त सिद्ध हुई।				
	₹ 37.15 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।				
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
	मूल	2,632.00			
			550.00	550.00	..
	पुनर्वि०	(-)2,082.00			
	मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 2,082.00 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति होने के कारण हुई।				
62-	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-				
(i)	मूल	289.00			
			13.00	..	(-)13.00
	पुनर्वि०	(-)276.00			
	मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 276.00 लाख की कमी उपदान पर कम व्यय तथा भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति होने के कारण हुई।				
73-	मुख्यमंत्री मधु विकास योजना-				
	मूल	1.00			
			..	..	..
	पुनर्वि०	(-)1.00			
	मार्च 2024 में ₹ 1.00 लाख के समस्त प्रावधान को पुनर्विनियोजन द्वारा कम कर दिया गया जिसके कारण सूचित नहीं किये गये।				
75-	मुख्यमंत्री खुम्ब विकास योजना-				
	मूल	1.00	1.00	..	(-)1.00
	₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।				
76-	कृषि मशीनीकरण पर उप-मिशन -				
(i)	मूल	86.00			
			..	..	..
	पुनर्वि०	(-)86.00			
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(ii)	मूल	939.00			
			..	..	..
	पुनर्वि०	(-)939.00			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 12 (क्रमशः)

79- ओला रोधी नेट संरचना-

(iii) मूल 224.00

..

पुनर्वि० (-)224.00

उपरोक्त तीन मामलों में ₹ 1,249.00 लाख का समस्त प्रावधान को पुनर्विनियोजन द्वारा भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने तथा योजना के दिशा-निर्देशों को अंतिम स्वरूप न दिए जाने के कारण कम कर दिया गया।

81- महक योजना-

(i) मूल 1.00

..

पुनर्वि० (-)1.00

82- स्वर्ण जयंती समृद्ध बागवान-

(ii) मूल 1.00

..

पुनर्वि० (-)1.00

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 2.00 लाख के समस्त प्रावधान को पुनर्विनियोजन द्वारा कम कर दिया गया जिसके कारण सूचित नहीं किये गए।

(iv) उपरोक्त बचत निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य (+) बचत (-)
-------	------------	---------------------------------	-----------------------

2401- फसल कृषि-कर्म-

119- बागवानी तथा वनस्पति फसलें-

22- उद्यानिक विपणन नियंत्रण-

मूल 1,084.00

3,487.00 3,059.07 (-)427.93

पुनर्वि० 2,403.00

₹ 427.93 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,403.00 लाख का आवर्धन विपणन एवं गुणवत्ता नियंत्रण योजना के अंतर्गत प्रबंधन सूचना प्रणाली- 2022 की लंबित देनदारियों को निपटाने के लिए अधिक निधियों की आवश्यकता के कारण हुआ जोकि रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई बचत से अंशतः प्रतिसंतुलन हुआ जोकि अत्यधिक सिद्ध हुई।

₹ 427.93 लाख के अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

77- हिमाचल उपोष्णकटिबंधीय बागवानी सिंचाई

और मूल्य संवर्धन परियोजना-

मूल 750.00

पूरक 6,166.61

8,750.00

8,750.00

..

पुनर्वि० 1,833.39

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 12 (समाप्त)

मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,833.39 लाख का आवर्धन परियोजना की लंबित देनदारियों को निपटाने के लिए अधिक निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

पूंजीगत प्रवर्ग

(iv) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य (+) बचत (-)
4401- फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय-			
119- बागवानी तथा साग भाजी फसलें-			
03- उद्यान विभाग के भवन-			
मूल	176.00	176.00	146.98

(-)29.02

₹ 29.02 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या -13-सिंचाई, जलापूर्ति एवं सफाई

(शीर्ष- 2059-लोक निर्माण-कार्य, 2215-जलापूर्ति तथा सफाई, 2216- आवास, 2700-मुख्य सिंचाई, 2701- मध्यम सिंचाई, 2702-लघु सिंचाई, 2711-बाढ़ नियंत्रण तथा जल निकास, 4215- जलापूर्ति तथा स्वच्छता पर पूंजीगत परिव्यय, 4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, 4702- लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, 4705-कमांड क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय तथा 4711- बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय)

		कुल अनुदान/ विनियोजन	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य (+) बचत (-)
राजस्व प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	25,85,47,77			
		27,48,75,47	27,20,43,47	(-)28,32,00
पूरक	1,63,27,70			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)				1,43,01
प्रभारित				
मूल	..			
		57,22	47,78	(-)9,44
पूरक	57,22			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..
पूंजीगत प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	5,38,05,00			
		11,09,15,91	10,79,18,34	(-)29,97,57
पूरक	5,71,10,91			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..
प्रभारित				
मूल	..			
		9,14,31	9,14,31	..
पूरक	9,14,31			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..

विनियोग लेखे अनुदान संख्या-13 (क्रमशः)

टिप्पणियाँ तथा अभ्युक्तियाँ

- (i) पूंजीगत प्रवर्ग के प्रभारित विनियोजन में ₹ 344 लाख के आधिक्य का नियमन अपेक्षित है।
- (ii) राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 2,832.00 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में प्राप्त ₹ 16,327.70 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्याधिक सिद्ध हुआ तथा ₹ 143.01 लाख का अभ्यर्पण अपर्याप्त सिद्ध हुआ।
- (iii) राजस्व प्रवर्ग के प्रभारित विनियोजन में ₹ 9.44 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में प्राप्त ₹ 57.22 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्याधिक सिद्ध हुआ तथा वर्ष के दौरान विभाग द्वारा कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (iv) पूंजीगत प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 2,997.57 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में प्राप्त ₹ 57,110.91 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्याधिक सिद्ध हुआ तथा वर्ष के दौरान विभाग द्वारा कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

राजस्व प्रवर्ग

- (v) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-
- | शीर्ष | कुल अनुदान | वास्तविक
व्यय | आधिक्य (+)
बचत (-) |
|-------|-------------|------------------|-----------------------|
| | (₹ लाख में) | | |

2215- जलापूर्ति तथा सफाई-

01- जलापूर्ति-

001- निदेशन एवं प्रशासन-

01- निर्देशन-

मूल	3,623.21			
पूरक	141.06	3,679.22	3,535.96	(-)143.26
पुनर्वि०	(-)85.05			

₹ 143.26 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 85.05 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 143.26 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

02- निष्पादन-

(i) मूल	12,927.89			
पूरक	69.60	12,997.47	11,892.17	(-)1,105.30
पुनर्वि०	(-)0.02			

07- हिमाचल प्रदेश ग्रामीण जलापूर्ति परियोजना के लिए परियोजना प्रबंधन इकाई-

(ii) मूल	274.81			
पूरक	186.70	456.50	422.62	(-)33.88
पुनर्वि०	(-)5.01			

005- सर्वेक्षण तथा जांच पड़ताल-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-13 (क्रमशः)

01-	सर्वेक्षण तथा अन्वेक्षण खण्ड-				
(iii)	मूल	436.09			
			436.05	336.35	(-)99.70
	पुनर्वि०	(-)0.04			
101-	शहरी जलापूर्ति कार्यक्रम-				
02-	विभिन्न जिलों में शहरी जलापूर्ति योजनाओं का रखरखाव तथा मरम्मत-				
(iv)	मूल	27,635.26			
			27,915.26	26,728.21	(-)1,187.05
	पूरक	280.00			
04-	वसूली के समायोजन के लिए रखरखाव प्रावधान-				
(v)	मूल	10,987.26	10,987.26	10,395.18	(-)592.08
	उपरोक्त पाँच मामलों में ₹ 3,018.01 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।				
102-	ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम-				
03-	ग्रामीण पेयजल आपूर्ति स्कीमों की मरम्मत-				
	मूल	65,623.20			
	पूरक	1,973.78	67,553.84	63,249.51	(-)4,304.33
	पुनर्वि०	(-)43.14			
	₹ 4,304.33 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 43.14 लाख की कमी अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों के कम आयोजन के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।				
	₹ 4,304.33 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।				
12-	वसूलियों का समायोजन करने हेतु रखरखाव में प्रावधान-				
(i)	मूल	39,127.13	39,127.13	29,990.62	(-)9,136.51
02-	मलजल तथा सफाई-				
105-	सफाई सेवाएं-				
02-	रखरखाव तथा मरम्मत-				
(ii)	मूल	56.40			
			456.40	433.80	(-)22.60
	पूरक	400.00			
	उपरोक्त दो मामलों में ₹ 9,159.11 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।				
2700-	मुख्य सिंचाई-				
01-	शाहनहर परियोजना (गैर-वाणिज्यिक)-				
001-	निर्देशन तथा प्रशासन-				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-13 (क्रमशः)

01-	स्थापना पर व्यय-				
	मूल	1,063.29			
			962.12	893.08	(-)69.04
	पुनर्वि०	(-)101.17			
	₹ 69.04 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 101.17 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।				
	₹ 69.04 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।				
799-	उचंत-				
01-	स्टॉक-				
	मूल	358.05	358.05	..	(-)358.05
	₹ 358.05 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।				
02-	स्टॉक मैनुफेक्चर-				
	मूल	260.40	260.40	5.74	(-)254.66
	₹ 254.66 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।				
03-	विविध लोक निर्माण अग्रिम-				
	मूल	187.17	187.17	..	(-)187.17
	₹ 187.17 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।				
13-	भभौर साहिब परियोजना (गैर वाणिज्यिक)-				
001-	निदेशन तथा प्रशासन-				
01-	स्थापना पर व्यय-				
	मूल	7.02			
	पूरक	14.46	21.46	18.69	(-)2.77
	पुनर्वि०	(-)0.02			
	₹ 2.77 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।				
20-	फिनासिंह परियोजना (गैर-वाणिज्यिक)-				
799-	उचंत-				
01-	स्टॉक-				
	मूल	310.00	310.00	..	(-)310.00
	₹ 310.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।				
02-	स्टॉक निर्माण -				
	मूल	70.76	70.76	5.01	(-)65.75
	₹ 65.75 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।				
03-	विविध लोक निर्माण अग्रिम-				
	मूल	45.29	45.29	..	(-)45.29

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-13 (क्रमशः)

₹ 45.29 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

21- हल्टी सुनराग बटांते नादौन श्रेत्र मध्यम
सिंचाई परियोजना (गैर-वाणिज्यिक)-

799- उचंत-

01- स्टॉक-

(i)	मूल	70.76	70.76	..	(-)70.76
-----	-----	-------	-------	----	----------

02- स्टॉक निर्माण-

(ii)	मूल	14.15	14.15	..	(-)14.15
------	-----	-------	-------	----	----------

03- विविध लोक निर्माण अग्रिम-

(iii)	मूल	6.37	6.37	..	(-)6.37
-------	-----	------	------	----	---------

उपरोक्त तीन मामलों में ₹ 91.28 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

2702- लघु सिंचाई-

01- सतही जल-

799- उचंत-

01- स्टॉक-

(i)	मूल	2,122.81	2,572.81	1,523.98	(-)1,048.83
-----	-----	----------	----------	----------	-------------

	पूरक	450.00			
--	------	--------	--	--	--

02- स्टॉक निर्माण-

(ii)	मूल	566.08	566.08	112.98	(-)453.10
------	-----	--------	--------	--------	-----------

03- विविध लोक निर्माण अग्रिम-

(iii)	मूल	424.56	474.56	268.79	(-)205.77
-------	-----	--------	--------	--------	-----------

	पूरक	50.00			
--	------	-------	--	--	--

उपरोक्त तीन मामलों में ₹ 1,707.70 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

80- सामान्य-

001- निदेशन तथा प्रशासन-

01- स्थापना पर व्यय-

	मूल	8,816.19			
--	-----	----------	--	--	--

	पूरक	31.76	8,329.91	7,794.43	(-)535.48
--	------	-------	----------	----------	-----------

	पुनर्वि०	(-)518.04			
--	----------	-----------	--	--	--

₹ 535.48 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 518.04 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 535.48 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-13 (क्रमशः)

02-	वर्कचार्ज स्टाफ के लिए स्थापना पर व्यय-				
(i)	मूल	25,785.19			
			25,785.18	22,697.07	(-)3,088.11
	पुनर्वि०	(-)0.01			
06-	वसूली के समायोजन हेतु रखरखाव प्रावधान-				
(ii)	मूल	25,785.18	25,785.18	17,509.67	(-)8,275.51
2711-	बाढ़ नियन्त्रण तथा जल निकासी-				
01-	बाढ़ नियन्त्रण-				
001-	निदेशन तथा प्रशासन-				
01-	निदेशन-				
(iii)	मूल	126.20			
			118.49	95.63	(-)22.86
	पुनर्वि०	(-)7.71			
	उपरोक्त तीन मामलों में ₹ 11,386.48 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।				
799-	उच्चत-				
01-	स्टॉक-				
	मूल	488.24	488.24	..	(-)488.24
	₹ 488.24 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।				
02-	स्टॉक निर्माण-				
	मूल	113.93	113.93	19.52	(-)94.41
	₹ 94.41 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।				
03-	विविध लोक निर्माण अग्रिम-				
	मूल	97.65	97.65	..	(-)97.65
	₹ 97.65 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।				
(vi)	उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अर्न्तगत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-				
	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक	आधिक्य (+)	
			व्यय	बचत (-)	
			(₹ लाख में)		
2215-	जलापूर्ति तथा सफाई-				
01-	जलापूर्ति-				
102-	ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम-				
13-	दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के वेतन तथा सामग्री हेतु व्यय-				
(i)	मूल	4,208.78			
	पूरक	744.50	4,953.27	5,081.18	(+)127.91
	पुनर्वि०	(-)0.01			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-13 (क्रमशः)

799-	उचंत-				
01-	उचंत पर व्यय-				
(ii)	मूल	7,533.72			
			13,103.72	17,352.37	(+)4,248.65
	पूरक	5,570.00			
02-	स्टॉक निर्माण-				
(iii)	मूल	651.00	651.00	710.35	(+)59.35
03-	विविध लोक निर्माण अग्रिम-				
(iv)	मूल	6,673.06			
			10,603.06	35,841.85	(+)25,238.79
	पूरक	3,930.00			

उपरोक्त चार मामलों में ₹ 29,674.70 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

2700- मुख्य सिंचाई-

01-	शाहनहर परियोजना (गैर-वाणिज्यिक)-				
101-	मरम्मत तथा रखरखाव-				
01-	मरम्मत तथा रखरखाव पर अन्य व्यय-				
	मूल	211.65			
	पूरक	406.12	717.78	734.63	(+)16.85
	पुनर्वि0	100.01			

₹ 16.85 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 100.01 लाख का आवर्धन योजनाओं की मरम्मत व बिजली बिलों पर अधिक व्यय होने के कारण हुआ जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

₹ 16.85 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

2702- लघु सिंचाई-

03-	रखरखाव-				
102-	लिफ्ट संचाई योजनाएं-				
01-	अन्य रखरखाव व्यय-				
	मूल	6,595.61			
	पूरक	761.98	7,875.60	7,856.52	(-)19.08
	पुनर्वि0	518.01			

मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 518.01 लाख का आवर्धन ऊर्जा बिलों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ।

(vii)	प्रभारित विनियोजन में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्ष के अन्तर्गत हुई:-			
	शीर्ष	कुल विनियोजन	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
			(₹ लाख में)	

2215- जल आपूर्ति तथा सफाई-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-13 (क्रमशः)

01- जलापूर्ति-				
001- निदेशन तथा प्रशासन-				
02- निष्पादन-				
पूरक	9.44	9.44	..	(-)9.44

₹ 9.44 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

पूँजीगत प्रवर्ग

(viii) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
		(₹ लाख में)	

4215- जलापूर्ति तथा स्वच्छता पर पूँजीगत परिव्यय-

01- जलापूर्ति-				
102- ग्रामीण जलापूर्ति-				
23- जल जीवन मिशन-				
मूल	4,936.00	4,936.00	2,660.44	(-)2,275.56

₹ 2,275.56 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

24- मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजलापूर्ति योजना-बाह्य
सहायता प्राप्त परियोजना (राष्ट्रीय विकास बैंक)-

(i) मूल	1,721.00			
पूरक	18,500.00	19,221.00	19,234.36	(+)13.36
पुनर्वि०	(-)1,000.00			

25- बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के
अन्तर्गत मल निकासी योजना-

(ii) मूल	1.00			
पूरक	5,017.37	4,018.37	4,022.80	(+)4.43
पुनर्वि०	(-)1,000.00			

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,000.00 लाख की कमी योजनाओं के अनुमोदन/निष्पादन में देरी होने के कारण हुई।

28- विभिन्न जलापूर्ति योजना के लिए ऊर्जा
कुशल पंपों का स्थानांतरण-

(i) मूल	1.00	1.00	..	(-)1.00
---------	------	------	----	---------

02- मल निकासी तथा सफाई-

102- ग्रामीण सफाई सेवाएं-				
04- ग्रामीण क्षेत्रों के लिए मल निकासी योजनाएं-				
(ii) मूल	1.00	1.00	..	(-)1.00

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 2.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-13 (क्रमशः)

106-	मल निकासी सेवाएं-				
03-	राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के अन्तर्गत ग्रामीण मल निकासी योजनाएं-				
	मूल	850.00			
			507.98	710.71	(+)202.73
	पुनर्वि0	(-)342.02			
	₹ 202.73 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 342.02 लाख की कमी ग्रामीण सीवरेज योजनाओं के अंतर्गत कार्यों को पूरा करने के लिए कम व्यय होने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।				
	₹ 202.73 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।				
4701-	मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-				
20-	फिना सिंह परियोजना (गैर-वाणिज्यिक)-				
800-	अन्य व्यय-				
02-	अन्य व्यय-				
	मूल	3.00			
			..	2.00	(+)2.00
	पुनर्वि0	(-)3.00			
	₹ 2.00 लाख के व्यय की दृष्टि से मार्च 2024 में ₹ 3.00 लाख के समस्त प्रावधान को पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने तथा कार्यों के निष्पादन न होने के कारण कम कर दिया गया जोकि अनुचित सिद्ध हुई।				
	₹ 2.00 लाख के समस्त व्यय बिना प्रावधान के किया गया जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।				
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
	मूल	1.00			
			..	..	..
	पुनर्वि0	(-)1.00			
	मार्च 2024 में ₹ 1.00 लाख के समस्त प्रावधान को पुनर्विनियोजन द्वारा भारत सरकार से निधियां प्राप्त न होने के कारण कम कर दिया गया।				
21-	नादौन क्षेत्र मध्यम सिंचाई परियोजना(अवाणिज्यिक)-				
800-	अन्य व्यय-				
01-	नादौन क्षेत्र मध्यम सिंचाई परियोजना-				
(i)	मूल	1.00	1.00	..	(-)1.00
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(ii)	मूल	1.00	1.00	..	(-)1.00
	उपरोक्त दो मामलों में ₹ 2.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।				
23-	कौन्सिल झरेरा मंडुप परियोजना (अवाणिज्यिक)-				
800-	अन्य व्यय-				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-13 (क्रमशः)

01-	कौन्सिल झरेरा मंडुप परियोजना पर व्यय-			
(i)	मूल	1.00	..	..
	पुनर्वि०	(-)1.00		
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना			
(ii)	मूल	1.00	..	..
	पुनर्वि०	(-)1.00		
24-	पारचू खड्ड परियोजना पर वर्षा जल संग्रहण (अवाणिज्यिक)-			
800-	अन्य व्यय-			
01-	पारचू खड्ड के किनारों पर वर्षा जल संग्रहण संरचना का निर्माण-			
(iii)	मूल	1.00	..	..
	पुनर्वि०	(-)1.00		
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना			
(iv)	मूल	1.00	..	..
	पुनर्वि०	(-)1.00		
25-	सुक्काहार मध्यम सिंचाई परियोजना (अवाणिज्यिक)-			
800-	अन्य व्यय-			
01-	जिला कांगड़ा में मध्यम सिंचाई परियोजना, सुक्काहार का निर्माण-			
(v)	मूल	1.00	..	..
	पुनर्वि०	(-)1.00		
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना			
(vi)	मूल	1.00	..	..
	पुनर्वि०	(-)1.00		
26-	मध्यम सिंचाई परियोजना प्रीणी (गैर-वाणिज्यिक)-			
800-	अन्य व्यय-			
01-	जिला कुल्लू में मध्यम सिंचाई परियोजना प्रीणी का निर्माण-			
(vii)	मूल	1.00	..	..
	पुनर्वि०	(-)1.00		

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-13 (क्रमशः)

केन्द्रीय प्रायोजित योजना					
(viii)	मूल	1.00	..	..	..
	पुनर्वि०	(-)1.00			
27-	मध्यम सिंचाई परियोजना ज्वालामुखी-				
800-	अन्य व्यय-				
01-	मध्यम सिंचाई परियोजना ज्वालामुखी जिला कांगड़ा-				
(ix)	मूल	1.00	..	..	..
	पुनर्वि०	(-)1.00			
केन्द्रीय प्रायोजित योजना					
(x)	मूल	1.00	..	..	..
	पुनर्वि०	(-)1.00			
उपरोक्त दस मामलों में ₹ 10.00 लाख के समस्त प्रावधान को पुनर्विनियोजन द्वारा भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने तथा इसलिए राज्य की हिस्सेदारी अप्रयुक्त रहने के कारण कम कर दिया गया।					
4702-	लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-				
101-	सतही जल-				
06-	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम) के अन्तर्गत विभिन्न जिलों में उठाऊ सिंचाई योजनाएं-				
	मूल	761.26	832.26	520.70	(-)311.56
	पूरक	71.00			
₹ 311.56 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।					
केन्द्रीय प्रायोजित योजना					
	मूल	4,686.26			
	पूरक	5,070.00	9,788.26	4,725.23	(-)5,063.03
	पुनर्वि०	32.00			
₹ 5,063.03 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 32.00 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ जोकि अनुचित सिद्ध हुआ। जबकि भारत सरकार से ₹ 58,691.95 लाख का अनुदान भारत सरकार से प्राप्त हुआ।					
₹ 5,063.03 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।					
07-	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अन्तर्गत विभिन्न जिलों में जल प्रवाह सिंचाई योजना-				
(i)	मूल	546.74	546.74	370.13	(-)176.61

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-13 (क्रमशः)

केन्द्रीय प्रायोजित योजना					
(ii)	मूल	3,365.74	3,365.74	3,331.14	(-)34.60

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 211.21 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

12-	पर्वतधारा-				
	मूल	1.00	1.00	..	(-)1.00

₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

102-	भू-जल-				
03-	विभिन्न जिलों में ट्यूबवेल योजनाएँ-				
	मूल	3,572.90			
			2,030.39	2,073.12	(+)42.73
	पुनर्वि०	(-)1,542.51			

₹ 42.73 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,542.51 लाख की कमी कार्यों को पूरा करने के लिए कम व्यय तथा संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 42.73 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

4705- कमान क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय-

313- लघु सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत कमान क्षेत्र का विकास-

01- लघु सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत कमान क्षेत्र का विकास-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

मूल	1.00				
			..	..	..
पुनर्वि०	(-)1.00				

मार्च 2024 में ₹ 1.00 लाख के समस्त प्रावधान को पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण हुई।

4711- बाढ़ नियन्त्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय-

01- बाढ़ नियन्त्रण-

103- सिविल निर्माण कार्य-

01- बाढ़ नियन्त्रण कार्य-

मूल	449.00	449.00	407.23	(-)41.77
-----	--------	--------	--------	----------

₹ 41.77 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

03- बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत मंडी और

हमीरपुर जिले में बरशवाड से जाहू तक

सीरखड्ड का तटीकरण -

(i)	मूल	1.00			
			..	..	..
	पुनर्वि०	(-)1.00			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-13 (क्रमशः)

केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(ii)	मूल	1.00	..	..
	पुनर्वि०	(-)1.00	..	..
उपरोक्त दो मामलों में ₹ 2.00 लाख के समस्त प्रावधान को पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने तथा इसलिए राज्य की हिस्सेदारी अप्रयुक्त रहने के कारण कम कर दिया गया।				
(ix)	उपरोक्त बचत निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-			
	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य (+) बचत (-)
4215-	जलापूर्ति तथा स्वच्छता पर पूंजीगत परिव्यय-			
01-	जलापूर्ति-			
102-	ग्रामीण जलापूर्ति-			
01-	विभिन्न जिलों में ग्रामीण जलापूर्ति योजनाएँ-			
	मूल	559.00		
		14,011.54	18,756.79	(+)4,745.25
	पूरक	13,452.54		
₹ 4,745.25 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।				
16-	ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास निधि/ राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक-			
	मूल	13,926.00		
		14,268.02	14,062.09	(-)205.93
	पुनर्वि०	342.02		
₹ 205.93 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 342.02 लाख का आवर्धन चल रहे विभिन्न कार्यों के लिए निधियों की अधिक आवश्यकता के कारण हुआ जोकि अत्यधिक सिद्ध हुआ।				
₹ 205.93 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।				
26-	पुरानी पेयजल आपूर्ति योजनाओं का पुनर्निर्माण/नवीनीकरण (बाह्य सहायता प्राप्त)-			
(i)	मूल	1,645.00		
	पूरक	15,000.00	18,645.00	18,642.97
	पुनर्वि०	2,000.00		(-)2.03
4702-	लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-			
101-	सतही जल-			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-13 (क्रमशः)

03-	राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड)				
	के अन्तर्गत विभिन्न जिलों में लिफ्ट सिंचाई योजना-				
(ii)	मूल	6,694.70			
			6,894.70	6,887.53	(-)7.17
	पुनर्वि०	200.00			
	उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,200.00 लाख का आवर्धन योजना के अंतर्गत कार्यों के अधिक निष्पादन होने के कारण हुआ।				
04-	राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के अंतर्गत				
	विभिन्न जिलों में बहाव सिंचाई योजनाएं-				
	मूल	1,358.00			
			2,051.58	2,116.52	(+)64.94
	पुनर्वि०	693.58			
	₹ 64.94 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 693.58 लाख का आवर्धन कार्यों के अधिक निष्पादन होने के कारण हुआ जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुआ।				
	₹ 64.94 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।				
4705-	कमान क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय-				
313-	लघु सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत कमान क्षेत्र विकास-				
01-	लघु सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत कमान क्षेत्र विकास-				
	मूल	4,091.00			
			4,090.00	4,126.13	(+)36.13
	पुनर्वि०	(-)1.00			
	₹ 36.13 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।				
4711-	बाढ़ नियन्त्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय-				
01-	बाढ़ नियन्त्रण-				
103-	सिविल निर्माण कार्य-				
02-	ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि/राष्ट्रीय कृषि एवं				
	ग्रामीण विकास बैंक के अंतर्गत बाढ़ नियंत्रण कार्य-				
	मूल	284.00			
			932.93	952.36	(+)19.43
	पुनर्वि०	648.93			
	₹ 19.43 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 648.93 लाख का आवर्धन योजना के अंतर्गत कार्यों के अधिक निष्पादन होने के कारण हुआ जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुआ।				
	₹ 19.43 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-13 (क्रमशः)

(X) **उच्चंत लेन-देन**

- (i) इस अनुदान के अन्तर्गत सम्मिलित व्यय ₹ 55,840.59 लाख में (राजस्व प्रवर्ग के अन्तर्गत ₹ 55,840.59 लाख और पूंजीगत प्रवर्ग के अंतर्गत ₹ 0.00 लाख) 'उच्चंत' लघु शीर्ष के अन्तर्गत लेखाबद्ध किए गये हैं।
- (ii) उच्चंत लेन-देनों के स्वरूप का वर्णन अनुदान संख्या-10 लोक निर्माण कार्य- सड़कें, पुल तथा भवन के अन्तर्गत पैरा संख्या- (xi) में किया गया है।
- (iii) इस अनुदान के अन्तर्गत वर्ष 2023-24 के दौरान लेखाबद्ध किए गए 'उच्चंत' लेन-देनों का विश्लेषण विभिन्न उप शीर्षों के अन्तर्गत प्रारम्भिक एवं अंतिम शेषों सहित नीचे दिया गया है:-

शीर्ष	01 अप्रैल 2023 को प्रारम्भिक शेष डैबिट (+) क्रेडिट (-)	डैबिट	क्रेडिट	31 मार्च 2024 को अन्त शेष डैबिट (+) क्रेडिट (-)
(₹ लाख में)				
राजस्व प्रवर्ग				
2215- जलापूर्ति तथा स्वच्छता-				
01- जलापूर्ति-				
799- उच्चंत-				
01- स्कन्ध-	(+)4,423.93	17,352.37	18,789.76	(+)2,986.54
02- स्कन्ध विनिर्माण-	(+)3,185.95	710.35	403.09	(+)3,493.21
03- विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम-	(+)64,187.01	35,841.85	25,854.32	(+)74,174.54
कुल योग 2215-	(+)71,796.89	53,904.57	45,047.17	(+)80,654.29
2700-मुख्य सिंचाई-				
01- शाह नहर परियोजना (गैर-वाणिज्यिक)-				
799- उच्चंत-				
01- स्कन्ध-	(+)580.49	0.00	0.00	(+)580.49
02- स्कन्ध- विनिर्माण-	(+)66.06	5.74	0.00	(+)71.80
03- विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम-	(-)30.44	0.00	0.00	(-)30.44*
कुल योग 2700-	(+)616.11	5.74	0.00	(+)621.85

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-13 (क्रमशः)

शीर्ष	01 अप्रैल 2023 को प्रारम्भिक शेष डैबिट (+) क्रेडिट (-)	डैबिट (₹ लाख में)	क्रेडिट	31 मार्च 2024 को अन्त शेष डैबिट (+) क्रेडिट (-)
2701- मध्यम सिंचाई-				
11- गिरी बाटा परियोजना (गैर-वाणिज्यिक)-				
799- उच्चंत-				
01- स्कन्ध -	(-)0.61	0.00	0.00	(-)0.61*
02- स्कन्ध विनिर्माण-	(-)8.41	0.00	0.00	(-)8.41*
03- विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम-	(+)35.11	0.00	0.00	(+)35.11
कुल योग- 2701-11	(+)26.09	0.00	0.00	(+)26.09
15- चंगर क्षेत्र सिंचाई परियोजना (गैर-वाणिज्यिक)-				
799- उच्चंत-				
01- स्कन्ध-	(-)0.54	0.00	0.00	(-)0.54*
02- स्कन्ध विनिर्माण-	(-)2.42	0.00	0.00	(-)2.42*
03- विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम-	(+)5.93	0.00	0.00	(+)5.93
कुल- 2701-15-	(+)2.97	0.00	0.00	(+)2.97
16- प्रवाह सिंचाई परियोजना सिधाता (गैर-वाणिज्यिक)-				
799- उच्चंत-				
01- स्कन्ध-	(+)2.09	0.00	0.00	(+)2.09
02- स्कन्ध विनिर्माण-	(+)1.75	0.00	0.00	(+)1.75
03- विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम-	(-) 3.93	0.00	0.00	(-)3.93*
कुल-2701-16-	(-) 0.09	0.00	0.00	(-) 0.09*
20- फीना सिंह परियोजना नहर परियोजना (गैर-वाणिज्यिक)-				
799- उच्चंत-				
01- स्कन्ध-	(+)745.12	0.00	0.00	(+)745.12
02- स्कन्ध विनिर्माण-	(+)109.79	5.01	0.00	(+)114.80
03- विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम-	(+)906.33	0.00	0.00	(+)906.33
कुल- 2701-20-	(+)1,761.24	5.01	0.00	(+)1,766.25

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-13 (क्रमशः)

शीर्ष	01 अप्रैल 2023 को प्रारम्भिक शेष डैबिट (+) क्रेडिट (-)	डैबिट (₹ लाख में)	क्रेडिट	31 मार्च 2024 को अन्त शेष डैबिट (+) क्रेडिट (-)
21- हल्टी सुनराग बंटान्ता मध्यम सिंचाई परियोजना (गैर-वाणिज्यिक)-				
799- उच्चंत-				
01- स्कन्ध-	0.00	0.00	0.00	0.00
02- स्कन्ध विनिर्माण-	(+)2.01	0.00	0.00	(+)2.01
03- विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम-	(-)0.01	0.00	0.00	(-)0.01*
कुल-2701-21-	(+)2.00	0.00	0.00	(+)2.00
80- सामान्य-				
799- उच्चंत-				
01- स्कन्ध-	(+)185.80	0.00	0.00	(+)185.80
02- स्कन्ध विनिर्माण-	(-)26.20	0.00	0.00	(-)26.20*
03- विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम-	(+)124.24	0.00	0.00	(+)124.24
कुल-2701-80-	(+)283.84	0.00	0.00	(+)283.84
कुल 2701-	(+)2,076.05	5.01	0.00	(+)2,081.06
2702-लघु सिंचाई-				
01- सतही जल-				
799- उच्चंत-				
01- स्कन्ध-	(-)1,059.77	1,523.98	1,838.41	(-)1,374.20*
02- स्कन्ध विनिर्माण-	(+)339.39	112.98	70.27	(+)382.10
03- विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम-	(+)24.67	268.79	106.24	(-)187.22*
कुल 2702-01-	(-)695.71	1,905.75	2,014.92	(-)804.88*
80- सामान्य-				
799- उच्चंत-				
01- स्कन्ध-	(-)628.73	0.00	0.00	(-)628.73*
02- स्कन्ध विनिर्माण-	(+)553.79	0.00	0.00	(+)553.79
03- विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम-	(+)315.57	0.00	0.00	(+)315.57
कुल 2702-80-	(+)240.63	0.00	0.00	(+)240.63
कुल 2702-	(-)455.08	1,905.75	2,014.92	(-)564.25*

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-13 (क्रमशः)

शीर्ष	01 अप्रैल 2023 को प्रारम्भिक शेष डैबिट (+) क्रेडिट (-)	डैबिट (₹ लाख में)	क्रेडिट	31 मार्च 2024 को अन्त शेष डैबिट (+) क्रेडिट (-)
2711- बाढ़ नियंत्रण तथा जल निकास-				
01- बाढ़ नियंत्रण-				
799- उच्चत-				
01- स्कन्ध-	(+)6,186.69	0.00	0.00	(+)6,186.69
02- स्कन्ध विनिर्माण-	(+)705.87	19.52	0.00	(+)725.39
03- विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम-	(+)2,981.43	0.00	0.00	(+)2,981.43
कुल 2711-	(+)9,873.99	19.52	0.00	(+)9,893.51
कुल राजस्व प्रवर्ग-	(+)83,907.96	55,840.59	47,062.09	(+) 92,686.46
पूँजीगत प्रवर्ग-				
4215- जलापूर्ति तथा सफाई पर पूँजीगत परिव्यय-				
01- जलापूर्ति-				
799- उच्चत-				
01- स्कन्ध-	(+)30.71	0.00	0.00	(+)30.71
कुल 4215-	(+)30.71	0.00	0.00	(+)30.71
4700- मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय-				
01- शाहनहर परियोजना (गैर -वाणिज्यिक)-				
799- उच्चत-				
01- स्कन्ध-	(+)38.42	0.00	0.00	(+)38.42
02- स्कन्ध विनिर्माण-	(+)37.54	0.00	0.00	(+)37.54
03- विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम-	(+)96.89	0.00	0.00	(+)96.89
कुल 4700-	(+)172.85	0.00	0.00	(+)172.85
4701- मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय-				
01- मध्यम सिंचाई पर व्यय-				
799- उच्चत-				
01- स्कन्ध-	(-)0.15	0.00	0.00	(-)0.15*
02- स्कन्ध विनिर्माण-	(+)10.82	0.00	0.00	(+)10.82
03- विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम-	(+)13.54	0.00	0.00	(+)13.54
कुल 4701-01-	(+)24.21	0.00	0.00	(+)24.21

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-13 (क्रमशः)

शीर्ष	01 अप्रैल 2023 को प्रारम्भिक शेष डैबिट (+) क्रेडिट (-)	डैबिट (₹ लाख में)	क्रेडिट	31 मार्च 2024 को अन्त शेष डैबिट (+) क्रेडिट (-)
15- चंगर क्षेत्र परियोजना (गैर वाणिज्यिक)-				
799- उच्चंत-				
01- स्कन्ध-	(+)83.49	0.00	0.00	(+)83.49
02- स्कन्ध विनिर्माण-	(+)2.98	0.00	0.00	(+)2.98
03- विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम-	(-)2.72	0.00	0.00	(-)2.72*
कुल-4701-15-	(+)83.75	0.00	0.00	(+)83.75
16- प्रवाह सिंचाई परियोजना सिधाता (गैर-वाणिज्यिक)-				
799- उच्चंत-				
01- स्कन्ध	(+)68.54	0.00	0.00	(+)68.54
02- स्कन्ध विनिर्माण-	(-)14.71	0.00	0.00	(-)14.71*
03- विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम-	(+)32.91	0.00	0.00	(+)32.91
कुल-4701-16-	(+)86.74	0.00	0.00	(+)86.74
80- सामान्य-				
799- उच्चंत-				
01- स्कन्ध-	(-)132.94	0.00	0.00	(-)132.94*
02- स्कन्ध विनिर्माण-	(-)0.83	0.00	0.00	(-)0.83*
03- विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम-	(+)155.24	0.00	0.00	(+)155.24
कुल-योग 4701-80-	(+)21.47	0.00	0.00	(+)21.47
कुल- 4701-	(+)216.17	0.00	0.00	(+)216.17

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-13 (समाप्त)

शीर्ष	01 अप्रैल 2023 को प्रारम्भिक शेष डैबिट (+) क्रेडिट (-)	डैबिट	क्रेडिट	31 मार्च 2024 को अन्त शेष डैबिट (+) क्रेडिट (-)
		(₹ लाख में)		
4702- लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-				
799- उच्चंत-				
01- स्कन्ध-	(-)608.15	0.00	0.00	(-)608.15*
02- स्कन्ध विनिर्माण-	(-)12.72	0.00	0.00	(-)12.72*
03- विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम-	(+)564.43	0.00	0.00	(+)564.43
कुल 4702-	(-)56.44	0.00	0.00	(-)56.44*
4711- बाढ़ नियन्त्रण पर पूंजीगत परिव्यय-				
01- बाढ़ नियन्त्रण-				
799- उच्चंत-				
01- स्कन्ध-	(-)8.77	0.00	0.00	(-)8.77*
02- स्कन्ध विनिर्माण-	(+)9.98	0.00	0.00	(+)9.98
03- विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम-	(+)27.88	0.00	0.00	(+)27.88
कुल 4711-	(+)29.09	0.00	0.00	(+)29.09
कुल-पूंजीगत प्रवर्ग	(+)392.38	0.00	0.00	(+)392.38
कुल मांग	(+)84,300.34	55,840.59	47,062.09	(+)93,078.84

* ऋणात्मक शेषों के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

विनियोग लेखे

अनुदान संख्या- 14-पशुपालन, दुग्ध विकास एवं मत्स्य

(शीर्ष- 2059-लोक निर्माण-कार्य, 2216-आवास, 2403-पशु पालन, 2404-दुग्ध विकास, 2405- मत्स्य पालन, 4403-पशु पालन पर पूंजीगत परिव्यय तथा 4405- मत्स्य पालन पर पूंजीगत परिव्यय)

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
		(₹ हजार में)		
राजस्व प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	5,14,11,25			
		5,21,00,40	5,11,11,73	(-)9,88,67
पूरक	6,89,15			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

..

पूंजीगत प्रवर्ग

दत्तमत

मूल	9,61,61			
		10,15,82	7,50,50	(-)2,65,32
पूरक	54,21			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

(31 मार्च 2024)

2,01

टिप्पणियाँ तथा अभ्युक्तियाँ

- राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 988.67 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से फरवरी 2024 में प्राप्त ₹ 689.15 लाख का अनूपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ जबकि मूल अनुदान भी अप्रयुक्त रहा तथा विभाग द्वारा वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- पूंजीगत प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 265.32 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से फरवरी 2024 में प्राप्त ₹ 54.21 लाख का अनूपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ जबकि मूल अनुदान भी अप्रयुक्त रहा तथा ₹ 2.01 लाख का अभ्यर्पण अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

राजस्व प्रवर्ग

- दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
(₹ लाख में)			

2403- पशु पालन-

001- निदेशन तथा प्रशासन-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या- 14-(क्रमशः)

03-	जिला प्रशासन-				
	मूल	1,583.91			
	पूरक	99.92	1,642.23	1,641.12	(-)1.11
	पुनर्वि०	(-)41.60			
	मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 41.60 लाख की कमी मंहगाई भत्ते का भुगतान न करने के कारण हुई।				
101-	पशु चिकित्सा सेवाएँ तथा पशु स्वास्थ्य-				
06-	जीरों महामारी उन्मूलन कार्यक्रम पर राष्ट्रीय परियोजना- केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
	मूल	1.00			
			..	..	..
	पुनर्वि०	(-)1.00			
	मार्च 2024 में ₹ 1.00 लाख को समस्त प्रावधान को पुनर्विनियोजन द्वारा भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया।				
10-	पशु रोग नियंत्रण के लिए राज्य को सहायता (ए.एस.सी.ए.डी.)-				
	मूल	7.20			
			5.38	5.38	..
	पुनर्वि०	(-)1.82			
	मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1.82 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने से राज्य की समान हिस्सेदारी को कम कर देने के कारण हुई।				
11-	राष्ट्रीय पशु रोग सूचना प्रणाली- केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(i)	मूल	1.00			
			..	..	..
	पुनर्वि०	(-)1.00			
13-	पेस्टे डेस पेटिट्स रूमिनेट्स नियंत्रण कार्यक्रम-				
(ii)	मूल	1.30			
			..	..	..
	पुनर्वि०	(-)1.30			
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(iii)	मूल	5.00			
			..	..	..
	पुनर्वि०	(-)5.00			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या- 14-(क्रमशः)

उपरोक्त तीन मामलों में मार्च 2024 में ₹ 7.30 लाख के समस्त प्रावधान को पुनर्विनियोजन द्वारा भारत सरकार से निधियां प्राप्त न होने के कारण कम कर दिया गया।

102-	पशु तथा भैंस विकास-				
02-	पशु तथा भैंस विकास-				
	मूल	623.72			
			569.54	567.14	(-)2.40
	पुनर्वि०	(-)54.18			

06-	सिमन प्रयोगशाला की स्थापना-				
	मूल	654.04			
	पूरक	2.13	580.29	574.39	(-)5.90
	पुनर्वि०	(-)75.88			

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 130.06 लाख की कमी मंहगाई भत्ते का भुगतान न करने तथा रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

13-	पशु गणना-				
(i)	मूल	1.00			
			..	..	..
	पुनर्वि०	(-)1.00			

16-	गोजातीय नस्ल राष्ट्रीय कार्यक्रम- केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(ii)	मूल	1.00			
			..	..	..
	पुनर्वि०	(-)1.00			

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2024 में ₹ 2.00 लाख के समस्त प्रावधान को पुनर्विनियोजन द्वारा भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया।

18-	गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को पशु चारा उपदान-				
(i)	मूल	320.00			
			319.97	290.45	(-)29.52
	पुनर्वि०	(-)0.03			

21-	उत्तम पशु पुरस्कार योजना-				
(ii)	मूल	150.00	150.00	108.53	(-)41.47

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 70.99 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

103-	पोल्ट्री विकास-				
02-	पोल्ट्री विकास पर व्यय-				
	मूल	483.59			
			430.72	428.59	(-)2.13
	पुनर्वि०	(-)52.87			

मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 52.87 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने तथा कार्यालय सामग्री की खरीद पर कम व्यय होने के कारण हुई।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या- 14-(क्रमशः)

104-	भेड तथा ऊन विकास-				
04-	भेड तथा ऊन विकास पर व्यय-				
	मूल	548.13			
			499.88	457.01	(-)42.87
	पुनर्वि०	(-)48.25			
	₹ 42.87 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 48.25 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।				
	₹ 42.87 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।				
11-	हिमाचल प्रदेश ऊन महासंघ को सहायता अनुदान-				
(i)	मूल	1.00			
			..	..	..
	पुनर्वि०	(-)1.00			
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(ii)	मूल	1.00			
			..	..	..
	पुनर्वि०	(-)1.00			
	उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2024 में ₹ 2.00 लाख के समस्त प्रावधान को पुनर्विनियोजन द्वारा भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया।				
106-	अन्य पशुधन विकास-				
01-	घोड़ा एवं खच्चर प्रजनन योजना-				
	मूल	8.59			
			6.70	6.65	(-)0.05
	पुनर्वि०	(-)1.89			
	मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1.89 लाख की कमी विज्ञापन व प्रचार बिलों की कम प्राप्ति के कारण हुई जोकि कर्मचारियों को वेतन के भुगतान पर अधिक व्यय होने से हुए आधिक्य से अशतः प्रतिसंतुलित हुई।				
08-	गौशालाओं का उन्नयन-				
(i)	मूल	1.00			
			..	..	..
	पुनर्वि०	(-)1.00			
12-	राष्ट्रीय पशुधन मिशन-				
(ii)	मूल	3.00			
			..	..	..
	पुनर्वि०	(-)3.00			
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(iii)	मूल	3.00			
			..	..	..
	पुनर्वि०	(-)3.00			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या- 14-(क्रमशः)

उपरोक्त तीन मामलों में मार्च 2024 में ₹ 7.00 लाख के समस्त प्रावधान को पुनर्विनियोजन द्वारा संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने तथा भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया।

107-	चारा तथा चारागाह विकास-				
01-	चारा विकास एवं भोजन-				
	मूल	66.26			
			65.76	50.68	(-)15.08

पुनर्वि० (-)0.50

₹ 15.08 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

109-	विस्तार तथा प्रशिक्षण-				
02-	पशु चिकित्सा परिषद को अनुदान सहायता-				
(i)	मूल	13.00			
			..	..	..

पुनर्वि० (-)13.00

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

(ii)	मूल	13.00			
			..	..	..

पुनर्वि० (-)13.00

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2024 में ₹ 26.00 लाख के समस्त प्रावधान को पुनर्विनियोजन द्वारा भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति होने के कारण कम कर दिया गया।

113-	प्रशासनिक अन्वेषण तथा सांख्यिकी-				
01-	सांख्यिकीय इकाई-				
(i)	मूल	225.00			
			192.33	191.49	(-)0.84

पुनर्वि० (-)32.67

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

(ii)	मूल	85.00			
			67.00	67.00	..

पुनर्वि० (-)18.00

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 50.67 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने तथा भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण हुई।

2404- दुग्ध विकास-

109-	विस्तार तथा प्रशिक्षण-				
02-	डेयरी उद्यमी विकास योजना के तहत उपदान-				
(i)	मूल	1.00			
			..	..	..

पुनर्वि० (-)1.00

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या- 14-(क्रमशः)

191-	सहकारी समितियों तथा अन्य निकायों को सहायता-				
03-	एकीकृत दुग्ध विकास परियोजना- केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(ii)	मूल	3.00			
	पुनर्वि०	(-)3.00			
	उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2024 में ₹ 4.00 लाख के समस्त प्रावधान को पुनर्विनियोजन द्वारा भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने तथा उपदान मामलों की कम प्राप्ति होने के कारण कम कर दिया गया।				
05-	दुग्ध सहकारी समितियों को मालभाड़ा उपदान-				
(i)	मूल	99.00	169.00	99.00	(-)70.00
	पूरक	70.00			
07-	दुग्ध उपार्जन गारंटी योजना-				
(ii)	मूल	6,581.00	6,581.00	4,935.75	(-)1,645.25
	उपरोक्त दो मामलों में ₹ 1,715.25 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।				
2405-	मत्स्य पालन-				
001-	निदेशन एवं प्रशासन-				
01-	निदेशालय स्तर-				
(i)	मूल	283.33	241.70	241.32	(-)0.38
	पुनर्वि०	(-)41.63			
02-	जिला स्तर-				
(ii)	मूल	1,313.25	1,221.08	1,217.66	(-)3.42
	पुनर्वि०	(-)92.17			
	उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 133.80 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।				
101-	अंतर्देशीय मत्स्य पालन-				
03-	मत्स्य क्रीड़ा का विकास एवं रखरखाव-				
	मूल	155.80	71.83	31.68	(-)40.15
	पुनर्वि०	(-)83.97			
	₹ 40.15 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 83.97 लाख की कमी मछली के भोजन पर कम व्यय होने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या- 14-(क्रमशः)

₹ 40.15 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

09- ट्राउट पशुधन बीमा-
मूल 4.00

पुनर्वि० (-)4.00

मार्च 2024 में ₹ 4.00 लाख के समस्त प्रावधान को पुनर्विनियोजन द्वारा ट्राउट मछली पालकों से बीमा दावों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया।

(iv) उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
(₹ लाख में)			

2403- पशु पालन-

101- पशु चिकित्सा सेवाएं तथा पशु स्वास्थ्य-

01- अस्पताल तथा औषधालय-

मूल	32,874.08				
पूरक	404.62	33,922.64	34,843.08	(+)920.44	
पुनर्वि०	643.94				

₹ 920.44 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 643.94 लाख का आवर्धन उच्च न्यायालय के आदेशों को अनुपालना में बकाया राशी के भुगतान तथा वेतनों के भुगतान के कारण हुआ जोकि ग्राम पंचायत पशु चिकित्सा सहायकों के पदों को न भरने तथा कार्यालय सामग्री पर कम व्यय होने के कारण हुई बचत से अंशतः प्रतिसंतुलित हुआ जोकि अत्यधिक सिद्ध हुआ।

₹ 920.44 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

पूंजीगत प्रवर्ग

(v) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
(₹ लाख में)			

4403- पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय-

101- पशु चिकित्सा सेवाएं तथा पशु स्वास्थ्य-

01- भवन कार्यक्रम-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

मूल 1.00

पुनर्वि० (-)1.00

मार्च 2024 में ₹ 1.00 लाख के समस्त प्रावधान को पुनर्विनियोजन द्वारा भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या- 14-(समाप्त)

4405- मत्स्य पालन पर पूंजीगत परिव्यय-

101- अंतर्देशीय मत्स्य पालन-

04- कार्प फार्मों का विकास एवं रखरखाव-

मूल	124.78	124.78	92.53	(-)32.25
-----	--------	--------	-------	----------

₹ 32.25 लाख के अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-15 - योजना एवं पिछड़ा क्षेत्र विकास कार्यक्रम

(शीर्ष- 2202-सामान्य शिक्षा, 2210-चिकित्सा एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य, 2216-आवास, 2401-फसल पालन, 2402-मृदा एवं जल संरक्षण, 2403-पशु-पालन, 2406-वानिकी एवं वन्य जीवन, 2851-ग्राम एवं लघु उद्योग, 3451-सचिवालय-आर्थिक सेवायें, 4202-शिक्षा, खेलकूद, कला और संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय, 4210-चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय, 4215-जल आपूर्ति और स्वच्छता पर पूंजीगत परिव्यय, 4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय, 4401- फसल पालन पर पूंजीगत परिव्यय, 4402- मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय, 4403-पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय, 4406- वानिकी तथा वन्य जीवों पर पूंजीगत परिव्यय, 4702-अल्प सिचाई पर पूंजीगत परिव्यय, 4851-ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय, 5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय तथा 5475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय)

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य (+) बचत (-)
राजस्व प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	72,01,93	72,01,93	55,72,21	(-) 16,29,72
पूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)				6,49,04
पूंजीगत प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	6,81,61,00	6,81,61,00	3,36,40,54	(-) 3,45,20,46
पूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)				2,90,94,52

टिप्पणियाँ तथा अभ्युक्तियाँ

- (i) राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 1,629.72 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से ₹ 649.04 लाख का अभ्यर्पण अपर्याप्त सिद्ध हुआ।
- (ii) पूंजीगत प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 34,520.46 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से ₹ 29,094.52 लाख का अभ्यर्पण अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-15 (क्रमशः)

राजस्व प्रवर्ग

(iii) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य (+) बचत (-)
2202- सामान्य शिक्षा-			
01- प्रारम्भिक शिक्षा-			
101- राजकीय प्राथमिक विद्यालय-			
01- शिक्षा पर व्यय-			
(i) मूल	100.24		
		100.06	58.36
पुनर्वि०	(-)0.18		(-)41.70
03- माध्यमिक स्कूल-			
(ii) मूल	100.26		
		99.91	64.00
पुनर्वि०	(-)0.35		(-)35.91
उपरोक्त दो मामलों में ₹ 77.61 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतिक्षित थे (जुलाई 2024)।			
105- अनौपचारिक शिक्षा-			
02- भारत साक्षरता कार्यक्रम-			
(i) मूल	1.00		
		..	..
पुनर्वि०	(-)1.00		..
केन्द्रीय प्रायोजित योजना			
(ii) मूल	1.00		
		..	..
पुनर्वि०	(-)1.00		..
उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2024 में ₹ 2.00 लाख के समस्त प्रावधान को अभ्यर्पण द्वारा भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति नहीं हुई इसलिए राज्य की हिस्सेदारी अप्रयुक्त रहने के कारण कम कर दिया गया।			
112- प्राथमिक शिक्षा में राष्ट्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत पौषाहार-			
01- मध्यांतर भोजन-			
मूल	88.00		
		57.00	57.00
पुनर्वि०	(-)31.00		..
मार्च 2024 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 31.00 लाख की कमी मध्याह्न भोजन योजना के तहत रसोइया-सह-सहायको की कम नियुक्ति करने के कारण हुई।			
2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-15 (क्रमशः)

03-	ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-				
	पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति-				
101-	स्वास्थ्य उप-केन्द्र-				
01-	स्वास्थ्य उप-केन्द्र-				
	मूल	1,404.69			
			1,339.20	1,311.46	(-)27.74
	पुनर्वि०	(-)65.49			
₹ 27.74 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 65.49 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, सामग्री की कम खरीद तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई। ₹ 27.74 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतिक्षित थे (जुलाई 2024)।					
103-	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र-				
01-	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र -				
	मूल	378.24			
			355.47	353.08	(-)2.39
	पुनर्वि०	(-)22.77			
मार्च 2024 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 22.77 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने तथा सामग्री की कम खरीद करने के कारण हुई।					
104-	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र-				
01-	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र-				
(i)	मूल	28.63			
			25.57	18.87	(-)6.70
	पुनर्वि०	(-)3.06			
06-	लोक स्वास्थ्य-				
101-	रोगों की रोकथाम तथा नियन्त्रण-				
01-	मलेरिया विरोधी संगठन-				
(ii)	मूल	2.00			
			1.80	0.60	(-)1.20
	पुनर्वि०	(-)0.20			
उपरोक्त दो मामलों में ₹ 7.90 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतिक्षित थे (जुलाई 2024)।					
13-	बहुउद्देशीय कार्यकर्ता योजना-				
	(न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम)-				
	मूल	137.11			
			105.53	96.31	(-)9.22
	पुनर्वि०	(-)31.58			
मार्च 2024 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 31.58 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने तथा सामग्री की कम खरीद करने के कारण हुई।					

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-15 (क्रमशः)

2216- आवास-

07- अन्य आवास-

053- मुरम्मत एवं रखरखाव-

02- जिला योजना कर्मचारियों के आवासीय भवनों का रखरखाव-

मूल	20.00	20.00	..	(-)20.00
-----	-------	-------	----	----------

₹ 20.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

2402- भू तथा जल संरक्षण-

102- मृदा संरक्षण-

08- जल संग्रहण संरचनाओं का संरक्षण-

(i) मूल	75.88	75.88	15.31	(-)60.57
---------	-------	-------	-------	----------

2403- पशुपालन-

101- पशु चिकित्सा सेवाएं तथा पशु स्वास्थ्य-

01- अस्पताल तथा औषधालय-

(ii) मूल	122.54	122.54	102.00	(-)20.54
----------	--------	--------	--------	----------

2406- वानिकी तथा वन्य जीवन-

01- वानिकी-

102- सामाजिक और कृषि वानिकी-

18- सामाजिक वानिकी कार्यक्रम-

(iii) मूल	580.34	580.34	332.02	(-)248.32
-----------	--------	--------	--------	-----------

उपरोक्त तीन मामलों में ₹ 329.43 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतिक्षित थे (जुलाई 2024)।

3451- सचिवालय-आर्थिक सेवाएं-

101- नीति आयोग-

01- मुख्यालय-

(i) मूल	943.47			
		649.47	536.49	(-)112.98

पुनर्वि0	(-)294.00			
----------	-----------	--	--	--

02- जिले-

(ii) मूल	698.53			
		503.53	435.43	(-)68.10

पुनर्वि0	(-)195.00			
----------	-----------	--	--	--

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 181.08 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 489.00 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 181.08 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतिक्षित थे (जुलाई 2024)।

18- तेरहवें वित्त आयोग के अंतर्गत जिला अभिनव निधि-

मूल	300.00	300.00	..	(-)300.00
-----	--------	--------	----	-----------

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-15 (क्रमशः)

₹ 300.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

20-	राज्य अभिनव निधि-				
	मूल	150.00	150.00	7.25	(-)142.75

₹ 142.75 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतिक्षित थे (जुलाई 2024)।

21-	सत्त विकास हेतु लक्ष्य-				
	मूल	66.00	66.00	..	(-)66.00

₹ 66.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

(iv)	उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-				
	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)	बचत (-)
			(₹ लाख में)		

2202- सामान्य शिक्षा-

01-	प्रारम्भिक शिक्षा-				
101-	राजकीय प्राथमिक विद्यालय-				
12-	अटल वर्दी योजना-				
	मूल	1.00	..	107.46	(+)107.46
	पुनर्वि०	(-)1.00			

मार्च 2024 में ₹ 1.00 लाख के समस्त प्रावधान को अभ्यर्पण द्वारा अटल वर्दी योजना के तहत वर्दी की कम खरीद करने के कारण हुई।

₹ 107.46 लाख का समस्त व्यय वर्ष 2020-21 की आपत्ति पुस्तिका के उचंत के समायोजन के कारण हुआ।

2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-

04-	ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-				
	अन्य चिकित्सा पद्धति-				
101-	आयुर्वेद-				
02-	आयुर्वेदिक औषधालय -				
	मूल	1,436.62	1,436.61	1,520.36	(+)83.75
	पुनर्वि०	(-)0.01			

₹ 83.75 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतिक्षित थे (जुलाई 2024)।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-15 (क्रमशः)

पूँजीगत प्रवर्ग

(v)	दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-			
शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)	बचत (-)
		(₹ लाख में)		

4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय-

01- सामान्य शिक्षा-

201- प्रारम्भिक शिक्षा-

07- भवनों का निर्माण-

(i) मूल 1,161.00

917.04

525.65

(-)391.39

पुनर्वि0 (-)243.96

₹ 391.39 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 243.96 लाख की कमी प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों के लिए भवनों के निर्माण के लिए प्रस्तावों की कम प्राप्ति के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 391.39 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतिक्षित थे (जुलाई 2024)।

202- माध्यमिक शिक्षा-

06- भवनों का निर्माण-

मूल 900.00

820.47

528.70

(-)291.77

पुनर्वि0 (-)79.53

₹ 291.77 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 79.53 लाख की कमी माध्यमिक विद्यालयों के लिए भवनों के निर्माण के लिए प्रस्तावों की कम प्राप्ति के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 291.77 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतिक्षित थे (जुलाई 2024)।

4210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय-

02- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-

103- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र-

01- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (निर्माण कार्य)-

मूल 950.00

531.73

403.57

(-)128.16

पुनर्वि0 (-)418.27

₹ 128.16 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 418.27 लाख की कमी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए भवनों के निर्माण के लिए प्रस्तावों की कम प्राप्ति होने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-15 (क्रमशः)

₹ 128.16 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतिक्षित थे (जुलाई 2024)।

03-	चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-				
101-	आयुर्वेद-				
01-	आयुर्वेद निर्माण कार्य-				
	मूल	90.00			
			109.04	59.39	(-)49.65
	पुनर्वि0	19.04			

₹ 49.65 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 19.04 लाख का आवर्धन आयुर्वेदिक अस्पताल/केन्द्रों के लिए भवनों के निर्माण के लिए प्रस्तावों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ।

₹ 49.65 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतिक्षित थे (जुलाई 2024)।

4215-	जलापूर्ति तथा स्वच्छता पर				
	पूंजीगत परियोजना-				
01-	जलापूर्ति-				
102-	ग्रामीण जलापूर्ति-				
01-	विभिन्न जिलों में ग्रामीण जलापूर्ति योजनाएं-				
	मूल	1,650.00			
			1,911.22	1,346.84	(-)564.38
	पुनर्वि0	261.22			

₹ 564.38 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 261.22 लाख का आवर्धन ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं के निर्माण के लिए प्रस्तावों की अधिक प्राप्ति होने के कारण हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ।

₹ 564.38 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतिक्षित थे (जुलाई 2024)।

4216-	आवास पर पूंजीगत परियोजना-				
01-	सरकारी आवासीय भवन-				
700-	अन्य आवास-				
15-	जिला योजना अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए				
	आवास निर्माण-				
	मूल	80.00	80.00	..	(-)80.00

₹ 80.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

4401-	फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परियोजना-				
119-	बागवानी तथा सब्जी फसलें-				
03-	उद्यानिकी विभाग के भवन-				
(i)	मूल	95.00			
			40.48	27.19	(-)13.29
	पुनर्वि0	(-)54.52			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-15 (क्रमशः)

800- अन्य व्यय-

01- कृषि विभाग के भवन-

(ii) मूल 65.00

24.84

18.34

(-)6.50

पुनर्वि0 (-)40.16

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 94.68 लाख की कमी पानी/भंडार टैंकों के निर्माण के लिए प्रस्तावों की कम प्राप्ति होने के कारण हुई।

4402- मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परियोजना-

102- मृदा संरक्षण-

07- कृषि-

मूल 60.00

80.20

56.70

(-)23.50

पुनर्वि0 20.20

₹ 23.50 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 20.20 लाख का आवर्धन चैकडैम/मृदा अपरदन योजना के लिए निर्माण के प्रस्तावों की अधिक प्राप्ति होने के कारण हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ।

₹ 23.50 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतिक्षित थे (जुलाई 2024)।

4406- वानिकी तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परियोजना-

01- वानिकी-

101- वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण

01- वानिकी-

मूल 100.00

67.39

31.10

(-)36.29

पुनर्वि0 (-)32.61

₹ 36.29 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 32.61 लाख की कमी वनपथ निर्माण और वृक्षारोपण के लिए निर्माण के प्रस्तावों की कम प्राप्ति होने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 36.29 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतिक्षित थे (जुलाई 2024)।

4851- ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परियोजना-

102- लघु उद्योग-

09- ग्राम तथा लघु उद्योग

मूल 65.00

6.50

..

(-)6.50

पुनर्वि0 (-)58.50

मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 58.50 लाख की कमी सार्वजनिक क्षेत्र में लघु उद्योग के लिए भवन निर्माण के लिए प्रस्तावों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-15 (क्रमशः)

5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-

04- जिला तथा अन्य सड़कें-

337- सड़क निर्माण कार्य-

27- सड़कें एवं पुल-

मूल 4,719.00

5,329.34

4,222.78

(-)1,106.56

पुनर्वि0 610.34

₹ 1,106.56 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 610.34 लाख का आवर्धन सड़कों तथा पुलों के निर्माण के लिए प्रस्तावों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ।

₹ 1,106.56 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतिक्षित थे (जुलाई 2024)।

5475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय-

115- बुनियादी ढांचे के विकास के लिए वित्तीय सहायता-

01- विकेन्द्रीकृत नियोजन क्षेत्र-

(i) मूल 36,710.00

11,131.20

10,329.87

(-)801.33

पुनर्वि0 (-)25,578.80

02- विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना-

(ii) मूल 15,000.00

13,854.36

12,890.70

(-)963.66

पुनर्वि0 (-)1,145.64

03- स्थानीय जिला नियोजन/विकास में जन सहयोग-

(iii) मूल 5,500.00

3,129.92

2,292.76

(-)837.16

पुनर्वि0 (-)2,370.08

उपरोक्त तीन मामलों में ₹ 2,602.15 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 29,094.52 लाख की कमी प्रमुख कार्यों के कम निष्पादन होने के कारण हुआ जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

उपरोक्त तीन मामलों में ₹ 2,602.15 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतिक्षित थे (जुलाई 2024)।

04- मुख्यमंत्री ग्राम पथ योजना-

मूल 891.00

891.00

787.03

(-)103.97

₹ 103.97 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतिक्षित थे (जुलाई 2024)।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-15 (समाप्त)

(vi) उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
-------	------------	---------------	-----------------------

(₹ लाख में)

4403- पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय-

101- पशु चिकित्सा सेवाएं तथा पशु स्वास्थ्य-

01- भवन कार्यक्रम-

मूल	60.00		
-----	-------	--	--

81.43

72.23

(-)9.20

पुनर्वि0	21.43		
----------	-------	--	--

मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 21.43 लाख का आवर्धन पशु चिकित्सा अस्पतालों/केन्द्रों के निर्माण के लिए प्रस्तावों की अधिक प्राप्ति होने के कारण हुआ।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-16- वन और वन्य जीवन

(शीर्ष- 2059- लोक निर्माण कार्य, 2402-मृदा तथा जल संरक्षण, 2406-वानिकी एवं वन्य जीवन, 2415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा, 4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय तथा 4406-वानिकी तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय)

		कुल अनुदान/ विनियोजन	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य (+) बचत (-)
राजस्व प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	7,46,33,32			
		8,03,69,31	6,49,82,26	(-)1,53,87,05
पूरक	57,35,99			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)				61,68,77
प्रभारित				
मूल	..			
		1,50	3,60	(+)2,10
पूरक	1,50			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..
पूंजीगत प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	13,99,00			
		13,99,00	2,96,29	(-)11,02,71
पूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)				7,65,65

टिप्पणियाँ तथा अभ्युक्तियाँ

- (i) राजस्व प्रवर्ग के प्रभारित विनियोजन में ₹ 2,10,000 के आधिक्य का नियमन अपेक्षित है।
- (ii) राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 15,387.05 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से फरवरी 2024 में प्राप्त ₹ 5,735.99 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुई जबकि मूल अनुदान भी अप्रयुक्त रही तथा ₹ 6,168.77 लाख का अभ्यर्पण अपर्याप्त सिद्ध हुआ।
- (iii) राजस्व प्रवर्ग के प्रभारित विनियोजन में ₹ 2.10 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से फरवरी 2024 में प्राप्त ₹ 1.50 लाख की अनुपूरक अनुदान अपर्याप्त सिद्ध हुई।
- (iv) पूंजीगत प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 1,102.71 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से ₹ 765.65 लाख का अभ्यर्पण अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-16 (क्रमशः)

राजस्व प्रवर्ग

(v)	दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-			
शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)	बचत (-)
		(₹ लाख में)		

2059- लोक निर्माण कार्य-

01- कार्यालय भवन-

053- रखरखाव तथा मरम्मत-

69- वन विभाग हेतु रखरखाव पर व्यय-

मूल	50.81	50.81	23.28	(-)27.53
-----	-------	-------	-------	----------

₹ 27.53 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

2402- भू तथा जल संरक्षण-

109- विस्तार तथा प्रशिक्षण-

20- भू संरक्षण में प्रशिक्षण (वन विभाग)-

मूल	15.47			
-----	-------	--	--	--

पुनर्वि० (-)15.47

मार्च 2024 में ₹ 15.47 लाख के समस्त प्रावधान को अभ्यर्पण द्वारा रिक्त पदों को न भरने तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया।

2406- वानिकी तथा वन्य जीवन-

01- वानिकी-

001- निदेशन तथा प्रशासन-

01- निदेशालय-

मूल	1,320.52			
		1,151.97	1,151.96	(-)0.01

पुनर्वि० (-)168.55

मार्च 2024 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 168.55 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

02- परिमण्डल/मण्डलीय स्थापना-

मूल	36,919.38			
-----	-----------	--	--	--

		34,483.72	33,962.26	(-)521.46
--	--	-----------	-----------	-----------

पुनर्वि० (-)2,435.66

₹ 521.46 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 2,435.66 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों व यात्रा व्यय बिलों की कम प्राप्ति के कारण हुई जोकि बाह्य स्त्रोत कर्मचारियों वर्गों के बाह्य स्त्रोत प्रभारों में वृद्धि तथा भारतीय वन सेवा, हिमाचल प्रदेश वन सेवा व नई रेंज वन अधिकारियों के प्रशिक्षण पर अधिक व्यय होने से हुए आधिक्य से अशतः प्रतिसंतुलित हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-16 (क्रमशः)

₹ 521.46 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

070- संचार तथा भवन-

01- भवनों, सडकों तथा रास्तों का निर्माण-

मूल	775.73			
		745.75	406.99	(-)338.76
पुनर्वि०	(-)29.98			

₹ 338.76 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 29.98 लाख की कमी भवनों, सडकों तथा रास्तों की मरम्मत व रखरखाव के कम निष्पादन होने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 338.76 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

101- वन संरक्षण, विकास और संपोषण-

01- वन चंकबंदी तथा सीमांकन-

मूल	148.00			
		30.94	13.40	(-)17.54
पुनर्वि०	(-)117.06			

मार्च 2024 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 117.06 लाख की कमी वनों का सीमांकन पूरा न होने, कांटेदार तार व वनों के सीमांकन के लिए बाड की कम खरीद तथा कार्यशालों व सेमिनारों का आयोजन न होने के कारण हुई।

02- वन पुर्नउत्पादन-

मूल	39.74			
		16.71	5.83	(-)10.88
पुनर्वि०	(-)23.03			

₹ 10.88 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 23.03 लाख की कमी वार्षिक योजना परियोजना में क्षेत्रीय पदाधिकारियों से मांग की प्राप्ति न होने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 10.88 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

03- एकीकृत वन संरक्षण योजना-

(i) मूल	30.00			
		11.48	11.48	..
पुनर्वि०	(-)18.52			

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

(ii) मूल	615.00			
		138.21	138.21	..
पुनर्वि०	(-)476.79			

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 495.31 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति हुई तथा केन्द्रीय हिस्सेदारी के अनुपात में राज्य की हिस्सेदारी जारी करने के कारण हुई।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-16 (क्रमशः)

04-	प्रबन्धादि योजना संस्थान-				
	मूल	75.00			
			63.74	7.35	(-)56.39
	पुनर्वि०	(-)11.26			
	₹ 56.39 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।				
08-	हिमाचल प्रदेश वन इको सिस्टम जलवायु प्रूफिंग परियोजना (बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना)-				
	मूल	3,441.00			
			3,014.44	1,987.97	(-)1,026.47
	पुनर्वि०	(-)426.56			
	₹ 1,026.47 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 426.56 लाख की कमी सामग्री की कम खरीद, मृदा संरक्षण, चेकडेम व जल संचयन प्रणाली सम्बन्धित कार्यों के कम निष्पादन, वृक्षरोपण व लैटाना हटाने के कार्य की कम मांग होने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।				
	₹ 1,026.47 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।				
11-	वन अग्नि प्रबंधन योजना-				
	मूल	141.00			
			82.95	82.75	(-)0.20
	पुनर्वि०	(-)58.05			
	मार्च 2024 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 58.05 लाख की कमी अग्निशमन उपकरणों व सामग्री की खरीद न करने, रखरखाव कार्यों के निष्पादन न होने, सेमीनार, कार्यशाला व जागरूकता कार्यक्रमों के कम आयोजन होने के कारण हुई।				
102-	सामाजिक तथा कृषि वानिकी-				
34-	राज्य वन विकास अभिक्रम द्वारा राष्ट्रीय वनरोपण कार्यक्रम का कार्यान्वयन-				
(i)	मूल	1.00			
			..	..	..
	पुनर्वि०	(-)1.00			
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(ii)	मूल	19.00			
			..	..	..
	पुनर्वि०	(-)19.00			
35-	राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन के अन्तर्गत कृषि-वानिकी मिशन-				
(iii)	मूल	1.00			
			..	..	..
	पुनर्वि०	(-)1.00			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-16 (क्रमशः)

केन्द्रीय प्रायोजित योजना					
(iv)	मूल	1.00			
	पुनर्वि०	(-)1.00			
उपरोक्त चार मामलों में ₹ 22.00 लाख के समस्त प्रावधान को पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने तथा इसलिए राज्य की हिस्सेदारी जारी न करने के कारण कम कर दिया गया।					
37-	स्त्रोत स्थिरता और जलवायु अनुकूल वर्षा सिंचित कृषि के लिए एकीकृत विकास परियोजना-				
	मूल	5,064.00			
	पूरक	4,500.00	9,531.54	9,482.08	(-)49.46
	पुनर्वि०	(-)32.46			
₹ 49.46 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 32.46 लाख की कमी पेशेवरों की कम नियुक्ति, सामग्री की कम खरीद तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।					
₹ 49.46 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।					
39-	प्रायोगिक वन संस्कृति कटाई-				
	मूल	217.00			
			206.08	20.70	(-)185.38
	पुनर्वि०	(-)10.92			
₹ 185.38 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।					
40-	अतिरिक्त वनवर्धन संचालन-				
	मूल	75.00			
	पुनर्वि०	(-)75.00			
मार्च 2024 में ₹ 75.00 लाख के समस्त प्रावधान को अभ्यर्पण द्वारा लघु कार्यों के निष्पादन न होने, सामग्री की खरीद न होने तथा सेमिनारों व कार्यशालाओं के आयोजन न होने के कारण कम कर दिया गया।					
42-	हरित भारत के लिए राष्ट्रीय अभियान-				
(i)	मूल	125.00			
	पुनर्वि०	(-)125.00			
केन्द्रीय प्रायोजित योजना					
(ii)	मूल	1,123.00			
	पुनर्वि०	(-)1,123.00			
उपरोक्त दो मामलों में ₹ 1,248.00 लाख के समस्त प्रावधान को भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने तथा इसलिए राज्य की हिस्सेदारी जारी न करने के कारण कम कर दिया गया। जबकि क्रम संख्या (ii) पर ₹ 103.33 लाख का अनुदान भारत सरकार से प्राप्त हुआ।					

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-16 (क्रमशः)

43-	विभागीय राज्य वानिकी कार्यक्रम-				
	मूल	2,510.00			
			2,084.35	1,658.03	(-)426.32
	पुनर्वि०	(-)425.65			
	₹ 426.32 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 425.65 लाख की कमी लघुकार्यों पर कम व्यय तथा सामग्री की कम खरीद होने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।				
	₹ 426.32 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।				
44-	सामूदायिक राज्य वानिकी कार्यक्रम-				
	मूल	1.00			
			..	..	..
	पुनर्वि०	(-)1.00			
	मार्च 2024 में ₹ 1.00 लाख के समस्त प्रावधान को सहभागी वन कार्यक्रम के अंतर्गत पौधारोपण व वितरण कार्यों के निष्पादन न होने के कारण कम कर दिया गया।				
45-	नगर वन योजना-				
(i)	मूल	1.00			
			..	..	..
	पुनर्वि०	(-)1.00			
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(ii)	मूल	1.00			
			..	..	..
	पुनर्वि०	(-)1.00			
	उपरोक्त दो मामलों में ₹ 2.00 लाख के समस्त प्रावधान को पुनर्विनियोजन द्वारा भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण तथा इसलिए राज्य की हिस्सेदारी जारी न करने के कारण कम कर दिया गया।				
105-	वन उत्पाद -				
01-	सरकारी एजेंसी के माध्यम से लकड़ी तथा अन्य पदार्थ ले जाना-				
	मूल	69.37			
			65.92	51.75	(-)14.17
	पुनर्वि०	(-)3.45			
	₹ 14.17 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।				
02-	ग्राहकों तथा उपभोक्ताओं द्वारा लकड़ी तथा अन्य पदार्थ ले जाना-				
	मूल	22.48			
			5.50	4.46	(-)1.04
	पुनर्वि०	(-)16.98			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-16 (क्रमशः)

मार्च 2024 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 16.98 लाख की कमी लकड़ी के ढ़ेरो के चिहनांकन तथा उनके परिवहन पर कम व्यय होने के कारण हुई।

05-	शटल एवं बॉबिन फैक्ट्री की स्थापना-				
	मूल	20.00			
			18.00	12.39	(-)5.61
	पुनर्वि०	(-)2.00			

₹ 5.61 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

07-	चीड़ की पत्तियों का जंगलों से सकंलन तथा इस पर आधारित उद्योगों में निवेश हेतु उपदान-				
	मूल	37.00			
			6.25	6.25	..
	पुनर्वि०	(-)30.75			

मार्च 2024 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 30.75 लाख की कमी पात्रता के लिए मानदंड को पूरा न करने, लाभार्थियों को उपदान जारी न करने, सामग्री की खरीद न करने तथा रखरखाव कार्यों के निष्पादन न होने के कारण हुई।

02-	पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव-				
110-	वन्य जीव संरक्षण-				
01-	वन्य जीवन-				
	मूल	1,345.00			
			1,347.50	1,286.08	(-)61.42
	पुनर्वि०	2.50			

₹ 61.42 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

10-	राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभयारण्यों के विकास हेतु सहायता-				
(i)	मूल	33.00			
			6.68	6.68	..
	पुनर्वि०	(-)26.32			
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(ii)	मूल	435.00			
			60.10	60.10	..
	पुनर्वि०	(-)374.90			

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 401.22 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति होने तथा इसलिए राज्य की हिस्सेदारी अप्रयुक्त रहने के कारण हुई। जबकि क्रम संख्या (ii) पर ₹ 79.61 लाख का अनुदान भारत सरकार से प्राप्त हुआ।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-16 (क्रमशः)

111-	चिडियाघर-				
01-	हिमालयन प्राणी उप वन विकास-				
	मूल	461.00			
			465.79	370.99	(-)94.80
	पुनर्वि०	(-)4.79			
	₹ 94.80 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।				
03-	चिडियाघरों की स्थापना-				
	मूल	3,949.00			
			..	..	..
	पुनर्वि०	(-)3,949.00			
	मार्च 2024 में ₹ 3,949.00 लाख के समस्त प्रावधान को पुनर्विनियोजन द्वारा हिमाचल प्रदेश चिडियाघर संरक्षण के माध्यम से नए चिडियाघर की स्थापना के कार्यों का निष्पादन न होने के कारण कम कर दिया गया।				
04-	वनीकरण एवं पारिस्थितिकी विकास-				
103-	राज्य क्षतिपूरक वनारोपण-				
01-	प्रतिपूरक वनीकरण-				
	मूल	1,686.67			
			1,510.42	1,404.67	(-)105.75
	पुनर्वि०	(-)176.25			
	₹ 105.75 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 176.25 लाख की कमी लघु कार्यों के कम निष्पादन, सामग्री की कम खरीद तथा रखरखाव कार्यों के कम निष्पादन के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।				
	₹ 105.75 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।				
02-	जलग्रहण क्षेत्र उपचार योजना-				
	मूल	1,613.33			
			1,409.80	803.66	(-)606.14
	पुनर्वि०	(-)203.53			
	₹ 606.14 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 203.53 लाख की कमी परिचालन प्रभारों के कम भुगतान, कार्यशालाओं व सेमीनारों के कम आयोजन तथा किराए के वाहन पर कम व्यय होने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।				
	₹ 606.14 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।				
03-	एकीकृत वन्य जीवन प्रबंधन योजना-				
	मूल	1,213.67			
			992.99	661.40	(-)331.59
	पुनर्वि०	(-)220.68			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-16 (क्रमशः)

₹ 331.59 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 220.68 लाख की कमी चैकडैम, वन रक्षको की झोपड़ियों व पौधारोपण की सामग्री की कम खरीद, शिकारियों के खिलाफ नियुक्ति तथा प्रशिक्षण व जागरूकता कार्यक्रमों के कम आयोजन होने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 331.59 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

04- वन भूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य-

मूल	6,306.67			
		5,456.49	3,194.20	(-)2,262.29
पुनर्वि०	(-)850.18			

₹ 2,262.29 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 850.18 लाख की कमी सामग्री की कम खरीद, लघु कार्यों पर कम व्यय तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम व शिवरों का कम आयोजन करने से हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 2,262.29 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

05- ब्याज-

मूल	172.33			
पूरक	0.01	93.45	83.59	(-)9.86
पुनर्वि०	(-)78.89			

मार्च 2024 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 78.89 लाख की कमी प्रशिक्षण कार्यक्रमों व जागरूकता शिवरों के कम आयोजन, किराया, दर व टैक्स के बिलों की प्राप्ति न होने तथा परिचालन प्रभारों व अन्य आकस्मिकताओं के कम भुगतान के कारण हुई।

(vi) उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक	आधिक्य (+)
		व्यय	बचत (-)
		(₹ लाख में)	

2402- भू तथा जल संरक्षण-

102- मृदा संरक्षण-

12- सुरक्षात्मक वनीकरण "मृदा संरक्षण और प्रदर्शन (वन विभाग)"-

मूल	500.00			
		760.61	752.13	(-)8.48
पुनर्वि०	260.61			

मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 260.61 लाख का आवर्धन वेतनमानों में संशोधन होने के कारण हुआ जोकि पुराने पौधारोपण क्षेत्र के जलने तथा रखरखाव कार्यों के कम निष्पादन से हुई बचत से अंशतः प्रतिसंतुलित हुआ।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-16 (क्रमशः)

2406- वानिकी और वन्य जीवन-

01- वानिकी-

101- वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण-

10- हिमाचल प्रदेश वन पारिस्थितिकीय प्रबंधन और
जीव विज्ञान सुधार परियोजना-

मूल 3,620.00

पूरक 1,235.98

5,995.00

6,141.22

(+)146.22

पुनर्वि0 1,139.02

₹ 146.22 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,139.02 लाख का आवर्धन हिमाचल प्रदेश वन पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन और आजीविका में सुधार करने के कारण हुआ जोकि रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई बचत से अशतः प्रतिसंतुलित हुआ जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

₹ 146.22 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

02- पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव-

110- वन्य जीव संरक्षण-

11- प्रोजेक्ट हाथी-

(i) पुनर्वि0 2.18

2.18

2.18

..

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

(ii) पुनर्वि0 19.61

19.61

19.61

..

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा बिना प्रावधान के ₹ 21.79 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति से तथा केन्द्रीय हिस्सेदारी के अनुपात में राज्य की हिस्सेदारी जारी करने के कारण हुआ। निधियों को मूल/पूरक बजट अनुमानों से प्राप्त किया जाना चाहिए था। बिना बजट प्रावधान पुनर्विनियोजन करना अनुचित एवं हिमाचल प्रदेश के बजट नियमावली के पैरा 12.5 का उल्लंघन था।

111- चिडियाघर-

02- हिमाचल प्रदेश चिडियाघर संरक्षण एवं बीडिंग

सोसायटी को सहायता अनुदान-

मूल 110.00

4,059.00

872.30

(-)3,186.70

पुनर्वि0 3,949.00

₹ 3,186.70 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 3,949.00 लाख का आवर्धन जिला कांगड़ा के बनखंडी में चिडियाघर स्थापित करने के लिए बजट आश्वासन पूरा करने के कारण हुआ जोकि अत्याधिक सिद्ध हुआ।

₹ 3,186.70 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-16 (क्रमशः)

(vii) प्रभारित विनियोजन में आधिक्य मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य (+) बचत (-)
-------	------------	------------------------------	-----------------------

2406- वानिकी तथा वन्य जीवन-

01- वानिकी-

001- निदेशन तथा प्रशासन-

02- परिमण्डल/मण्डलीय स्थापना-

पूरक	1.50	1.50	3.60	(+)2.10
------	------	------	------	---------

₹ 2.10 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

पूँजीगत प्रवर्ग

(viii) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य (+) बचत (-)
-------	------------	------------------------------	-----------------------

4216- आवास पर पूँजीगत परिव्यय-

01- सरकारी आवासीय भवन-

700- अन्य आवास-

10- वानिकी के अंतर्गत भवन निर्माण-

(i) मूल	500.00			
		174.73	110.52	(-)64.21
पुनर्वि०	(-)325.27			

4406- वानिकी तथा वन्य जीवन पर पूँजीगत परिव्यय-

01- वानिकी-

070- संचार तथा भवन-

01- सडकें तथा पुल-

(ii) मूल	200.00			
		158.10	71.45	(-)86.65
पुनर्वि०	(-)41.90			

02- भवन-

(iii) मूल	677.00			
		281.24	108.80	(-)172.44
पुनर्वि०	(-)395.77			

उपरोक्त तीन मामलों में ₹ 323.30 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 762.94 की कमी संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-16 (क्रमशः)

उपरोक्त तीन मामलों में ₹ 323.30 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

02- पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीवन-

110- वन्य जीवन-

03- वन्य जीवन-

पूरक	11.00	11.00	..	(-)11.00
------	-------	-------	----	----------

₹ 11.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

111- चिडियाघर-

01- चिडियाघर के अंतर्गत भवन-

मूल	11.00			
		8.28	5.52	(-)2.76

पुनर्वि0 (-)2.72

₹ 2.76 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 2.72 लाख की कमी संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 2.76 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

(ix) राज्य प्रतिपूरक वनीकरण कोष (एस0सी0ए0एफ0)

हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने वर्ष 2016 में राज्य प्रतिपूरक वनीकरण निधि (एस0सी0ए0एफ0) की स्थापना की जिसे राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित किया जाता है तथा 2 जुलाई, 2009 के दिशा निर्देशों की अनुपालना में निधि का नियंत्रण राज्य में गठित राज्य प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण द्वारा प्रबंधित किया जाता है। प्रतिपूरक वनीकरण निधि अधिनियम 2016 की धारा 3(4) में दिये गये प्रावधानों के अनुसार उपयोगकर्ता अभिकरण/एजेंसी से प्राप्त दस प्रतिशत की राशि जिसे सीधे प्रति वर्ष राज्य निधि में जमा किया जायेगा और राष्ट्रीय निधि में स्थानान्तरित किया जायेगा।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-16 (समाप्त)

हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार के अधिनियम 2016 के अनुसार मुख्य शीर्ष 8121- सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियां के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा राज्य प्रतिपूरक वनीकरण निधि का गठन किया गया। 1 अप्रैल 2023 तक राज्य प्रतिपूरक वनीकरण निधि में ₹ 1,56,668.29 लाख कुल अथ शेष था। वर्ष 2023-24 के दौरान राज्य सरकार द्वारा मुख्य शीर्ष 8121- सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियां, 129-राज्य प्रतिपूरक वनीकरण निधि के अन्तर्गत ₹ 30,829.70 लाख प्राप्त हुए। वर्ष 2023-24 के दौरान प्रतिपूरक वनीकरण की विभिन्न गतिविधियों पर ₹ 6,154.86 लाख व्यय किये गये। 1 अप्रैल, 2023 को अथशेष पर कुल प्राप्त ब्याज की राशि ₹ 5,403.34 लाख है। 31 मार्च 2024 को राज्य प्रतिपूरक वनीकरण निधि में ₹ 1,86,746.46 लाख है। (निधि के संचालन के विस्तृत विवरण के लिए वर्ष 2023-24 के वित्त लेखों के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 8121- सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियाँ, 129-राज्य प्रतिपूरक वनीकरण निधि की विवरणी क्रमांक 21 का अवलोकन करें)।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 17- निर्वाचन

(शीर्ष- 2015-निर्वाचन, 2059-लोक निर्माण कार्य, 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं और 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय)

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य (+) बचत (-)
राजस्व प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	39,19,87			
		77,64,47	76,44,57	(-)1,19,90
पूरक	38,44,60			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)				1,06,81
पूंजीगत प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	75,00			
		75,00	75,00	..
पूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..

टिप्पणियाँ तथा अभ्युक्तियाँ

- (i) राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 119.90 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से फरवरी 2024 में प्राप्त ₹ 3,844.60 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ तथा ₹ 106.81 लाख का अभ्यर्पण अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

राजस्व प्रवर्ग

- (ii) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य (+) बचत (-)
2015- निर्वाचन -			
102- निर्वाचन अधिकारी-			
01- मुख्य निर्वाचन अधिकारी तथा कर्मचारी-			
मूल	2,196.42		
पूरक	24.22	2,118.12	2,111.83
पुनर्वि0	(-)102.52		(-)6.29

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-17 (समाप्त)

मार्च 2024 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 102.52 लाख की कमी बकाया राशी के भुगतान के लिए निधियों को जारी न करने के कारण हुई।

105- संसद के चुनाव कराने के लिए प्रभार-

01- संसदीय-

मूल	0.12			
पूरक	939.36	939.47	937.84	(-)1.63
पुनर्वि०	(-)0.01			

₹ 1.63 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतिक्षित थे (जुलाई 2024)।

(iii) उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्ष के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
		(₹ लाख में)	

2015- निर्वाचन-

101- निर्वाचन आयोग-

01- राज्य चुनाव आयोग-

मूल	180.60			
		179.06	198.80	(+)19.74
पुनर्वि०	(-)1.54			

₹ 19.74 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतिक्षित थे (जुलाई 2024)।

विनियोग लेखे

अनुदान संख्या- 18- उद्योग, खनिज, आपूर्ति एवं सूचना प्रौद्योगिकी

(शीर्ष- 2057-आपूर्ति तथा निपटान, 2059-लोक निर्माण कार्य, 2216-आवास, 2851- ग्रामीण तथा लघु उद्योग, 2852-उद्योग, 2853-अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग तथा 4851-ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय)

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य (+) बचत (-)
राजस्व प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	1,37,39,34			
		1,90,38,21	1,74,81,93	(-)15,56,28
पूरक	52,98,87			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)				1,84,56
पूंजीगत प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	5,62,00			
		5,62,00	70,61,89	(+)64,99,89
पूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..

टिप्पणियाँ तथा अभ्युक्तियाँ

- पूंजीगत प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 64,99,88,786 के आधिक्य का नियमन अपेक्षित है।
- राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 1,556.28 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से फरवरी 2024 में प्राप्त ₹ 5,298.87 लाख की अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुई तथा ₹ 184.56 लाख का अभ्यर्पण अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

राजस्व प्रवर्ग

- दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य (+) बचत (-)
2057- आपूर्ति एवं निपटान-			
101- खरीद-			
01- भण्डार खरीद संगठन की स्थापना-			
मूल	154.59		
		119.77	118.78
पुनर्वि0	(-)34.82		(-)0.99

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या- 18 (क्रमशः)

मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 34.82 लाख की कमी रिक्त पदों के न भरने के कारण हुई।

2059- लोक निर्माण कार्य-

01- कार्यालय भवन-

053- रखरखाव तथा मरम्मत-

16- उद्योग विभाग के भवनों का रखरखाव-

(i) मूल	45.00	45.00	29.73	(-)15.27
---------	-------	-------	-------	----------

2216- आवास-

05- सामान्य पूल आवास-

053- मरम्मत एवं रखरखाव-

01- अन्य रखरखाव व्यय-

(ii) मूल	3.00	3.00	0.50	(-)2.50
----------	------	------	------	---------

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 17.77 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

2851- ग्रामीण तथा लघु उद्योग-

003- प्रशिक्षण-

02- ग्रामीण इंजीनियरिंग आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम-

मूल	25.00			
-----	-------	--	--	--

पुनर्वि०	(-)25.00			
----------	----------	--	--	--

मार्च 2024 में ₹ 25.00 लाख के समस्त प्रावधान को पुनर्विनियोजन द्वारा लाभार्थियों से मांग की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया।

102- लघु उद्योग-

13- जिला उद्योग केंद्र-

मूल	2,006.79			
-----	----------	--	--	--

पूरक	137.50	2,174.75	2,053.06	(-)121.69
------	--------	----------	----------	-----------

पुनर्वि०	30.46			
----------	-------	--	--	--

₹ 121.69 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 30.46 लाख का आवर्धन कार्यालय भवन के किराये तथा मजदूरी के भुगतान के कारण हुआ जोकि अत्यधिक सिद्ध हुआ।

₹ 121.69 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

19- सूचना एवं प्रौद्योगिकी और ई-गवर्नेंस-

मूल	1,720.00			
-----	----------	--	--	--

पूरक	14.48	1,626.57	1,233.33	(-)393.24
------	-------	----------	----------	-----------

पुनर्वि०	(-)107.91			
----------	-----------	--	--	--

₹ 393.24 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 107.91 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने तथा कर्मचारियों को मानदेय का भुगतान न करने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या- 18 (क्रमशः)

₹ 393.24 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

23- आपदा जाखिम में कमी-

मूल	1.00	1.00	..	(-)1.00
-----	------	------	----	---------

₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

29- मुख्यमंत्री स्टार्ट-अप योजना के अन्तर्गत प्रोत्साहन-

मूल	269.00	269.00	134.83	(-)134.17
-----	--------	--------	--------	-----------

₹ 134.17 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

30- राष्ट्रीय बाँस मिशन-

(i) मूल 1.00

..

पुनर्वि0 (-)1.00

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

(ii) मूल 1.00

..

पुनर्वि0 (-)1.00

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 2.00 लाख के समस्त प्रावधान को पुनर्विनियोजन द्वारा लाभार्थियों से मांग की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया।

103- हथकरघा उद्योग-

01- हथकरघा और हस्तशिल्प उद्योग का विकास-

मूल	100.00	220.00	87.75	(-)132.25
-----	--------	--------	-------	-----------

पूरक	120.00			
------	--------	--	--	--

₹ 132.25 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

25- राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

मूल 1.00

..

पुनर्वि0 (-)1.00

मार्च 2024 में ₹ 1.00 लाख के समस्त प्रावधान को पुनर्विनियोजन द्वारा भारत सरकार द्वारा निधियों को सिधे लाभार्थियों के खाते में हस्तांतरित करने के कारण कम कर दिया गया।

27- हथकरघा एवं हस्तशिल्प का सामुहिक विकास-

मूल	1.00	1.00	..	(-)1.00
-----	------	------	----	---------

₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या- 18 (क्रमशः)

केन्द्रीय प्रायोजित योजना
मूल 1.00

पुनर्वि० (-)1.00

मार्च 2024 में ₹ 1.00 लाख के समस्त प्रावधान को पुनर्विनियोजन द्वारा भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया।

107- रेशम उत्पादन उद्योग-

01- रेशम उद्योग का विकास-

(i) मूल 892.09 892.09 758.22 (-)133.87

03- उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम हेतु सहायता-

(ii) मूल 100.00 100.00 59.68 (-)40.32

111- बेरोजगार शिक्षित युवाओं के लिए रोजगार योजना-

01- मुख्यमंत्री स्वालम्बन योजना-

(iii) मूल 3,479.00 3,479.00 3,433.44 (-)45.56

2852- उद्योग-

80- सामान्य-

001- निदेशन तथा प्रशासन-

01- निदेशालय-

(iv) मूल 414.96 418.95 389.30 (-)29.65

पूरक 3.99

102- औद्योगिक उत्पादकता-

01- औद्योगिक क्षेत्रों का विकास एवं संवर्धन योजनाएं-

(v) मूल 80.21 159.65 81.44 (-)78.21

पूरक 76.85

पुनर्वि० 2.59

09- औद्योगिक इकाइयों को प्रोत्साहन-

(vi) मूल 600.00 600.00 465.23 (-)134.77

उपरोक्त छः मामलों में ₹ 462.38 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

2853- अलौह खनन तथा धातु उद्योग-

02- खानों का विनियमन तथा विकास-

102- खनिज खोज-

01- खनिज अन्वेषण स्टाफ और अन्य कार्य-

मूल 1,362.24 1,300.43 1,223.07 (-)77.36

पुनर्वि० (-)61.81

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या- 18 (क्रमशः)

₹ 77.36 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 61.81 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने तथा मजदूरी का कम भुगतान करने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 77.36 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

(iv) उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
		(₹ लाख में)	
2851- ग्रामीण तथा लघु उद्योग-			
103- हथकरघा उद्योग-			
25- राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम-			
मूल	1.00		
पूरक	1.76	4.76	4.76 ..
पुनर्वि०	2.00		
मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2.00 लाख का आवर्धन लाभार्थियों से मांग की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ।			

पूंजीगत प्रवर्ग

(v) दत्तमत अनुदान में आधिक्य मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अंतर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
		(₹ लाख में)	

4851- ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय-

101- औद्योगिक एस्टेट-

04- गतिशील योजना-

पुनर्वि०	5.00	5.00	6,600.00	(+)6,595.00
----------	------	------	----------	-------------

बिना मूल/अनुपूरक बजट अनुमानों के ₹ 6,595.00 लाख के सारभूत अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा बिना प्रावधान के ₹ 5.00 लाख का आवर्धन भारत सरकार द्वारा निधियों को जारी करने के कारण हुआ जोकि अनुचित सिद्ध हुआ। निधियों को मूल/अनुपूरक बजट अनुमानों से प्राप्त किया जाना चाहिए था। बिना बजट प्रावधान पुनर्विनियोजन करना अनुचित था एवं हिमाचल प्रदेश के बजट नियमावली के पैरा 12.5 का उल्लंघन था।

बिना मूल/अनुपूरक बजट अनुमानों के ₹ 6,595.00 लाख के सारभूत अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

(vi) उपरोक्त आधिक्य मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अंतर्गत हुई बचत से अंशतः प्रतिसंतुलित हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
		(₹ लाख में)	

4851-ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या- 18 (समाप्त)

102- लघु उद्योग-

10- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एम.एस.एम.ई.)
के लिए क्लस्टर विकास कार्यक्रम-

(i)	मूल	11.00	11.00	..	(-)11.00
-----	-----	-------	-------	----	----------

11- विभिन्न औद्योगिक पार्कों की स्थापना-

(ii)	मूल	5.00	5.00	..	(-)5.00
------	-----	------	------	----	---------

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 16.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

मूल	5.00
-----	------

..	..	..
----	----	----

पुनर्वि० (-)5.00

मार्च 2024 में ₹ 5.00 लाख के समस्त प्रावधान को पुनर्विनियोजन द्वारा भारत सरकार द्वारा निधियों को जारी न करने के कारण कम कर दिया गया।

107- रेशम उत्पादन उद्योग-

01- रेशम उद्योग का विकास-

मूल	100.00	100.00	45.72	(-)54.28
-----	--------	--------	-------	----------

₹ 54.28 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

विनियोग लेखे

अनुदान संख्या - 19- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता

(शीर्ष- 2059-लोक निर्माण-कार्य, 2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों एवं अल्पसंख्यकों का कल्याण, 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, 2236-पोषण, 4225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों एवं अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय, 4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय तथा 6225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों एवं अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए ऋण)

		कुल अनुदान/ विनियोजन	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य (+) बचत (-)
राजस्व प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	17,12,85,70			
		17,59,12,38	16,15,09,69	(-)1,44,02,69
पूरक	46,26,68			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)				1,05,04,23
प्रभारित				
मूल	..			
		88	..	(-)88
पूरक	88			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				...
पूंजीगत प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	26,23,00			
		28,43,62	27,01,62	(-)1,42,00
पूरक	2,20,62			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..

टिप्पणियाँ तथा अभ्युक्तियाँ

- (i) राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 14,402.69 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से फरवरी 2024 में प्राप्त ₹ 4,626.68 लाख की अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुई जबकि मूल अनुदान भी अप्रयुक्त रहा और ₹ 10,504.23 लाख का अभ्यर्पण अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 19-(क्रमशः)

- (ii) पूंजीगत प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 142.00 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से फरवरी 2024 में प्राप्त ₹ 220.62 लाख की अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुई तथा विभाग द्वारा वर्ष के दौरान कोई भी राशी अभ्यर्पित नहीं की गई।

राजस्व प्रवर्ग

- (iii) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य (+) बचत (-)
-------	------------	------------------------------	-----------------------

2059- लोक निर्माण-कार्य-

01- कार्यालय भवन-

053- रखरखाव तथा मरम्मत-

67- सरकारी आंगनबाड़ी केन्द्रों की मरम्मत-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना

मूल	33.00			
		9.00	8.99	(-)0.01
पुनर्वि०	(-)24.00			

मार्च 2024 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 24.00 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण हुई।

**2225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों,
पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण-**

01- अनुसूचित जातियों का कल्याण-

001- निदेशन तथा प्रशासन-

01- निदेशालय-

मूल	470.14			
		364.16	348.62	(-)15.54
पुनर्वि०	(-)105.98			

मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 105.98 लाख की कमी कार्यालय मदों की कम खरीद, रिक्त पदों को न भरने तथा विज्ञापन व प्रचार पर कम व्यय होने के कारण हुई।

02- अनुसूचित जातियों का कल्याण-

283- आवास-

01- गैर जनजातीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों
के लिए स्वर्ण जयंती आश्रय योजना-

मूल	105.00	105.00	83.25	(-)21.75
-----	--------	--------	-------	----------

₹ 21.75 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

03- पिछड़े वर्गों का कल्याण-

001- निदेशन तथा प्रशासन-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या- 19-(क्रमशः)

01-	पिछड़ा वर्ग आयोग-				
	मूल	144.42			
			119.26	118.41	(-)0.85
	पुनर्वि०	(-)25.16			
	मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 25.16 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, पिछड़ा वर्ग आयोग में अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति न करने तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति होने के कारण हुई।				
102-	आर्थिक विकास-				
01-	अन्य पिछड़ा वर्गों का आर्थिक विकास-				
	मूल	47.00			
			0.70	0.70	..
	पुनर्वि०	(-)46.30			
	मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 46.30 की कमी अनुबंध की दरों को अंतिम रूप न दिए जाने तथा प्रस्तावों की कम प्राप्ति होने के कारण हुई।				
02-	गुज्जर, लब्बाना, गद्दी जातियों के कल्याण हेतु गठित बोर्ड-				
	मूल	20.00			
			..	..	..
	पुनर्वि०	(-)20.00			
	मार्च 2024 में ₹ 20.00 लाख के समस्त प्रावधान को पुनर्विनियोजन द्वारा बोर्ड की बैठक आयोजन न होने, कार्यालय मदों की कम खरीद तथा यात्रा भत्तों पर कम व्यय होने के कारण कम कर दिया गया।				
04-	कंप्यूटर अनुप्रयोग प्रशिक्षण-				
	मूल	270.00			
			112.17	24.70	(-)87.47
	पुनर्वि०	(-)157.83			
	₹ 87.47 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 157.83 लाख की कमी नये पाठ्यक्रमों को शुरू करने में देरी होने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।				
	₹ 87.47 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।				
283-	आवास-				
01-	स्वर्ण जयंती आश्रय योजना-				
	मूल	245.00			
			244.50	186.75	(-)57.75
	पुनर्वि०	(-)0.50			
	₹ 57.75 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।				
04-	अल्पसंख्यकों का कल्याण-				
102-	आर्थिक विकास-				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 19-(क्रमशः)

01- प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम-

(i) मूल 1.00

..

पुनर्वि० (-)1.00

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

(ii) मूल 2,013.00

..

पुनर्वि० (-)2,013.00

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2024 में ₹ 2,014.00 लाख के समस्त प्रावधान को अभ्यर्पण द्वारा भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने तथा इसलिए राज्य की हिस्सेदारी भी कम करने के कारण कम कर दिया गया।

80- सामान्य-

190- सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों को सहायता-

01- अल्पसंख्यक विकास निगम को सहायता अनुदान-

मूल 1.00

..

पुनर्वि० (-)1.00

मार्च 2024 में ₹ 1.00 लाख के समस्त प्रावधान को पुनर्विनियोजन द्वारा रिक्त पदों को न भरने के कारण कम कर दिया गया।

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

मूल 400.00

359.95

359.95

..

पुनर्वि० (-)40.05

मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 40.05 लाख की कमी प्रस्तावों की कम प्राप्ति होने के कारण हुई।

2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-

01- पुनर्वास-

202- अन्य पुनर्वास योजनाएं-

02- कुष्ठ रोगियों का पुनर्वास-

मूल 210.00

142.73

142.73

..

पुनर्वि० (-)67.27

मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 67.27 लाख की कमी सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए आवेदन/प्रस्तावों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

05- शराब और नशीली दवाओं के लिए रोकथाम योजना-

मूल 63.00

35.39

35.39

..

पुनर्वि० (-)27.61

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या- 19-(क्रमशः)

मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 27.61 लाख की कमी गैर सरकारी संगठनों से प्रस्तावों की कम प्राप्ति होने के कारण हुई।

06-	मानसिक रोगी उपचारित हेतु पुर्नवास -				
	मूल	100.00			
			65.82	37.12	(-)28.70
	पुनर्वि०	(-)34.18			

₹ 28.70 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 34.18 लाख की कमी गैर सरकारी संगठनों से प्रस्तावों की कम प्राप्ति होने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 28.70 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

02-	समाज कल्याण-				
101-	विकलांगों का कल्याण-				
03-	विकलांगों का उत्थान-				
	मूल	546.00			
			487.84	461.23	(-)26.61
	पुनर्वि०	(-)58.16			

₹ 26.61 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 58.16 लाख की कमी विवाह अनुदान के लिए प्रस्तावों/मांगों की कम प्राप्ति तथा भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति होने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 26.61 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

	मूल	1.00			
			..	..	..
	पुनर्वि०	(-)1.00			

मार्च 2024 में ₹ 1.00 लाख के समस्त प्रावधान को पुनर्विनियोजन द्वारा भारत सरकार से निधियां प्राप्त न होने के कारण कम कर दिया गया।

06-	विकलांगों के लिए प्रचलित योजनाओं में				
	समन्वय तथा अतिरिक्त सहायता-				
	मूल	54.11			
			19.55	9.55	(-)10.00
	पुनर्वि०	(-)34.56			

मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 34.56 लाख की कमी क्षेत्रीय कार्यालयों से मांग की कम प्राप्त होने के कारण हुई।

102-	बाल कल्याण-				
01-	राज्य सामाजिक कल्याण सलाहकार				
	बोर्ड को सहायता अनुदान-				
	मूल	78.75	78.75	31.84	(-)46.91

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 19-(क्रमशः)

₹ 46.91 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

03- शिशु गृह-

मूल 330.00

पुनर्वि० (-)330.00

मार्च 2024 में ₹ 330.00 लाख के समस्त प्रावधान को योजना को निरस्त कर प्रावधान को अन्य योजना में स्थानांतरित करने के कारण कम कर दिया गया।

05- एकीकृत शिशु कल्याण सेवाएं-

मूल 11,802.00

पूरक 533.24 8,663.25 8,464.39 (-)198.86

पुनर्वि० (-)3,671.99

₹ 198.86 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 3,671.99 लाख की कमी रिक्त पदों के न भरने, सामग्री व मदों की कम खरीद, बैठकों का कम आयोजन तथा केन्द्रीय हिस्सेदारी के अनुपात में राज्य की हिस्सेदारी जारी करने के कारण हुई जोकि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं के प्रीमियम के भुगतान करने के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 198.86 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

मूल 21,018.00

पूरक 0.02 14,261.72 14,204.32 (-)57.40

पुनर्वि० (-)6,756.30

₹ 57.40 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 6,756.30 लाख की कमी रिक्त पदों के न भरने, भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति तथा सामग्री व वस्तुओं की कम खरीद होने के कारण हुई जोकि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं के प्रीमियम के भुगतान के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 57.40 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

13- बेटा है अनमोल-

(i) मूल 856.00 856.00 792.72 (-)63.28

15- एकीकृत शिशु संरक्षण योजना के अन्तर्गत

शहरी तथा अर्ध शहरी क्षेत्रों में आगम एवं

गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा संचालित शिशु घर-

(ii) मूल 384.00

383.00 329.70 (-)53.30

पुनर्वि० (-)1.00

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2024 में ₹ 116.58 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 19-(क्रमशः)

केन्द्रीय प्रायोजित योजना					
	मूल	1,244.00			
			1,176.70	884.67	(-)292.03
	पुनर्वि०	(-)67.30			
₹ 292.03 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 67.30 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति होने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।					
₹ 292.03 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।					
21-	राजीव गांधी राष्ट्रीय शिशु सदन योजना-				
(i)	मूल	38.00	38.00	..	(-)38.00
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(ii)	मूल	106.00	106.00	..	(-)106.00
उपरोक्त दो मामलों में ₹ 144.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।					
23-	बाल पोषाहार-				
	मूल	1,974.00	1,974.00	1,644.19	(-)329.81
₹ 329.81 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।					
24-	लड़कियों की शादी के लिए अनुदान-				
	मूल	1,972.00			
			1,397.27	1,148.86	(-)248.41
	पुनर्वि०	(-)574.73			
₹ 248.41 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 574.73 लाख की कमी शगुन योजना के तहत लाभार्थियों से आवेदनों की कम प्राप्ति होने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।					
₹ 248.41 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।					
25-	मुख्यमंत्री बाल सुपोषण योजना-				
	मूल	66.00			
			..	..	..
	पुनर्वि०	(-)66.00			
मार्च 2024 में ₹ 66.00 लाख के समस्त प्रावधान को पुनर्विनियोजन द्वारा योजना के क्रियान्वयन न होने के कारण कम कर दिया गया।					
103-	महिला कल्याण-				
05-	राज्य महिला आयोग-				
(i)	मूल	110.42	110.42	66.20	(-)44.22
07-	राजीव गांधी योजना के अन्तर्गत किशोरियों के पोषाहार-				
(ii)	मूल	13.00	13.00	7.30	(-)5.70

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 19-(क्रमशः)

	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(iii)	मूल	132.00	132.00	72.92	(-)59.08
15-	मदर टेरेसा मातृ आश्रय संबल योजना-				
(iv)	मूल	658.00	658.00	637.68	(-)20.32
17-	मुख्यमंत्री कन्यादान योजना-				
(v)	मूल	792.00			
			788.56	609.65	(-)178.91
	पुनर्वि०	(-)3.44			
	उपरोक्त पांच मामलों में ₹ 308.23 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।				
22-	पोषण अभियान-				
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
	मूल	2,177.00			
	पूरक	0.01	2,006.05	1,987.74	(-)18.31
	पुनर्वि०	(-)170.96			
	मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 170.96 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, बिजली व पानी प्रभावों पर कम व्यय होने के कारण हुई।				
23-	सक्षम गुडिया बोर्ड-				
	मूल	16.55	16.55	10.53	(-)6.02
	₹ 6.02 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।				
29-	नारी अदालत-				
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
	मूल	1.00	1.00	..	(-)1.00
	₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।				
30-	शक्ति सदन-				
	मूल	64.00			
			4.01	3.99	(-)0.02
	पुनर्वि०	(-)59.99			
	मार्च 2024 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 59.99 लाख की कमी केन्द्रीय हिस्सेदारी के अनुपात में राज्य की हिस्सेदारी जारी करने के कारण हुई।				
31-	सखी निवास-				
(i)	मूल	2.00	2.00	..	(-)2.00
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
	मूल	100.00	100.00	..	(-)100.00
(ii)	उपरोक्त दो मामलों में ₹ 102.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 19-(क्रमशः)

32-	महिला सशक्तिकरण केन्द्र- केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
	मूल	258.00			
	पूरक	16.60	203.63	200.48	(-)3.15
	पुनर्वि०	(-)70.97			
	मार्च 2024 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 70.97 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने तथा भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति के कारण हुई।				
35-	महिला विकास निगम-				
	मूल	75.00	75.00	..	(-)75.00
	₹ 75.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।				
36-	महिला विकास निगम-				
	मूल	1,200.00			
			..	..	..
	पुनर्वि०	(-)1,200.00			
	मार्च 2024 में ₹ 1,200.00 लाख के समस्त प्रावधान को अभ्यर्पण द्वारा संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण कम कर दिया गया।				
107-	स्वैच्छिक संगठनों को सहायता-				
02-	अन्य ऐच्छिक संस्थाओं को अनुदान-				
	मूल	227.36	227.36	94.05	(-)133.31
	₹ 133.31 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।				
04-	परिवार सहायता-				
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
	मूल	309.00			
			135.40	135.40	..
	पुनर्वि०	(-)173.60			
	मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 173.60 लाख की कमी लाभार्थियों से आवेदनों की कम प्राप्ति के कारण हुई।				
08-	अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक मामले विभाग के अंतर्गत अन्य स्वैच्छिक संस्थाओं को अनुदान-				
	मूल	175.00			
			232.00	171.07	(-)60.93
	पुनर्वि०	57.00			
	₹ 60.93 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 57.00 लाख का आवर्धन वृद्धाश्रम चलाने वाले स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान जारी करने के कारण हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ।				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 19-(क्रमशः)

₹ 60.93 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

09-	वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना- केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
	मूल	1.00			
			..	..	..
	पुनर्वि०	(-)1.00			
	मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1.00 लाख के समस्त प्रावधान को पुनर्विनियोजन द्वारा भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया।				
200-	अन्य कार्यक्रम-				
01-	दक्षता को बढ़ावा देकर रोजगार, बाह्य स्रोत द्वारा रोजगार प्रतिभूति-				
	मूल	1.00			
			..	..	..
	पुनर्वि०	(-)1.00			
	मार्च 2024 में ₹1.00 लाख के समस्त प्रावधान को पुनर्विनियोजन द्वारा प्रस्तावों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया।				
60-	अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम-				
102-	सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अन्तर्गत पेंशन-				
01-	सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अन्तर्गत वृद्धावस्था पेंशन-				
	मूल	63,011.00			
	पूरक	841.22	62,394.56	62,394.56	..
	पुनर्वि०	(-)1,457.66			
	मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,457.66 लाख की कमी भारतीय डाक विभाग के साथ समझौता ज्ञापन का विस्तार न करने, मृत्यु या अपात्रता के कारण डाक विभाग से पेंशनभोगियों की पेंशन निधि वापस आने के कारण विभाग द्वारा कम निकासी करने के कारण हुई।				
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
	मूल	3,094.00			
			3,004.00	3,004.00	..
	पुनर्वि०	(-)90.00			
	मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 90.00 लाख की कमी भारतीय डाक विभाग के साथ समझौता ज्ञापन में विस्तार न होने के कारण हुई।				
02-	सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अन्तर्गत विधवा पेंशन-				
	मूल	13,802.00			
	पूरक	145.41	13,705.24	13,705.24	..
	पुनर्वि०	(-)242.17			

विनियोग लेखे

अनुदान संख्या - 19-(क्रमशः)

मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 242.17 लाख की कमी भारतीय डाक विभाग के साथ समझौता ज्ञापन में विस्तार न होने, मृत्यु या अपात्रता के कारण डाक विभाग से पेंशनभोगियों की पेंशन निधि वापस आने के कारण विभाग द्वारा कम निकासी करने के कारण हुई।

03- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना

(i)	मूल	689.00			
			669.00	669.00	..
	पुनर्वि०	(-)20.00			

04- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना-

(ii)	मूल	8,510.00			
			8,382.50	8,382.50	..
	पुनर्वि०	(-)127.50			

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 147.50 लाख की कमी भारतीय डाक विभाग के साथ समझौता ज्ञापन में विस्तार न होने के कारण हुई।

06- सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अन्तर्गत
ट्रांसजेंडर को पेंशन-

	मूल	15.00			
			1.20	1.20	..
	पुनर्वि०	(-)13.80			

मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 13.80 लाख की कमी सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए आवेदनों की कम प्राप्ति होने के कारण हुई।

104- निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना-
सरकारी भविष्य निधि-

01- जमा से सम्बंध बीमा योजना
के अन्तर्गत देय राशि-

	मूल	220.00	220.00	121.80	(-)98.20
--	-----	--------	--------	--------	----------

₹ 98.20 लाख की अंतिम बचत अनुमान से कम मामले प्राप्त होने के कारण हुई।

200- अन्य कार्यक्रम-

12- सरकारी कर्मचारियों के परिवारों को अनुग्रहित भुगतान-

	मूल	600.00			
	पूरक	200.00	798.39	724.23	(-)74.16
	पुनर्वि०	(-)1.61			

₹ 74.16 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

800- अन्य व्यय-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या- 19-(क्रमशः)

06-	वित्त विभाग के पास आरक्षित निधि के पेंशनर्स-				
	मूल	5,761.00			
	पुनर्वि०	(-)5,761.00			
	मार्च 2024 में ₹ 5,761.00 लाख के समस्त प्रावधान को पुनर्विनियोजन द्वारा विभिन्न विभागों को निधियों के हस्तांतरण करने के कारण कम कर दिया गया।				
77-	निदेशालय ऊर्जा के पेंशनर्स-				
	मूल	1.74	1.74	..	(-)1.74
	₹ 1.74 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।				
88-	कर्मचारी चयन बोर्ड के पेंशनर्स-				
	मूल	0.23			
			2.23	0.06	(-)2.17
	पुनर्वि०	2.00			
	₹ 2.17 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2.00 लाख का आवर्धन सेवानिवृत्त कर्मचारियों से चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ।				
	₹ 2.17 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।				
91-	आश्रमों का पुर्नद्धार-				
	मूल	50.00	50.00	1.20	(-)48.80
	₹ 48.80 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।				
92-	हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक प्राधिकरण के पेंशनर्स-				
	मूल	1.50	1.50	..	(-)1.50
	₹ 1.50 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।				
2236-	पोषण-				
02-	पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण-				
101-	विशेष पोषण कार्यक्रम-				
05-	पोषाहार योजना-				
(i)	मूल	520.00	520.00	454.79	(-)65.21
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(ii)	मूल	4,679.00	4,679.00	4,063.04	(-)615.96
	उपरोक्त दो मामलों में ₹ 681.17 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।				
(iv)	उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्ष के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसन्तुलित हुई:-				
	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)	बचत (-)
					(₹ लाख में)
2225-	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण-				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या- 19-(क्रमशः)

80-	सामान्य-				
800-	अन्य व्यय-				
01-	सिविल सेवा कोचिंग के लिए सहायता-				
	मूल	5.00			
			15.00	15.00	..
	पुनर्वि०	10.00			

मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 10.00 लाख का आवर्धन सिविल सेवाओं की कोचिंग के अधिक मामले प्राप्त होने के कारण हुआ।

2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-

01-	पुनर्वास-				
202-	अन्य पुनर्वास योजनाएँ-				
05-	शराब तथा नशीली दवा के लिए रोकथाम योजना- केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
	मूल	2.00			
			246.55	245.55	(-)1.00
	पुनर्वि०	244.55			

मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 244.55 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति होने के कारण हुआ।

02-	सामाजिक कल्याण-				
102-	बाल कल्याण-				
11-	आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं/सहायिकाओं को मानदेय-				
	मूल	11,974.00			
			12,458.26	12,324.16	(-)134.10
	पुनर्वि०	484.26			

₹ 134.10 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 484.26 लाख का आवर्धन आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/सहायिकाओं के मानदेय में संशोधन करने के कारण हुआ जोकि अत्यधिक सिद्ध हुआ।

₹ 134.10 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

20-	बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ-				
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
	मूल	1.00			
			280.39	280.39	..
	पुनर्वि०	279.39			

मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 279.39 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या- 19-(क्रमशः)

27-	मिशन वात्सल्य के अंतर्गत गैर-संस्थागत देखभाल- प्रायोजन/पातृक देखभाल/पश्चात देखभाल- पूरक	0.01	21.42	21.42	..
	पुनर्वि०	21.41			
	मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 21.41 लाख का आवर्धन केन्द्रीय हिस्सेदारी के अनुपात में राज्य की हिस्सेदारी जारी करने के कारण हुई।				
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना पूरक	0.01	192.74	192.74	..
	पुनर्वि०	192.73			
	मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 192.73 लाख का आवर्धन पृथक राज्य संबद्ध योजना बनाने तथा भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति होने के कारण हुआ।				
28-	चाइल्ड हेल्पलाइन- केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(i)	पूरक	0.02	119.15	119.15	..
	पुनर्वि०	119.13			
103-	महिला कल्याण-				
19-	प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना- केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(ii)	मूल	122.00	785.89	785.89	..
	पुनर्वि०	663.89			
	उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 783.02 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति होने के कारण हुआ।				
22-	पोषण अभियान-				
	मूल	64.00			
	पूरक	0.01	238.96	220.33	(-)18.63
	पुनर्वि०	174.95			
	₹ 18.63 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 174.95 लाख का आवर्धन केन्द्रीय हिस्सेदारी के अनुपात में राज्य की हिस्सेदारी जारी करने तथा जागरूकता संबंधी गतिविधियों के विज्ञापन पर अधिक व्यय होने के कारण हुआ जोकि अत्यधिक सिद्ध हुआ।				
	₹ 18.63 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या- 19-(क्रमशः)

27-	महिला हेल्पलाइन-				
	मूल	1.00			
			20.00	20.00	..
	पुनर्वि०	19.00			
	मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 19.00 लाख का आवर्धन महिला सहायता सेवा की स्थापना के लिए भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति होने के कारण हुआ।				
28-	वन स्टॉप सेंटर-				
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(i)	मूल	1.00			
			403.30	403.15	(-)0.15
	पुनर्वि०	402.30			
30-	शक्ति सदन-				
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(ii)	मूल	11.00			
			35.95	35.95	..
	पुनर्वि०	24.95			
	उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 427.25 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति होने के कारण हुआ।				
33-	मातृत्व लाभ कार्यक्रम-				
	पूरक	0.01			
			64.39	64.39	..
	पुनर्वि०	64.38			
	मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 64.38 लाख का आवर्धन केन्द्रीय हिस्सेदारी के अनुपात में राज्य की हिस्सेदारी जारी करने के कारण हुआ।				
104-	वृद्ध, अशक्त तथा निस्सहाय व्यक्तियों का कल्याण-				
01-	मुख्यमंत्री सुख आश्रय कोष हेतु अनुदान-				
	मूल	197.00			
	पूरक	2,868.24	6,383.60	6,383.10	(-)0.50
	पुनर्वि०	3,318.36			
	मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 3,318.36 लाख का आवर्धन योजना की स्थापना के लिए अधिक व्यय होने के कारण हुआ।				
02-	मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना-				
	पूरक	0.11			
			1,225.60	828.86	(-)396.74
	पुनर्वि०	1,225.49			
	₹ 396.74 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,225.49 लाख का आवर्धन अनाथ बच्चों की आवश्यकताओं जैसे गुणवत्तापूर्ण भोजन, बाल				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या- 19-(क्रमशः)

कल्याण परिषद के देयता राशन व बिस्तर आदि को पूरा करने तथा बाह्य स्रोत स्टाफ के वेतन पर अधिक व्यय होने के कारण हुआ जोकि अत्यधिक सिद्ध हुआ।

₹ 396.74 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

60-	अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम-				
105-	सरकारी कर्मचारी बीमा योजना-				
02-	सरकारी कर्मचारियों के लिए सूचक समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना-				
	मूल	190.00	190.00	432.88	(+)242.88

₹ 242.88 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

800-	अन्य व्यय-				
03-	सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग के पेंशनर-				
	मूल	305.81			
			870.81	841.13	(-)29.68
	पुनर्वि०	565.00			

₹ 29.68 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 565.00 लाख का आवर्धन चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की अधिक प्राप्ति होने के कारण हुआ जोकि अत्यधिक सिद्ध हुआ।

₹ 29.68 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

04-	आर्थिक और सांख्यिकी विभाग के पेंशनर-				
(i)	मूल	17.47			
			31.47	31.47	..
	पुनर्वि०	14.00			
05-	कोष एवं लेखा विभाग के पेंशनर-				
(ii)	मूल	43.67			
			114.32	114.22	(-)0.10
	पुनर्वि०	70.65			
07-	मत्स्य विभाग के पेंशनर-				
(iii)	मूल	8.73			
			21.73	21.63	(-)0.10
	पुनर्वि०	13.00			

उपरोक्त तीन मामलों में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 97.65 लाख का आवर्धन चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ।

08-	पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग के पेंशनर-				
	मूल	4.36			
			8.86	5.79	(-)3.07
	पुनर्वि०	4.50			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या- 19-(क्रमशः)

₹ 3.07 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 4.50 लाख का आवर्धन चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की अधिक प्राप्ति होने के कारण हुआ। जोकि अत्यधिक सिद्ध हुआ।

₹ 3.07 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

09-	सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता विभाग के पेंशनर-				
(i)	मूल	14.86			
			28.86	28.73	(-)0.13
	पुनर्वि०	14.00			
10-	नगर एवं ग्राम योजना विभाग के पेंशनर-				
(ii)	मूल	6.11			
			11.46	11.45	(-)0.01
	पुनर्वि०	5.35			
11-	तकनीकी शिक्षा विभाग के पेंशनर-				
(iii)	मूल	38.45			
			97.32	96.95	(-)0.37
	पुनर्वि०	58.87			
12-	कृषि विभाग के पेंशनर-				
(iv)	मूल	104.84			
			189.84	188.70	(-)1.14
	पुनर्वि०	85.00			
13-	मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग के पेंशनर-				
(v)	मूल	12.22			
			27.22	27.22	..
	पुनर्वि०	15.00			
14-	उद्यानप विभाग के पेंशनर-				
(vi)	मूल	31.46			
			140.96	139.31	(-)1.65
	पुनर्वि०	109.50			
15-	पशुपालन विभाग के पेंशनर-				
(vii)	मूल	104.84			
			189.84	189.77	(-)0.07
	पुनर्वि०	85.00			
16-	उद्योग विभाग के पेंशनर-				
(viii)	मूल	27.95			
			122.95	122.37	(-)0.58
	पुनर्वि०	95.00			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या- 19-(क्रमशः)

17-	खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के पेंशनर-				
(ix)	मूल	31.46			
			58.77	58.75	(-)0.02
	पुनर्वि०	27.31			
18-	परिवहन विभाग के पेंशनर-				
(x)	मूल	61.15			
			101.15	99.01	(-)2.14
	पुनर्वि०	40.00			
19-	उपभोक्ता फॉर्म के पेंशनर-				
(xi)	मूल	0.18			
			4.43	4.38	(-)0.05
	पुनर्वि०	4.25			
20-	जेल विभाग के पेंशनर-				
(xii)	मूल	10.49			
			21.49	21.49	..
	पुनर्वि०	11.00			
21-	गृह रक्षा विभाग के पेंशनर-				
(xiii)	मूल	13.98			
			41.98	41.96	(-)0.02
	पुनर्वि०	28.00			
22-	सैनिक कल्याण विभाग हमीरपुर के पेंशनर-				
(xiv)	मूल	0.87			
			3.67	3.66	(-)0.01
	पुनर्वि०	2.80			
23-	लोक संपर्क विभाग के पेंशनर-				
(xv)	मूल	26.21			
			45.21	45.21	..
	पुनर्वि०	19.00			
24-	हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान के पेंशनर-				
(xvi)	मूल	1.74			
			11.24	11.24	..
	पुनर्वि०	9.50			
26-	ग्रामीण विकास विभाग के पेंशनर-				
(xvii)	मूल	78.63			
			127.63	121.09	(-)6.54
	पुनर्वि०	49.00			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या- 19-(क्रमशः)

27-	सचिवालय प्रशासन विभाग के पेंशनर-				
(xviii)	मूल	174.75			
			356.33	354.14	(-)2.19
	पुनर्वि०	181.58			
28-	हिमाचल प्रदेश आवासीय आयुक्त, नई दिल्ली के पेंशनर-				
(xix)	मूल	2.61			
			17.61	16.26	(-)1.35
	पुनर्वि०	15.00			
29-	पंचायती राज विभाग के पेंशनर-				
(xx)	मूल	34.94			
			62.94	62.94	..
	पुनर्वि०	28.00			
30-	भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग के पेंशनर-				
(xxi)	मूल	2.78			
			10.78	10.78	..
	पुनर्वि०	8.00			
31-	पुलिस विभाग के पेंशनर-				
(xxii)	मूल	262.13			
			682.90	682.88	(-)0.02
	पुनर्वि०	420.77			
32-	विधानसभा के पेंशनर-				
(xxiii)	मूल	89.25			
			117.25	117.24	(-)0.01
	पुनर्वि०	28.00			
उपरोक्त तेइस मामलों में मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,339.93 लाख का आवर्धन चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ।					
33-	माध्यमिक उच्चतर शिक्षा विभाग के पेंशनर-				
	मूल	655.35			
			1,605.35	1,515.21	(-)90.14
	पुनर्वि०	950.00			
₹ 90.14 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 950.00 लाख का आवर्धन चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ जोकि अत्याधिक सिद्ध हुआ।					
₹ 90.14 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।					
34-	आयुर्वेद विभाग के पेंशनर-				
	मूल	34.94			
			184.94	184.12	(-)0.82
	पुनर्वि०	150.00			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 19-(क्रमशः)

मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 150.00 लाख का आवर्धन चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ।

35-	स्वास्थ्य विभाग के पेंशनर-				
	मूल	306.99			
			613.45	587.97	(-)25.48
	पुनर्वि०	306.46			
	₹ 25.48 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 306.46 लाख का आवर्धन चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ जोकि अत्याधिक सिद्ध हुआ।				
	₹ 25.48 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।				
36-	निर्वाचन विभाग के पेंशनर-				
(i)	मूल	5.76			
			16.76	16.55	(-)0.21
	पुनर्वि०	11.00			
37-	राज्यपाल सचिवालय के पेंशनर-				
(ii)	मूल	6.11			
			15.61	15.61	..
	पुनर्वि०	9.50			
38-	उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालयों के पेंशनर-				
(iii)	मूल	78.63			
			250.00	249.94	(-)0.06
	पुनर्वि०	171.37			
39-	लोक सेवा आयोग के पेंशनर-				
(iv)	मूल	6.97			
			29.97	29.97	..
	पुनर्वि०	23.00			
40-	भू-अभिलेख विभाग के पेंशनर-				
(v)	मूल	62.02			
			75.02	74.31	(-)0.71
	पुनर्वि०	13.00			
42-	श्रम एवं रोजगार विभाग के पेंशनर-				
(vi)	मूल	22.70			
			32.70	32.52	(-)0.18
	पुनर्वि०	10.00			
43-	स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग के पेंशनर-				
(vii)	मूल	1.74			
			15.24	15.23	(-)0.01
	पुनर्वि०	13.50			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 19-(क्रमशः)

44-	भू एकत्रीकरण के पेंशनर-				
(viii)	मूल	12.22			
			24.22	24.22	..
	पुनर्वि०	12.00			
46-	बंदोबस्त अधिकारी, धर्मशाला स्थित कांगड़ा के पेंशनर-				
(ix)	मूल	8.74			
			31.65	31.06	(-)0.59
	पुनर्वि०	22.91			
47-	अग्निशमन विभाग के पेंशनर-				
(x)	मूल	5.23			
			37.23	37.20	(-)0.03
	पुनर्वि०	32.00			
48-	अभियोजन विभाग के पेंशनर-				
(xi)	मूल	19.22			
			24.22	24.22	..
	पुनर्वि०	5.00			
49-	आबकारी एवं कराधान विभाग के पेंशनर-				
(xii)	मूल	34.94			
			97.59	95.63	(-)1.96
	पुनर्वि०	62.65			
50-	सहकारिता विभाग के पेंशनर-				
(xiii)	मूल	61.15			
			106.49	106.08	(-)0.41
	पुनर्वि०	45.34			
51-	चिकित्सा शिक्षा के पेंशनर-				
(xiv)	मूल	54.16			
			90.98	90.47	(-)0.51
	पुनर्वि०	36.82			
58-	आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ के पेंशनर-				
(xv)	मूल	0.87			
			1.87	1.87	..
	पुनर्वि०	1.00			
59-	लोकायुक्त के पेंशनर-				
(xvi)	मूल	0.87			
			2.77	2.77	..
	पुनर्वि०	1.90			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 19-(क्रमशः)

60-	महाधिवक्ता के पेंशनर-				
(xvii)	मूल	1.74			
			9.24	9.24	..
	पुनर्वि०	7.50			
61-	पर्वतारोहण संस्थान मनाली के पेंशनर-				
(xviii)	मूल	0.35			
			1.60	1.59	(-)0.01
	पुनर्वि०	1.25			
62-	खेल एवं युवा सेवाओं विभाग के पेंशनर-				
(xix)	मूल	1.41			
			5.41	5.35	(-)0.06
	पुनर्वि०	4.00			
63-	जनजातीय विकास के पेंशनर-				
(xx)	मूल	0.35			
			1.35	1.35	..
	पुनर्वि०	1.00			
64-	राहत एवं पुनर्वास विभाग के पेंशनर-				
(xxi)	मूल	0.18			
			1.26	1.17	(-)0.09
	पुनर्वि०	1.08			
65-	बंदोबस्त अधिकारी, शिमला के पेंशनर-				
(xxii)	मूल	8.74			
			16.74	16.74	..
	पुनर्वि०	8.00			
66-	लघु बचत संगठन के पेंशनर-				
(xxiii)	मूल	0.87			
			2.37	2.37	..
	पुनर्वि०	1.50			
67-	योजना विभाग के पेंशनर-				
(xxiv)	मूल	1.74			
			26.24	26.10	(-)0.14
	पुनर्वि०	24.50			
69-	राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार विरोधी				
	ब्यूरो के पेंशनर-				
(xxv)	मूल	20.97			
			37.97	37.96	(-)0.01
	पुनर्वि०	17.00			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 19-(क्रमशः)

70-	राज्य निर्वाचन आयोग के पेंशनर-				
(xxvi)	मूल	0.54			
			3.74	3.74	..
	पुनर्वि०	3.20			
71-	वन विभाग के पेंशनर-				
(xxvii)	मूल	262.13			
			552.13	545.46	(-)6.67
	पुनर्वि०	290.00			
उपरोक्त सताईस मामलों में मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 830.02 लाख का आवर्धन चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ।					
73-	प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के पेंशनर-				
	मूल	576.68			
			1,526.68	1,494.45	(-)32.23
	पुनर्वि०	950.00			
₹ 32.23 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 950.00 लाख का आवर्धन चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ जोकि अत्याधिक सिद्ध हुआ।					
₹ 32.23 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।					
78-	लोक निर्माण विभाग के पेंशनर-				
(i)	मूल	314.56			
			764.56	746.90	(-)17.66
	पुनर्वि०	450.00			
81-	न्यायिक अकादमी के पेंशनर-				
(ii)	मूल	0.87			
			2.32	2.32	..
	पुनर्वि०	1.45			
83-	राजस्व विभाग-				
(iii)	मूल	111.50			
			185.01	182.08	(-)2.93
	पुनर्वि०	73.51			
86-	महिला एवं बाल विकास विभाग के पेंशनर-				
(iv)	मूल	8.74			
			43.74	42.39	(-)1.35
	पुनर्वि०	35.00			
87-	विज्ञान, तकनीकी एवं पर्यावरण विभाग के पेंशनर-				
(v)	मूल	0.50			
			1.50	1.50	..
	पुनर्वि०	1.00			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 19-(क्रमशः)

89-	राज्य सूचना आयोग के पेंशनर-				
(vi)	मूल	0.87			
			2.27	2.27	..
	पुनर्वि०	1.40			
90-	स्वास्थ्य सुरक्षा और विनियमन के पेंशनर-				
(vii)	मूल	4.00			
			5.03	5.01	(-)0.02
	पुनर्वि०	1.03			
उपरोक्त सात मामलों में मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 563.39 लाख का आवर्धन चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ।					

पूंजीगत प्रवर्ग

(v) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
		(₹ लाख में)	

4225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों एवं अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-

03- पिछड़े वर्गों का कल्याण-

190- सार्वजनिक क्षेत्रों तथा अन्य उपक्रमों में निवेश-

01- हिमाचल पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक एवं महिला वित्त विकास निगम में निवेश-

मूल 250.00

..

पुनर्वि० (-)250.00

मार्च 2024 में ₹ 250.00 लाख के समस्त प्रावधान को पुनर्विनियोजन द्वारा निगम के लाभार्थियों द्वारा मामलों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया।

277- शिक्षा-

02- अन्य पिछड़ा वर्ग के लड़के/लड़कियों के लिए छात्रावास का निर्माण-

मूल 2.00

..

पुनर्वि० (-)2.00

मार्च 2024 में ₹ 2.00 लाख के समस्त प्रावधान को पुनर्विनियोजन द्वारा क्षेत्रीय कार्यालयों से प्रस्तावों की प्राप्ति न होने तथा केन्द्रीय हिस्सेदारी प्राप्त न होने से अनुपातिक राज्य की हिस्सेदारी अप्रयुक्त रहने के कारण कम कर दिया गया।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 19-(क्रमशः)

केन्द्रीय प्रायोजित योजना
मूल 1.00

..

पुनर्वि0 (-)1.00

मार्च 2024 में ₹ 1.00 लाख के समस्त प्रावधान को पुनर्विनियोजन द्वारा भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया।

80- सामान्य-

800- अन्य व्यय-

01- भवनों का निर्माण-

(i) मूल 1.00

..

पुनर्वि0 (-)1.00

4235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण
पर पूंजीगत परिव्यय-

02- समाज कल्याण-

102- बाल कल्याण-

03- विशेष बच्चों के लिए आवासीय संस्थान-

(ii) मूल 1.00

..

पुनर्वि0 (-)1.00

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2024 में ₹ 2.00 लाख के समस्त प्रावधान को पुनर्विनियोजन द्वारा क्षेत्रीय कार्यालयों से प्रस्तावों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया।

05- भवनों का निर्माण-

मूल 70.00

148.76 83.76 (-)65.00

पुनर्वि0 (-)78.76

₹ 65.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

190- सार्वजनिक क्षेत्रों तथा अन्य उपक्रमों में निवेश-

02- महिला विकास निगम-

मूल 75.00 75.00 .. (-)75.00

₹ 75.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

6225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े
वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए ऋण-

01- अनुसूचित जातियों का कल्याण-

190- सार्वजनिक क्षेत्रों तथा अन्य उपक्रमों को ऋण-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 19-(समाप्त)

01- सार्वजनिक क्षेत्रों एवं अन्य उपक्रमों को ऋण-

मूल 4.00

पुनर्वि० (-)4.00

मार्च 2024 में ₹ 4.00 लाख के समस्त प्रावधान को पुनर्विनियोजन द्वारा योजना के अंतर्गत प्रस्तावों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया।

(vi) उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
		(₹ लाख में)	

4235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण
पर पूंजीगत परिव्यय-

02- समाज कल्याण-

102- बाल कल्याण-

05- भवनों का निर्माण-

मूल 574.00

पूरक 141.86

पुनर्वि० 259.00

974.86

972.86

(-)2.00

मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 259.00 लाख का आवर्धन भारत सरकार से अधिक निधियों की प्राप्ति होने के कारण हुआ।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या- 20- ग्रामीण विकास

(शीर्ष 2216-आवास, 2230- श्रम, रोजगार तथा कौशल विकास, 2501- ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम, 2505- ग्रामीण रोजगार, 2515- अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम तथा 4515- अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय)

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य (+) बचत (-)
राजस्व प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	14,38,21,01			
		15,06,15,30	10,22,95,19	(-)4,83,20,11
पूरक	67,94,29			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..
पूंजीगत प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	12,25,00			
		12,25,00	9,52,47	(-)2,72,53
पूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..

टिप्पणियाँ तथा अभ्युक्तियाँ

- (i) राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 48,320.11 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में प्राप्त ₹ 6,794.29 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ जबकि मूल अनुदान भी अप्रयुक्त रहा तथा वर्ष के दौरान विभाग द्वारा कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (ii) पूंजीगत प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 272.53 लाख की बचत थी लेकिन वर्ष के दौरान विभाग द्वारा कोई राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

राजस्व प्रवर्ग

- (iii) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य (+) बचत (-)
-------	------------	---------------------------------	-----------------------

2216- आवास-

03- ग्रामीण आवास-

102- भूमिहीनों के लिए आवास
स्थल की व्यवस्था-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या- 20 (क्रमशः)

04- मुख्यमंत्री आवास योजना-

(i) मूल	316.00			
		3,316.00	173.25	(-)3,142.75
पूरक	3,000.00			

2501- ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम-

02- सूखा ग्रस्त क्षेत्रों का विकास कार्यक्रम-

101- लघु सिंचाई-

01- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-

(ii) मूल	164.00	164.00	100.45	(-)63.55
केन्द्रीय प्रायोजित योजना				

(iii) मूल	1,579.00	1,579.00	904.00	(-)675.00
उपरोक्त तीन मामलों में ₹ 3,881.30 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।				

06- स्वरोजगार कार्यक्रम-

101- स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना-

07- दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना-

मूल	506.00			
		172.00	2.87	(-)169.13
पुनर्वि०	(-)334.00			

₹ 169.13 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 334.00 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति होने से आनुपातिक राज्य की हिस्सेदारी जारी करने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 169.13 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

मूल	4,552.00			
		1,750.00	1,315.88	(-)434.12
पुनर्वि०	(-)2,802.00			

₹ 434.12 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,802.00 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 434.12 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

08- श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन-

(i) मूल 42.00

पुनर्वि० (-)42.00

..

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या- 20 (क्रमशः)

केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(ii)	मूल	329.00	..	..
	पुनर्वि०	(-)329.00	..	..
उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2024 में ₹ 371.00 लाख के समस्त प्रावधान को पुनर्विनियोजन द्वारा भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया।				
11-	मुख्यमंत्री ग्राम कौशल योजना-			
	मूल	1.00	..	..
	पुनर्वि०	(-)1.00	..	..
मार्च 2024 में ₹ 1.00 लाख के समस्त प्रावधान को पुनर्विनियोजन द्वारा कम कर दिया जिसके कारण सूचित नहीं किए गए।				
13-	ग्रामीण उद्यमिता कार्यक्रम का आरम्भ-			
(i)	पूरक	24.83	24.83	6.21 (-)18.62
केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(ii)	पूरक	223.48	223.48	55.87 (-)167.61
14-	महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना-			
(iii)	पूरक	41.96	41.96	20.97 (-)20.99
केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(iv)	पूरक	377.52	377.52	188.75 (-)188.77
800-	अन्य व्यय-			
03-	मातृ शक्ति बीमा योजना-			
(v)	मूल	197.00	197.00	104.00 (-)93.00
उपरोक्त पाँच मामलों में ₹ 488.99 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।				
07-	बालिका गौरव पुरस्कार योजना-			
(i)	मूल	98.00	98.00	.. (-)98.00
09-	स्वर्ण जयंती स्वयं सहायता समूह सहयोग योजना-			
(ii)	मूल	263.00	263.00	.. (-)263.00
उपरोक्त दो मामलों में ₹ 361.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।				
10-	मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना-			
	मूल	1.00	..	..
	पुनर्वि०	(-)1.00	..	..

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या- 20 (क्रमशः)

मार्च 2024 में ₹ 1.00 लाख के समस्त प्रावधान को पुनर्विनियोजन द्वारा कम कर दिया गया; जिसके कारण सूचित नहीं किए गए।

2505- ग्रामीण रोजगार-

01- राष्ट्रीय कार्यक्रम-

702- जवाहर ग्राम समृद्धि योजना-

06- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण
रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) -

मूल 3,290.00

.. ..

पुनर्वि0 (-)3,290.00

मार्च 2024 में ₹ 3,290.00 लाख के समस्त प्रावधान को पुनर्विनियोजन द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत लाभार्थियों द्वारा दावों की कम प्राप्ति के कारण कम कर दिया गया।

2515- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-

003- प्रशिक्षण-

01- पंचायती राज प्रशिक्षण केन्द्र-

मूल 343.75

346.12 297.20 (-)48.92

पूरक 2.37

₹ 48.92 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

101- पंचायती राज-

01- पंचायती राज (विभाग)-

मूल 3,432.96

पूरक 0.50 3,360.09 3,072.01 (-)288.08

पुनर्वि0 (-)73.37

₹ 288.08 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 73.37 लाख का कमी मंहगाई भत्ते के भुगतान न करने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 288.08 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

02- पंचायती राज संस्थाओं को सहायता-

(i) मूल 82.01

122.01 43.17 (-)78.84

पूरक 40.00

15- राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना

(ii) मूल 1,271.00

2,148.00 1,467.00 (-)681.00

पूरक 877.00

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या- 20 (क्रमशः)

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 759.84 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)। जबकि क्रम संख्या (ii) पर ₹ 1,467.00 लाख का अनुदान भारत सरकार से प्राप्त हुआ।

17-	मुख्यमंत्री जन संवाद योजना-				
	मूल	1.00	1.00	..	(-)1.00
	₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।				
102-	सामुदायिक विकास-				
01-	ग्रामीण विकास विभाग-				
(i)	मूल	9,924.58			
	पूरक	67.12	9,990.92	8,499.98	(-)1,490.94
	पुनर्वि०	(-)0.78			
14-	ग्राम सेवक कुटीर तथा आवास निर्माण/नवीनीकरण				
(ii)	मूल	263.00	263.00	73.55	(-)189.45
16-	कार्यालय भवन/भण्डार निर्माण/नवीनीकरण-				
(iii)	मूल	658.00	658.00	479.37	(-)178.63
	उपरोक्त तीन मामलों में ₹ 1,859.02 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।				
18-	महिला मंडलों को प्रोत्साहन अनुदान (उत्पादन गतिविधियां) -				
	मूल	53.00	53.00	..	(-)53.00
	₹ 53.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।				
20-	शौचालय योजना के अंतर्गत राज्य प्रोत्साहन-				
	मूल	72.00			
			2.02	..	(-)2.02
	पुनर्वि०	(-)69.98			
	मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 69.98 लाख की कमी स्वच्छता योजना के अंतर्गत राज्य पुरस्कारों पर कम व्यय होने के कारण हुई।				
23-	स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)-				
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
	मूल	7,897.00			
			3,240.86	2,635.48	(-)605.38
	पुनर्वि०	(-)4,656.14			
	₹ 605.38 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 4,656.14 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई। जबकि ₹ 2,635.48 लाख का अनुदान भारत सरकार से प्राप्त हुआ।				
	₹ 605.38 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।				
24-	स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत व्यापक सुविधाएं-				
	मूल	330.00			
			..	..	..
	पुनर्वि०	(-)330.00			

विनियोग लेखे

अनुदान संख्या- 20 (क्रमशः)

मार्च 2024 में ₹ 330.00 लाख के समस्त प्रावधान को पुनर्विनियोजन द्वारा दिशानिर्देशों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण कम कर दिया गया।

196-	जिला परिषदों को सहायता-				
04-	पांचवें राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत जिला परिषदों को अनुदान-				
	मूल	18,435.66			
			16,015.65	13,064.48	(-)2,951.17
	पुनर्वि०	(-)2,420.01			

₹ 2,951.17 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,420.01 लाख की कमी मंहगाई भत्तों का भुगतान न करने तथा नई ग्राम पंचायतों के रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 2,951.17 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

06-	केन्द्रीय वित्त आयोग के अन्तर्गत जिला परिषदों को बुनियादी अनुदान-				
(i)	मूल	1,882.37	1,882.37	..	(-)1,882.37
07-	केन्द्रीय वित्त आयोग के अन्तर्गत जिला परिषदों को दिया जाने वाला अनुदान-				
(ii)	मूल	2,823.57	2,823.57	..	(-)2,823.57
	उपरोक्त दो मामलों में ₹ 4,705.94 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।				
08-	15वीं वित्त आयोग के अंतर्गत जिला परिषदों को स्वास्थ्य क्षेत्रों को अनुदान-				
	मूल	1,458.15			
			1,469.16	2.21	(-)1,466.95
	पुनर्वि०	11.01			

₹ 1,466.95 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

197-	पंचायत समितियों को सहायता-				
04-	पांचवें राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत पंचायत समितियों को अनुदान-				
	मूल	878.19			
			988.51	800.53	(-)187.98
	पुनर्वि०	110.32			

₹ 187.98 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 110.32 लाख का आवर्धन पंचायत समितियों के निर्वाचित प्रतिनिधियों के मानदेय में वृद्धि होने के कारण हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ।

₹ 187.98 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या- 20 (क्रमशः)

06-	केन्द्रीय वित्त आयोग के तहत पंचायत समितियों को बुनियादी अनुदान-				
	मूल	1,850.22	1,850.22	711.00	(-)1,139.22
	₹ 1,139.22 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।				
07-	केन्द्रीय वित्त आयोग के तहत पंचायत समितियों को वधा अनुदान-				
	मूल	2,775.33	2,775.33	..	(-)2,775.33
	₹ 2,775.33 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।				
08-	15वीं वित्त आयोग के अंतर्गत पंचायत समितियों को स्वास्थ्य क्षेत्र अनुदान-				
(i)	मूल	1,458.15			
			1,469.16	11.71	(-)1,457.45
	पुनर्वि0	11.01			
198-	ग्राम पंचायतों को सहायता-				
05-	वित्त आयोग के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों को बुनियादी अनुदान-				
(ii)	मूल	8,634.35	8,634.35	4,192.19	(-)4,442.16
	उपरोक्त दो मामलों में ₹ 5,899.61 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।				
06-	वित्त आयोग के अंतर्गत ग्राम पंचायतों को निष्पादन अनुदान-				
	मूल	12,951.55	12,951.55	..	(-)12,951.55
	₹ 12,951.55 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।				
07-	पंद्रहवीं वित्त आयोग के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों को स्वास्थ्य क्षेत्र अनुदान-				
	मूल	6,804.70			
			6,856.05	10.27	(-)6,845.78
	पुनर्वि0	51.35			
	₹ 6,845.78 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 51.35 लाख का आवर्धन वित्त आयोग की अनुदान के हस्तांतरण में विलम्ब पर दंड स्वरूप ब्याज के कारण हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ।				
	₹ 6,845.78 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।				
(iv)	उपरोक्त बचत मुख्यत निम्नवत शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसन्तुलित हुई:-				
	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)	
				(₹ लाख में)	
2216-	आवास-				
03-	ग्रामीण आवास-				
102-	भूमिहीनों के लिए आवास स्थल की व्यवस्था-				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या- 20 (क्रमशः)

07- प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)-

मूल	268.00			
पूरक	321.47	1,252.47	1,438.33	(+)185.86
पुनर्वि०	663.00			

₹ 185.86 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 663.00 लाख का आवर्धन प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को राज्य से टॉप-अप के रूप में सहायता प्रदान करने के लिए अधिक व्यय तथा भारत सरकार से प्राप्त निधियों के अनुपात में राज्य का हिस्सा जारी करने के कारण हुआ जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

₹ 185.86 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

मूल	1,041.00			
पूरक	920.46	4,763.46	6,436.16	(+)1,672.70
पुनर्वि०	2,802.00			

₹ 1,672.70 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,802.00 लाख के आवर्धन भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति होने के कारण हुआ जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

₹ 1,672.70 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

2501- ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम-

06- स्वरोजगार कार्यक्रम-

101- स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना-

05- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना-

(i) मूल	197.00			
		234.46	312.62	(+)78.16
पूरक	37.46			
केन्द्रीय प्रायोजित योजना				

(ii) मूल	2,764.00	2,764.00	2,813.62	(+)49.62
----------	----------	----------	----------	----------

2505- ग्रामीण रोजगार-

02- ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना-

101- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना-

01- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा)-

(iii) मूल	5,923.00	5,923.00	8,121.10	(+)2,198.10
-----------	----------	----------	----------	-------------

उपरोक्त तीन मामलों में ₹ 2,325.88 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

मूल	23,692.00			
पूरक	532.00	30,044.94	27,639.25	(-)2,405.69
पुनर्वि०	5,820.94			

विनियोग लेखे

अनुदान संख्या- 20 (क्रमशः)

₹ 2,405.69 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 5,820.94 लाख का आवर्धन योजना के अंतर्गत लंबित देनदारियों को निपटाने के लिए अधिक व्यय होने के कारण हुआ जोकि अत्यधिक सिद्ध हुआ। जबकि ₹ 40,253.75 लाख का अनुदान भारत सरकार से प्राप्त हुआ।

₹ 2,405.69 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

- 07- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी
योजना के अंतर्गत अतिरिक्त मजदूरी (टॉपअप)-
पूरक 0.01

2,500.00 2,500.00 ..

पुनर्वि० 2,499.99

मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,499.99 लाख का आवर्धन राज्य सरकार की बजट घोषणा के क्रियान्वयन तथा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत अतिरिक्त मजदूरी के भुगतान पर अधिक व्यय होने के कारण हुआ।

2515- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-

- 102- सामुदायिक विकास-

- 23- स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)-

मूल 12.00

पूरक 138.08 220.06 292.82 (+)72.76

पुनर्वि० 69.98

₹ 72.76 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 69.98 लाख का आवर्धन भारत सरकार से प्राप्त निधियों के अनुपात में राज्य की हिस्सेदारी जारी करने के कारण हुआ जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

₹ 72.76 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

- 198- ग्राम पंचायतों को सहायता-

- 04- पांचवे राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों को अनुदान-

मूल 12,854.45

15,164.14 12,875.93 (-)2,288.21

पुनर्वि० 2,309.69

₹ 2,288.21 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,309.69 लाख का आवर्धन निर्वाचित प्रतिनिधियों के मानदेय तथा पंचायती राज संस्थाओं के कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि होने के कारण हुआ जोकि अत्यधिक सिद्ध हुआ।

₹ 2,288.21 लाख के अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

पूंजीगत प्रवर्ग

- (v) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
		(₹ लाख में)	

4515- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या- 20 (समाप्त)

101- पंचायती राज-

01- भवन-

मूल	1,185.00	1,185.00	882.47	(-)302.53
-----	----------	----------	--------	-----------

₹ 302.53 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

(vi) उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्ष के अन्तर्गत हुई आधिक्य से अंशतः प्रतिसन्तुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य (+) बचत (-)
-------	------------	------------------------------	-----------------------

4515- अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-

103- ग्रामीण विकास-

02- मुख्यमंत्री लोक भवन-

मूल	40.00	40.00	70.00	(+)30.00
-----	-------	-------	-------	----------

₹ 70.00 लाख का समस्त व्यय वर्ष 2019-20 की आपत्ति पुस्तिका के उच्चंत के समायोजन के कारण हुआ।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-21- सहकारिता

(शीर्ष- 2059-लोक निर्माण-कार्य, 2425-सहकारिता, 4425-सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय तथा 6425-सहकारिता हेतु ऋण)

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य (+) बचत (-)
राजस्व प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	38,59,15			
		45,25,61	45,25,39	(-)22
पूरक	6,66,46			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..
पूंजीगत प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	2,00			
		17,10	17,10	..
पूरक	15,10			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..

अभ्युक्तियाँ

राजस्व प्रवर्ग

(i) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य (+) बचत (-)
2425- सहकारिता-			
001- निदेशन एवं प्रशासन-			
01- निदेशालय-			
मूल	418.12		
		376.88	373.58
			(-)3.30
पुनर्वि०	(-)41.24		
मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 41.24 लाख की कमी दैनिक मजदूरों के नियमितीकरण, टेलीफोन, पानी व बिजली बिलों की कम प्राप्ति के कारण हुई।			
02- जिला कर्मचारी वर्ग-			
मूल	2,158.61		
		2,127.72	2,125.01
			(-)2.71
पुनर्वि०	(-)30.89		

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-21 (क्रमशः)

मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 30.89 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, दैनिक वेतनभोगियों के नियमितीकरण तथा सम्पत्ति के कर बिलों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

- 108- सहकारी समितियों को सहायता-
01- विपणन समितियों को प्रबन्धकीय उपदान-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना

(i) मूल 1.00

पुनर्वि० (-)1.00

- 06- किसान उत्पादक संगठन-

(ii) मूल 1.00

पुनर्वि० (-)1.00

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2024 में ₹ 2.00 लाख के समस्त प्रावधान को पुनर्विनियोजन द्वारा प्रस्तावों की कम प्राप्ति होने के कारण कम कर दिया गया।

- 109- कृषि उधार स्थिरिकरण निधि-
01- एकीकृत सहकारी विकास परियोजनाओं पर व्यय-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना
मूल 1.00

पुनर्वि० (-)1.00

मार्च 2024 में ₹ 1.00 लाख के समस्त प्रावधान को पुनर्विनियोजन द्वारा एकीकृत सहकारी परियोजना के बंद होने के कारण कम कर दिया गया।

- (ii) उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-
- | शीर्ष | कुल अनुदान | वास्तविक व्यय | आधिक्य (+)
बचत (-) |
|-------|------------|---------------|-----------------------|
| | | | (₹ लाख में) |

2425- सहकारिता-

- 101- सहकारिता समितियों का लेखा-परीक्षण-
01- लेखापरीक्षा स्टाफ-

मूल 1,058.41

1,103.33 1,109.13 (+)5.80

पुनर्वि० 44.92

मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 44.92 लाख का आवर्धन कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते के बकाया का भुगतान करने के कारण हुआ जोकि यात्रा व्यय बिलों की कम प्राप्ति तथा दैनिक वेतनभोगियों के नियमितीकरण के कारण हुई बचत से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

- 107- ऋण सहकारी समितियों को सहायता-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-21 (समाप्त)

08- प्राथमिक कृषि ऋण समितियों का कम्प्यूटरीकरण-

मूल	8.00			
पूरक	39.46	77.67	77.67	..
पुनर्वि०	30.21			

मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 30.21 लाख का आवर्धन भारत सरकार से प्राप्त निधियों के अनुपात में राज्य की हिस्सेदारी को प्रयुक्त करने के कारण हुआ।

पूँजीगत प्रवर्ग

(iii) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य (+) बचत (-)
6425- सहकारिता के लिए ऋण-			
107- उधार सहकारिताओं को कर्ज-			
02- उधार सहकारिताओं को ऋण- केन्द्रीय प्रायोजित योजना			
(i) मूल	1.00		
		..	..
पुनर्वि०	(-)1.00		..
108- अन्य सहकारिताओं को ऋण-			
05- विपणन सहकारिताओं को ऋण- केन्द्रीय प्रायोजित योजना			
(ii) मूल	1.00		
		..	..
पुनर्वि०	(-)1.00		..

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2024 में ₹ 2.00 लाख के समस्त प्रावधान को पुनर्विनियोजन द्वारा प्रस्तावों की कम प्राप्ति होने के कारण कम कर दिया गया।

विनियोग लेखे

अनुदान संख्या-22- खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति

(शीर्ष- 2059-लोक निर्माण-कार्य, 2236-पोषण, 2408- खाद्यान भंडारण तथा भांडागार, 3456-नागरिक आपूर्ति, 3475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं, 4408- खाद्यान भंडारण तथा भांडागार पर पूंजीगत परिव्यय तथा 5475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय)

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य (+) बचत (-)
राजस्व प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	1,88,11,73			
		2,24,56,64	1,63,42,80	(-)61,13,84
पूरक	36,44,91			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)				1,49,83
पूंजीगत प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	11,00			
		11,00	5,79	(-)5,21
पूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)				1,06

टिप्पणियाँ तथा अभ्युक्तियाँ

- (i) राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 6,113.84 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से फरवरी 2024 में प्राप्त ₹ 3,644.91 लाख की अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुई जबकि मूल अनुदान भी अप्रयुक्त रही तथा ₹ 149.83 लाख का अभ्यर्पण अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

राजस्व प्रवर्ग

- (ii) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य (+) बचत (-)
2059- लोक निर्माण कार्य-			
01- कार्यालय भवन-			
053- रखरखाव तथा मरम्मत-			
17- खाद्य एवं आपूर्ति विभाग का रखरखाव व्यय-			
मूल	2.21	2.21	..
			(-)2.21

₹ 2.21 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-22 (क्रमशः)

2236- पोषण-

02- पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण -

101- विशेष पोषण कार्यक्रम-

06- अन्नपूर्णा योजना-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

मूल 1.00

..

पुनर्वि० (-)1.00

मार्च 2024 में ₹ 1.00 लाख के समस्त प्रावधान को अभ्यर्पण द्वारा भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया।

2408- खाद्यान भंडारण और भांडागार-

01- खाद्य-

001- निदेशन तथा प्रशासन-

03- राज्य खाद्य आयोग-

मूल 103.99

पूरक 0.01 52.98 51.39 (-)1.59

पुनर्वि० (-)51.02

मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 51.02 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, बाह्य स्रोत सेवाओं की कम नियुक्ति तथा यात्रा व्यय बिलों की कम प्राप्ति के कारण हुई जोकि कार्यालय परिसर के किराए व ईंधन व्यय के भुगतान के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

102- खाद्य सहायता-

11- उपदान पर दालें, गेहू, चावल, तेल
और आयोडीन युक्त नमक की खरीद-

(i) मूल 10,859.00 10,859.00 7,217.67 (-)3,641.33

12- चीनी की खरीद-

(ii) मूल 3,290.00 4,808.10 2,543.32 (-)2,264.78

पूरक 1,518.10

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 5,906.11 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

3456- नागरिक आपूर्ति-

001- निदेशन और प्रशासन-

01- निदेशालय-

मूल 522.77

पूरक 9.82 491.85 489.09 (-)2.76

पुनर्वि० (-)40.74

मार्च 2024 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 40.74 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने तथा दैनिक वेतन भोगियों की कम नियुक्ति करने के कारण हुई।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-22 (क्रमशः)

02-	जिला कार्यालय-				
	मूल	1,180.53			
	पूरक	3.44	1,129.72	1,127.12	(-)2.60
	पुनर्वि०	(-)54.25			
	मार्च 2024 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 54.25 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों की कम प्राप्ति के कारण हुई।				
04-	उपभोक्ता जागरूकता-				
	मूल	19.00	19.00	9.90	(-)9.10
	₹ 9.10 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।				
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
	मूल	13.00			
			..	..	..
	पुनर्वि०	(-)13.00			
	मार्च 2024 में ₹ 13.00 लाख के समस्त प्रावधान को अभ्यर्पण द्वारा भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति होने के कारण कम कर दिया गया।				
05-	लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कम्प्यूटरीकरण-				
	मूल	66.00	66.00	46.32	(-)19.68
	₹ 19.68 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।				
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(i)	मूल	1.00			
			..	..	..
	पुनर्वि०	(-)1.00			
06-	मूल्य निगरानी सेल का सुदृढीकरण-				
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(ii)	मूल	1.00			
			..	..	..
	पुनर्वि०	(-)1.00			
	उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2024 में ₹ 2.00 लाख के समस्त प्रावधान को पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति होने के कारण कम कर दिया गया।				
3475-	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं-				
106-	भार तथा माप का विनियमन-				
01-	भार तथा माप संगठन-				
	मूल	342.83			
	पूरक	6.95	329.12	329.12	..
	पुनर्वि०	(-)20.66			
	मार्च 2024 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 20.66 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-22 (समाप्त)

(iii) उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसन्तुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
		(₹ लाख में)	

2408- खाद्यान भंडारण और भांडागार-

01- खाद्य-

001- निदेशन और प्रशासन-

02- जिला फोरम के कर्मचारी वर्ग-

मूल 729.84

पूरक 43.86

806.55

786.59

(-)19.96

पुनर्वि0 32.85

मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 32.85 लाख का आवर्धन वेतन पर अधिक व्यय होने के कारण हुआ जोकि यात्रा व्यय बिलों की कम प्राप्ति से हुई बचत से अंशतः प्रतिसंतुलित हुआ।

पूंजीगत प्रवर्ग

(iv) दत्तमत्त अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
		(₹ लाख में)	

**4408- खाद्यान भंडारण और भांडागार
पर पूंजीगत परिव्यय-**

01- खाद्य-

101- प्रापणन तथा आपूर्ति-

01- गेहूं की खरीद-

मूल 3.00

3.00

0.13

(-)2.87

₹ 2.87 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

02- भंडारण तथा भांडागार-

101- ग्रामीण गोदाम कार्यक्रम-

03- गोदामों का निर्माण-

मूल 1.00

..

..

..

पुनर्वि0 (-)1.00

मार्च 2024 में ₹ 1.00 लाख के समस्त प्रावधान को अभ्यर्पण द्वारा कम कर दिया गया जिसके कारण सूचित नहीं किये गये (जुलाई 2024)।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-23- विद्युत विकास

(शीर्ष- 2045-वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क, 2501-ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम, 2801-विद्युत, 4801- विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय तथा 6801-विद्युत परियोजनाओं के लिए ऋण)

		कुल अनुदान/ विनियोजन	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य (+) बचत (-)
राजस्व प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	2,81,44,26			
		7,68,89,91	7,64,55,57	(-)4,34,34
पूरक	4,87,45,65			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)				4,01,49
प्रभारित				
मूल	..			
		42,50,40	..	(-)42,50,40
पूरक	42,50,40			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..
पूंजीगत प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	65,85,00			
		1,06,33,19	1,10,98,48	(+)4,65,29
पूरक	40,48,19			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)				4,55,00

टिप्पणियाँ तथा अभ्युक्तियाँ

- (i) पूंजीगत प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 4,65,29,000 के आधिक्य का नियमन अपेक्षित है।
- (ii) राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 434.34 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से फरवरी 2024 में प्राप्त ₹ 48,745.65 लाख की अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुई तथा ₹ 401.49 लाख अभ्यर्पण अपर्याप्त सिद्ध हुआ।
- (iii) राजस्व प्रवर्ग के प्रभारित विनियोजन में ₹ 4,250.40 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से फरवरी 2024 में प्राप्त ₹ 4,250.40 लाख की समस्त अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुई तथा विभाग द्वारा वर्ष के दौरान कोई भी राशी अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (iv) पूंजीगत प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 465,29 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से फरवरी 2024 में प्राप्त ₹ 4,048.19 लाख का अनुपूरक अनुदान अपर्याप्त सिद्ध हुआ तथा ₹ 455.00 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक सिद्ध हुआ।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-23 (क्रमशः)

राजस्व प्रवर्ग

(v) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-				
शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)	बचत (-)
		(₹ लाख में)		

2501- ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम-

04- समेकित ग्रामीण ऊर्जा योजना कार्यक्रम-

105- परियोजना को पूरा करना-

01- कार्यक्रम अभिकरणों को सहायता अनुदान-

मूल	575.00			
		195.00	151.00	(-)44.00
पुनर्वि०	(-)380.00			

₹ 44.00 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 380.00 लाख की कमी संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 44.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

2801- विद्युत-

01- हाइडल उत्पादन-

101- विद्युत का क्रय-

01- सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड-

मूल	0.01			
		161.54	159.39	(-)2.15
पूरक	161.53			

₹ 2.15 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

(vi) उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)	बचत (-)
		(₹ लाख में)		

2801- विद्युत-

80- सामान्य-

001- निदेशन तथा प्रशासन-

01- ऊर्जा निदेशालय-

मूल	572.20			
पूरक	1.01	570.10	585.59	(+)15.49
पुनर्वि०	(-)3.11			

₹ 15.49 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-23 (क्रमशः)

(vii)	प्रभारित विनियोजन में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्ष के अन्तर्गत हुई:-			
	शीर्ष	कुल विनियोजन	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य (+) बचत (-)

2801- विद्युत-

80- सामान्य-

001- निदेशन तथा प्रशासन-

01- ऊर्जा निदेशालय-

पूरक	4,250.40	4,250.40	..	(-)4,250.40
------	----------	----------	----	-------------

अनुपूरक अनुदान से प्राप्त ₹ 4,250.40 लाख का समस्त विनियोजन अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

पूँजीगत प्रवर्ग

(viii)	दत्तमत अनुदान में आधिक्य मुख्यतः निम्नवत् शीर्ष के अन्तर्गत हुआ:-			
	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य (+) बचत (-)

6801- विद्युत परियोजनाओं के लिए ऋण-

190- सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों को ऋण-

02- हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड को ऋण-

मूल	455.00	..	5,488.29	(+)5,488.29
पुनर्वि०	(-)455.00			

बिना प्रावधान के ₹ 5,488.29 लाख के समस्त व्यय की दृष्टि से मार्च 2024 में ₹ 455.00 लाख के समस्त प्रावधान को अभ्यर्पण द्वारा संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण कम कर दिया गया जोकि अवास्तविक सिद्ध हुआ।

₹ 5,488.29 लाख का समस्त व्यय बिना प्रावधान के किया गया; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

(ix)	उपरोक्त आधिक्य मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई बचत से अंशतः प्रतिसन्तुलित हुआ:-			
	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य (+) बचत (-)

4801- विद्युत परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय-

01- हाईड्रल उत्पादन-

190- सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में निवेश-

06- हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम लिमिटेड में इक्विटी योगदान-

(i)	मूल	4,934.00	4,934.00	1,233.50	(-)3,700.50
-----	-----	----------	----------	----------	-------------

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-23 (समाप्त)

07- हिमाचल प्रदेश ट्रांसमिशन निगम लिमिटेड
में इक्विटी योगदान-

(ii)	मूल	526.00	526.00	131.50	(-)394.50
------	-----	--------	--------	--------	-----------

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 4,095.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

09- हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड
लिमिटेड में इक्विटी योगदान-

	मूल	473.00	473.00	..	(-)473.00
--	-----	--------	--------	----	-----------

₹ 473.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-24- मुद्रण एवं लेखन सामग्री

(शीर्ष- 2058-लेखन सामग्री तथा मुद्रण, 2059-लोक निर्माण-कार्य, 2216-आवास, 4058-लेखन सामग्री तथा मुद्रण पर पूंजीगत परिव्यय)

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य (+) बचत (-)
राजस्व प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	27,07,46			
		32,49,49	28,70,48	(-)3,79,01
पूरक	5,42,03			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)				3,77,60
पूंजीगत प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	30,00			
		30,00	..	(-)30,00
पूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)				30,00

टिप्पणियाँ तथा अभ्युक्तियाँ

- (i) राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 379.01 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से, फरवरी 2024 में प्राप्त ₹ 542.03 लाख का अनूपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।

राजस्व प्रवर्ग

- (ii) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य (+) बचत (-)
2058- लेखन सामग्री तथा मुद्रण-			
102- फार्मों का मुद्रण, भंडारण तथा वितरण-			
01- फार्मों की आपूर्ति-			
मूल	32.47		
		19.54	19.54
पुनर्वि0	(-)12.93		..

मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 12.93 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

विनियोजन लेखे
अनुदान संख्या-24 (समाप्त)

103-	सरकारी मुद्रणालय-				
01-	हिमाचल प्रदेश सरकारी मुद्रणालय-				
	मूल	1,666.21			
	पूरक	218.69	1,545.04	1,544.90	(-)0.14
	पुनर्वि०	(-)339.86			

मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 339.86 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

104-	अन्य साधनों से मुद्रण की लागत-				
02-	अन्य सरकारी मुद्रणालय-				
	मूल	6.25			
			3.81	3.81	..
	पुनर्वि०	(-)2.44			

मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 2.44 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

2216- आवास-

05-	साधारण पूल आवास-				
053-	रखरखाव एवं मरम्मत -				
01-	अन्य रखरखाव व्यय-				
	मूल	2.44	2.44	1.19	(-)1.25

₹ 1.25 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतिक्रित थे (जुलाई 2024)।

पूँजीगत प्रवर्ग

(iii)	दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-			
	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
			(₹ लाख में)	

4058- मुद्रण और लेखन सामग्री पर पूँजीगत परिव्यय-

103-	सरकारी मुद्रणालय-				
01-	भवन-				
	मूल	30.30			
			..	..	..
	पुनर्वि०	(-)30.00			

मार्च 2024 में ₹ 30.00 लाख के समस्त प्रावधान को अभ्यर्पण द्वारा संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण कम कर दिया गया।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-25- सड़क और जल परिवहन

(शीर्ष- 2041-वाहनों पर कर, 2059-लोक निर्माण-कार्य, 2235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण, 3055-सड़क परिवहन, 3056-अंतर्देशीय जल परिवहन, 3075-अन्य परिवहन सेवाएं, 5002- भारतीय रेल-वाणिज्यिक लाइनों पर पूंजीगत परिव्यय, 5055-सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय तथा 5075-अन्य परिवहन सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय)

		कुल अनुदान/ विनियोजन	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य (+) बचत (-)
राजस्व प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	2,23,94,40			
		5,09,90,94	4,82,84,12	(-)27,06,82
पूरक	2,85,96,54			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..
पूंजीगत प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	1,27,35,00			
		2,68,86,27	2,56,47,22	(-)12,39,05
पूरक	1,41,51,27			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..
प्रभारित				
मूल	..			
		3,43,01	3,43,01	..
पूरक	3,43,01			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..

टिप्पणियाँ तथा अभ्युक्तियाँ

- (i) राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 2,706.82 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से फरवरी 2024 में प्राप्त ₹ 28,596.54 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ तथा विभाग द्वारा वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (ii) पूंजीगत प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 1,239.05 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से फरवरी 2024 में प्राप्त ₹ 14,151.27 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ तथा विभाग द्वारा वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-25- (क्रमशः)

राजस्व प्रवर्ग

(iii) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य (+) बचत (-)
-------	------------	------------------------------	-----------------------

2041- वाहनों पर कर-

800- अन्य व्यय-

01- सडक सुरक्षा निधि-

मूल 1,838.11

पूरक 557.97

2,399.53

1,847.15

(-)552.38

पुनर्वि0 3.45

₹ 552.38 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतिक्षित थे (जुलाई 2024)।

2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-

60- अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम-

101- गरीब परिवारों के लिए व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना-

04- यात्रियों को अनुग्रह अनुदान अदायगी-

मूल 68.00

68.00

..

(-)68.00

₹ 68.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतिक्षित थे (जुलाई 2024)।

200- अन्य कार्यक्रम-

28- गैर बीमाकृत राज्य सरकार/बोर्ड/निगम

वाहन की दुर्घटनाओं पर दावों के

निपटान के लिए मुआवजा -

मूल 800.00

800.00

36.50

(-)763.50

₹ 763.50 लाख की अंतिम सारभूत बचत के कारण प्रतिक्षित थे (जुलाई 2024)।

3055- सड़क परिवहन-

001- निदेशन एवं प्रशासन-

01- निदेशालय-

मूल 1,347.80

1,325.39

1,285.55

(-)39.84

पुनर्वि0 (-)22.41

₹ 39.84 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 22.41 लाख की कमी बाह्य स्रोत वाहनों की कम मरम्मत, विज्ञापन के बिलों तथा यात्रा भत्ते के दावों की कम प्राप्ति के कारण हुई जोकि दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की अधिक नियुक्ति के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 39.84 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

04- कम्प्यूटरीकरण-

मूल 75.00

75.00

57.39

(-)17.61

₹ 17.61 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतिक्षित थे (जुलाई 2024)।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-25- (क्रमशः)

190-	सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों को सहायता-				
07-	बस अड्डो/कार्यशालाओं का रखरखाव/उन्नयन-				
	मूल	1,050.00	1,050.00	..	(-)1,050.00
	₹ 1,050.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतिक्षित थे (जुलाई 2024)।				

3075- अन्य परिवहन सेवाएँ-

60- अन्य-

190-	सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों को सहायता-				
01-	रोपवे एवं रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टमट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड को सहायता-				
	मूल	388.75	388.75	194.38	(-)194.37
	₹ 194.37 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतिक्षित थे (जुलाई 2024)।				

(iv)	उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अंतर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-				
	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)	बचत (-)
			(₹ लाख में)		

3055- सड़क परिवहन-

001- निदेशन एवं प्रशासन-

06- हिमाचल प्रदेश परिवहन अपीलीय अधिकरण-

पूरक	36.57				
		60.02	45.06		(-)14.96
पुनर्वि०	23.45				

₹ 14.96 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 23.45 लाख का आवर्धन परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष-सह-सदस्य के वेतन के भुगतान करने के कारण हुआ जोकि अत्यधिक सिद्ध हुआ।

₹ 14.96 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

पूँजीगत प्रवर्ग

(v)	दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-				
	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)	बचत (-)
			(₹ लाख में)		

5055- सड़क परिवहन पर पूँजीगत परिव्यय-

050- भूमि तथा भवन-

10- वेट-इन-मोशन का निर्माण-

मूल	1.00				
		..	..		..
पुनर्वि०	(-)1.00				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-25- (क्रमशः)

मार्च 2024 में ₹ 1.00 लाख के समस्त प्रावधान को पुनर्विनियोजन द्वारा संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण कम कर दिया गया।

11-	बगलामुखी रोप-वे का निर्माण (नाबार्ड बुनियादी ढांचा विकास सहायता)-				
(i)	मूल	1.00	1.00	..	(-)1.00
12-	ड्राइविंग प्रशिक्षण परीक्षण ट्रैक का निर्माण-				
(ii)	मूल	1.00	1.00	..	(-)1.00
	उपरोक्त दो मामलों में ₹ 2.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।				
102-	बेड़े का अधिग्रहण-				
01-	इलैक्ट्रिक वाहन-				
(i)	मूल	7,700.00	7,700.00	700.00	(-)7,000.00
5075-	अन्य परिवहन सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय-				
60-	अन्य-				
190-	सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों में निवेश -				
01-	रोपवे और तीव्र परिवहन प्रणाली विकास निगम लिमिटेड में निवेश -				
(ii)	मूल	66.00			
			1,266.00	1,200.00	(-)66.00
	पूरक	1,200.00			
	उपरोक्त दो मामलों में ₹ 7,066.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।				
02-	राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के अंतर्गत रोपवे-				
	मूल	76.00	76.00	..	(-)76.00
	₹ 76.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।				
(vi)	उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसन्तुलित हुई:-				
	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)	
			(₹ लाख में)		
5002-	भारतीय रेल वाणिज्यिक लाइनों पर पूंजीगत परिव्यय-				
03-	पूंजीगत परिव्यय-				
115-	नई लाइनें-				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-25- (समाप्त)

01-	रेलवे लाइनों का निर्माण-				
	मूल	468.00			
			11,535.22	14,940.17	(+)3,404.95
	पूरक	11,067.22			

₹ 3,404.95 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

5055- सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय-

050-	भूमि तथा भवन-				
03-	क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों के भवनों का निर्माण-				
	पूरक	2.00			
			3.00	3.00	..
	पुनर्वि०	1.00			

मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1.00 लाख का आवर्धन निर्माण पर अधिक व्यय होने के कारण हुआ।

190-	सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों में निवेश-				
02-	हिमाचल पथ परिवहन निगम में निवेश-				
	मूल	3,410.00			
			4,092.05	6,592.05	(+)2,500.00
	पूरक	682.05			

₹ 2,500.00 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-26- पर्यटन और नागर विमानन

(शीर्ष 2059-लोक निर्माण-कार्य, 3053-नागर विमानन, 3452-पर्यटन, 5053-नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय तथा 5452- पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय)

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य (+) बचत (-)
राजस्व प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	29,36,75			
		33,96,92	25,69,37	(-)8,27,55
पूरक	4,60,17			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)				38,42
पूंजीगत प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	4,84,44,00			
		4,90,43,00	2,74,47,84	(-)2,15,95,16
पूरक	5,99,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)				33,06,25

टिप्पणियाँ तथा अभ्युक्तिर्याँ

- (i) राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 827.55 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से फरवरी 2024 में प्राप्त ₹ 460.17 लाख की अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुई जबकि मूल अनुदान भी अप्रयुक्त रहा तथा ₹ 38.42 लाख का अभ्यर्पण अपर्याप्त सिद्ध हुआ।
- (ii) पूंजीगत प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 21,595.16 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से फरवरी 2024 में प्राप्त ₹ 599.00 लाख की अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुई जबकि मूल अनुदान भी अप्रयुक्त रहा तथा ₹ 3,306.25 लाख का अभ्यर्पण अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

राजस्व प्रवर्ग

- (iii) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य (+) बचत (-)
-------	------------	---------------------------------	-----------------------

3053- नागर विमानन-

02- हवाई अड्डे-

102- विमान पट्टियां-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-26 (क्रमशः)

01- क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़े देश का

आम नागरिक-

मूल 400.00

273.64

273.64

..

पुनर्वि० (-)126.36

मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 126.36 लाख की कमी कर्मचारियों की तैनाती न करने तथा बिलों की प्राप्ति न होने के कारण हुई।

02- पुनर्वास और एयरपोर्ट्स/हेलीपोर्ट्स का रखरखाव-

मूल 700.00

688.00

406.10

(-)281.90

पुनर्वि० (-)12.00

₹ 281.90 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई, 2024)।

3452- पर्यटन-

80- सामान्य-

001- निदेशन और प्रशासन-

01- निदेशालय-

मूल 273.66

पूरक 91.27

464.95

329.06

(-)135.89

पुनर्वि० 100.02

₹ 135.89 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 100.02 लाख की आवर्धन परामर्शदाताओं और सलाहकारों की लंबित देनदारियों के निपटान करने के कारण हुआ जोकि अत्यधिक सिद्ध हुआ।

₹ 135.89 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

02- क्षेत्रीय कर्मचारी वर्ग-

मूल 546.55

615.45

564.66

(-)50.79

पूरक (-)68.90

₹ 50.79 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई, 2024)।

03- पर्यटन के लिए बुनियादी ढांचा विकास

निवेश कार्यक्रम-

मूल 1.00

पूरक 200.00

200.00

200.00

..

पुनर्वि० (-)1.00

मार्च 2024 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1.00 लाख की कमी हुई जिसके कारण सूचित नहीं किये गये।

003- प्रशिक्षण-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-26 (क्रमशः)

01-	प्रशिक्षणार्थियों के लिए शिष्यवृत्तियां/ छात्रवृत्तियां-				
(i)	मूल	20.00	20.00	7.14	(-)12.86
104-	संबर्धन तथा प्रचार-				
04-	पर्यटन, उत्सव, मेले एवं प्रचार का विकास-				
(ii)	मूल	900.00			
			1,000.00	693.11	(-)306.89
	पूरक	100.00			

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 319.75 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

पूंजीगत प्रवर्ग

(iv)	दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-				
	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य (+) बचत (-)	

5053- नागरिक विमानन पर पूंजीगत परिव्यय-

02-	हवाई अड्डे-				
102-	पट्टिया-				
01-	हेलीपेड और हवाई पट्टियों का निर्माण-				
	मूल	550.00			
			411.22	365.55	(-)45.67
	पुनर्वि0	(-)138.78			

₹ 45.67 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 138.78 लाख की कमी प्रस्तावों की प्राप्ति न होने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 45.67 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

02-	हवाई अड्डे/हेलीपोर्टों का विकास-				
	मूल	28,706.00			
			29,006.00	20,877.48	(-)8,128.52
	पूरक	300.00			

₹ 8,128.52 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

5452- पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय-

01-	पर्यटन अवसंरचना-				
101-	पर्यटन केंद्र -				
01-	विभिन्न भवनों का निर्माण-				
	मूल	200.00			
	पूरक	299.00	521.04	179.14	(-)341.90
	पुनर्वि0	22.04			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-26 (समाप्त)

₹ 341.90 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 22.04 लाख का आवर्धन निदेशालय भवन की मरम्मत/नवीनीकरण तथा जिला मण्डी के कमलाह किले के सौंदर्यीकरण करने के कारण हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ।

₹ 341.90 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

02- पर्यटन विकास-

मूल	18,987.00			
		15,798.49	6,025.67	(-)9,772.82
पुनर्वि०	(-)3,188.51			

₹ 9,772.82 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 3,188.51 लाख की कमी प्रस्तावों को अंतिम स्वरूप न दिए जाने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 9,772.82 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

800- अन्य व्यय-

03- नई राहें नई मंजिलें-

मूल	1.00			
		..	..	..
पुनर्वि०	(-)1.00			

मार्च 2024 में ₹ 1.00 लाख के समस्त प्रावधान को पुनर्विनियोजन द्वारा कम कर दिया गया; जिसके कारण सूचित नहीं किये गए (जुलाई 2024)।

विनियोग लेखे

अनुदान संख्या - 27 - श्रम, रोजगार और प्रशिक्षण

(शीर्ष- 2059- लोक निर्माण-कार्य, 2203-तकनीकी शिक्षा, 2216-आवास, 2225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण, 2230- श्रम, रोजगार और कौशल विकास, 4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय तथा 4250- अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय)

		कुल अनुदान/ विनियोजन	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य (+) बचत (-)
राजस्व प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	3,56,00,00			
		3,99,62,78	3,76,57,97	(-)23,04.81
पूरक	43,62,78			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..
प्रभारित				
दत्तमत				
मूल	..			
		2,00	2,00	..
पूरक	2,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..
पूंजीगत प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	55,76,00			
		83,37,12	91,57,18	(+)8,20,06
पूरक	27,61,12			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..

टिप्पणियाँ तथा अभ्युक्तियाँ

- पूंजीगत प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 8,20,06,000 के आधिक्य का नियमन अपेक्षित है।
- राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 2,304.81 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से फरवरी 2024 में प्राप्त ₹ 4,362.78 लाख का अनूपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ तथा विभाग द्वारा वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- पूंजीगत प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 820.06 लाख के आधिक्य की दृष्टि से फरवरी 2024 में प्राप्त ₹ 2,761.12 लाख का अनूपूरक अनुदान अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 27 -(क्रमशः)

राजस्व प्रवर्ग

(iv) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
		(₹ लाख में)	

2203- तकनीकी शिक्षा-

105- बहुतकनीकी -

01- राजकीय बहुतकनीकी-

मूल 6,785.27

6,878.27

6,779.10

(-)99.17

पुनर्वि० 93.00

₹ 99.17 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 93.00 लाख का आवर्धन अधिकारियों की अधिक नियुक्ति, संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण तथा मजदूरी दरों में वृद्धि होने के कारण हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ।

₹ 99.17 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

04- मौजूदा राजकीय बहुतकनीकी संस्थानों का उन्नयन-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना

(i) मूल 2.00

..

..

..

पुनर्वि० 2.00

05- केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत (बहुतकनीकी के
माध्यम से सामुदायिक विकास योजना)

राजकीय बहुतकनीकी संस्थान-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

(ii) मूल 2.00

..

..

..

पुनर्वि० 2.00

06- नए बहुतकनीकी संस्थानों की स्थापना-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना

(iii) मूल 2.00

..

..

..

पुनर्वि० 2.00

उपरोक्त तीन मामलों में मार्च 2024 में ₹ 6.00 लाख के समस्त प्रावधान को पुनर्विनियोजन द्वारा भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया।

112- इंजीनियरिंग/तकनीकी महाविद्यालय तथा संस्थान-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 27 -(क्रमशः)

03- निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को सहायता अनुदान-

मूल 1.00

..

पुनर्वि० (-)1.00

मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1.00 लाख के समस्त प्रावधान को औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों से सहायता अनुदान के लिए आवेदनों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया।

**2225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों,
अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण-**

02- अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-

277- शिक्षा-

03- शिक्षा-

(i) मूल 20.00 20.00 5.10 (-)14.90

2230- श्रम रोजगार एवं कौशल विकास-

01- श्रम-

101- औद्योगिक संबंध-

01- नियमों को लागू करना-

(ii) मूल 553.77 546.26 485.60 (-)60.66

पुनर्वि० (-)7.51

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 75.56 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

102- कर्म की परिस्थितियाँ तथा सुरक्षा-

01- कारखानों का निरीक्षणालय-

मूल 12.54

10.03 7.24 (-)2.79

पुनर्वि० (-)2.51

₹ 2.79 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2.51 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 2.79 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

02- रोजगार सेवाएं-

101- रोजगार सेवा-

01- रोजगार सेवाओं का आवरण विस्तार-

मूल 1,157.59

1,186.00 1,090.06 (-)95.94

पुनर्वि० 28.41

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 27 -(क्रमशः)

₹ 95.94 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 28.41 लाख का आवर्धन बाह्य स्रोत सेवाओं की अधिक भर्ती, कार्यालय उपयोग के लिए निजी भवन के किराए के भुगतान के लिए अधिक निधियों की आवश्यकता के कारण हुआ जोकि रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई बचत से अंशतः प्रतिसंतुलित हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ।

₹ 95.94 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

04- आदर्श जीविका केन्द्र-

मूल	8.00	8.00	..	(-)8.00
-----	------	------	----	---------

₹ 8.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

07- बेरोजगारी भत्ता

मूल	1,579.00			
		1,578.99	1,516.87	(-)62.12
पुनर्वि०	(-)0.01			

₹ 62.12 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

09- राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट-अप योजना-

पूरक	658.10	658.10	..	(-)658.10
------	--------	--------	----	-----------

अनुपूरक अनुदान द्वारा प्राप्त ₹ 658.10 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

03- प्रशिक्षण-

003- दस्तकारों एवं पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षण-

05- दस्तकारों एवं पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षण-

मूल	10,991.81			
		11,483.81	10,951.72	(-)532.09
पुनर्वि०	492.00			

₹ 532.09 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 492.00 लाख का आवर्धन अधिकारियों/कर्मचारियों की अधिक संख्या में नियुक्ति तथा बाह्य स्रोत सेवाओं की अधिक भर्ती होने के कारण हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ।

₹ 532.09 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

09- कौशल विकास भत्ता-

मूल	6,431.00			
		3,442.58	2,982.90	(-)459.68
पुनर्वि०	(-)2,988.42			

₹ 459.68 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,988.42 लाख की कमी कौशल विकास भत्तों के लिए आवेदनों की कम प्राप्ति के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 459.68 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 27 -(क्रमशः)

10-	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का मॉडल आई.टी.आई. के रूप में उन्नयन-				
	मूल	50.00			
			..	..	..
	पुनर्वि०	(-)50.00			
	मार्च 2024 में ₹ 50.00 लाख के समस्त प्रावधान को पुनर्विनियोजन द्वारा भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति तथा इसलिए राज्य की हिस्सेदारी अप्रयुक्त रहने के कारण कम कर दिया गया।				
14-	औद्योगिक कौशल विकास भत्ता-				
	मूल	150.00	150.00	31.07	(-)118.93
	₹ 118.93 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।				
800-	अन्य व्यय-				
02-	आजीविका प्रोत्साहन के लिए कौशल और जागरूकता अधिग्रहण योजना (संकल्प)-				
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
	मूल	1.00			
			..	..	..
	पुनर्वि०	(-)1.00			
	मार्च 2024 में ₹ 1.00 लाख के समस्त प्रावधान को पुनर्विनियोजन द्वारा भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया।				
(v)	उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-				
	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)	बचत (-)
			(₹ लाख में)		
2059-	लोक निर्माण कार्य-				
01-	कार्यालय भवन				
053-	रखरखाव तथा मुरम्मत-				
42-	श्रम एवं रोजगार विभाग का रखरखाव व्यय-				
	मूल	0.01			
			25.00	25.00	..
	पुनर्वि०	24.99			
	मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 24.99 लाख का आवर्धन श्रम एवं रोजगार के अधीनस्थ कार्यालयों के रखरखाव हेतु अधिक निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।				
2203-	तकनीकी शिक्षा-				
112-	इंजीनियरिंग/तकनीकी कॉलेज तथा संस्थान-				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 27 -(क्रमशः)

01-	राजकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय/तकनीकी कॉलेज तथा संस्थान-				
	मूल	2,611.72			
			2,881.72	2,759.92	(-)121.80
	पुनर्वि०	270.00			

₹ 121.80 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 270.00 लाख का आवर्धन अधिकारियों की अधिक नियुक्ति तथा अनुबंध कर्मचारियों के नियमितीकरण के कारण हुई जोकि अत्यधिक सिद्ध हुई।

₹ 121.80 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

2230- श्रम रोजगार एवं कौशल विकास-

01-	श्रम-				
101-	औद्योगिक संबंध-				
02-	विवादों का निपटारा-				
	मूल	135.82			
			228.47	207.75	(-)20.72
	पुनर्वि०	92.65			

₹ 20.72 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 92.65 लाख का आवर्धन अधिकारियों/कर्मचारियों की अधिक संख्या में नियुक्ति करने के कारण हुई जोकि अत्यधिक सिद्ध हुई।

₹ 20.72 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

03- प्रशिक्षण-

003- दस्तकारों एवं पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षण-

**11- विश्व बैंक सहायता प्राप्त औद्योगिक कौशल उपयोगिता
सबर्धन/सशक्तिकरण परियोजना-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना**

	मूल	0.50			
			747.50	747.50	..
	पुनर्वि०	747.00			

मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 747.00 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ।

800- अन्य व्यय-

01- हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम-

	मूल	4,237.00			
	पूरक	3,688.68	9,237.00	9237.00	..
	पुनर्वि०	1,311.32			

मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,311.32 लाख का आवर्धन प्रस्तावों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 27 (समाप्त)

पूँजीगत प्रवर्ग

(vi) दत्तमत अनुदान में आधिक्य मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
(₹ लाख में)			
4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय-			
02- तकनीकी शिक्षा-			
104- बहुशिल्प-			
01- भवन-			
(i) मूल	1,352.00		
पूरक	452.36	1,805.36	1,964.01
पुनर्वि०	1.00		(+)158.65
105- इंजीनियरिंग/तकनीकी कॉलेज तथा संस्थान-			
01- भवन-			
(ii) मूल	1,950.00		
		3,792.07	4,314.22
			(+)522.15
पूरक	1,842.07		
03- औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के भवनों का निर्माण-			
(iii) मूल	2,170.00		
		2,636.69	2,800.01
			(+)163.32
पूरक	466.69		
उपरोक्त तीन मामलों में ₹ 844.12 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।			
(vii) उपरोक्त आधिक्य मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई बचत से अंशतः प्रतिसंतुलित हुआ:-			
शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
(₹ लाख में)			

4250- अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय

201- श्रम-

01- भवन-

मूल	103.00	103.00	78.94	(-)24.06
-----	--------	--------	-------	----------

₹ 24.06 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

विनियोग लेखे

अनुदान संख्या - 28- शहरी विकास, नगर एवं ग्राम योजना तथा आवास

(शीर्ष 2059- लोक निर्माण-कार्य, 2215- जलापूर्ति तथा स्वच्छता, 2216-आवास, 2217- शहरी विकास, 4215- जलापूर्ति तथा स्वच्छता पर पूंजीगत परिव्यय तथा 4217- शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय)

		कुल अनुदान/ विनियोजन	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य (+) बचत (-)
राजस्व प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	5,03,76,53			
		8,42,85,00	9,39,76,88	(+)96,91,88
पूरक	3,39,08,47			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..
पूंजीगत प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	69,33,00			
		1,04,80,46	1,10,54,74	(+)5,74,28
पूरक	35,47,46			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..
प्रभारित				
मूल	..			
		37,09	37,09	..
पूरक	37,09			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..

टिप्पणियाँ तथा अभ्युक्तियाँ

- राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 96,91,88,399 के आधिक्य का नियमन अपेक्षित है।
- पूंजीगत प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 5,74,28,266 के आधिक्य के नियमन अपेक्षित है।
- राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत अनुदान में ₹ 9,691.88 लाख के आधिक्य की दृष्टि से फरवरी 2024 में प्राप्त ₹ 33,908.47 लाख की अनुपूरक अनुदान अपर्याप्त सिद्ध हुई।
- पूंजीगत प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 574.28 लाख के आधिक्य की दृष्टि से फरवरी 2024 में प्राप्त ₹ 3,547.46 लाख की अनुपूरक अनुदान अपर्याप्त सिद्ध हुई।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-28 (क्रमशः)

राजस्व प्रवर्ग

(v) दत्तमत अनुदान में आधिक्य मुख्यतः निम्नवत शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य (+) बचत(-)
2217- शहरी विकास-			
80- सामान्य-			
191- स्थानीय निकाय, निगम, शहरी विकास प्राधिकरण, जिला सुधार बोर्ड, अन्य को सहायता-			
04- दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन-			
(i) मूल	5.00		
		14.40	14.40
पुनर्वि०	9.40		..
केन्द्रीय प्रायोजित योजना			
(ii) मूल	50.00		
		119.60	119.60
पुनर्वि०	69.60		..
48- अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन- केन्द्रीय प्रायोजित योजना			
(iii) मूल	0.40		
		29.50	29.50
पुनर्वि०	29.10		..
उपरोक्त तीन मामलों में मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 108.10 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति तथा केन्द्रीय हिस्सेदारी के अनुपात में राज्य की हिस्सेदारी को जारी करने के कारण हुआ। जबकि क्रम संख्या (ii) में ₹ 5,581.51 लाख व क्रम संख्या (iii) में ₹ 5,341.13 लाख का अनुदान भारत सरकार से प्राप्त हुआ।			
51- पार्किंग का निर्माण-			
मूल	100.00		
		508.69	3,304.71
पुनर्वि०	408.69		(+)2,796.02

₹ 2,796.02 लाख की सारभूत अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 408.69 लाख का आवर्धन कसुम्पटी में पार्किंग के निर्माण पर अधिक व्यय होने के कारण हुआ जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

₹ 2,796.02 लाख के सारभूत अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-28 (क्रमशः)

54-	पूंजी परिसंपत्तियों के लिए नगर निगम को अनुदान-				
	पूरक	1,569.56			
			4,026.87	16,006.06	(+)11,979.19
	पुनर्वि०	2,457.31			
	₹ 11,979.19 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,457.31 लाख का आवर्धन ढली सुरंग, खलीनी फ्लाईओवर के निर्माण तथा रिज के पास पदम देव परिसर के विकास करने के कारण हुआ जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुआ।				
	₹ 11,979.19 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।				
192-	नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता-				
15-	पार्किंग का निर्माण-				
	मूल	175.00	175.00	1,340.00	(+)1,165.00
	₹ 1,165.00 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।				
26-	पूंजीगत परिसंपत्तियों के लिए नगर पालिकाओं को अनुदान-				
	..	..	..	2,785.00	(+)2,785.00
	₹ 2,785.00 लाख का समस्त व्यय बिना प्रावधान के हुआ; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।				
193-	नगर पंचायतों/अधिसूचित क्षेत्र समितियों या उसके समतुल्य को सहायता-				
05-	पार्किंग का निर्माण-				
	मूल	100.00	100.00	582.00	(+)482.00
	₹ 482.00 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।				
15-	अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन-				
	मूल	0.30			
	पूरक	299.59	440.13	572.86	(+)132.73
	पुनर्वि०	140.24			
	₹ 132.73 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 140.24 लाख का आवर्धन भारत सरकार से जारी केन्द्रीय हिस्सेदारी के अनुपात में राज्य की हिस्सेदारी जारी करने के कारण हुआ जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुआ।				
	₹ 132.73 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।				
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(i)	मूल	0.30			
			2,821.87	5,278.63	(+)2,456.76
	पूरक	2,821.57			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-28 (क्रमशः)

25- पूंजीगत परिसंपत्तियों के लिए नगर पंचायतों/
अधिसूचित क्षेत्र समिति को अनुदान-

(ii)	पूरक	106.66	106.66	1,765.00	(+)1,658.34
उपरोक्त दो मामलों में ₹ 4,115.10 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)। जबकि क्रम संख्या (i) पर ₹ 5,341.13 लाख का अनुदान भारत सरकार से प्राप्त हुआ।					
(vi)	उपरोक्त आधिक्य मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई बचत से अंशतः प्रतिसन्तुलित हुआ:-				
	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)	बचत (-)
			(₹ लाख में)		

2216- आवास-

02- शहरी आवास-

105- भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम,
2016 के अंतर्गत निर्मोचन-

01- हिमाचल प्रदेश भू संपदा नियामक प्राधिकरण-
मूल 277.90

263.57 215.57 (-)48.00

पुनर्वि0 (-)14.33

₹ 48.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

2217- शहरी विकास-

80- सामान्य-

001- निदेशन और प्रशासन-

02- नगर एवं ग्राम योजना संगठन का निदेशालय-

मूल 1,725.01

पूरक 67.07 1,684.20 1,656.48 (-)27.72

पुनर्वि0 (-)107.88

₹ 27.72 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 107.88 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, चिकित्सा प्रतिपूर्ति तथा यात्रा व्यय दावों की कम प्राप्ति होने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 27.72 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

191- स्थानीय निकाय निगम, शहरी विकास प्राधिकरण,

जिला सुधार बोर्ड, अन्य को सहायता-

45- केन्द्रीय वित्त आयोग का आवार्ड-

मूल 7,364.04

10,852.27 6,978.98 (-)3,873.29

पूरक 3,488.23

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-28 (क्रमशः)

₹ 3,873.29 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

47- स्वच्छ भारत मिशन हेतु सहायता अनुदान-

(i)	मूल	10.00	10.00	..	(-)10.00
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				

(ii)	मूल	90.00	90.00	..	(-)90.00
------	-----	-------	-------	----	----------

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 100.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)। जबकि क्रम संख्या (ii) में ₹ 2,729.00 लाख का अनुदान भारत सरकार से प्राप्त हुआ।

50- प्रधानमंत्री आवास योजना- सभी के लिए आवास (शहरी)- केन्द्रीय प्रायोजित योजना

मूल	500.00	500.00	226.87	(-)273.13
-----	--------	--------	--------	-----------

₹ 273.13 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)। जबकि ₹ 825.05 लाख का अनुदान भारत सरकार से प्राप्त हुआ।

56- विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित ग्रेटर शिमला जलापूर्ति योजना-

मूल	10,216.00			
		7,173.00	7,173.00	..
पुनर्वि०	(-)3,043.00			

मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 3,043.00 लाख की कमी ऊर्जा, संचालन तथा रखरखाव प्रभागों में कमी होने के कारण हुई जोकि शिमला जल प्रबंधन निगम में तैनात अधिकारियों के वेतन के भुगतान के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

57- अटल श्रेष्ठ शहर योजना-

मूल	280.00	280.00	..	(-)280.00
-----	--------	--------	----	-----------

₹ 280.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

58- नगर निगम क्षेत्र की सड़कों की मरम्मत-

मूल	125.00			
		225.00	100.00	(-)125.00
पुनर्वि०	100.00			

₹ 125.00 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 100.00 लाख का आवर्धन कार्टरोड (टूटीकंडी से संजौली) वाया छोटा शिमला को चौड़ा करने व उसके सुधार पर अधिक व्यय होने के कारण हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-28 (क्रमशः)

₹ 125.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

61- मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना-

मूल	150.00	150.00	113.81	(-)36.19
-----	--------	--------	--------	----------

₹ 36.19 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतिक्षित थे (जुलाई 2024)।

62- पन्द्रहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत नगर
निगम को स्वास्थ्य क्षेत्र अनुदान-

मूल	255.37			
		258.88	..	(-)258.88
पुनर्वि०	3.51			

₹ 258.88 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

63- स्मार्ट सिटी मिशन धर्मशाला-

(i) मूल	1.00			
		..	..	..
पुनर्वि०	(-)1.00			

64- स्मार्ट सिटी मिशन शिमला-

(ii) मूल	1.00			
		..	..	..
पुनर्वि०	(-)1.00			

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2024 में ₹ 2.00 लाख के समस्त प्रावधान को पुनर्विनियोजन द्वारा कम कर दिया गया जिसके उचित कारण सूचित नहीं किये गये।

192- नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता-

01- राज्य वित्तयोग की सिफारिशों पर व्यय-

(i) मूल	6,228.04	6,228.04	4,982.43	(-)1,245.61
---------	----------	----------	----------	-------------

14- केंद्रीय वित्तयोग का अवार्ड-

(ii) मूल	7,158.35			
		10,549.15	6,784.07	(-)3,765.08
पुनर्वि०	3,390.80			

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 5,010.69 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

16- स्वच्छ भारत मिशन हेतु सहायता अनुदान-

(i) मूल	22.00	22.00		(-)22.00
			..	

केंद्रीय प्रायोजित योजना

(ii) मूल	200.00	200.00		(-)200.00
			..	

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-28 (क्रमशः)

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 222.00 लाख का समस्त प्रापधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)। जबकि क्रम संख्या (ii) पर ₹ 2,729.00 लाख का अनुदान भारत सरकार से प्राप्त हुआ।

- 18- प्रधानमंत्री आवास योजना- सभी के लिए आवास (शहरी)-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना

मूल	600.00	600.00	304.80	(-)295.20
-----	--------	--------	--------	-----------

₹ 295.20 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)। जबकि भारत सरकार से 825.05 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ।

- 21- नगर पालिका/नगर परिषद क्षेत्र की सड़कों की मरम्मत-

मूल	275.00	275.00	..	(-)275.00
-----	--------	--------	----	-----------

₹ 275.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

- 24- मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना-

मूल	150.00	150.00	88.59	(-)61.41
-----	--------	--------	-------	----------

₹ 61.41 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

- 27- पंद्रहवें वित्त आयोग के अर्न्तगत नगरपालिकाओं को स्वास्थ्य क्षेत्र अनुदान-

मूल	248.24	248.24	..	(-)248.24
-----	--------	--------	----	-----------

₹ 248.24 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

- 193- नगर पंचायतों/अधिसूचित क्षेत्र समितियों या उनके समतुल्य को सहायता-

- 01- राज्य वित्तायोग की सिफारिशों पर व्यय-

(i) मूल	1,870.43	1,870.43	1,496.34	(-)374.09
---------	----------	----------	----------	-----------

- 13- केन्द्रीय वित्तायोग का अवार्ड-

(ii) मूल	1,952.24			
		2,876.98	1,543.17	(-)1,333.81
पूरक	(-)924.74			

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 1,707.90 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

- 14- स्वच्छ भारत मिशन हेतु सहायता अनुदान-

(i) मूल	11.00	11.00	..	(-)11.00
---------	-------	-------	----	----------

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-28 (क्रमशः)

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

(ii)	मूल	100.00	100.00	..	(-)100.00
------	-----	--------	--------	----	-----------

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 111.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)। जबकि क्रम संख्या (ii) पर भारत सरकार से ₹ 2,729.00 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ।

- 16- प्रधानमंत्री आवास योजना- सभी के लिए आवास (शहरी)
केन्द्रीय प्रायोजित योजना

मूल	400.00	400.00	340.40	(-)59.60
-----	--------	--------	--------	----------

₹ 59.60 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)। जबकि भारत सरकार से ₹ 825.05 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ।

- 19- नगर पंचायत/अधिसूचित क्षेत्र समितियों के
अंतर्गत सड़कों की मरम्मत-

मूल	200.00	200.00	..	(-)200.00
-----	--------	--------	----	-----------

₹ 200.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

- 20- केन्द्रीय वित्त आयोग के तहत
छावनी बोर्डों को सहायता-

मूल	625.37			
पूरक	296.23	873.96	436.98	(-)436.98
पुनर्वि०	(-)47.64			

₹ 436.98 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 47.64 लाख की कमी खास्योल छावनी बोर्ड के अधिसूचना को रद्द होने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 436.98 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

- 26- पंद्रहवें वित्त आयोग के अर्न्तगत नगर पंचायतों/
अधिसूचित क्षेत्र समिति को स्वास्थ्य क्षेत्र अनुदान-

(i)	मूल	67.70	67.70	..	(-)67.70
-----	-----	-------	-------	----	----------

- 27- पंद्रहवें वित्त आयोग के अर्न्तगत छावनी बोर्डों
को स्वास्थ्य क्षेत्र अनुदान-

(ii)	मूल	21.69	21.69	..	(-)21.69
------	-----	-------	-------	----	----------

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 89.39 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

विनियोग लेखे

अनुदान संख्या-28 (समाप्त)

पूँजीगत प्रवर्ग

(vii) दत्तमत्त अनुदान में आधिक्य मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-				
शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)	
			(₹ लाख में)	

4215- जलापूर्ति तथा स्वच्छता पर पूँजीगत परिव्यय-

02- सीवरेज तथा स्वच्छता-

106- सीवरेज सेवाएं-

02- विभिन्न जिलों में जलोस्तर सीवरेज स्वच्छता योजनाएं-

मूल	2,244.00			
पूरक	3,547.46	5,833.12	6,441.61	(+)608.49
पुनर्वि0	41.66			

₹ 608.49 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से, मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 41.66 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति होने के कारण हुआ जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

₹ 608.49 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

(viii) उपरोक्त आधिक्य मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई बचत से अंशतः प्रतिसन्तुलित हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)	
			(₹ लाख में)	

4217- शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय-

03- छोटे और मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास-

051- निर्माण-

05- प्रारूप विकास योजना विस्तार-

मूल	200.00			
		158.34	124.14	(-)34.20
पुनर्वि0	(-)41.66			

₹ 34.20 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 41.66 लाख की कमी संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न होने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 34.20 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या- 29 -वित्त

(शीर्ष- 2047- अन्य वित्तीय सेवाएं, 2048- कर्ज से बचने के लिए विनियोग, 2049- ब्याज अदायगी, 2054- खजाना तथा लेखा प्रशासन, 2059- लोक निर्माण कार्य, 2070- अन्य प्रशासनिक सेवाएं, 2071- पेंशन तथा अन्य सेवा निवृत्ति लाभ, 2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, 3451- सचिवालय आर्थिक सेवायें, 3454- जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय, 6003- राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण, 6004- केन्द्रीय सरकार से ऋण तथा अग्रिम तथा 7610- सरकारी कर्मचारी आदि को ऋण)

		कुल अनुदान/ विनियोजन	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य (+) बचत (-)
राजस्व प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	87,92,89,17			
		94,28,18,47	1,04,08,81,71	(+)9,80,63,24
पूरक	6,35,29,30			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)				3,29,94
प्रभारित				
मूल	55,62,00,51			
		56,59,56,01	56,48,73,30	(-)10,82,71
पूरक	97,55,50			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..
पूंजीगत प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	6,67,52			
		9,17,16	7,31,71	(-)1,85,45
पूरक	2,49,64			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)				1,41,46
प्रभारित				
मूल	54,86,63,98			
		88,56,62,24	78,95,86,86	(-)9,60,75,38
पूरक	33,69,98,26			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 29 (क्रमशः)
टिप्पणियाँ तथा अभ्युक्तियाँ

- (i) राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 9,80,63,24,113 के अंतिम आधिक्य का नियमन अपेक्षित है।
- (ii) राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 98,063.24 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से फरवरी 2024 में प्राप्त ₹ 63,529.30 लाख का अनुपूरक अनुदान अपर्याप्त सिद्ध हुआ तथा ₹ 329.94 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक सिद्ध हुआ।
- (iii) राजस्व प्रवर्ग के प्रभारित विनियोग में ₹ 1,082.71 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से फरवरी 2024 में प्राप्त ₹ 9,755.50 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ तथा विभाग द्वारा वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (iv) पूंजीगत प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 185.45 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से फरवरी 2024 में प्राप्त ₹ 249.64 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- (v) पूंजीगत प्रवर्ग के प्रभारित विनियोजन में ₹ 96,075.38 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में प्राप्त ₹ 3,36,998.26 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ तथा विभाग द्वारा वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

राजस्व प्रवर्ग

- (vi) दत्तमत अनुदान में आधिक्य मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
		(₹ लाख में)	

2071- पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभ-

01- सिविल-

101- अधिवार्षिकता तथा सेवानिवृत्ति भत्ते-

03- 1.11.1966 से अधिवार्षिकी-

मूल 4,96,767.92

पूरक 18,180.04

5,16,717.73

5,84,472.42

(+)67,754.69

पुनर्वि0 1,769.77

₹ 67,754.69 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,769.77 लाख का आवर्धन पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के भुगतान के लिए निधियों की अधिक आवश्यकता के कारण हुआ जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

₹ 67,754.69 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

102- पेंशन का सारांशीकृत मूल्य-

02- 1.11.1966 से देय राशि-

मूल 68,703.86

पूरक 11,000.17

85,090.53

92,300.73

(+)7,210.20

पुनर्वि0 5,386.50

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 29 (क्रमशः)

₹ 7,210.20 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टी से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 5,386.50 लाख का आवर्धन मामलों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

₹ 7,210.20 लाख का अंतिम आधिक्य अनुमान से अधिक मामलों की प्राप्ति के कारण हुआ।

104-	उपदान-				
02-	1.11.1966 से ग्रेच्युटी का भुगतान-				
	मूल	96,682.73			
			90,000.00	1,07,021.54	(+)17,021.54
	पुनर्वि०	(-)6,682.73			

₹ 17,021.54 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टी से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 6,682.73 लाख की कमी मामलों की कम प्राप्ति तथा निधियों की कम आवश्यकता के कारण हुई जोकि अनुचित सिद्ध हुई।

₹ 17,021.54 लाख का अंतिम आधिक्य उपदान मामलों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ।

105-	परिवार पेंशन-				
02-	1.11.1996 से भुगतान-				
	मूल	1,30,533.96			
			1,33,902.14	1,46,155.62	(+)12,253.48
	पूरक	3,368.18			

₹ 12,253.48 लाख का अंतिम आधिक्य पारिवारिक पेंशन मामलों की अनुमान से अधिक प्राप्ति के कारण हुआ।

111-	विधायकों को पेंशन-				
01-	राज्य के विधायक-				
	मूल	2,332.18			
			2,397.63	2,536.93	(+)139.30
	पूरक	65.45			

₹ 139.30 लाख का अंतिम आधिक्य विधायकों के पारिवारिक पेंशन मामलों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ।

(vii)	उपरोक्त आधिक्य मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई बचत से अंशतः प्रतिसन्तुलित हुआ:-			
	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
			(₹ लाख में)	

2048- कर्ज से बचने के लिए विनियोग-

101-	ऋण चुकाने की निधि-			
01-	ऋण चुकाने की निधि में स्थानान्तरण-			
(i)	मूल	1.00		
			..	..
	पुनर्वि०	(-)1.00		
200-	अन्य विनियोग-			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 29 (क्रमशः)

01- गारंटी निधि में स्थानांतरण-

(ii) मूल 1.00

पुनर्वि० (-)1.00

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2.00 लाख का समस्त प्रावधान कम कर दिया गया; जिसके कारण सूचित नहीं किए गये (जुलाई 2024)।

2054- खजाना तथा लेखा प्रशासन-

095- लेखा एवं कोष निदेशालय-

04- विश्व बैंक सहायता प्राप्त एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली
(बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना)-

मूल 1,185.00

पूरक 949.93 2,142.59 2,080.99 (-)61.60

पूरक 7.66

₹ 61.60 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

097- खजाना स्थापना-

01- जिला स्थापना एवं उप कोषागार-

मूल 3,836.65

पूरक 25.00 3,550.16 3,478.71 (-)71.45

पुनर्वि० (-)311.49

₹ 71.45 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 311.49 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की कम नियुक्ति तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 71.45 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

098- स्थानीय निधि लेखा परीक्षा -

01- स्थानीय निधि लेखा परीक्षा संगठन-

मूल 986.19

पूरक 8.74 991.63 962.41 (-)29.22

पुनर्वि० (-)3.30

₹ 29.22 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

2071- पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभ-

01- सिविल-

104- उपदान-

03- विभिन्न ग्रच्युटी अधिनियमों के तहत ग्रच्युटी-

मूल 1,775.97

1,310.44 1,123.93 (-)186.51

पुनर्वि० (-)465.53

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 29 (क्रमशः)

₹ 186.51 लाख की अंतिम बचत की दृष्टी से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 465.53 लाख की कमी निधियों की कम आवश्यकता के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 186.51 लाख की अंतिम बचत मामलों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

105- पारिवारिक पेंशन-

01- 1.11.1966 से पूर्व देय राशि-

मूल 8.01

.. ..

पुनर्वि० (-)8.01

मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 8.01 लाख का समस्त प्रावधान निधियों की कम आवश्यकता के कारण कम कर दिया गया।

115- छुट्टी नकदीकरण हितलाभ-

01- अवकाश भुगतान-

मूल 67,573.52

90,000.00 86,425.65 (-)3,574.35

पूरक 22,426.48

₹ 3,574.35 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

117- परिभाषित योगदान पेंशन योजना के

लिए सरकार अंशदान-

01- अंशदान पेंशन योजना-

मूल 5,000.00

9,700.00 9,372.86 (-)327.14

पूरक 4,700.00

₹ 327.14 लाख की अंतिम बचत मामलों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

2235- सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण-

60- अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम-

102- सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अन्तर्गत पेंशन-

05- अटल पेंशन योजना-

मूल 1,500.00 1,500.00 .. (-)1,500.00

₹ 1,500.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

3451- सचिवालय-आर्थिक सेवाएं-

091- सम्बद्ध कार्यालय-

01- वित्त और सार्वजनिक उद्यम संस्थागत निदेशालय-

(i) मूल 200.00

210.00 160.70 (-)49.30

पूरक 10.00

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 29 (क्रमशः)

3454- जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी-

02- सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी-

111- जन्म-मृत्यु सांख्यिकी-

01- मुख्यालय तथा जिला कर्मचारी वर्ग-

(ii) मूल 1,049.50

पूरक 1.85 1,042.85 936.46 (-)106.39

पुनर्वि० (-)8.50

04- गुड गवर्नेस के लिए पुरस्कार-

(iii) मूल 110.00 110.00 36.25 (-)73.75

उपरोक्त तीन मामलों में ₹ 229.44 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

(viii) प्रभारित विनियोजन में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल विनियोजन	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
		(₹ लाख में)	

2049- ब्याज अदायगी-

01- आंतरिक ऋण पर ब्याज-

101- बाजार ऋणों पर ब्याज-

89- प्रतिशत हिमाचल प्रदेश राज्य

विकास ऋण (नए ऋण)-

मूल 46,500.00

..

..

..

पुनर्वि० (-)46,500.00

मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 46,500.00 लाख का समस्त विनियोजन निर्धारित समय के अनुसार ऋण पर ब्याज के भुगतान के लिए निधियों की कम आवश्यकता के कारण कम कर दिया गया। ऐसा विनियोजन वर्ष 2010-11 से रखा जा रहा है।

200- अन्य आंतरिक ऋणों पर ब्याज-

05- राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से ऋण-

मूल 1,400.00

1,067.81

1,067.81

..

पुनर्वि० (-)332.19

मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा विनियोजन में ₹ 332.19 लाख की कमी ब्याज के भुगतान के लिए निधियों की कम आवश्यकता के कारण हुई।

305 ऋण प्रबन्ध-

01- ऋण का प्रबन्ध-

(i) मूल 800.00 800.00 624.80 (-)175.20

05- आरक्षित निधि पर ब्याज-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 29 (क्रमशः)

105-	सामान्य और अन्य आरक्षित निधियों पर ब्याज-				
02-	कैम्पा फंड पर ब्याज-				
	मूल	5,500.00	5,500.00	5,403.34	(-)96.66

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 271.86 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

2071- पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभ-

01-	सिविल-				
104-	उपदान-				
03-	विभिन्न ग्रेच्युटी अधिनियमों के अन्तर्गत ग्रेच्युटी-				
	पूरक	72.70	72.70	..	(-)72.70

₹ 72.70 लाख का समस्त विनियोजन अप्रयुक्त रहा तथा ₹ 72.70 लाख की अंतिम बचत मामलों की कम प्राप्ति के कारण अप्रयुक्त रहा।

04-	ग्रेच्युटी के विलंबित भुगतान पर ब्याज-				
	मूल	0.01			
			57.63	36.74	(-)20.89
	पूरक	57.62			

₹ 20.89 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

(ix)	उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसन्तुलित हुई:-				
	शीर्ष	कुल विनियोजन	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)	बचत (-)
			(₹ लाख में)		

2049- ब्याज अदायगी-

01-	आंतरिक ऋण पर ब्याज-				
101-	बाजार ऋणों पर ब्याज-				
K7-	7.59 प्रतिशत हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार सुरक्षा 2038-				
(i)	पूरक	0.01			
			9,867.00	9,867.00	..
	पुनर्वि०	9,866.99			
K8-	7.76 प्रतिशत हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार सुरक्षा 2033-				
(ii)	पूरक	0.01			
			6,984.00	6,984.00	..
	पुनर्वि०	6,983.99	..		

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा विनियोजन में ₹ 16,850.98 लाख का आर्वधन निर्धारित समय के अनुसार ऋण पर ब्याज के भुगतान के लिए निधियों की अधिक आवश्यकता के कारण हुआ।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 29 (क्रमशः)

K9-	7.72 प्रतिशत हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार सुरक्षा 2031-				
	पूरक	0.01			
			4,632.00	3,099.00	(-)1,533.00
	पुनर्वि०	4,631.99			
₹ 1,533.00 लाख की अंतिम बचत की दृष्टी से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा विनियोजन में ₹ 4,631.99 लाख का आवर्धन निर्धारित समय के अनुसार ऋण पर ब्याज के भुगतान के लिए निधियों की अधिक आवश्यकता के कारण हुआ जोकि अत्यधिक सिद्ध हुआ। ₹ 1,533.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।					
L1-	7.79 प्रतिशत हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार सुरक्षा 2038-				
(i)	पूरक	0.01			
			7,790.00	7,790.00	..
	पुनर्वि०	7,789.99			
L2-	7.75 प्रतिशत हिमाचल प्रदेश राज्य सुरक्षा 2032-				
(ii)	पूरक	0.01			
			5,425.00	5,425.00	..
	पुनर्वि०	5,424.00			
L3--	7.26 प्रतिशत हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार सुरक्षा 2029-				
(iii)	पूरक	0.01			
			1,089.00	1,089.00	..
	पुनर्वि०	1,088.99			
L4-	7.29 प्रतिशत हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार सुरक्षा 2031-				
(iv)	पूरक	0.01			
			1,822.50	1,822.50	..
	पुनर्वि०	1,822.49			
L5-	7.45 प्रतिशत हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार सुरक्षा 2033-				
(v)	पूरक	0.01			
			1,862.50	1,862.50	..
	पुनर्वि०	1,862.49			
L6-	7.50 प्रतिशत हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार सुरक्षा 2038-				
(vi)	पूरक	0.01			
			1,875.00	1,875.00	..
	पुनर्वि०	1,874.99			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 29 (क्रमशः)

L7- 7.42 प्रतिशत हिमाचल प्रदेश राज्य
सरकार सुरक्षा 2038-

(vii) पूरक	0.01	1,855.00	1,855.00	..
पुनर्वि०	1,854.99			

उपरोक्त सात मामलों में मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा विनियोजन में ₹ 21,718.93 लाख का आवर्धन निर्धारित समय के अनुसार ऋण पर ब्याज के भुगतान के लिए निधियों की अधिक आवश्यकता के कारण हुआ।

115- भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम पर ब्याज-
01- भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम प्रभार पर ब्याज-
मूल 0.01

		200.00	214.34	(+)14.34
पुनर्वि०	199.99			

₹ 14.34 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा विनियोजन में ₹ 199.99 लाख का आवर्धन निर्धारित समय के अनुसार ऋण पर ब्याज के भुगतान के लिए निधियों की अधिक आवश्यकता के कारण हुआ जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

₹ 14.34 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

02- ओवरड्राफ्ट पर ब्याज-

मूल	0.01	36.73	36.72	(-)0.01
पुनर्वि०	36.72			

मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा विनियोजन में ₹ 36.72 लाख का आवर्धन निर्धारित समय के अनुसार ऋण पर ब्याज के भुगतान के लिए निधियों की अधिक आवश्यकता के कारण हुआ।

116- 14 दिन के खजाना बिलों पर ब्याज-
01- 14 दिन के खजाना बिलों पर ब्याज -

मूल	400.00	400.00	682.59	(+)282.59
-----	--------	--------	--------	-----------

₹ 282.59 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

200- अन्य आंतरिक ऋणों पर ब्याज-
07- राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक-
मूल 13,000.00

		14,000.00	13,980.13	(-)19.87
पुनर्वि०	1,000.00			

मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा विनियोजन ₹ 1,000.00 लाख का आवर्धन निर्धारित समय के अनुसार ऋण पर ब्याज के भुगतान के लिए निधियों की अधिक आवश्यकता के कारण हुआ।

305- ऋण का प्रबन्ध-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 29 (क्रमशः)

02- फ्लोटेशन शुल्क पर माल और सेवा कर-

पूरक 0.01

16.38

138.91

(+)122.53

पुनर्वि० 16.37

₹ 122.53 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टी से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा विनियोजन में ₹ 16.37 लाख का आवर्धन ब्याज के भुगतान के लिए निधियों की अधिक आवश्यकता के कारण हुआ जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

₹ 122.53 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

03- अल्प बचतो, भविष्य निधियो आदि पर ब्याज-

104- राज्य भविष्य निधियों पर ब्याज-

01- सामान्य भविष्य निधि-

मूल 1,14,000.00

पूरक 9,625.07

1,25,000.00

1,25,435.00

(+)435.00

पुनर्वि० 1,374.93

₹ 435.00 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टी से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा विनियोजन में ₹ 1,374.93 लाख का आवर्धन ब्याज के भुगतान के लिए निधियों की अधिक आवश्यकता के कारण हुआ जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

₹ 435.00 लाख का अंतिम आधिक्य पुरानी पेंशन योजना लागू होने तथा सामान्य भविष्य निधि सदस्यता में वृद्धि के कारण हुआ।

03- ए.आई.एस.भविष्य निधि-

मूल 400.00

450.00

460.28

(+)10.28

पुनर्वि० 50.00

मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा विनियोजन में ₹ 50.00 लाख का आवर्धन ब्याज के भुगतान के लिए निधियों की अधिक आवश्यकता के कारण हुआ।

108- बीमा और पेंशन निधि पर ब्याज-

01- हिमाचल प्रदेश सरकारी कर्मचारी समूह

बीमा योजना-

मूल 2,400.00

2,550.00

2,520.65

(-)29.35

पुनर्वि० 150.00

₹ 29.35 लाख की अंतिम बचत की दृष्टी से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा विनियोजन में ₹ 150.00 लाख का आवर्धन ब्याज के भुगतान के लिए निधियों की अधिक आवश्यकता के कारण हुआ जोकि अत्यधिक सिद्ध हुआ।

₹ 29.35 लाख का अंतिम आधिक्य मामलों की कम प्राप्ति के कारण हुआ।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 29 (क्रमशः)

04- केन्द्रीय सरकार से ऋणों तथा अग्रिमों
पर ब्याज-

101- राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए कर्जों
पर ब्याज-

01- खण्ड विकास ऋण पर ब्याज-

मूल 6,855.61

7,656.91

7,656.91

..

पुनर्वि० 801.30

मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा विनियोजन में ₹ 801.30 लाख का आर्वधन ऋण पर ब्याज के भुगतान के लिए निधियों की अधिक आवश्यकता के कारण हुआ।

पूँजीगत प्रवर्ग

(x) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
			(₹ लाख में)

7610- सरकारी कर्मचारी आदि को ऋण-

201- गृह निर्माण अग्रिम-

01- सरकारी कर्मचारियों को मकान
के लिए अग्रिम-

मूल 600.00

173.95

167.47

(-)6.48

पुनर्वि० (-)426.05

मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 426.05 लाख की कमी भवन निर्माण अग्रिम मामलों की कम प्राप्ति तथा भवन ऋण अग्रिम के लिए प्रस्तावों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

800- अन्य अग्रिम-

04- शिक्षा ऋण-

मूल 10.00

0.75

0.75

..

पुनर्वि० (-)9.25

मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 9.25 लाख की कमी लाभार्थियों से प्रस्तावों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

(xi) उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अंतर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसन्तुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
			(₹ लाख में)

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 29 (क्रमशः)

01-	कार्यालय भवन-				
051-	सामान्य पूल आवास का निर्माण-				
34-	विश्व बैंक समर्थित एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (बाह्य सहायता प्राप्त) के अंतर्गत कोषागार भवन-				
	पूरक	249.63			
			425.99	425.99	..
	पुनर्वि०	176.36			

मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 176.36 लाख का आवर्धन विश्व बैंक सहायता प्राप्त एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के अंतर्गत लंबित देयता को पूरा करने के कारण हुआ।

7610- सरकारी कर्मचारी आदि को ऋण-

201-	गृह निर्माण अग्रिम-				
02-	मंत्रियों/उपमंत्रियों और राज्य विधायकों तथा पीठासीन अध्यक्षों को अग्रिम-				
	मूल	50.00			
			150.00	125.00	(-)25.00
	पुनर्वि०	100.00			

₹ 25.00 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 100.00 लाख का आवर्धन मंत्रियों को गृह निर्माण अग्रिम देने के लिए निधियों की अधिक आवश्यकता के कारण हुआ जोकि अत्यधिक सिद्ध हुआ।

₹ 25.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

03-	हाई कोर्ट के जजों/लोकायुक्त इत्यादि को अग्रिम-				
	मूल	7.50			
			25.00	12.50	(-)12.50
	पुनर्वि०	17.50			

₹ 12.50 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 17.50 लाख का आवर्धन गृह निर्माण अग्रिम देने के लिए अधिक निधियों की आवश्यकता के कारण हुआ जोकि अत्यधिक सिद्ध हुआ।

₹ 12.50 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

(xii) प्रभारित विनियोजन में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल विनियोजन	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
		(₹ लाख में)	

6003- राज्य सरकार का आंतरिक ऋण-

108- राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से कर्ज-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 29 (समाप्त)

02- राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से ऋण-

मूल 3,000.00

2,196.70

2,196.70

..

पुनर्वि० (-)803.30

मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा विनियोजन में ₹ 803.30 लाख की कमी ऋण की अदायगी के लिए निधियों की कम आवश्यकता के कारण हुई।

110- भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम-

01- साधारण अर्थोपाय अग्रिम तथा ओवर

ड्राफ्ट अधिविकरण-

मूल 2,00,000.00

पूरक 2,49,197.69

44,65,34,53

3,50,459.00

(+)96,075.53

पुनर्वि० (-)2,663.16

₹ 96,075.53 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा विनियोजन में ₹ 2,663.16 लाख की कमी राज्य सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक से कम अर्थोपाय अग्रिम लिए जाने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 96,075.53 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

(xiii) उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्ष के अंतर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसन्तुलित हुई:-

शीर्ष

कुल विनियोजन

वास्तविक

आधिक्य (+)

व्यय

बचत (-)

(₹ लाख में)

6004- राज्य सरकार का आंतरिक ऋण-

105- राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास

बैंक से कर्ज-

01- राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास

बैंक से ऋण-

मूल 56,294.21

59,760.68

59,760.68

..

पुनर्वि० 3,466.47

मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा विनियोजन में ₹ 3,466.47 लाख का आवर्धन ऋण अदायगी के लिए निधियों की अधिक आवश्यकता के कारण हुआ।

विनियोग लेखे

अनुदान संख्या-30- विविध सामान्य सेवाएँ

(शीर्ष- 2059-लोक निर्माण-कार्य, 2070- अन्य प्रशासनिक सेवाएँ, 2202- सामान्य शिक्षा, 2204- खेलकूद तथा युवा सेवाएँ, 2205- कला एवं संस्कृति, 2220- सूचना तथा प्रचार, 2235- सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण 2250- अन्य सामाजिक सेवाएँ, 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय, 4202- शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय तथा 4220- सूचना तथा प्रचार पर पूंजीगत परिव्यय)

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य (+) बचत (-)
राजस्व प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	96,17,39			
		1,04,94,29	97,53,13	(-)7,41,16
पूरक	8,76,90			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)				2,26,41
पूंजीगत प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	23,40,00			
		32,83,26	24,73,66	(-)8,09,60
पूरक	9,43,26			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)				23,68

टिप्पणियाँ तथा अभ्युक्तियाँ

- (i) राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 741.16 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से फरवरी 2024 में प्राप्त ₹ 876.90 लाख की अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुई तथा ₹ 226.41 लाख का अभ्यर्पण अपर्याप्त सिद्ध हुआ।
- (ii) पूंजीगत प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 809.60 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से फरवरी 2024 में प्राप्त ₹ 943.26 लाख की अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुई तथा ₹ 23.68 लाख का अभ्यर्पण अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

राजस्व प्रवर्ग

- (iii) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य (+) बचत (-)
-------	------------	---------------------------------	-----------------------

2059- लोक निर्माण कार्य-

01- कार्यालय भवन-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-30 (क्रमशः)

053- रखरखाव तथा मरम्मत-

23- लोकसंपर्क विभाग के भवनों पर रखरखाव व्यय-

मूल 2.10

5.10

1.83

(-)3.27

पुनर्वि0 3.00

₹ 3.27 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 3.00 लाख का आवर्धन कार्यालय भवनों की मरम्मत तथा रखरखाव पर अधिक व्यय होने के कारण हुई जोकि अनावश्यक सिद्ध हुई।

₹ 3.27 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतिक्षित थे (जुलाई 2024)।

2070- अन्य प्रशासनिक सेवाएं-

003- प्रशिक्षण-

01- भारतीय प्रशासनिक सेवा परिक्षार्थियों
का प्रशिक्षण व्यय-

(i) मूल 187.67

260.97

234.60

(-)26.37

पूरक 73.30

02- हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा के
परिवीक्षार्थियों का प्रशिक्षण व्यय-

(ii) मूल 89.79

170.29

128.14

(-)42.15

पूरक 80.50

03- हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासनिक संस्थान-

(iii) मूल 403.44

504.94

406.54

(-)98.40

पूरक 101.50

उपरोक्त तीन मामलों में ₹ 166.92 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतिक्षित थे (जुलाई 2024)।

2204- खेलकूद तथा युवा सेवाएं-

001- निर्देशन एवं प्रशासन-

.01- निदेशालय-

मूल 1,256.91

पूरक 40.40

1,220.69

1,107.33

(-)113.36

पुनर्वि0 (-)76.62

₹ 113.36 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 76.62 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 113.36 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतिक्षित थे (जुलाई 2024)।

101- व्यायाम शिक्षा-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-30 (क्रमशः)

01-	शारीरिक शिक्षा योजना-				
(i)	मूल	48.11	48.11	34.80	(-)13.31
104-	खेलकूद-				
01-	पर्वतारोहण संस्थान एवं संबद्ध खेल मनाली-				
(ii)	मूल	463.52			
			471.25	442.81	(-)28.44
	पूरक	7.73			
2205-	कला एवं संस्कृति-				
102-	कला तथा संस्कृति को बढ़ावा-				
04-	कला केन्द्र-				
(iii)	मूल	13.47	13.47	10.72	(-)2.75
	उपरोक्त तीन मामलों में ₹ 44.50 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।				
08-	आज पुरानी राहों से-				
(i)	मूल	1.00	1.00	..	(-)1.00
09-	देव भूमि दर्शन योजना-				
(ii)	मूल	1.00	1.00	..	(-)1.00
	उपरोक्त दो मामलों में ₹ 2.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा: जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।				
103-	पुरातत्व-				
01-	प्राचीन कला और कला भू-निधि अधिनियम 1972 में क्रियान्वयन पर व्यय-				
	मूल	299.00			
	पूरक	412.21	719.00	621.82	(-)97.18
	पुनर्वि०	412.21			
	₹ 97.18 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।				
2220-	सूचना तथा प्रचार-				
01-	चलचित्र-				
001-	निदेशन और प्रशासन-				
01-	निदेशालय-				
	मूल	710.52			
			647.93	647.91	(-)0.02
	पुनर्वि०	(-)62.59			
	मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 62.59 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, मंहगाई भत्तों व वेतन संशोधन के बकाया का भुगतान न करने के कारण हुई।				
02-	जिला स्थापना-				
	मूल	851.11			
			820.85	820.78	(-)0.07
	पुनर्वि०	(-)30.26			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-30 (क्रमशः)

मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 30.26 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, मंहगाई भत्तों व वेतन संशोधन के बकाया का भुगतान न करने के कारण हुई जोकि मजदूरी दरों में संशोधन होने के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

105- चलचित्र का निर्माण-

01- इलेक्ट्रॉनिक प्रचार सामग्री का उत्पादन और प्रसार-

मूल 289.55

258.50

258.49

(-)0.01

पुनर्वि० (-)31.05

मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 31.05 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, मंहगाई भत्तों व वेतन संशोधन के बकाया के भुगतान न करने के कारण हुई।

60- अन्य-

107- गीत तथा नाटक सेवाएँ-

01- गीत तथा नाटक सेवाओं पर व्यय-

मूल 281.88

150.89

150.89

..

पुनर्वि० (-)130.99

मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 130.99 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, मंहगाई भत्तों व वेतन संशोधन के बकाया का भुगतान तथा लोक मिडिया के माध्यम प्रचार के व्यय में कमी होने के कारण हुई।

110- प्रकाशन-

01- प्रकाशन योजना पर व्यय-

मूल 279.41

204.70

204.70

..

पुनर्वि० (-)74.71

मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 74.71 लाख की कमी प्रचार सामग्री के कम प्रकाशन, रिक्त पदों को न भरने तथा मंहगाई भत्तों व वेतन संशोधन के बकाया का भुगतान न करने के कारण हुई।

(iv) उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसन्तुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
			(₹ लाख में)

2205- कला एवं संस्कृति-

102- कला एवं संस्कृति को बढ़ावा-

01- हिमाचल प्रदेश कला, संस्कृति एवं भाषा अकादमी को सहायता अनुदान-

मूल 150.00

170.00

170.00

..

पुनर्वि० 20.00

विनियोग लेखे

अनुदान संख्या-30 (क्रमशः)

मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 20.00 लाख का आवर्धन वेतन पर अधिक व्यय होने के कारण हुआ।

02-	उत्सवों पर व्यय-				
	मूल	202.00			
			262.00	227.86	(-)34.14

पुनर्वि० 60.00

₹ 34.14 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 60.00 लाख का आवर्धन हर घर तिरंगा अभियान के लिए राष्ट्रीय ध्वज की खरीद पर अधिक व्यय होने के कारण हुआ जोकि अत्यधिक सिद्ध हुआ।

₹ 34.14 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

2220- सूचना तथा प्रचार-

60- अन्य-

101- विज्ञापन और दृश्य प्रचार-

01- विज्ञापन और दृश्य प्रचार पर व्यय-

	मूल	2,429.50			
			2,475.56	2,475.54	(-)0.02
	पुनर्वि०	46.06			

मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 46.06 लाख का आवर्धन अतिविशिष्ट गणमान्य व्यक्तियों द्वारा विधानसभा दौरे तथा राष्ट्रीय प्रेस दिवस समारोह के आतिथ्य प्रभारों पर अधिक व्यय के कारण हुआ जोकि रिक्त पदों को न भरने तथा मंहगाई भत्तों व वेतन संशोधन के बकाया के भुगतान न होने कारण हुई बचत से अंशतः प्रतिसंतुलित हुआ।

102- सूचना केन्द्र-

01- प्रेस सूचना सेवाओं पर व्यय-

	मूल	333.17			
			402.66	401.72	(-)0.94
	पुनर्वि०	69.49			

मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 69.49 लाख का आवर्धन मीडिया समन्वयकों को मानदेय के भुगतान, वेतन पर अधिक व्यय तथा बाह्य स्रोत सेवाओं की दरों में वृद्धि होने के कारण हुआ।

पूँजीगत प्रवर्ग

(v) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
		(₹लाख में)	

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय-

80- सामान्य-

051- निर्माण-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-30 (समाप्त)

06- हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान के भवनों का निर्माण-

मूल	70.00	70.00	..	(-)70.00
-----	-------	-------	----	----------

₹ 70.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा: जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-

03- खेलकूद तथा युवा सेवाएं-

101- युवा छात्रावास-

01- भवन -

(i) मूल	310.00	310.00	142.19	(-)167.81
---------	--------	--------	--------	-----------

102- खेल क्रीडा स्थल-

01- बहुउद्देशीय खेल परिसर-

(ii) मूल	1000.00	1000.00	972.03	(-)27.97
----------	---------	---------	--------	----------

05- मुख्यमंत्री युवा खेल प्रोत्साहन योजना-

(iii) मूल	735.00	735.00	225.00	(-)510.00
-----------	--------	--------	--------	-----------

उपरोक्त तीन मामलों में ₹ 705.78 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

4220- सूचना तथा प्रचार पर पूंजीगत परिव्यय-

60- अन्य-

101- लोक निर्माण-

02- प्रेस क्लब भवन का निर्माण-

मूल	20.00			
-----	-------	--	--	--

पुनर्वि०	(-)20.00			
----------	----------	--	--	--

मार्च 2024 में ₹ 20.00 लाख के समस्त प्रावधान को संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण कम कर दिया गया।

विनियोग लेखे

अनुदान संख्या - 31-जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम

(शीर्ष- 2014 - न्याय प्रशासन, 2015- निर्वाचन, 2029- भू-राजस्व, 2030- स्टॉम्प तथा पंजीकरण, 2045- वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क, 2047- अन्य राजकोषीय सेवाएं, 2053- जिला प्रशासन, 2054-खजाना तथा लेखा प्रशासन, 2055- पुलिस, 2056- जेल, 2059-लोक निर्माण-कार्य, 2062-सतर्कता, 2070- अन्य प्रशासनिक सेवाएं, 2202- सामान्य शिक्षा, 2203- तकनीकी शिक्षा, 2204-खेलकूद तथा युवा सेवाएं, 2205- कला एवं संस्कृति, 2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 2211- परिवार कल्याण, 2215- जलापूर्ति तथा सफाई, 2216- आवास, 2217- शहरी विकास, 2220- सूचना तथा प्रचार, 2225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण, 2230- श्रम रोजगार और कौशल विकास, 2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, 2236- पोषण, 2251- सचिवालय सामाजिक सेवाएं, 2401- फसल कृषि- कर्म, 2402- भू तथा जल संरक्षण, 2403- पशु पालन, 2404- दुग्ध विकास, 2405- मत्स्य पालन, 2406- वानिकी तथा वन्य जीवन, 2408- खाद्य भण्डारण तथा भाण्डागार, 2415- कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा, 2425- सहकारिता, 2435- अन्य कृषि कार्यक्रम, 2501- ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम, 2505- ग्राम रोजगार, 2506- भूमि-सुधार, 2515- अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम, 2702- लघु सिंचाई, 2801-विद्युत, 2851- ग्रामीण तथा लघु उद्योग, 2852- उद्योग, 2853- अलौह खनन तथा धातु उद्योग, 3054- सड़कों तथा सेतु, 3055- सड़क परिवहन, 3452- पर्यटन, 3454- जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, 3456- नागरिक आपूर्ति, 3475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं, 4055- पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय, 4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय, 4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय, 4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय, 4210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय, 4215-जलापूर्ति तथा स्वच्छता पर पूंजीगत परिव्यय, 4216- आवास पर पूंजीगत परिव्यय, 4225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय, 4235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत व्यय, 4401- फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय, 4402- मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय, 4403- पशु पालन पर पूंजीगत परिव्यय, 4405-मत्स्य पालन पर पूंजीगत परिव्यय, 4406- वानिकी तथा वन्य प्राणियों पर पूंजीगत परिव्यय, 4408-खाद्य, भण्डारण तथा भाण्डागार पर पूंजीगत परिव्यय, 4425-सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय, 4515- अन्य ग्रसत विकास कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय, 4702- लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, 4705-कमान क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय, 4711-बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय, 4801-बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय, 4851-ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय, 5002-भारतीय रेलवे वाणिज्यिक लाइनों पर पूंजीगत परिव्यय, 5053- नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय, 5054- सड़कों तथा पुलों पर पूंजीगत परिव्यय, 5055- सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय, 5075-अन्य परिवहन सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय 5452- पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय, 5475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय तथा 6801-बिजली परियोजनाओं के लिए ऋण)

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-31 (क्रमशः)

		कुल अनुदान/ विनियोजन	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य (+) बचत (-)
राजस्व प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	18,23,81,43			
		18,64,05,92	15,35,42,25	(-)3,28,63,67
पूरक	40,24,49			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)				85,34,24
प्रभारित				
मूल	..			
		54,08	54,07	(-)1
पूरक	54,08			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..
पूंजीगत प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	4,98,13,50			
		4,98,13,57	3,09,16,25	(-)1,88,97,32
पूरक	7			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2024)				19,21,18

टिप्पणियाँ तथा अभ्युक्तियाँ

- (i) राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 32,863.67 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से फरवरी 2024 में प्राप्त ₹ 4,024.49 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ जबकि मूल अनुदान भी अप्रयुक्त रहा तथा ₹ 8,534.24 लाख का अभ्यर्पण अपर्याप्त सिद्ध हुआ।
- (ii) पूंजीगत प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 18,897.32 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से फरवरी 2024 ₹ 0.07 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ जबकि मूल अनुदान भी अप्रयुक्त रहा तथा मार्च 2024 में ₹ 1,921.18 लाख का अभ्यर्पण अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-31 (क्रमशः)

राजस्व प्रवर्ग

(iii) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-				आधिक्य (+)
शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय		बचत (-)
		(₹ लाख में)		
2029- भू-राजस्व-				
796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				
01- जिला स्थापना पर व्यय-				
(i) मूल	554.77	554.77	486.22	(-)68.55
₹ 68.55 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।				
2030- स्टाम्प तथा पंजीकरण-				
02- स्टाम्प न्यायिकेतर-				
796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				
01- गैर-न्यायिक स्टाम्पों के विक्रय पर व्यय-				
मूल	1.04	1.04	..	(-)1.04
₹ 1.04 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।				
2053- जिला प्रशासन-				
796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				
01- जिला स्थापना पर व्यय-				
मूल	1,340.98			
		1,377.08	1,279.34	(-)97.74
पुनर्वि0	36.10			
₹ 97.74 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 36.10 लाख का आवर्धन दैनिक मजदूरों की भर्ती और चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ जोकि अनुचित सिद्ध हुआ।				
₹ 97.74 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।				
02- उपमण्डलों की स्थापना पर व्यय-				
मूल	212.03			
		213.13	191.88	(-)21.25
पुनर्वि0	1.10			
₹ 21.25 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।				
03- अनुसूचित क्षेत्र में एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना कार्यालय-				
मूल	273.60			
		250.45	226.75	(-)23.70
पुनर्वि0	(-)23.15			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-31 (क्रमशः)

₹ 23.70 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 23.15 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 23.70 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

05- आवासीय आयुक्त, पांगी के कार्यालय पर व्यय-

मूल	62.19			
		63.26	39.61	(-)23.65
पुनर्वि०	(-)1.07			

₹ 23.65 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

10- सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम-

मूल	150.00			
		11.95	11.95	..
पुनर्वि०	(-)138.05			

मार्च 2024 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 138.05 लाख की कमी भारत सरकार से केन्द्रीय हिस्सेदारी की प्राप्ति न होने तथा राज्य की हिस्सेदारी अप्रयुक्त रहने के कारण हुई।

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

मूल	1,350.00			
		..	..	..
पुनर्वि०	(-)1,350.00			

मार्च 2024 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 1,350.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से केन्द्रीय हिस्सेदारी की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया।

12- अपर उपायुक्त का काज़ा के कार्यालय पर व्यय-

मूल	15.06	15.06	7.15	(-)7.91
-----	-------	-------	------	---------

₹ 7.91 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

14- प्रशिक्षण, जनजातीय संस्कृति/खेल एवं अन्य विकास सुविधाओं को बढ़ावा देना-

मूल	310.00			
		21.19	12.39	(-)8.80
पुनर्वि०	(-)288.81			

मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 288.81 लाख की कमी खेलकूद व अन्य विकास सुविधाओं, टेलीफोन, पानी एवं बिजली के बिलों की कम प्राप्ति के कारण कम कर दिया गया।

2054- खजाना तथा लेखा प्रशासन-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

02- विश्व बैंक सहायता प्राप्त एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएँ)-

मूल	162.00			
		..	..	..
पुनर्वि०	(-)162.00			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-31 (क्रमशः)

₹ 162.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

2055- पुलिस-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- पुलिस संगठनों पर व्यय-

मूल 6,062.49

6,103.51

5,815.33

(-)288.18

पुनर्वि० 41.02

₹ 288.18 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 41.02 लाख का आवर्धन पेट्रोल तेल स्नेहक के भुगतान पर, वाहन की मरम्मत के दर पर अधिक व्यय तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ।

₹ 288.18 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

03- जिला कार्यकारिणी फोर्स पर व्यय
(जिला लाहौल स्पीति)-

(i) मूल 247.63

247.63

225.50

(-)22.31

04- पुलिस रेडिरू स्टाफ पर व्यय-

(ii) मूल 943.33

945.33

891.29

(-)54.04

पुनर्वि० 2.00

07- सुरक्षा सम्बंधी व्यय-

(iii) मूल 85.00

85.00

61.05

(-)23.95

2059- लोक निर्माण-कार्य-

01- कार्यालय भवन-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

02- सरकारी जिला राजस्व भवनों के रखरखाव एवं मरम्मत पर व्यय-

(iv) मूल 2.88

2.88

0.65

(-)2.23

05- नए औजारों तथा सयंत्रों की आपूर्ति के लिए व्यय-

(v) मूल 8.84

8.84

5.10

(-)3.74

07- उच्चंत के अन्तर्गत व्यय (स्कन्ध)-

(vi) मूल 1,000.00

1,000.00

340.79

(-)659.21

08- उच्चंत के अन्तर्गत व्यय (स्कन्ध निर्माण)-

(vii) मूल 500.00

500.00

452.27

(-)47.73

09- उच्चंत के अन्तर्गत व्यय (विविध लोक निर्माण अग्रिम)-

(viii) मूल 500.00

500.00

352.84

(-)147.16

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-31 (क्रमशः)

10-	भवनों के रखरखाव पर व्यय-				
(ix)	मूल	8.78	8.78	3.03	(-)5.75
12-	जिला उद्योग केंद्र भवनों का रखरखाव-				
(x)	मूल	2.63	2.63	1.30	(-)1.33
13-	स्वास्थ्य विभाग भवनों का रखरखाव-				
(xi)	मूल	44.00	44.00	34.04	(-)9.96
16-	मेडिकल महाविद्यालयों का रखरखाव-				
(xii)	मूल	132.17	132.17	43.00	(-)89.17
उपरोक्त बारह मामलों में ₹ 1,066.40 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।					

80-	सामान्य-				
796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				
02-	स्थाई स्थापना में परिवर्तित कार्य प्रभारी कर्मचारी वर्ग पर व्यय-				
	मूल	1,533.59			
			1,188.68	1,162.68	(-)26.00
	पुनर्वि०	(-)344.91			

₹ 26.00 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 344.91 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 26.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

05-	प्राथमिक/माध्यमिक पाठशालाओं का रखरखाव-				
	मूल	204.75	204.75	42.35	(-)162.40

₹ 162.40 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

06-	वसूली के समायोजन हेतु रखरखाव प्रावधान-				
	मूल	1,533.59			
			1,192.52	..	(-)1,192.52
	पुनर्वि०	(-)341.07			

₹ 1,192.52 लाख के समस्त प्रावधान के अप्रयुक्त रहने की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 341.07 लाख की कमी रखरखाव पर कम व्यय के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 1,192.52 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

2202- सामान्य शिक्षा-

01-	प्रारंभिक शिक्षा-				
796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-31 (क्रमशः)

01-	जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय तथा स्टाफ पर व्यय-				
(i)	मूल	160.80	160.80	113.15	(-)47.65
02-	खण्ड प्राथमिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय तथा स्टाफ पर व्यय-				
(ii)	मूल	425.95			
			434.16	394.00	(-)40.16
	पुनर्वि०	8.21			
	उपरोक्त दो मामलों में ₹ 87.81 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।				
03-	प्राथमिक पाठशालाओं पर व्यय-				
	मूल	10,843.58			
			10319.15	9,350.72	(-)968.43
	पुनर्वि०	(-)524.43			
	₹ 968.43 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 524.43 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरे जाने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।				
	₹ 968.43 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।				
07-	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों पर व्यय-				
	मूल	359.80	359.80	297.96	(-)61.84
	₹ 61.84 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।				
11-	गर्म पकाया हुआ भोजन-मध्याह्न भोजन-				
	मूल	766.00			
			325.72	325.72	..
	पुनर्वि०	(-)440.28			
	मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 440.28 लाख की कमी मानदेय के भुगतान पर कम व्यय और भारत सरकार से केन्द्रीय हिस्सेदारी की कम प्राप्ति के कारण हुई तथा इसलिए राज्य का हिस्सा भी अप्रयुक्त रहा।				
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
	मूल	746.00			
			376.90	376.90	..
	पुनर्वि०	(-)369.10			
	मार्च 2024 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 369.10 लाख की कमी भारत सरकार से केन्द्रीय हिस्सेदारी की कम प्राप्ति के कारण हुई। जबकि भारत सरकार से ₹ 376.90 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ था।				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-31 (क्रमशः)

18-	निजी विद्यालयों के कमजोर वर्ग के छात्रों के शुल्क की प्रतिपूर्ति (कक्षा 1 से 8)-				
	मूल	5.40			
			0.40	0.12	(-)0.28
	पुनर्वि०	(-)5.00			
	मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 5.00 लाख की कमी कम आवेदनों की प्राप्ति के कारण हुई।				
21-	समग्र शिक्षा अभियान-				
	मूल	395.00			
			162.58	162.58	..
	पुनर्वि०	(-)232.42			
	मार्च 2024 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 232.42 लाख की कमी भारत सरकार से केन्द्रीय हिस्सेदारी की कम प्राप्ति के कारण हुई तथा इसलिए राज्य की हिस्सेदारी भी अप्रयुक्त रही।				
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
	मूल	4,181.00			
			1,463.22	1,463.22	..
	पुनर्वि०	(-)2,717.78			
	मार्च 2024 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 2,717.78 लाख की कमी भारत सरकार से केन्द्रीय हिस्सेदारी की कम प्राप्ति के कारण हुई। जबकि भारत सरकार से ₹ 2,688.04 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ था।				
24-	ज्ञानादेय अध्ययन एवं पठन गुणवत्ता योजना-				
	मूल	1.00			
			..	..	..
	पुनर्वि०	(-)1.00			
	मार्च 2024 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान सामग्री एवं सम्भरण पर कम व्यय के कारण हुई।				
25-	डिजीटल शिक्षा-				
	मूल	1.00			
			..	..	..
	पुनर्वि०	(-)1.00			
	मार्च 2024 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान संहितागत औपचारिकताओं के पूरा न होने के कारण कम कर दिया गया।				
26-	न्यू इंडिया साक्षरता कार्यक्रम-				
	मूल	1.00			
			2.22	0.56	(-)1.66
	पुनर्वि०	1.22			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-31 (क्रमशः)

₹ 1.66 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1.22 लाख का आवर्धन भारत सरकार से प्राप्त निधियों के अनुपात में राज्य की हिस्सेदारी जारी करने के कारण हुआ जोकि अनुचित सिद्ध हुआ।

₹ 1.66 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

02- माध्यमिक शिक्षा-					
796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-					
01- जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालयों तथा स्टॉफ पर व्यय-					
(i)	मूल	242.66			
	पूरक	1.59	246.44	217.80.	(-)28.64
	पुनर्वि०	2.19			
02- न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के तहत माध्यमिक पाठशालाओं पर व्यय-					
(ii)	मूल	6,884.64			
			6,886.74	6,185.44	(-)701.30
	पुनर्वि०	2.10			
03- न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के तहत हाई स्कूल पर व्यय-					
(iii)	मूल	8,450.40	8,450.40	7,564.93	(-)885.47
उपरोक्त तीन मामलों में ₹ 1,615.41 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।					
13- श्रीनिवास रामानुजन स्टूडेंट डिजिटल योजना-					
	मूल	225.00	225.00	..	(-)225.00
₹ 225.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।					
15- अटल विद्यालय वर्दी योजना-					
	मूल	1.00			
			..	..	..
	पुनर्वि०	(-)1.00			
मार्च 2024 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 1.00 लाख के समस्त प्रावधान को सहितागत औचचारिकताओं के पूरा न होने के कारण कम कर दिया गया।					
25- समग्र शिक्षा अभियान-					
(i)	मूल	186.00	186.00	138.54	(-)47.46
केन्द्रीय प्रायोजित योजना					
(ii)	मूल	1,676.00	1,676.00	1,244.68	(-)431.32
27- खेल से स्वस्थ योजना-					
(iii)	मूल	18.00	18.00	8.08	(-)9.92

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-31 (क्रमशः)

उपरोक्त तीन मामलों में ₹ 488.70 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

क्रम संख्या (iii) पर ₹ 8.08 लाख का समस्त व्यय वर्ष 2021-22 की आपत्ति पुस्तिका के उचंत के समायोजन के कारण हुआ।

33- राजीव गांधी डे.बोर्डिंग स्कूल-
मूल 270.00

92.06 .. (-)92.06

पुनर्वि० (-)177.94

₹ 92.06 लाख के समस्त व्यय के अप्रयुक्त रहने की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 177.94 लाख की कमी सामग्री एवं सम्भरण पर कम व्यय तथा टेलीफोन व पानी के कम बिलों के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 92.06 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

03- विश्व विद्यालय और उच्चतर शिक्षा-
796- जनजातिय क्षेत्र उप-योजना-
08- राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान-
मूल 19.00

24.00 16.64 (-)7.36

पुनर्वि० 5.00

₹ 7.36 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 5.00 लाख का आवर्धन राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के सहायता अनुदान पर अधिक व्यय के कारण हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ।

₹ 7.36 लाख के अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

केन्द्रीय प्रायोजित योजना
मूल 170.00

149.77 149.77 ..

पुनर्वि० (-)20.23

मार्च 2024 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 20.23 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति के कारण हुई। जबकि ₹ 149.77 लाख का अनुदान भारत सरकार से प्राप्त हुआ।

10- बैचलर ऑफ वेकेशनल प्रोग्राम-
मूल 50.00

..

पुनर्वि० (-)50.00

मार्च 2024 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 50.00 लाख के समस्त प्रावधान को संहितागत औपचारिकताओं के पूरा न होने के कारण कम कर दिया गया।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-31 (क्रमशः)

11-	खेल से स्वस्थ योजना-				
	मूल	6.00	6.00	..	(-)6.00

₹ 6.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

12-	अनुसूचित जनजाति के छात्रों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति-				
-----	--	--	--	--	--

(i)	मूल	75.00			
			..	..	..

पुनर्वि० (-)75.00

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

(ii)	मूल	675.00			
			..	..	..

पुनर्वि० (-)675.00

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 750.00 लाख के समस्त प्रावधान को भारत सरकार से केन्द्रीय हिस्सेदारी की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया तथा इसलिए राज्य की हिस्सेदारी भी अप्रयुक्त रही।

80- सामान्य-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

02- स्वर्ण जयंती सुपर 100 योजना-

	मूल	45.00			
			32.00	32.00	..

पुनर्वि० (-)13.00

मार्च 2024 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 13.00 लाख की कमी सहितागत औपचारिकताओं के पूरा न होने के कारण हुई।

03- कल्पना चावला छात्रवृत्ति योजना-

(i)	मूल	34.00	34.00	..	(-)34.00
-----	-----	-------	-------	----	----------

2203- तकनीकी शिक्षा-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

04- राजकीय बहुतकनीकी संस्थान-

(ii)	मूल	2.26	2.26	..	(-)2.26
------	-----	------	------	----	---------

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 36.26 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

06- तकनीकी विश्वविद्यालय को सहायता-

	मूल	1.00			
			..	..	..

पुनर्वि० (-)1.00

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-31 (क्रमशः)

मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1.00 लाख के समस्त प्रावधान को तकनीकी विश्वविद्यालय की सहायता अनुदान पर कम व्यय होने के कारण कम कर दिया।

2204- खेलकूद तथा युवा सेवाएँ-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

02- पर्वतारोहण पर व्यय-

(i)	मूल	43.25	43.25	24.07	(-)19.18
-----	-----	-------	-------	-------	----------

03- युवा सेवाएं तथा खेल निदेशालय पर व्यय-

(ii)	मूल	145.52	145.52	74.50	(-)71.02
------	-----	--------	--------	-------	----------

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 90.20 लाख के अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

2205- कला एवं संस्कृति

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

02- पुरातत्व कक्ष पर व्यय-

	मूल	75.00			
			55.00	31.98	(-)23.02

पुनर्वि0 (-)20.00

₹ 23.02 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 20.00 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 23.02 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-

03- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- जिला स्थापना पर व्यय-

	मूल	279.27			
			277.91	233.36	(-)44.55

पुनर्वि0 (-)1.36

₹ 44.55 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

02- ऐलोपैथिक कार्यक्रम पर व्यय-

	मूल	2,121.01			
			2,207.06	1,715.70	(-)491.36

पुनर्वि0 86.05

₹ 491.36 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 86.05 लाख का आवर्धन अधिक बाह्य स्रोत सेवाओं की भर्ती और दैनिक मजदूरी की दरों के संशोधन के कारण हुआ जोकि रोगी कल्याण समिति से कम स्टाफ की भर्ती से हुई बचत से अंशतः प्रतिसंतुलित हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ।

₹ 491.36 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-31 (क्रमशः)

03- न्यूनतम आवश्यकता पर व्यय

(प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र)-

मूल 2,444.73

2,403.84

2,150.93

(-)252.91

पुनर्वि० (-)40.89

₹ 252.91 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 40.89 लाख की कमी रोगी कल्याण समिति के लिए स्टाफ की नियुक्ति पर कम व्यय, रिक्त पदों के न भरे जाने और वर्दियों एवं चिकित्सा बिलों की कम प्राप्ति के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 252.91 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

04- क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम पर व्यय-

मूल 1.00

..

..

..

पुनर्वि० (-)1.00

मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1.00 लाख के समस्त प्रावधान को क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम पर कम व्यय के कारण कम कर दिया गया।

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

मूल 1.00

..

..

..

पुनर्वि० (-)1.00

मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1.00 लाख के समस्त प्रावधान को भारत सरकार से केन्द्रीय हिस्सेदारी की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया।

08- जनजातीय क्षेत्र के लिए टेलीमेडिसिन सेवा-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

मूल 1.00

..

..

..

पुनर्वि० (-)1.00

मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1.00 लाख के समस्त प्रावधान को संहितागत औपचारिकताओं के पूरा न होने के कारण कम कर दिया गया।

04- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-अन्य चिकित्सा पद्धतियाँ-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

04- आयुर्वेदिक कार्यक्रम पर व्यय-

मूल 1,397.62

1,392.83

1,292.22

(-)100.61

पुनर्वि० (-)4.79

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-31 (क्रमशः)

₹ 100.61 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

05-	चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-				
796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				
04-	डॉ यशवंत सिंह परमार सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय, नाहन-				
(i)	मूल	68.00	68.00	31.22	(-)36.78
05-	डॉ राधाकृष्णन सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय, हमीरपुर-				
(ii)	मूल	65.00	65.00	10.00	(-)55.00
06-	पंडित जवाहर लाल नेहरू सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय चंबा-				
(iii)	मूल	72.01	72.01	16.00	(-)56.01
08-	अटल चिकित्सा और अनुसंधान विश्वविद्यालय नेरचौक मंडी-				
(iv)	मूल	9.00	9.00	1.71	(-)7.29
उपरोक्त चार मामलों में ₹ 155.08 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।					
10-	राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों का उन्नयन-				
(i)	मूल	1.00	1.00	..	(-)1.00
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(ii)	मूल	1.00	1.00	..	(-)1.00
11-	कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग और स्ट्रोक की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम-				
(iii)	मूल	1.00	1.00	..	(-)1.00
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(iv)	मूल	1.00	1.00	..	(-)1.00
उपरोक्त चार मामलों में ₹ 4.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।					
06-	लोक स्वास्थ्य-				
796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				
03-	क्षय रोग सर्वेक्षण तथा आवासीय परिचर्चा पर व्यय-				
(i)	मूल	3.38	3.38	1.78	(-)1.60
04-	यौन संक्रामक रोगों के नियंत्रण कार्यक्रम पर व्यय-				
(ii)	मूल	27.65	27.65	20.25	(-)7.40
05-	विस्तारित रोग प्रतिरक्षा कार्यक्रम पर व्यय-				
(iii)	मूल	122.98	122.98	96.62	(-)26.36

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-31 (क्रमशः)

07-	कूष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम पर व्यय-				
(iv)	मूल	6.61			
			6.60	4.10	(-)2.50
	पुनर्वि०	(-)0.01			
09-	बहुदेशीय कार्यक्रम स्कीम पर व्यय-				
(v)	मूल	259.48			
			258.26	149.71	(-)108.55
	पुनर्वि०	(-)1.22			
12-	राष्ट्रीय कूष्ठ नियंत्रण निगरानी युनिटों की स्थापना- केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(vi)	मूल	41.00	41.00	32.02	(-)8.98
13-	दृष्टि/विहीनता नियंत्रण तथा बचाव कार्यक्रम तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर व्यय- केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(vii)	मूल	17.00	17.00	11.76	(-)5.24
	उपरोक्त सात मामलों में ₹ 160.63 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।				
14-	एड्स नियंत्रण सोसायटी- केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(i)	मूल	1.00			
			..	..	..
	पुनर्वि०	(-)1.00			
15-	ट्रामा सेंटर-				
(i)	मूल	1.00			
			..	..	..
	पुनर्वि०	(-)1.00			
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(iii)	मूल	1.00			
			..	..	..
	पुनर्वि०	(-)1.00			
	उपरोक्त तीन मामलों में मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3.00 लाख के समस्त प्रावधान को भारत सरकार से केन्द्रीय हिस्सेदारी की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया।				
18-	सम्पूर्ण स्वास्थ्य योजना-				
	मूल	1.00			
			..	..	..
	पुनर्वि०	(-)1.00			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-31 (क्रमशः)

मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1.00 लाख के समस्त प्रावधान को प्रस्तावों की कम प्राप्ति के कारण कम कर दिया गया।

19- मुख्यमंत्री क्षय रोग निवारण योजना-

मूल	24.00			
		15.65	10.83	(-)4.82
पुनर्वि०	(-)8.35			

मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1.00 लाख की कमी प्रस्तावों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

20- मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना-

मूल	135.00			
		20.00	..	(-)20.00
पुनर्वि०	(-)115.00			

₹ 20.00 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 115.00 लाख की कमी प्रस्तावों की कम प्राप्ति के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 20.00 लाख के अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

22- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष-

(i) मूल	1.00			
		..	..	..
पुनर्वि०	(-)1.00			

24- सम्मान योजना-

(ii) मूल	9.00			
		..	..	..
पुनर्वि०	(-)9.00			

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 10.00 लाख के समस्त प्रावधान को प्रस्तावों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया।

25- राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम-

(i) मूल	95.00	95.00	67.69	(-)27.31
---------	-------	-------	-------	----------

2211- परिवार कल्याण-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

03- परिवार कल्याण कार्यक्रम पर व्यय-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना

(ii) मूल	760.00	760.00	636.73	(-)123.27
----------	--------	--------	--------	-----------

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 150.58 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-31 (क्रमशः)

04-	दुग्ध आपूर्ति योजनाओं पर व्यय-				
	मूल	17.00			
			12.00	7.07	(-)4.93
	पुनर्वि०	(-)5.00			
	₹ 4.93 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 5.00 लाख की कमी आपूर्ति केन्द्रों से दुग्ध के क्रय पर कम व्यय के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।				
	₹ 4.93 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।				
05-	इंदिरा गांधी बालिका सुरक्षा योजना-				
	मूल	5.00			
			1.75	1.00	(-)0.75
	पुनर्वि०	(-)3.25			
	मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 3.25 लाख की कमी बालिका सुरक्षा योजना पर कम व्यय के कारण हुई।				
06-	पंचायतों को उत्कृष्ट महिला जन्मदर अनुपात हेतु अतिरिक्त विकास अनुदान				
	मूल	8.00			
			..	..	..
	पुनर्वि०	(-)8.00			
	मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 8.00 लाख के समस्त प्रावधान को उत्कृष्ट महिला जन्मदर के लिए पंचायतों से मांगों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया।				
07-	कन्या भ्रूण हत्या के सूचकों को प्रोत्साहन-				
	मूल	1.00			
			..	..	..
	पुनर्वि०	(-)1.00			
	मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1.00 लाख के समस्त प्रावधान को कन्या भ्रूणहत्या सूचक योजना के अंतर्गत मामलों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया।				
08-	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन-				
(i)	मूल	1,140.00	1,140.00	1,049.27	(-)90.73
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(ii)	मूल	3,958.00	3,958.00	2,507.00	(-)1,451.00
	उपरोक्त दो मामलों में ₹ 1,541.73 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)। जबकि क्रम संख्या (ii) में ₹ 89.00 लाख का अनुदान भारत सरकार से प्राप्त हुआ।				
09-	राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना पर व्यय-				
	मूल	1.00			
			..	..	..
	पुनर्वि०	(-)1.00			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-31 (क्रमशः)

मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1.00 लाख के समस्त प्रावधान को भारत सरकार से प्राप्त निधियों के अनुपात में राज्य की हिस्सेदारी जारी न करने के कारण कम कर दिया गया।

10- राष्ट्रीय एम्बुलेंस योजना-

(i) मूल 1.00

.. ..

पुनर्वि0 (-)1.00

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

(ii) मूल 1.00

.. ..

पुनर्वि0 (-)1.00

11- आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन

आरोग्य योजना-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

(iii) मूल 1.00

.. ..

पुनर्वि0 (-)1.00

उपरोक्त तीन मामलों में मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3.00 लाख के समस्त प्रावधान को केन्द्रीय हिस्सेदारी की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया और इसलिए राज्य की हिस्सेदारी भी अप्रयुक्त रही।

2215- जलापूर्ति तथा स्वच्छता-

01- जलापूर्ति-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

02- स्थाई स्थापना में परिवर्तित कार्य
प्रभारी कर्मचारियों पर व्यय-

(i) मूल 3,647.60 3,647.60 3,383.94 (-)263.66

04- स्कन्ध-

(ii) मूल 275.00 275.00 64.14 (-)210.86

05- स्कन्ध मैनुफेक्चर-

(iii) मूल 100.00 100.00 0.08 (-)99.92

उपरोक्त तीन मामलों में ₹ 574.44 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

06- विविध लोक निर्माण अग्रिम-

मूल 150.00 150.00 .. (-)150.00

₹ 150.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

09- वसूलियों के समायोजन हेतु रखरखाव प्रावधान-

(i) मूल 3,647.60 3,647.60 1,265.22 (-)2,382.38

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-31 (क्रमशः)

2216- आवास-

03- ग्रामीण आवास-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

08- मुख्यमंत्री आवास योजना-

(ii) मूल 106.00

105.00

52.50

(-)52.50

पुनर्वि0 (-)1.00

2217- शहरी विकास-

03- लघु और मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों को सहायता अनुदान-

(iii) मूल 280.00

280.00

99.96

(-)180.04

03- दीन दयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी
आजीविका मिशन-

(iv) मूल 5.00

5.00

1.43

(-)3.57

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

(v) मूल 50.00

50.00

12.90

(-)37.10

उपरोक्त पांच मामलों में ₹ 2,655.59 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

04- प्रधानमंत्री आवास योजना-सभी
के लिए आवास (शहरी)-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना
मूल 200.00

41.40

30.00

(-)11.40

पुनर्वि0 (-)158.60

मार्च 2024 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 158.60 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति के कारण हुई। जबकि भारत सरकार से ₹ 26.40 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ।

**2225- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा
अन्य पिछड़े वर्गों एवं अल्पसंख्यकों का कल्याण-**

02- अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- जिला कर्मचारी वर्ग-

मूल 156.40

153.18

125.00

(-)28.18

पुनर्वि0 (-)3.32

₹ 28.18 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-31 (क्रमशः)

08-	मुख्य मंत्री बाल उधार योजना-				
	मूल	6.00			
			..	..	..
	पुनर्वि०	(-)6.00			
	मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 6.00 लाख के समस्त प्रावधान को कर्मचारियों के वेतन पर कम व्यय के कारण कम कर दिया गया।				
09-	बाल बालिका आश्रम (विभाग संचालित)-				
	मूल	24.00			
			..	..	..
	पुनर्वि०	(-)24.00			
	मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 24.00 लाख के समस्त प्रावधान को सामग्री/पदार्थों के क्रय पर कम व्यय और दूरभाष, बिजली तथा पानी के बियों की कम प्राप्ति के कारण कम कर दिया गया।				
10-	स्वर्ण जयंती आश्रय योजना-				
	मूल	200.00			
			199.50	171.75	(-)27.75
	पुनर्वि०	(-)0.50			
	₹ 27.75 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।				
12-	कम्प्यूटर अनुप्रयोग-				
	मूल	70.00			
			25.32	10.43	(-)14.89
	पुनर्वि०	(-)44.68			
	₹ 14.89 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 44.68 लाख की कमी प्रस्तावों की कम प्राप्ति के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।				
	₹ 14.89 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।				
13-	अल्पसंख्यकों के लिए बहुपक्षीय विकास कार्यक्रम-				
(i)	मूल	1.00			
			..	..	..
	पुनर्वि०	(-)1.00			
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(ii)	मूल	1.00			
			..	..	..
	पुनर्वि०	(-)1.00			
	उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से केन्द्रीय हिस्सेदारी की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया तथा इसलिए राज्य का हिस्सा भी अप्रयुक्त रहा।				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-31 (क्रमशः)

14-	अनुवर्ती कार्यक्रम-				
	मूल	13.00			
			..	..	..
	पुनर्वि०	(-)13.00			
	मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 13.00 लाख की कमी प्रस्तावों की कम प्राप्ति के कारण कम कर दिया गया।				
15-	प्रचार अभियान-				
	मूल	10.00			
			5.95	3.45	(-)2.50
	पुनर्वि०	(-)4.05			
	₹ 2.50 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 4.05 लाख की कमी प्रस्तावों की कम प्राप्ति के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।				
	₹ 2.50 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।				
16-	नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम-				
	मूल	2.00			
			1.00	1.00	..
	पुनर्वि०	(-)1.00			
	मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1.00 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति के कारण हुई।				
17-	अत्याचार पीड़ित लोगों को मुआवजा-				
(i)	मूल	2.00			
			0.13	0.13	..
	पुनर्वि०	(-)1.87			
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(ii)	मूल	2.00			
			0.13	0.13	..
	पुनर्वि०	(-)1.87			
	उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2024 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 3.74 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति के कारण हुई तथा इसलिए राज्य की हिस्सेदारी अप्रयुक्त रही।				
2230-	श्रम, रोजगार तथा कौशल विकास-				
01-	श्रम-				
796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				
01-	श्रम कानूनों के प्रवर्तन पर व्यय-				
	मूल	33.20			
			23.32	18.78	(-)4.54
	पुनर्वि०	(-)9.88			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-31 (क्रमशः)

मार्च 2024 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 9.88 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

02-	बेराजगारी भत्ता-				
	मूल	216.00			
			229.07	53.78	(-)175.29
	पुनर्वि०	13.07			

₹ 175.29 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

04-	मॉडल करियर सेंटर-				
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(i)	मूल	7.00	7.00	..	(-)7.00
05-	राजीव गाँधी स्वरोजगार स्टार्ट-अप-योजना-				
(ii)	मूल	90.00	90.00	..	(-)90.00

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 97.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

03-	प्रशिक्षण-				
796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				
04-	हिमाचल प्रदेश ग्रामीण प्रशिक्षण				
	संस्थानों (तकनीकी शिक्षा)-				
	मूल	308.42	308.42	261.48	(-)46.94

₹ 46.94 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

06-	कौशल विकास भत्ता-				
	मूल	900.00			
			162.82	48.39	(-)114.43
	पुनर्वि०	(-)737.18			

₹ 114.43 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 737.18 लाख की कमी कौशल विकास भत्ता पर कम व्यय के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 114.43 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-

02-	समाज कल्याण-				
796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				
01-	सामाजिक कल्याण कार्यक्रम-				
	मूल	6.00			
			3.89	2.18	(-)1.71
	पुनर्वि०	(-)2.11			

₹ 1.71 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2.11 लाख की कमी सेवा प्रभार पर कम व्यय के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-31 (क्रमशः)

₹ 1.71 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

03- एकीकृत बाल विकास योजना-

मूल	958.00			
पूरक	0.01	1,012.41	873.55	(-)138.86
पुनर्वि०	54.40			

₹ 138.86 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 54.40 लाख का आवर्धन वेतन संशोधन और बकाया के भुगतान के कारण हुआ जोकि मानदेय, टेलीफोन, पानी बिलों तथा किराया दर एवं कर बिलों पर कम व्यय से हुई बचत से अंशतः प्रतिसंतुलित हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ।

₹ 138.86 लाख के अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

मूल	2,875.00			
पूरक	0.01	497.01	496.99	(-)0.02
पुनर्वि०	(-)2,378.00			

मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 2,378.00 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने तथा आंगनवाड़ी केन्द्रों के लिए प्री स्कूल किट के क्रय न होने के कारण हुई।

04- बेटी है अनमोल पर व्यय-

मूल	117.00			
		44.15	18.99	(-)25.16
पुनर्वि०	(-)72.85			

₹ 25.16 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 72.85 लाख की कमी प्रस्तावों की कम प्राप्ति के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 25.16 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

05- मुख्यमंत्री कन्यादान योजना-

मूल	106.00			
		16.08	6.12	(-)9.96
पुनर्वि०	(-)89.92			

मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 89.92 लाख की कमी प्रस्तावों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

06- बाल/बालिका आश्रम के निवासियों को पुनर्वास अनुदान-

मूल	1.00	1.00	..	(-)1.00
-----	------	------	----	---------

₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

07- मदर टेरेसा असहाय मातृ संबल योजना-

मूल	90.00			
		29.35	13.65	(-)15.70
पुनर्वि०	(-)60.65			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-31 (क्रमशः)

मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 60.65 लाख की कमी प्रस्तावों की कम प्राप्ति के कारण हुई।					
08-	विधवा पुनर्विवाह पर व्यय-				
	मूल	6.00			
			7.30	1.95	(-)5.35
	पुनर्वि०	1.30			
₹ 5.35 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1.30 लाख का आवर्धन प्रस्तावों की अधिक प्राप्ति के कारण हुई जोकि अनावश्यक सिद्ध हुई।					
₹ 5.35 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।					
10-	विशेष महिला उत्थान योजना-				
(i)	मूल	9.00	9.00	..	(-)9.00
14-	महिला विकास निगम-				
(ii)	मूल	5.00	5.00	..	(-)5.00
उपरोक्त दो मामलों में ₹ 14.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।					
19-	बाल सुरक्षा सेवा-				
	मूल	18.00			
			37.85	14.38	(-)23.47
	पुनर्वि०	19.85			
₹ 23.47 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 19.85 लाख का आवर्धन भारत सरकार से प्राप्त निधियों के अनुपात में राज्य की हिस्सेदारी जारी करने के कारण हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ।					
₹ 23.47 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।					
केन्द्रीय प्रायोजित योजना					
	मूल	170.00			
			110.25	110.25	..
	पुनर्वि०	(-)59.75			
मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 59.75 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति तथा रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।					
20-	प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना-				
(i)	मूल	14.00	14.00	4.70	(-)9.30
21-	पोषण अभियान-				
(ii)	मूल	9.00	9.00	3.30	(-)5.70
केन्द्रीय प्रायोजित योजना					
(iii)	मूल	298.00	298.00	29.66	(-)268.34

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-31 (क्रमशः)

उपरोक्त तीन मामलों में ₹ 283.34 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।					
22-	विकलांगों का उत्थान-				
	मूल	1.00			
			..	..	..
	पुनर्वि०	(-)1.00			
मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1.00 लाख के समस्त प्रावधान को भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति होने के कारण कम कर दिया गया।					
23-	बलात्कार, बाल उत्पादन और ऑब्जेक्टिफिकेशन पृष्ठभूमि की नाबलिंग पीड़ितों के पुनर्वास के लिए योजना-				
	मूल	20.00	20.00	13.24	(-)6.76
₹ 6.76 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।					
24-	राष्ट्रीय शिशु गृह योजना-				
(i)	मूल	6.00	6.00	..	(-)6.00
केन्द्रीय प्रायोजित योजना					
(ii)	मूल	15.00	15.00	..	(-)15.00
उपरोक्त दो मामलों में ₹ 21.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।					
25-	बाल पोषाहार-				
	मूल	270.00	270.00	240.04	(-)29.96
₹ 29.96 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।					
26-	सशक्त महिला योजना-				
	मूल	9.00			
			4.55	3.73	(-)0.82
	पुनर्वि०	(-)4.45			
मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 4.45 लाख की कमी प्रस्तावों की कम प्राप्ति के कारण हुई।					
27-	वो दिन-				
	मूल	14.00	14.00	6.96	(-)7.04
₹ 7.04 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।					
29-	मख्यमंत्री बाल सुपोषण योजना-				
	मूल	9.00			
			..	..	..
	पुनर्वि०	(-)9.00			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-31 (क्रमशः)

मार्च 2024 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 9.00 लाख के समस्त प्रावधान को सामग्री एवं सम्भरण पर कम व्यय और प्रस्तावों की कम प्राप्ति के कारण कम कर दिया गया।

30-	महिला हेल्पलाइन- केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
	मूल	1.00			
	पुनर्वि०	(-)1.00			

मार्च 2024 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 1.00 लाख के समस्त प्रावधान को भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति के कारण कम कर दिया गया।

31-	वन स्टॉप सेंटर-				
(i)	मूल	1.00	1.00	..	(-)1.00
32-	नारी अदालत- केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(ii)	मूल	1.00	1.00	..	(-)1.00
33-	शक्ति सदन-				
(iii)	मूल	9.00	9.00	..	(-)9.00

उपरोक्त तीन मामलों ₹ 11.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

35-	महिला सशक्तिकरण केन्द्र-				
(i)	मूल	1.00			
	पुनर्वि०	(-)1.00			
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(ii)	मूल	35.00			
	पुनर्वि०	(-)35.00			

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2024 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 36.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति के कम कर दिया गया इसलिए राज्य की हिस्सेदारी भी अप्रयुक्त रही।

39-	कन्याओं को विवाह अनुदान-				
	मूल	270.00			
	पुनर्वि०	(-)235.04	34.96	21.18	(-)10.78.

मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 235.04 लाख की कमी प्रस्तावों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-31 (क्रमशः)

40-	परिवार सहायता- केन्द्रीय प्रायोजित योजना मूल	10.00			
			6.80	6.80	..
	पुनर्वि०	(-)3.20			
	मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 3.20 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों और प्रस्तावों की कम प्राप्ति के कारण हुई।				
42-	बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ- केन्द्रीय प्रायोजित योजना मूल	1.00	1.00	..	(-)1.00
	₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।				
43-	महिला आवास योजना मूल	100.00			
	पूरक	100.00	100.00	..	(-)100.00
	पुनर्वि०	(-)100.00			
	₹ 100.00 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 100.00 लाख का कमी प्रस्तावों की कम प्राप्ति के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।				
	₹ 100.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।				
60-	अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम-				
796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				
01-	सामाजिक कल्याण योजना के अंतर्गत वृद्धास्था पेंशन पर व्यय-				
	मूल	1,940.00			
	पूरक	18.07	1,933.07	1,926.98	(-)6.09
	पुनर्वि०	(-)25.00			
	मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 25.00 लाख की कमी योजना के अंतर्गत कम व्यय के कारण हुई।				
07-	कुष्ठरोगियों का पुनर्वास-				
	मूल	12.00			
			6.71	6.71	..
	पुनर्वि०	(-)5.29			
	मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 5.29 लाख की कमी प्रस्तावों की कम प्राप्ति के कारण हुई।				
2236-	पोषण-				
02-	पोषक और सुपेय का वितरण-				
796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				
01-	भोजन कार्यक्रम पर व्यय-				
(i)	मूल	71.00	71.00	28.27	(-)42.73

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-31 (क्रमशः)

	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(ii)	मूल	640.00	640.00	254.45	(-)385.55
2251-	सचिवालय-सामाजिक सेवाएं-				
796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				
01-	सचिवालय कर्मचारी वर्ग-				
(iii)	मूल	92.22	92.22	49.85	(-)42.37
	उपरोक्त तीन मामलों में ₹ 470.65 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।				
03-	बुनियादी/अन्य सुविधाओं के लिए विकास निधि-				
	मूल	442.00			
			210.32	210.31	(-)0.01
	पुनर्वि०	(-)231.68			
	मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 231.68 लाख की कमी संहितागत औपचारिकताओं के पूरा न होने तथा प्रस्तावों की कम प्राप्ति के कारण हुई जोकि अवसंरचना पर अधिक व्यय से हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।				
04-	जनजातीय क्षेत्रों के लिए हेलीकाप्टर सुविधा-				
	मूल	400.00			
			129.33	129.33	..
	पुनर्वि०	(-)270.67			
	मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 270.67 लाख की कमी जनजातीय क्षेत्रों के लिए हेलीकाप्टर सेवा पर अधिक व्यय के कारण हुई।				
07-	जनजातीय अनुसंधान संस्थान-				
	मूल	70.00			
			2.77	2.76	(-)0.01
	पुनर्वि०	(-)67.23			
	मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 67.23 लाख की कमी प्रस्तावों की कम प्राप्ति, मुआवजा मामलों तथा सामग्रियों के क्रय पर कम व्यय के कारण हुई।				
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
	मूल	1.00			
			..	..	..
	पुनर्वि०	(-)1.00			
	मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1.00 लाख के समस्त प्रावधान को भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया।				
08-	जनजातीय उप योजनाओं हेतु विशेष केन्द्रीय सहायता-				
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
	मूल	1,498.00			
			65.74	65.74	..
	पुनर्वि०	(-)1,432.26			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-31 (क्रमशः)

मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,432.26 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

- 09- संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के अन्तर्गत अनुदान-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना

मूल 1,500.00

465.74

465.95

..

पुनर्वि० (-)1,043.05

मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,043.05 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति के कारण हुई जोकि केन्द्रीय हिस्सेदारी के अनुपात में राज्य की हिस्सेदारी जारी करने से हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

2401- फसल कृषि-कर्म-

- 796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

- 05- उद्यान विकास-

मूल 845.78

740.03

699.06

(-)40.97

पुनर्वि० (-)105.75

₹ 40.97 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 105.75 लाख का कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि दैनिक मजदूरी की दरों में संशोधन से हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 40.97 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

- 06- कृषि विभाग की स्कीमों पर विशेष केन्द्रीय
सहायता के अन्तर्गत व्यय-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना

मूल 2.00

..

..

..

पुनर्वि० (-)2.00

मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2.00 लाख के समस्त प्रावधान को लाभार्थियों से कम मांग की प्राप्ति के कारण कम कर दिया गया।

- 07- फसल बीमा योजना-

- (i) मूल 90.00

..

..

..

पुनर्वि० (-)90.00

- 08- जनजातिय पाकेटस के लिए विशेष केन्द्रीय
सहायता पर व्यय-

- (ii) केन्द्रीय प्रायोजित योजना

मूल 1.00

..

..

..

पुनर्वि० (-)1.00

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-31 (क्रमशः)

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा ₹ 91.00 लाख के समस्त प्रावधान को प्रस्तावों की कम प्राप्ति के कारण कम कर दिया गया।					
09-	उद्यान विभाग की स्कीमों पर विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत व्यय-				
	मूल	1.00			
			53.00	..	(-)53.00
	पुनर्वि०	52.00			
₹ 53.00 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 52.00 लाख का आवर्धन कृषको से अधिक मांग की प्राप्ति के कारण हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ।					
₹ 53.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।					
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
	मूल	1.00			
			..	..	..
	पुनर्वि०	(-)1.00			
मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1.00 लाख के समस्त प्रावधान को लाभार्थियों से कम मांग की प्राप्ति के कारण कम कर दिया गया।					
12-	एप्पल स्कैब पर व्यय उपदान-				
	मूल	1.00			
			..	..	..
	पुनर्वि०	(-)1.00			
मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1.00 लाख के समस्त प्रावधान को लाभार्थियों से कम मांग की प्राप्ति के कारण कम कर दिया गया।					
17-	प्रशिक्षण तथा विस्तार-				
	मूल	166.18			
			141.18	128.70	(-)12.48
	पुनर्वि०	(-)25.00			
मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 25.00 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।					
21-	जनजातीय क्षेत्र के बाहर रह रहे जनजातियों के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत स्कीमों पर व्यय- केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
	मूल	1.00			
			..	..	..
	पुनर्वि०	(-)1.00			
मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1.00 लाख के समस्त प्रावधान को लाभार्थियों से कम मांग की प्राप्ति के कारण कम कर दिया गया।					

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-31 (क्रमशः)

22- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (कृषि)-

मूल	30.00				
		5.10	2.33	(-)2.77	

पुनर्वि० (-)24.90

मार्च 2024 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 24.90 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति के कारण हुई तथा इसलिए राज्य की हिस्सेदारी भी अप्रयुक्त रही।

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

मूल	270.00				
		43.00	21.00	(-)22.00	

पुनर्वि० (-)227.00

₹ 22.00 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 227.00 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई। जबकि भारत सरकार से ₹ 92.00 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ था।

₹ 22.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

30- मशीनरी तथा औजारों के वितरण पर व्यय-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

मूल	1.00				
		..	..	..	

पुनर्वि० (-)1.00

मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1.00 लाख के समस्त प्रावधान को लाभार्थियों से मांग की कम प्राप्ति के कारण कम कर दिया गया।

31- पौध संरक्षण पर व्यय-

मूल	100.00				
		156.00	84.35	(-)71.65	

पुनर्वि० 56.00

₹ 71.65 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 56.00 लाख का आवर्धन प्रस्तावों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ।

₹ 71.65 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

40- पौध संरक्षण पर व्यय (संशोधित क्षेत्र

विकास दृष्टिकोण)-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

मूल	1.00				
		..	..	..	

पुनर्वि० (-)1.00

मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1.00 लाख के समस्त प्रावधान को लाभार्थियों से मांग की कम प्राप्ति होने के कारण कम कर दिया गया।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-31 (क्रमशः)

45-	सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन				
	मूल	2.00	2.00	1.00	(-)1.00
	₹ 1.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।				
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
	मूल	25.00			
			20.00	10.00	(-)10.00
	पुनर्वि०	(-)5.00			
	₹ 10.00 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 5.00 लाख की कमी भारत सरकार से केन्द्रीय हिस्सेदारी की कम प्राप्ति के कारण हुआ जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।				
	₹ 10.00 लाख के अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।				
46-	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-				
(i)	मूल	8.00			
			4.49	4.49	..
	पुनर्वि०	(-)3.51			
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(ii)	मूल	73.00			
			40.38	40.38	..
	पुनर्वि०	(-)32.62			
	उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 36.13 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति के कारण हुई तथा इसलिए राज्य की हिस्सेदारी भी अप्रयुक्त रही।				
48-	उद्यान एकीकृत विकास मिशन-				
	मूल	40.00			
			7.60	5.00	(-)2.60
	पुनर्वि०	(-)32.40			
	मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 32.40 लाख की कमी उद्यान एकीकृत विकास मिशन के अंतर्गत कम हकदारियों के कारण हुई।				
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
	मूल	360.00			
			68.40	45.00	(-)23.40
	पुनर्वि०	(-)291.60			
	₹ 23.40 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 291.60 लाख की कमी उद्यान एकीकृत विकास के लिए उपदान पर कम व्यय के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।				
	₹ 23.40 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-31 (क्रमशः)

50- विस्तार एवं प्रोद्योगिकी पर राष्ट्रीय मिशन-

(i)	मूल	20.00	20.00	9.46	(-)10.54
-----	-----	-------	-------	------	----------

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

(ii)	मूल	150.00	150.00	85.14	(-)64.86
------	-----	--------	--------	-------	----------

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 75.40 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

54- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पी.एम.के.एस.वाई)-

(i)	मूल	21.00			
-----	-----	-------	--	--	--

..

पुनर्वि० (-)21.00

57- मुख्यमंत्री किसान एवं खेतिहार मजदूर जीवन सुरक्षा योजना-

(ii)	मूल	4.00			
------	-----	------	--	--	--

..

पुनर्वि० (-)4.00

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा ₹ 25.00 लाख के समस्त प्रावधान को लाभार्थियों से प्रस्तावों की कम प्राप्ति के कारण कम कर दिया गया।

58- परम्परागत कृषि विकास योजना-

(i)	मूल	10.00			
-----	-----	-------	--	--	--

	1.33	0.67	(-)0.66
--	------	------	---------

पुनर्वि० (-)8.67

59- मृदा की स्वास्थ्य एवं उर्वरता हेतु राष्ट्रीय परियोजना-

(ii)	मूल	2.00			
------	-----	------	--	--	--

	0.66	0.33	(-)0.33
--	------	------	---------

पुनर्वि० (-)1.34

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2024 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 10.01 लाख की कमी भारत सरकार से केंद्रीय हिस्सेदारी की कम प्राप्ति के कारण हुई तथा इसलिए राज्य की हिस्सेदारी भी अप्रयुक्त रही।

60- बीज और उपजाऊ सामग्री पर उपलाभ-

	मूल	3.00	3.00	1.71	(-)1.29
--	-----	------	------	------	---------

₹ 1.29 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

	मूल	1.00			
--	-----	------	--	--	--

	पूरक	15.36	30.72	15.36	(-)15.36
--	------	-------	-------	-------	----------

	पुनर्वि०	14.36			
--	----------	-------	--	--	--

₹ 15.36 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 14.36 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-31 (क्रमशः)

₹ 15.36 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

61-	कृषि मशीनीकरण पर उप-मिशन				
	मूल	30.00			
			4.00	2.00	(-)2.00
	पुनर्वि०	(-)26.00			
	मार्च 2024 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 26.00 लाख की कमी प्रस्तावों की कम प्राप्ति के कारण हुई।				
63-	कृषि मशीनीकरण पर उप-मिशन-				
	मूल	12.00			
			..	..	..
	पुनर्वि०	(-)12.00			
	मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 12.00 लाख के समस्त प्रावधान को भारत सरकार से प्राप्त निधियों के अनुपात में राज्य की हिस्सेदारी जारी न करने के कारण कम कर दिया गया।				
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
	मूल	130.00			
			..	..	..
	पुनर्वि०	(-)130.00			
	मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 130.00 लाख के समस्त प्रावधान को भारत सरकार से केंद्रीय हिस्सेदारी की कम प्राप्ति के कारण कम कर दिया गया।				
66-	कृषि कोष-				
	मूल	1.00			
			..	..	..
	पुनर्वि०	(-)1.00			
	मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1.00 लाख के समस्त प्रावधान को संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण कम कर दिया गया।				
68-	कृषि से सम्पन्नता योजना (हिंग और केसर)-				
	मूल	1.00			
			..	..	..
	पुनर्वि०	(-)1.00			
	मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1.00 लाख के समस्त प्रावधान को प्रस्तावों की कम प्राप्ति के कारण कम कर दिया गया।				
77-	एंटी हेल नेट (उद्यान)-				
	मूल	2.00			
			..	..	..
	पुनर्वि०	(-)2.00			
	मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2.00 लाख के समस्त प्रावधान को संहितागत औपचारिकताओं के पूरा न होने के कारण कम कर दिया गया।				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-31 (क्रमशः)

78-	मुख्यमंत्री मधु विकास योजना-				
	मूल	1.00			
			3.20	..	(-)3.20
	पुनर्वि०	2.20			
	₹ 3.20 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2.20 लाख का आवर्धन योजना के अंतर्गत प्रस्तावों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ।				
	₹ 3.20 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।				
82-	महक योजना-				
(i)	मूल	1.00			
			..	..	..
	पुनर्वि०	(-)1.00			
83-	स्वर्ण जयंती समृद्ध बागवान-				
(ii)	मूल	1.00			
			..	..	..
	पुनर्वि०	(-)1.00			
	उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2.00 लाख के समस्त प्रावधान को संहितागत औपचारिकताओं के पूरा न होने के कारण कम कर दिया गया।				
84-	मुख्यमंत्री कृषि संरक्षण योजना-				
	मूल	302.00			
			263.17	179.53	(-)83.64
	पुनर्वि०	(-)38.83			
	₹ 83.64 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 38.83 लाख की कमी उपदान पर कम व्यय और प्रस्तावों की कम प्राप्ति के कारण हुई जोकि दूरभाष, पानी और बिजली बिलों की अधिक प्राप्ति से हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।				
	₹ 83.64 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।				
85-	मुख्यमंत्री कृषि उत्पादन संरक्षण योजना-				
	मूल	459.00			
			186.00	186.00	..
	पुनर्वि०	(-)273.00			
	मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 273.00 लाख की कमी उपदान पर तथा सामग्रियों के क्रय पर कम व्यय और दूरभाष, पानी एवं बिजली बिलों की कम प्राप्ति के कारण हुई।				
86-	प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के लिए समर्थन-				
	मूल	1.00			
			..	..	..
	पुनर्वि०	(-)1.00			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-31 (क्रमशः)

मार्च 2024 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 1.00 लाख के समस्त प्रावधान को कम कर दिया गया; जिसके कारण सूचित नहीं किये गये।

87- पोस्टिक अनाज का प्रचार-
मूल 14.00 14.00 3.55 (-)10.45
₹ 10.45 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

88- राष्ट्रीय ई-शासन कृषि योजना-
(i) मूल 3.00
पुनर्वि० (-)3.00
केन्द्रीय प्रायोजित योजना

(ii) मूल 27.00
पुनर्वि० (-)27.00

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2024 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 30.00 लाख के समस्त प्रावधान को भारत सरकार से केन्द्रीय हिस्सेदारी की कम प्राप्ति के कारण कम कर दिया गया तथा इसलिए राज्य की हिस्सेदारी भी अप्रयुक्त रही।

89- परिवर्तनकारी पहल के माध्यम से उत्कृष्ट उत्पादन,
प्राकृतिक खेती और कृषि पर किसान परिवारों के
उत्थान के लिए हिमालयन एकीकृत मॉडल-
(i) पूरक 228.00 228.00 .. (-)228.00

90- कृषि वाणिकी पर उपमिशन-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना
(ii) पूरक 3.00 3.00 .. (-)3.00

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 231.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

2402- भू तथा जल संरक्षण-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-
02- भू एवं जल संरक्षण कार्यक्रम (वन विभाग)-
मूल 500.00 469.91 273.39 (-)196.52
पुनर्वि० (-)30.09

₹ 196.52 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 30.09 लाख की कमी सामग्री एवं सम्भरण पर कम व्यय और यात्रा व्यय बिलों की कम प्राप्ति के कारण हुई जोकि लघु निर्माण कार्य पर अधिक व्यय और दूरभाष बिजली तथा पानी के बिलों की अधिक प्राप्ति के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 196.52 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-31 (क्रमशः)

06- लघु तथा सीमान्त किसानों को कृषि
उत्पादन बढ़ाने हेतु सहायता-

(i) मूल 1.00

..

पुनर्वि० (-)1.00

08- जनजातीय क्षेत्र से बाहर रह रहे जनजातीय लोगों
के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत
भू-संरक्षण पर व्यय (कृषि)-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना

(ii) मूल 1.00

..

पुनर्वि० (-)1.00

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2.00 लाख के समस्त प्रावधान को भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया।

11- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-

(i) मूल 36.00 36.00 3.00 (-)33.00

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

(ii) मूल 162.00 162.00 29.00 (-)133.00

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 166.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

14- बहाव सिंचाई याजना (कृषि)-

मूल 72.00

91.00 66.91 (-)24.09

पुनर्वि० 19.00

₹ 24.09 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 19.00 लाख का आवर्धन लघु निर्माण कार्य पर अधिक व्यय के कारण हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ।

₹ 24.09 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

16- सौर सिंचाई योजना

मूल 45.00

..

पुनर्वि० (-)45.00

मार्च 2024 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 45.00 लाख के समस्त प्रावधान को प्रस्तावों की कम प्राप्ति के कारण कम कर दिया गया।

पुनर्वि० (-) 1.00

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-31 (क्रमशः)

मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1.00 लाख के समस्त प्रावधान को किसानों से मांग की कम प्राप्ति के कारण कम कर दिया गया।					
12-	पशुओं की बीमारी की नियंत्रण के लिए राज्य को सहायता-केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
	मूल	2.50			
			8.07	5.57	(-)2.50
	पूरक	5.57			
₹ 2.50 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।					
16-	पेस्टे डेस पेटिट्स रूमिनेंट्स-नियन्त्रण प्रोग्राम-				
	मूल	1.00			
			..	..	..
	पुनर्वि०	(-)1.00			
मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1.00 लाख के समस्त प्रावधान को भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया तथा इसलिए राज्य की हिस्सेदारी भी अप्रयुक्त रही।					
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
	मूल	1.00			
			..	..	..
	पुनर्वि०	(-)1.00			
मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1.00 लाख के समस्त प्रावधान को भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया।					
17-	राष्ट्रीय पशुधन मिशन-				
	मूल	1.00			
			..	..	..
	पुनर्वि०	(-)1.00			
मार्च 2024 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 1.00 लाख के समस्त प्रावधान को भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति के कारण कम कर दिया गया इसलिए राज्य की हिस्सेदारी भी अप्रयुक्त रही।					
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
	मूल	1.00			
			..	..	..
	पुनर्वि०	(-)1.00			
मार्च 2024 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 1.00 लाख के समस्त प्रावधान को भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया।					
20-	पशु चिकित्सा परिषद को अनुदान-				
	मूल	2.00			
			..	..	..
	पुनर्वि०	(-)2.00			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-31 (क्रमशः)

मार्च 2024 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 2.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार की हिस्सेदारी की कम प्राप्ति होने के कारण कम कर दिया गया तथा इसलिए राज्य की हिस्सेदारी भी अप्रयुक्त रही।

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

मूल 2.00

..

पुनर्वि० (-)2.00

मार्च 2024 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 2.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण कर दिया।

21- गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवारों को

पशु चारे पर उपदान-

मूल 94.50

54.34 54.26 (-)0.08

पुनर्वि० (-)40.16

मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 40.16 लाख की कमी प्रस्तावों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

2404- दुग्ध विकास-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

04- डेरी उद्यमी विकास योजना के अन्तर्गत उपदान-

मूल 1.00

..

पुनर्वि० (-)1.00

मार्च 2024 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान किसानों से मांग की कम प्राप्ति के कारण कम कर दिया गया।

07- दुग्ध उपार्जन गारंटेड योजना-

मूल 900.00 900.00 675.00 (-)225.00

₹ 225.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

2405- मत्स्य पालन-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

03- चंबा और भट्टियात पौकेट्स में विशेष

केन्द्रीय सहायता पर व्यय-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

(i) मूल 1.00

..

पुनर्वि० (-)1.00

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-31 (क्रमशः)

04-	विशेष केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत				
	मत्स्य पालन पर व्यय-				
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(ii)	मूल	1.00			
			..	..	..
	पुनर्वि०	(-)1.00			
05-	जनजातीय क्षेत्र से बाहर रह रहे लोगों के लिए विशेष				
	केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत मत्स्य पालन पर व्यय-				
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(iii)	मूल	1.00			
			..	..	..
	पुनर्वि०	(-)1.00			
	उपरोक्त तीन मामलों में मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3.00 लाख के समस्त प्रावधान को भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति के कारण कम कर दिया गया।				
09-	ट्राउट पशुधन बीमा-				
	मूल	1.00			
			..	..	..
	पुनर्वि०	(-)1.00			
	मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1.00 लाख की समस्त प्रावधान को किसानों से कम मांग की प्राप्ति के कारण कम कर दिया गया।				
10-	प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना-				
(i)	मूल	11.00	11.00	5.44	(-)5.56
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(ii)	मूल	99.00			
			94.00	46.76	(-)47.24
	पुनर्वि०	(-)5.00			
2406-	वानिकी तथा वन्य जीवन-				
01-	वानिकी-				
796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				
01-	कर्मचारी वर्ग पर व्यय-				
(iii)	मूल	1,432.07	1,432.07	1,300.24	(-)131.83
	उपरोक्त तीन मामलों में ₹ 184.63 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।				
02-	वानिकी कार्यक्रम-				
	मूल	509.25			
	पूरक	7.92	3,900.24	338.32	(-)3,561.92
	पुनर्वि०	3,383.07			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-31 (क्रमशः)

₹ 3,561.92 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,383.07 लाख का आवर्धन परिवहन सब्सिडी पर अधिक व्यय के कारण हुआ जोकि दैनिक मजदूरों की कम भर्ती और सामग्री तथा सम्भरण पर कम व्यय से हुई बचत से अंशतः प्रतिसंतुलित हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ।

₹ 3,561.92 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

03- भवन कार्यक्रम-

मूल	12.00	12.00	..	(-)12.00
-----	-------	-------	----	----------

₹ 12.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

07- चिलगोजा पाईन के पुनर्त्पादन पर व्यय-

मूल	16.22	16.22	12.20	(-)4.02
-----	-------	-------	-------	---------

₹ 4.02 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

22- एकीकृत वन संरक्षण योजना-

मूल	4.00			
-----	------	--	--	--

पुनर्वि० (-)4.00

मार्च 2024 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 4.00 लाख का समस्त प्रावधान केन्द्रीय हिस्सेदारी की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया तथा इसलिए राज्य की हिस्सेदारी भी अप्रयुक्त रही।

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

मूल	84.00			
-----	-------	--	--	--

पुनर्वि० (-)84.00

मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा ₹ 84.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने और कार्यों के कम निष्पादन के कारण कम कर दिया गया।

23- राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम-

(i) मूल 1.00

पुनर्वि० (-)1.00

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

(ii) मूल 1.00

पुनर्वि० (-)1.00

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2024 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 2.00 लाख के समस्त प्रावधान को भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया।

24- हिमाचल प्रदेश फोरेस्ट इको-सिस्टम क्लाइमेट

प्रूफिंग परियोजना-

मूल	174.00			
-----	--------	--	--	--

	2.15	1.66	(-)0.49
--	------	------	---------

पुनर्वि० (-)171.85

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-31 (क्रमशः)

मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 171.85 लाख की कमी संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने और सामग्रियों एवं पदार्थों के क्रय पर कम व्यय होने के कारण हुई।				
26-	सतत कृषि पर राष्ट्रीय मिशन के अन्तर्गत कृषि वानिकी मिशन-			
(i)	मूल	1.00		
			..	..
	पुनर्वि०	(-)1.00		
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना			
(ii)	मूल	1.00		
			..	..
	पुनर्वि०	(-)1.00		
उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2024 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 2.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया तथा इसलिए राज्य की हिस्सेदारी भी अप्रयुक्त रही।				
36-	वन आग प्रबंधन योजना-			
	मूल	19.00		
			16.00	0.32
				(-)15.68
	पुनर्वि०	(-)3.00		
₹ 15.68 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।				
38-	हरित भारत के लिए राष्ट्रीय अभियान			
	मूल	17.00		
			..	..
	पुनर्वि०	(-)17.00		
मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 17.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया तथा इसलिए राज्य की हिस्सेदारी भी अप्रयुक्त रही।				
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना			
	मूल	154.00		
			..	..
	पुनर्वि०	(-)154.00		
मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 154.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया।				
39-	समुदाय आधारित राज्य वानिकी कार्यक्रम-			
	मूल	1.00		
			..	..
	पुनर्वि०	(-)1.00		

विनियोग लेखे

अनुदान संख्या-31 (क्रमशः)

मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया तथा इसलिए राज्य की हिस्सेदारी भी अप्रयुक्त रही।

41- वन चकबन्दी तथा सीमांकन-
मूल 20.00

.. ..

पुनर्वि० (-)20.00

मार्च 2024 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 20.00 लाख का समस्त प्रावधान लघु कार्यों और सामग्री एवं सम्भरण पर कम व्यय के कारण कम कर दिया गया।

42- वानिकी कार्यक्रम

मूल 211.00

243.00 90.69 (-)152.31

पुनर्वि० 32.00

₹ 152.31 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 32.00 लाख का आवर्धन कार्यालय भवनों के रखरखाव पर अधिक व्यय, बिजली, दूरभाष एवं पानी बिलों पर अधिक व्यय तथा लघु कार्यों पर अधिक व्यय के कारण हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ।

₹ 152.31 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

43- स्रोत स्थिरता तथा जलवा अनुकूल वर्षा पर आधारित
परियोजना कृषि के लिए एकीकृत विकास-

मूल 173.00

.. ..

पुनर्वि० (-)173.00

मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 173.00 लाख का समस्त प्रावधान लघु कार्यों एवं सम्भरण तथा सामग्रियों के क्रय पर कम व्यय होने के कारण कम दिया गया।

02- पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- वन्य प्राणी प्रबन्ध तथा प्राकृतिक संरक्षण पर व्यय-

मूल 64.90 64.90 49.40 (-)15.50

₹ 15.50 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

03- वन्य प्राणी आश्रम के स्थलों का गहन प्रबन्धन-

मूल 4.00

2.38 2.38 ..

पुनर्वि० (-)1.62

मार्च 2024 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1.62 लाख की कमी सामग्री एवं सम्भरण पर कम व्यय तथा संगोष्ठियों/कार्यशालाओं के कम आयोजन के कारण हुई।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-31 (क्रमशः)

04-	पिन घाटी राष्ट्रीय पार्क के विकास पर व्यय-				
	मूल	6.00			
			4.18	4.18	..
	पुनर्वि०	(-)1.82			
	मार्च 2024 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1.82 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति के कारण हुई।				
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
	मूल	3.00			
			0.47	0.47	..
	पुनर्वि०	(-)2.54			
	मार्च 2024 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 2.54 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति के कारण हुई तथा इसलिए राज्य की हिस्सेदारी भी अप्रयुक्त रही।				
08-	सुरक्षित हिमालय-				
	मूल	20.00			
			..	..	..
	पुनर्वि०	(-)20.00			
	मार्च 2024 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 20.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति के कारण कम कर दिया गया।				
09-	वन्य प्राणी-				
	मूल	150.00			
			147.00	124.01	(-)22.99
	पुनर्वि०	(-)3.00			
	₹ 22.99 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।				
10-	हिमालयन प्राणी उप वन विकास-				
	मूल	63.00			
			45.04	39.97	(-)5.07
	पुनर्वि०	(-)17.96			
	मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 17.96 लाख की कमी लघु कार्यों पर कम व्यय, सामग्री एवं पदार्थों और प्राणी उप वन पर कम व्यय के कारण हुई।				
11-	चिड़ियाघरों की स्थापना-				
	मूल	540.00			
			..	..	..
	पुनर्वि०	(-)540.00			
	मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 540.00 लाख का समस्त प्रावधान चिड़ियाघरों की स्थापना, सामग्री एवं सम्भरण और अन्य बिलों पर कम व्यय होने के कारण कम कर दिया गया।				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-31 (क्रमशः)

2408- खाद्य भण्डार तथा भाण्डागार-

01- खाद्य-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- खाद्य संगठन पर व्यय-

मूल 159.70

161.81

134.95

(-)26.86

पुनर्वि० 2.11

₹ 26.86 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

02- सहकारी सेवाओं को उपदान-

मूल 19.00

27.00

18.00

(-)9.00

पुनर्वि० 8.00

₹ 9.00 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 8.00 लाख का आवर्धन गोदान कार्यों के निष्पादन के कारण हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ।

₹ 9.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

07- गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को

गेहूँ और चावल पर उपदान-

मूल 139.00

184.00

139.00

(-)45.00

पुनर्वि० 45.00

₹ 45.00 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 45.00 लाख का आवर्धन भारत सरकार के अनुपात में राज्य की हिस्सेदारी जारी होने के कारण हुई जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ।

₹ 45.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

08- उपदान पर दालों गेहूँ, चावल, तेल और

आयोडीनयुक्त नमक की खरीद-

मूल 1,485.00

1,485.00

1,451.74

(-)33.26

₹ 33.26 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

2435- अन्य कृषि कार्यक्रम-

01- विपणन और गुणवत्ता नियंत्रण-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

02- विपणन बोर्ड को मार्केटिंग यार्ड के निर्माण हेतु सहायता अनुदान-

मूल 1.00

..

..

..

पुनर्वि० (-)1.00

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-31 (क्रमशः)

मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान मार्केटिंग यार्ड के निर्माण पर कम व्यय के कारण कम कर दिया गया।

2501- ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम-

04- समकित ग्रामीण ऊर्जा योजना कार्यक्रम-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम पर व्यय-

(i)	मूल	350.00	350.00	262.50	(-)87.50
-----	-----	--------	--------	--------	----------

06- स्वरोजगार योजना -

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

03- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन.आर.एल.एम.)-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना

(ii)	मूल	378.00	378.00	246.31	(-)131.69
------	-----	--------	--------	--------	-----------

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 219.19 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

05- जिला ग्रामीण विकास अभिकरण प्रशासन-

(i)	मूल	1.00			
-----	-----	------	--	--	--

..

पुनर्वि0 (-)1.00

मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया और इसलिए राज्य का हिस्सेदारी भी अप्रयुक्त रही।

06- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-

(i)	मूल	23.00	23.00	..	(-)23.00
-----	-----	-------	-------	----	----------

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

(ii)	मूल	216.00	216.00	..	(-)216.00
------	-----	--------	--------	----	-----------

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 239.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

07- दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना-

(i)	मूल	69.00			
			81.66	61.41	(-)20.25

पुनर्वि0 12.66

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

(ii)	मूल	622.00	622.00	552.66	(-)69.34
------	-----	--------	--------	--------	----------

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 89.59 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-31 (क्रमशः)

08-	राष्ट्रीय ग्रामीणा शहरी मिशन- केन्द्रीय प्रायोजित योजना	मूल	45.00	..	..	..
	पुनर्वि०	(-)45.00				
	मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 45.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया।					
09-	मातृ शक्ति बीमा योजना	मूल	27.00	27.00	..	(-)27.00
	₹ 27.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।					
10-	मुख्यमंत्री ग्राम कौशल योजना-	मूल	1.00	..	..	..
	पुनर्वि०	(-)1.00				
	मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान योजना के अंतर्गत कम व्यय होने के कारण कम कर दिया गया।					
11-	बालिका गौरव पुरस्कार योजना-	मूल	14.00	14.00	..	(-)14.00
	उपरोक्त दो मामलों में ₹ 14.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।					
13-	मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना-	मूल	1.00	..	..	..
	पुनर्वि०	(-)1.00				
	मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान योजना के अंतर्गत कम व्यय होने के कारण कम कर दिया गया।					
14-	स्वर्णजयंती स्वयं सहायता समूह योजना-	मूल	36.00	36.00	..	(-)36.00
	₹ 36.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।					
15-	महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना-					
(i)	पूरक	3.67	3.67	1.84		(-)1.83
	केन्द्राय प्रायोजित योजना					
(ii)	पूरक	33.05	33.05	16.53		(-)16.52
	उपरोक्त दो मामलों में ₹ 18.35 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।					
2505-	ग्राम रोजगार-					
01-	राष्ट्रीय कार्यक्रम-					
796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-					

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-31 (क्रमशः)

07- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना-

मूल	1,260.00			
पूरक	0.01	810.00	810.00	..
पुनर्वि०	(-)450.01			

मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 450.01 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति के कारण हुई तथा इसलिए राज्य की हिस्सेदारी भी अप्रयुक्त रही।

2515- अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- पंचायती योजनाओं पर व्यय-

मूल	1,508.62			
		1,529.62	1,432.25	(-)97.37
पुनर्वि०	21.00			

₹ 97.37 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 21.00 लाख का आवर्धन वेतन संशोधन और बकाया के भुगतान के कारण हुई जोकि अनावश्यक सिद्ध हुई।

₹ 97.37 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

02- सामुदायिक विकास कार्यक्रम के विस्तार पर व्यय-

मूल	627.96			
		631.45	571.15	(-)60.30
पुनर्वि०	3.49			

₹ 60.30 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

10- सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना

मूल	1,080.00			
		257.35	257.35	..
पुनर्वि०	(-)822.65			

मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 822.65 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

14- आवासीय भवन/ग्राम सेवक हट-

मूल	36.00	36.00	11.59	(-)24.41
-----	-------	-------	-------	----------

₹ 24.41 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

15- स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत राज्य
पुरस्कार योजना

मूल	10.00	10.00	..	(-)10.00
-----	-------	-------	----	----------

₹ 10.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-31 (क्रमशः)

16-	राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आर.जी.एस.ए.)-				
	मूल	19.00			
			9.67	9.67	..
	पुनर्वि०	(-)9.33			
	मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 9.33 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति के कारण हुई।				
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
	मूल	174.00			
	पूरक	7.41	206.00	87.00	(-)119.00
	पुनर्वि०	24.59			
	₹ 119.00 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 24.59 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति के कारण हुई जोकि अनावश्यक सिद्ध हुई। जबकि ₹ 87.00 लाख का अनुदान भारत सरकार से प्राप्त हुआ।				
	₹ 119.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।				
17-	कार्यालय भवन/भण्डार निर्माण/नवीनीकरण-				
	मूल	90.00	90.00	3.05	(-)86.95
	₹ 86.95 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।				
18-	महिला मंडल प्रोत्साहन योजना-				
(i)	मूल	7.00	7.00	..	(-)7.00
20-	केन्द्रीय वित्तायोग के अंतर्गत जिला परिषदों को बुनियादी अनुदान-				
(ii)	मूल	109.63	109.63	..	(-)109.63
21-	केन्द्रीय वित्तायोग के अंतर्गत जिला परिषदों को बंधा अनुदान-				
(iii)	मूल	164.44	164.44	..	(-)164.44
	उपरोक्त तीन मामलों में ₹ 281.07 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।				
22-	केन्द्रीय वित्तायोग के अंतर्गत पंचायत समितियों को बुनियादी अनुदान-				
	मूल	141.78	141.78	49.47	(-)92.31
	₹ 92.31 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।				
23-	केन्द्रीय वित्तायोग के अंतर्गत पंचायत समितियों का बंधा अनुदान-				
	मूल	212.67	212.67	..	(-)212.67
	₹ 212.67 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-31 (क्रमशः)

24-	केन्द्रीय वित्तायोग के अंतर्गत पंचायतों को बुनियादी अनुदान-				
	मूल	661.64	661.64	306.96	(-)354.68
	₹ 354.68 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।				
25-	केन्द्रीय वित्तायोग के अंतर्गत पंचायतों को निष्पादन अनुदान-				
	मूल	992.45	992.45	..	(-)992.45
	₹ 992.45 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।				
26-	स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत सड़क के किनारे सुविधाएं-				
	मूल	45.00			
			..	..	..
	पुनर्वि0	45.00			
	मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 45.00 लाख का समस्त प्रावधान स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत कम व्यय के कारण हुआ।				
27-	मुख्यमंत्री जन संवाद योजना-				
	मूल	1.00	1.00	..	(-)1.00
	₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।				
2702-	लघु सिंचाई-				
80-	सामान्य-				
796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				
02-	उठाऊ सिंचाई योजनाओं की मरम्मत पर व्यय (विशेष मरम्मत)-				
(i)	मूल	28.05	28.05	19.26	(-)8.79
03-	अन्य लघु सिंचाई स्कीमों का रखरखाव तथा मरम्मत पर व्यय (विशेष मरम्मत)-				
(ii)	मूल	256.52	256.52	235.12	(-)21.40
04-	अन्य लघु सिंचाई स्कीमों के रखरखाव तथा मरम्मत (साधारण रखरखाव बहाव सिंचाई योजना)-				
(iii)	मूल	295.40	295.40	251.44	(-)43.96
06-	स्थाई स्थापना में परिवर्तित कार्य प्रभारित कर्मचारी वर्ग-				
(iv)	मूल	783.40	783.40	613.45	(-)169.95
07-	स्थापना पर व्यय-				
(v)	मूल	509.89	509.89	481.04	(-)28.85
08-	स्कन्ध (स्टाक)-				
(vi)	मूल	300.00	300.00	228.73	(-)71.27

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-31 (क्रमशः)

09-	स्कन्ध पर व्यय (स्टॉक मैनुफैक्चर)-				
(vii)	मूल	75.00	75.00	29.39	(-)45.61
10-	स्कन्ध (विविध लोक निर्माण अग्रिम)				
(viii)	मूल	150.00	150.00	46.61	(-)103.39
11-	वसूली के समायोजन के लिए रखरखाव का प्रावधान-				
(ix)	मूल	783.40	783.40	463.93	(-)319.47
उपरोक्त नौ मामलों में ₹ 812.69 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।					
2851-	ग्रामीण तथा लघु उद्योग-				
796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				
08-	हथकरघा और हस्तकला के लिए एकीकृत योजना-				
	मूल	1.00	1.00	..	(-)1.00
₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।					
16-	खादी एवं ग्रामोद्योग पर विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत व्यय- केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
	मूल	1.00			
			..	..	..
	पुनर्वि०	(-)1.00			
मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान योजना के अंतर्गत कम व्यय होने के कारण कम कर दिया गया।					
17-	हथकरघा और हस्तशिल्प उद्योग के विकास- केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
	मूल	1.00			
			..	..	..
	पुनर्वि०	(-)1.00			
मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान प्रस्तावों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया।					
21-	खाद्य विद्यायन हेतु राज्य मिशन-				
	मूल	20.00	20.00	..	(-)20.00
₹ 20.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।					
22-	हिमाचल राज्य विस्तृत क्षेत्र नेटवर्किंग (हिमसवान)-				
	मूल	300.00	300.00	226.56	(-)73.44
₹ 73.44 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।					

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-31 (क्रमशः)

26-	ग्रामीण इंजीनियरिंग आधारित उद्योग केन्द्र-				
	मूल	15.00			
	पुनर्वि०	(-)15.00			
	मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 15.00 लाख का समस्त प्रावधान प्रस्तावों की कम प्राप्ति होने के कारण कम कर दिया गया।				
29-	सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम- आत्मनिर्भर भारत- केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
	मूल	193.00			
			46.00	46.00	
	पुनर्वि०	(-)147.00			
	मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 147.00 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति के कारण हुई। जबकि ₹ 46.00 लाख का अनुदान भारत सरकार से प्राप्त हुआ।				
30-	मुख्यमंत्री स्वावलम्बन योजना				
	मूल	521.00	521.00	397.70	(-)123.30
	₹ 123.30 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।				
3054-	सड़कें तथा सेतू-				
04-	जिला तथा अन्य सड़कें-				
796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				
02-	अस्थाई स्थापना को स्थाई बनाने पर व्यय-				
	मूल	11,439.74			
			9,944.93	9,142.81	(-)802.12
	पुनर्वि०	(-)1,494.81			
	₹ 802.12 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,494.81 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।				
	₹ 802.12 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।				
03-	जिला सड़कों के रखरखाव एवं मरम्मत पर व्यय-				
(i)	मूल	2,639.45	2,639.45	2,472.53	(-)166.92
04-	बाहरवें वित्तायोग के अन्तर्गत जिला एवं अन्य सड़कों का रखरखाव-				
(ii)	मूल	1,457.57	1,457.57	939.26	(-)518.31
	उपरोक्त दो मामलों में ₹ 685.23 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।				
05-	वसूलियों के समायोजन हेतु रखरखाव प्रावधान-				
	मूल	11,439.74			
			9,956.49	729.75	(-)9,226.74
	पुनर्वि०	(-)1,483.25			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-31 (क्रमशः)

₹ 9,226.74 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,483.25 लाख की कमी कार्यालय भवनों के रखरखाव पर कम व्यय के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 9,226.74 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

3452- पर्यटन-

80- सामान्य-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- जनजातीय क्षेत्र में पर्यटन, मेल, उत्सव
और प्रचार का विकास-

मूल 50.00

100.00

51.87

(-)48.13

पूरक 50.00

₹ 48.13 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

3454- जनगणन सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी-

02- सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- सर्वेक्षण कर्मचारी वर्ग मूल्यांकन अध्ययन
तथा तकनीकी पर व्यय-

मूल 60.09

60.09

46.17

(-)13.92

₹ 13.92 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

3456- नागरिक आपूर्ति-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

03- लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली
का कम्प्यूटरीकरण-

मूल 9.00

9.00

..

(-)9.00

₹ 9.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

04- उपभोक्ता जागरूकता-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

मूल 2.00

..

..

..

पुनर्वि0 (-)2.00

मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति के कारण कम कर दिया गया।

(iv) उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
-------	------------	---------------	-----------------------

(₹ लाख में)

2015- निर्वाचन-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-31 (क्रमशः)

796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				
04-	विधानसभा सभा चुनाव प्रभार-				
	मूल	0.07			
			102.45	97.38	(-)5.07
	पुनर्वि०	102.38			
	₹ 5.07 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 102.38 लाख का आवर्धन विधानसभा चुनाव के लंबित बिलों के भुगतान तथा यात्रा व्यय पर अधिक व्यय और दूरभाष तथा पानी के बिलों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ जोकि अत्यधिक सिद्ध हुआ।				
	₹ 5.07 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।				
2053-	जिला प्रशासन-				
796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				
08-	नाभिक बजट सपर पर व्यय-				
	मूल	180.00			
			270.00	198.66	(-)71.34
	पुनर्वि०	90.00			
	₹ 71.34 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 90.00 लाख का आवर्धन लघु कार्यों के अधिक निष्पादन के कारण हुआ जोकि अत्यधिक सिद्ध हुआ।				
	₹ 71.34 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।				
2055-	पुलिस-				
796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				
07-	सुरक्षा संबंधी व्यय-				
	मूल	11.00			
			25.44	18.63	(-)6.81
	पुनर्वि०	14.44			
	₹ 6.81 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 14.44 लाख का आवर्धन बढ़े मानदेय के भुगतान के कारण हुआ जोकि अत्यधिक सिद्ध हुआ।				
	₹ 6.81 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।				
08-	पुलिस विभाग के साथ कानून एवं कानून व्यवस्था हेतु तैनात गृह रक्षकों पर व्यय-				
	मूल	662.99			
			862.99	862.97	(-)0.02
	पुनर्वि०	200.00			
	मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 200.00 लाख का आवर्धन मजदूरी की दरों में संशोधन के कारण हुआ।				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-31 (क्रमशः)

2059- लोक निर्माण कार्य-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

03- लोक निर्माण विश्राम/सर्कट हाउस

के रखरखाव पर व्यय-

मूल	70.26	70.26	84.68	(+) 14.42
-----	-------	-------	-------	------------------

₹ 14.42 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

2070- अन्य प्रशासनिक सेवाएँ-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- अग्नि शमन केन्द्रों पर व्यय-

मूल	317.69			
		389.47	400.01	(+) 10.54

पुनर्वि० 71.78

मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 71.78 लाख का आवर्धन मजदूरी की दरों में संशोधन, वेतनमान के संशोधन, बाह्य स्रोत वाहनों, दूरभाष तथा पानी के बिलों पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

2202- सामान्य शिक्षा-

01- प्रारम्भिक शिक्षा-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

16- अटल वर्दी योजना

मूल	1.00			
		..	86.10	(+) 86.10

पुनर्वि० (-)1.00

मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान सामग्रियों/पदार्थों/वस्त्रों के क्रय पर कम व्यय के कारण कम कर दिया गया।

₹ 86.10 लाख का समस्त व्यय वर्ष 2020-21 की आपत्ति पुस्तिका के उचंत के सजायोजन के कारण हुआ।

23- राज्यों के लिए शिक्षण और परिणामों को

सुदृढ़ बनाना (स्टार्स परियोजना)-

मूल	1.00			
		262.36	35.19	(-) 227.17

पुनर्वि० 261.36

₹ 227.17 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 261.36 लाख का आवर्धन भारत सरकार के अनुपात में राज्य की हिस्सेदारी जारी होने के कारण हुआ जोकि अत्यधिक सिद्ध हुआ।

₹ 227.17 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

मूल	92.00			
		2,361.25	316.61	(-) 2,044.64

पुनर्वि० 2,269.25

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-31 (क्रमशः)

₹ 2,044.64 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,269.25 लाख का आवर्धन भारत सरकार से केन्द्रीय हिस्सेदारी की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ जोकि अत्याधिक सिद्ध हुआ। जबकि ₹ 321.62 लाख का अनुदान भारत सरकार से प्राप्त हुआ।

₹ 2,044.64 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

26- न्यू इंडिया साक्षरता कार्यक्रम-

केन्द्रीय प्रायोजित याजना

मूल 1.00

20.01

5.01

(-)15.00

पुनर्वि० 19.01

₹ 15.00 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 19.01 लाख का आवर्धन भारत सरकार से केन्द्रीय हिस्सेदारी की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ जोकि अत्याधिक सिद्ध हुआ।

₹ 15.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

02- माध्यमिक शिक्षा-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

14- स्कूल प्रबंधन समिति को सहायता अनुदान-

मूल 346.50

438.23

428.67

(-)9.56

पुनर्वि० 91.73

मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 91.73 लाख का आवर्धन विद्यालय प्रबंधन समिति को अनुदान सहायता पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

03- विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

02- महाविद्यालयों पर व्यय-

मूल 877.83

878.83

1,053.67

(-)174.84

पुनर्वि० 1.00

₹ 1,053.67 लाख के कुल व्यय में से ₹ 223.57 लाख का व्यय वर्ष 2019-20 के आपत्ति पुस्तिका के उचंत के समायोजन के कारण हुआ।

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

..

..

2,012.16

(+)2,012.16

₹ 2,012.16 लाख का कुल व्यय वर्ष 2019-20 की आपत्ति पुस्तिका के उचंत के समायोजन के कारण हुआ।

2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-

05- चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-31 (क्रमशः)

796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				
03-	डॉ. राजेन्द्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा				
	का उन्नयन-				
	मूल	117.00			
			341.48	215.72	(-)125.76
	पुनर्वि०	224.48			

₹ 125.76 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 224.48 लाख का आवर्धन सामग्रियों, पदार्थों, वस्त्रों के क्रय पर अधिक व्यय और मशीनरी एवं उपकरण की अधिक खरीद के कारण हुआ जोकि अत्यधिक सिद्ध हुआ।

₹ 125.76 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

2215-	जलापूर्ति तथा स्वच्छता-				
01-	जलापूर्ति-				
796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				
01-	ग्रामीण जलापूर्ति योजना पर व्यय-				
	मूल	561.47	561.47	618.67	(+)57.20

₹ 57.20 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

2216-	आवास-				
03-	ग्रामीण आवास-				
796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				
01-	ग्रामीण क्षेत्रों में बेघर गरीबों को गांधी कुटीर योजना/ इंदिरा आवास योजना/प्रधानमंत्री आवास योजना-				
	मूल	37.00			
			208.70	41.55	(-)167.15
	पुनर्वि०	171.70			

₹ 167.15 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 171.70 लाख का आवर्धन योजना के अंतर्गत गरीब लोगों के लिए अधिक आवासों के निर्माण के कारण हुआ जोकि अत्यधिक सिद्ध हुआ।

₹ 167.15 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

2217-	शहरी विकास-				
03-	छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास-				
796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				
04-	प्रधानमंत्री आवास योजना सभी के लिए आवास (शहरी)-				
	मूल	2.00			
			4.86	2.20	(-)2.66
	पुनर्वि०	2.86			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-31 (क्रमशः)

₹ 2.66 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2.86 लाख का आवर्धन भारत सरकार से प्राप्त निधियों के अनुपात में राज्य की हिस्सेदारी जारी होने के कारण हुआ जोकि अत्यधिक सिद्ध हुआ।

₹ 2.66 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

2230- श्रम, रोजगार और कौशल विकास-

03- प्रशिक्षण-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

03- कारगिरी और पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण-

पूरक	20.97	20.97	32.06	(+) 11.09
------	-------	-------	-------	------------------

₹ 11.09 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

10- औद्योगिक मूल्य संवर्धन के लिए

कौशल को मजबूत बनाना-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

मूल	2.00			
-----	------	--	--	--

		84.00	84.00	..
--	--	-------	-------	----

पुनर्वि०	82.00			
----------	-------	--	--	--

मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 82.00 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ।

2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-

02- समाज कल्याण-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

20- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

(i) मूल	17.00			
---------	-------	--	--	--

		42.26	42.26	..
--	--	-------	-------	----

पुनर्वि०	25.26			
----------	-------	--	--	--

37- किशोरी बालिकाओं के लिए योजना-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

(ii) मूल	18.00			
----------	-------	--	--	--

		43.70	43.70	..
--	--	-------	-------	----

पुनर्वि०	25.70			
----------	-------	--	--	--

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 50.96 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ।

38- मुख्यमंत्री सुख आश्रय कोष के लिए अनुदान-

मूल	27.00			
-----	-------	--	--	--

पूरक	306.00	873.00	423.00	(-) 450.00
------	--------	--------	--------	-------------------

पुनर्वि०	540.00			
----------	--------	--	--	--

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-31 (क्रमशः)

₹ 450.00 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 540.00 लाख का आवर्धन मुख्यमंत्री सुख आश्रय कोष पर अधिक व्यय के कारण हुआ जोकि अत्यधिक सिद्ध हुआ।

₹ 450.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

2251- सचिवालय सामाजिक सेवाएँ-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

03- बुनियादी/अन्य सुविधाओं के लिए विकास निधि-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना

पूरक 22.00

53.00

53.00

..

पुनर्वि० 31.00

मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 31.00 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ।

2401- फसल कृषि कर्म-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

55- प्राकृतिक खेत खुशहाल किसान-

मूल 45.00

90.00

90.00

..

पुनर्वि० 45.00

मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 45.00 लाख का आवर्धन हुआ जिसके कारण सूचित नहीं किए गए।

64- जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एंजेसी द्वारा समर्पित
फसल विविधीकरण परियोजना चरण-II

मूल 270.00

450.00

450.00

..

पुनर्वि० 180.00

मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 180.00 लाख का आवर्धन जापान अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग एंजेसी द्वारा समर्थित फसल विविधीकरण परियोजना पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

2402- भू तथा जल संरक्षण-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

15- जल से कृषि को बल-

मूल 90.00

112.19

94.56

(-)17.63

पुनर्वि० 22.19

मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 22.19 लाख का आवर्धन किसानों से मांग की अधिक प्राप्ति और लघु कार्यों पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-31 (क्रमशः)

2408- खाद्य भण्डारण तथा भाण्डागार-

01- खाद्य-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

07- गारीबी रेखा से नीचे के परिवारों को

गेंहूँ और चावल पर उपदान-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

मूल 1.00

127.19

127.19

..

पुनर्वि0 126.19

मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 126.19 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति और भारत सरकार से प्राप्त निधियों के अनुपात में राज्य की हिस्सेदारी जारी होने के कारण हुआ।

2501- ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम-

06- स्वरोजगार योजना-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

03- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन-

मूल 27.00

52.97

27.37

(-)25.60

पुनर्वि0 25.97

₹ 25.60 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 25.97 लाख का आवर्धन भारत सरकार के अनुपात में राज्य की हिस्सेदारी जारी करने के कारण हुआ जोकि अत्यधिक सिद्ध हुआ।

₹ 25.60 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

2515- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

10- सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान-

मूल 2.00

23.82

23.82

..

पुनर्वि0 21.82

मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 21.82 लाख का आवर्धन भारत सरकार के अनुपात में राज्य का हिस्सेदारी जारी होने के कारण हुआ।

2801- विद्युत-

80- सामान्य-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

02- टैरिफ रोल बैंक पर अनुदान-

मूल 8,871.00

12,681.00

12,680.00

(-)1.00

पुनर्वि0 3,810.00

मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 3,810.00 लाख का आवर्धन टैरिफ रोल बैंक पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-31 (क्रमशः)

3054- सड़क तथा सेतू-

04- जिला और अन्य सड़कें-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- ग्रामीण सड़क एवं पुल कार्यक्रम के
अंतर्गत स्थापना पर व्यय-

मूल 1,759.99

1,708.40

13,720.07

(+)12,011.67

पुनर्वि0 (-)51.59

₹ 12,011.67 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 51.59 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि अवास्तविक सिद्ध हुई।

₹ 12,011.67 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

3055- सड़क परिवहन-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- परिवहन सेवाओं को सहायता-

मूल 4,014.00

पूरक 2,024.43

7,843.50

7,843.50

..

पुनर्वि0 1,805.07

मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,805.07 लाख का आवर्धन हिमाचल सड़क परिवहन निगम की लम्बित देनदारियों को निपटाने तथा वेतन पर अधिक व्यय होने के कारण हुआ।

पूँजीगत प्रवर्ग

(v) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
		(₹ लाख में)	

4055- पुलिस पर पूँजीगत परिव्यय-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- पुलिस बल का आधुनिकीकरण-

(i) मूल 4.00

4.00

..

(-)4.00

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

(ii) मूल 39.00

39.00

..

(-)39.00

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 43.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

08- भवन-

मूल 60.00

86.87

60.00

(-)26.87

पुनर्वि0 26.87

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-31 (क्रमशः)

₹ 26.87 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 26.87 लाख का आवर्धन चल रहे कार्यों के पूर्ण होने के कारण हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ।

₹ 26.87 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-

01- कार्यालय भवन-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

02- अन्य प्रशासन पर व्यय-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

मूल 2.00

1.00 .. (-)1.00

पुनर्वि० (-)1.00

₹ 1.00 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1.00 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 1.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

05- न्यायालय पर व्यय-

मूल 1.00

..

पुनर्वि० (-)1.00

मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया तथा इसलिए राज्य का हिस्सा भी अप्रयुक्त रहा।

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

मूल 1.00

..

पुनर्वि० (-)1.00

मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया।

14- वैकल्पिक विवाद समाधान केन्द्र-

मूल 2.00

..

पुनर्वि० (-)2.00

मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2.00 लाख का समस्त प्रावधान कार्यों के कम निष्पादन के कारण कम कर दिया गया।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-31 (क्रमशः)

15-	आबकारी और कराधान-				
	मूल	100.00	100.00	..	(-)100.00

₹ 100.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

4070 अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय-

796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				
01-	अग्नि शमन सेवा विभाग का निर्माण- केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
	मूल	100.00			
			10.00	..	(-)10.00
	पुनर्वि०	(-)90.00			

मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 90.00 लाख की कमी कार्यों के कम निष्पादन के कारण हुई।

4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-

01-	सामान्य शिक्षा-				
796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				
01-	भवन- केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
	मूल	2.00			
			..	..	..
	पुनर्वि०	(-)2.00			

मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति और संहितागत औपचारिकताओं के पूरा न होने के कारण कम कर दिया गया।

05-	महाविद्यालय भवन-				
	मूल	130.00			
			80.00	80.00	..
	पुनर्वि०	(-)50.00			

मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 50.00 लाख की कमी कार्यों के कम निष्पादन के कारण हुई।

02-	तकनीकी शिक्षा-				
796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				
01-	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के भवनो का निर्माण-				
	मूल	100.00			
			115.00	74.00	(-)41.00
	पुनर्वि०	15.00			

₹ 41.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-31 (क्रमशः)

02- पोलिटेक्निक भवन-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना
मूल 1.00

.. ..

पुनर्वि० (-)1.00

मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान कार्यों के कम निष्पादन के कारण कम कर दिया गया।

03- खेल तथा युवा सेवाएं-
796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-
01- भवन निर्माण-

मूल 200.00

489.08 177.53 (-)311.55

पुनर्वि० 289.08

₹ 311.55 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 289.08 लाख का आवर्धन कार्यों के कम निष्पादन के कारण हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ।

₹ 311.55 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

मूल 1.00 1.00 .. (-)1.00

₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

03- पर्वतारोहण विभाग के भवनों पर व्यय-

मूल 15.00 15.00 .. (-)15.00

₹ 15.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

04- मुख्यमंत्री युवा खेल प्रोत्साहन योजना-

(i) मूल 45.00 45.00 15.00 (-)30.00

4210- चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य पर
पूँजीगत परिव्यय-

02- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- भवन-

(ii) मूल 780.00

782.35 751.60 (-)30.75

पुनर्वि० (-)2.35

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 60.75 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-31 (क्रमशः)

03-	चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-				
796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				
01-	भवन निर्माण-				
	मूल	285.50			
			205.33	149.34	(-)55.99
	पुनर्वि0	(-)80.17			
	₹ 55.99 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 80.17 लाख की कमी कार्यों के कम निष्पादन के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।				
	₹ 55.99 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।				
03-	इंदिरा गांधी मेडिकल कालेज शिमला में निर्माण कार्य-				
(i)	मूल	252.00	252.00	..	(-)252.00
04-	डॉ. राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा में निर्माण कार्य-				
(ii)	मूल	163.00	163.00	..	(-)163.00
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(iii)	मूल	1.00	1.00	..	(-)1.00
05-	मेडिकल कॉलेज, चम्बा				
(iv)	मूल	91.00	91.00	..	(-)91.00
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(v)	मूल	1.00	1.00	..	(-)1.00
	उपरोक्त पांच मामलों में ₹ 508.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।				
06-	मेडिकल कॉलेज, नाहन				
	मूल	91.00	91.00	7.36	(-)83.64
	₹ 83.64 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।				
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(i)	मूल	1.00	1.00	..	(-)1.00
07-	मेडिकल कॉलेज, हमीरपुर				
(ii)	मूल	36.00	36.00	..	(-)36.00
08-	श्री लाल बहादुर शास्त्री सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय, नेर चौक-				
(iii)	मूल	22.00	22.00	..	(-)22.00
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(iv)	मूल	2.00	2.00	..	(-)2.00

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-31 (क्रमशः)

उपरोक्त चार मामलों में ₹ 61.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

4215- जलापूर्ति तथा स्वच्छता पर पूंजीगत परियोजना-

01- जलापूर्ति-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

03- मल निकासी स्कीमें-

मूल 800.00

917.42 783.27 (-)134.15

पुनर्वि0 117.42

₹ 134.15 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 117.42 लाख का आवर्धन योजन के अंतर्गत कार्यों के अधिक निष्पादन के कारण हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ।

₹ 134.15 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

09- राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक/
ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास निधि
के अन्तर्गत ग्रामीण पेयजल योजनाओं
पर व्यय-

मूल 2,000.00

81.15 80.20 (-)0.95

पुनर्वि0 (-)1,918.85

मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,918.85 लाख की कमी कार्यों के कम निष्पादन के कारण हुई।

14- जल जीवन मिशन-

मूल 675.00 675.00 .. (-)675.00

₹ 675.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

17- पुरानी ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाओं का
पुनर्निर्माण/नवीनीकरण-

मूल 225.00

.. 0.96 (+)0.96

पुनर्वि0 (-)225.00

मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 225.00 लाख का समस्त प्रावधान कार्यों के कम निष्पादन के कारण कम कर दिया गया।

₹ 0.96 लाख का व्यय बिना किसी प्रावधान के किया गया; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-31 (क्रमशः)

18-	विभिन्न जल आपूर्ति योजना के लिए उर्जा दक्षता पंपों में स्थानांतरण-	मूल	1.00	..	..	..
	पुनर्वि०	(-)1.00				
	मार्च 2024 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान कार्य के कम निष्पादन के कारण कम कर दिया गया।					
4216-	आवास पर पूंजीगत परिव्यय-					
01-	सरकारी आवासीय भवन-					
796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-					
02-	भवनों का निर्माण-					
(i)	मूल	498.00	499.74	448.09		(-)51.65
	पुनर्वि०	1.74				
03-	आवासीय भवनों का निर्माण (वन विभाग)-					
(ii)	मूल	90.00	103.64	47.84		(-)55.80
	पुनर्वि०	13.64				
	उपरोक्त दो मामलों में ₹ 107.45 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।					
09-	सामान्य प्रशासन विभाग के सरकारी आवासीय भवनों का निर्माण-					
	मूल	81.00	..	..		..
	पुनर्वि०	(-)81.00				
	मार्च 2024 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 81.00 लाख का समस्त प्रावधान संहितागत औपचारिकताओं के पूरा न होने के कारण कम कर दिया गया।					
10-	आबकारी और कराधान के लिए आवासीय भवन-					
	मूल	100.00	100.00	..		(-)100.00
	₹ 100.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।					
4225-	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-					
02-	अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-					
796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-					
01-	अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति विकास निगम को सहायता-					
	मूल	50.00	..	..		..
	पुनर्वि०	(-)50.00				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-31 (क्रमशः)

मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 50.00 लाख का समस्त प्रावधान केन्द्रीय हिस्सेदारी की कम प्राप्ति और संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न होने के कारण कम कर दिया गया।

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

मूल 1.00

..

पुनर्वि० (-)1.00

मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति होने के कारण कम कर दिया गया।

03- आधार भूत संरचना का विकास-

मूल 1,945.00

100.00 100.00 ..

पुनर्वि० (-)1,845.00

मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,845.00 लाख की कमी हुई जिसके कारणों की सूचना नहीं दी गई।

4235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर
पूँजीगत परिव्यय-

02- समाज कल्याण-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- विभागीय भवनों का निर्माण-

(i) मूल 1.00

..

पुनर्वि० (-)1.00

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

(ii) मूल 77.00

..

पुनर्वि० (-)77.00

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 78.00 लाख के समस्त प्रावधान को भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति होने के कारण कम कर दिया गया।

02- महिला एवं बाल विकास विभाग के भवन-

(i) मूल 9.00 9.00 .. (-)9.00

04- कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास
का निर्माण-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

(ii) मूल 1.00 1.00 .. (-)1.00

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 10.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-31 (क्रमशः)

4401- फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना -

01- कृषि विभाग के भवन-
केन्द्रीय प्रायोजित याजना
मूल 3.00

..

पुनर्वि० (-)3.00

मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति होने के कारण कम कर दिया गया तथा इसलिए राज्य की हिस्सेदारी भी अप्रयुक्त रही।

02- उद्यान विभाग के भवन-

मूल 50.00

28.41 26.37 (-)2.04

पुनर्वि० (-)21.59

मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 21.59 लाख की कमी कार्यों के कम निष्पादन के कारण हुई।

4402- मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना -

01- पॉली हाउस एवं सूक्ष्म सिंचाई योजना
ग्रामीण अवसरचनना विकास निधि-
मूल 1.00

..

पुनर्वि० (-)1.00

मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान कार्यों के कम निष्पादन के कारण कम कर दिया गया।

4403- पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना -

01- भवन कार्यक्रम-
मूल 2.00

..

पुनर्वि० (-)2.00

मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने और संहितागत औपचारिकताओं के पूरा न होने के कारण कम कर दिया गया।

4405 मछली पालन पर पूंजीगत परिव्यय-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- भवन निर्माण-
मूल 72.00

39.86 .. (-)39.86

पुनर्वि० (-)32.14

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-31 (क्रमशः)

₹ 39.86 लाख के समस्त प्रावधान के अप्रयुक्त रहने की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 32.14 लाख की कमी कार्यों के निष्पादन के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 39.86 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

4406- वानिकी तथा अन्य प्राणियों पर
पूंजीगत परिव्यय-

01- वानिकी-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

02- भवन निर्माण पर व्यय-

मूल 200.00

224.21

79.05

(-)145.16

पुनर्वि0 24.21

₹ 145.16 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 24.21 लाख का आवर्धन चल रहे कार्यों के निष्पादन के कारण हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ।

₹ 145.16 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

4408- खाद्य भण्डारण तथा भाण्डागार पर
पूंजीगत परिव्यय-

02- भण्डारण तथा भाण्डागार-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- भवनों का कार्यक्रम-

(i) मूल 1.00

..

..

..

पुनर्वि0 (-)1.00

4515- अन्य ग्रसत विकास कार्यक्रम पर पूंजीगत
परिव्यय-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- मुख्यमंत्री लोक भवन-

(ii) मूल 5.00

..

..

..

पुनर्वि0 (-)5.00

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 6.00 लाख का समस्त प्रावधान कार्यों के कम निष्पादन के कारण कर दिया गया।

03- पंचायती राज संस्थान भवन-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना

मूल 162.00

162.00

80.00

(-)82.00

₹ 82.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-31 (क्रमशः)

4702- लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

06- कृषि और ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय
बैंक के अंतर्गत लिफ्ट सिंचाई योजनाएं-
मूल 625.00

716.60 581.18 (-)135.42

पुनर्वि0 91.60

₹ 135.42 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 91.60 लाख का आवर्धन कार्यों के अधिक निष्पादन के कारण हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ।

₹ 135.42 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

08- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (हर खेत को पानी)
के अन्तर्गत लघु सिंचाई योजनाएं-

(i) मूल 30.00 30.00 5.91 (-)24.09

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

(ii) मूल 400.00 400.00 53.21 (-)346.79

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 370.88 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

10- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हर खेत को पानी
के अन्तर्गत डायवर्सन तथा प्रवाह सिंचाई योजना-

(i) मूल 100.00 100.00 .. (-)100.00

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

(ii) मूल 701.00 701.00 . (-)701.00

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 801.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

12- पर्वतधारा-

मूल 1.00

..

पुनर्वि0 (-)1.00

मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान कार्यों के कम निष्पादन के कारण कम कर दिया गया।

4705- कमान क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- कमान क्षेत्र का विकास-
मूल 301.00

231.10 224.88 (-)6.22

पुनर्वि (-)69.90

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-31 (क्रमशः)

मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 69.90 लाख की कमी कार्यों के कम निष्पादन के कारण हुई।

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

मूल 1.00

.. ..

पुनर्वि० (-)1.00

मार्च 2024 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान संहितागत औपचारिकताओं के पूरा न होने के कारण कम कर दिया गया।

4801- विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय-

01- हाइडल उत्पादन-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

02- हिमाचल प्रदेश ट्रांसमिशन निगम लिमिटेड में इक्विटी योगदान-

(i) मूल 72.00 72.00 18.00 (-)54.00

06- हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम लिमिटेड में इक्विटी योगदान-

(ii) मूल 1,500.00 1,500.00 375.00 (-)1,125.00

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 1,179.00 लाख के अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

07- हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड में इक्विटी योगदान-

मूल 225.00 225.00 .. (-)225.00

₹ 225.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

4851- ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

05- औद्योगिक भवनों का निर्माण-

मूल 10.00 10.00 5.00 (-)5.00

₹ 5.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

5053- नागरिक उड्डयन पर पूंजीगत परिव्यय-

80- सामान्य-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

02- हेलिपेडस और हवाई पट्टियों का निर्माण-

(i) मूल 150.00 135.00 81.60 (-)53.40

पुनर्वि० (-)15.00

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-31 (क्रमशः)

- 03- हेलिपोटर्स एवं हवाई अड्डों का विकास-
- (ii) मूल 5,904.00 5,904.00 2,700.00 (-)3,204.00
- उपरोक्त दो मामलों में ₹ 3,257.40 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

**5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत
परिव्यय-**

- 04- जिला तथा अन्य सड़कें-
- 796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-
- 03- ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि/
राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास
बैंक के अन्तर्गत ग्रामीण सड़कों
के निर्माण पर व्यय-
- मूल 3,616.00
- 1,912.94 1,873.36 (-)39.58
- पुनर्वि0 (-)1,703.06

₹ 39.58 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,703.06 लाख की कमी कार्यों के कम निष्पादन के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 39.58 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

- 04- शुद्ध वर्तमान मूल्य सहित भूमि मुआवजा
पर व्यय-
- मूल 180.00

..

पुनर्वि0 (-)180.00

मार्च 2024 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 180.00 लाख का समस्त प्रावधान मुआवजा दावों की कम प्राप्ति होने के कारण कम कर दिया गया।

- 08- केन्द्रीय सड़क निधि के अन्तर्गत सड़कों
का निर्माण-
- केन्द्रीय प्रायोजित योजना
- मूल 990.00

..

पुनर्वि0 (-)990.00

मार्च 2024 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 990.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया।

- 09- सड़कों और पुलों के डिजाइन/विस्तार
परियोजना रिपोर्ट के लिए परामर्श-

- (i) मूल 18.00 18.00 12.50 (-)5.50

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-31 (क्रमशः)

12-	मुख्यमंत्री सड़क योजना-				
(ii)	मूल	422.00	422.00	391.47	(-)30.53
13-	सड़क किनारे सुविधा/वृक्षारोपण (बागवानी मंडल)-				
(iii)	मूल	72.00	72.00	49.57	(-)22.43
14-	मध्यस्थता मामलों के लिए भुगतान (सड़कें और पुल)-				
(iv)	मूल	50.00	50.00	5.41	(-)44.59
उपरोक्त चार मामलों में ₹ 103.05 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।					
80-	सामान्य-				
796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				
05-	मुख्य पुलों के निर्माण पर व्यय-				
	मूल	1,600.00			
			1,069.21	854.80	(-)214.41
	पुनर्वि0	(-)530.79			
₹ 214.41 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 530.79 लाख की कमी कार्यों के कम निष्पादन के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।					
₹ 214.41 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।					
09-	ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि/राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के अन्तर्गत मुख्य पुलों के निर्माण पर व्यय-				
	मूल	2,000.00			
			835.80	838.34	(+)2.94
	पुनर्वि0	(-)1,164.60			
मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,164.60 लाख की कमी कार्यों के कम निष्पादन के कारण हुई।					
5055-	सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय-				
796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				
09-	इलेक्ट्रिक वाहन-				
(i)	मूल	1,800.00	1,800.00	200.00	(-)1,600.00
5075-	अन्य परिवहन सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय-				
60-	अन्य-				
796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				
01-	रोपवे और रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम-				
(ii)	मूल	11.00			
			13.00	..	(-)13.00
	पुनर्वि0	2.00			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-31 (क्रमशः)

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 1,613.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

मूल 1.00

..

..

..

पुनर्वि० (-)1.00

मार्च 2024 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान कार्यों के कम निष्पादन के कारण कम कर दिया गया।

5452- पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय-

01- पर्यटक अवसंरचना-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

02- पर्यटन विकास-

मूल 4,963.00 4,963.00 35.00 (-)4,928.00

₹ 4,928.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

80- सामान्य-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

02- विभिन्न भवनों के निर्माण-

मूल 200.00

170.00 132.30 (-)37.70

पुनर्वि० (-)30.00

₹ 37.70 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 30.00 लाख की कमी कार्यों के कम निष्पादन के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 37.70 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

5475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना-

मूल 610.00

568.43 546.46 (-)21.97

पुनर्वि० (-)41.57

₹ 21.97 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 41.57 लाख की कमी कार्यों के कम निष्पादन के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 21.97 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

6801- बिजली परियोजनाओं के लिए ऋण-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

11- हिमाचल प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन

कॉर्पोरेशन लिमिटेड को ऋण-

मूल 62.00 62.00 .. (-)62.00

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-31 (क्रमशः)

₹ 62.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

(vi)	उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-			
	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
			(₹ लाख में)	

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-

01- कार्यालय भवन-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

02- अन्य प्रशासन पर व्यय-

मूल	301.00			
		563.27	449.09	(-)114.18
पुनर्वि०	262.27			

₹ 114.18 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 262.27 लाख का आवर्धन चल रहे कार्यों के पूर्ण होने के कारण हुआ जोकि अत्यधिक सिद्ध हुआ।

₹ 114.18 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

12- कानूनगो/पटवार भवनों का निर्माण-

मूल	72.00			
		47.00	86.49	(+)39.49
पुनर्वि०	(-)25.00			

मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 25.00 लाख की कमी कार्यों के कम निष्पादन के कारण हुई।

₹ 86.49 लाख के कुल व्यय में से ₹ 58.50 लाख का व्यय वर्ष 2019-20 की आपत्ति पुस्तिका के उचंचत के समायोजन के कारण हुआ था।

13- संयुक्त कार्यालय भवन एवं मिनी सचिवालय-

मूल	100.00			
		204.80	166.80	(-)38.00
पुनर्वि०	104.80			

₹ 38.00 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 104.80 लाख का आवर्धन कार्यों के अधिक निष्पादन के कारण हुआ जोकि अत्यधिक सिद्ध हुआ।

₹ 38.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

60- अन्य भवन-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-31 (क्रमशः)

01- द्वारका दिल्ली में हिमाचल भवन का निर्माण-

मूल 1.00

82.00 81.90 (-)0.10

पुनर्वि0 81.00

मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 81.00 लाख का आवर्धन कार्यों के अधिक निष्पादन के कारण हुआ।

4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-

01- सामान्य शिक्षा-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- भवन-

मूल 292.00

401.57 294.77 (-)106.80

पुनर्वि0 109.57

₹ 106.80 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 109.57 लाख का आवर्धन कार्यों के अधिक निष्पादन के कारण हुआ जोकि अत्यधिक सिद्ध हुआ।

₹ 106.80 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

03- माध्यमिक पाठशाला भवनों का निर्माण-

मूल 350.00

379.60 360.47 (-)19.13

पुनर्वि0 29.60

मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 29.60 लाख का आवर्धन चल रहे कार्यों के निष्पादन के कारण हुआ।

04- कला एवं संस्कृति-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- भवनों का निर्माण-

(i) मूल 25.00

125.70 84.30 (-)41.40

पुनर्वि0 100.70

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

(ii) पूरक 0.01

570.52 507.55 (-)62.97

पुनर्वि0 570.51

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 104.37 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 671.21 लाख का आवर्धन कार्यों के अधिक निष्पादन के कारण हुआ जोकि अत्यधिक सिद्ध हुआ।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-31 (क्रमशः)

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 104.37 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

4210- चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य पर
पूँजीगत परिव्यय-

02- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- भवन निर्माण-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

मूल 2.00

668.98

668.98

..

पुनर्वि0 666.98

मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 666.98 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ।

03- चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण एवं अनुसंधान-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

02- आयुष संस्थानों का उन्नयन-

पूरक 8.00

22.81

22.81

..

पुनर्वि0 14.81

मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 14.81 लाख का आवर्धन भारत सरकार के अनुपात में राज्य की हिस्सेदारी जारी होने के कारण हुआ।

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

मूल 69.00

205.29

205.29

..

पुनर्वि0 136.29

मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 136.29 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ।

11- राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों का

उन्नयन-

पूरक 0.01

65.78

65.78

..

पुनर्वि0 65.77

मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 65.77 लाख का आवर्धन भारत सरकार से प्राप्त निधियों के अनुपात में राज्य की हिस्सेदारी जारी होने के कारण हुआ।

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

पूरक 0.01

592.00

592.00

..

पुनर्वि0 591.99

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-31 (क्रमशः)

मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 591.99 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ।

4215- जलापूर्ति तथा स्वच्छता पर पूंजीगत परियोजना-

01- जलापूर्ति-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- विभिन्न जिलों में ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाएँ-

मूल 190.00

577.24

495.98

(-)81.26

पुनर्वि0 387.24

₹ 81.26 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 387.24 लाख का आवर्धन कार्यों के अधिक निष्पादन के कारण हुआ जोकि अत्यधिक सिद्ध हुआ।

₹ 81.26 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

4406- वानिकी तथा वन्य प्राणियों पर पूंजीगत परियोजना-

01- वानिकी-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- सड़कों के निर्माण पर व्यय-

मूल 150.00

331.00

187.10

(-)143.90

पुनर्वि0 181.00

₹ 143.90 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 181.00 लाख का आवर्धन चल रहे कार्यों के निष्पादन के कारण हुआ जोकि अत्यधिक सिद्ध हुआ।

₹ 143.90 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

4515- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परियोजना-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

02- सामुदायिक विकास कार्य-

पूरक 0.01

1,235.00

1,034.08

(-)200.92

पुनर्वि0 1,234.99

₹ 200.92 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,234.99 लाख का आवर्धन सामुदायिक विकास अवसंरचना के अधिक निर्माण के कारण हुआ जोकि अत्यधिक सिद्ध हुआ।

₹ 200.92 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-31 (क्रमशः)

4702- लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- विभिन्न जिलों में उठाऊ सिंचाई स्कीमें-

मूल 44.00

68.95

64.90

(-)4.05

पुनर्वि० 24.95

मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 24.95 लाख का आवर्धन चल रहे कार्यों के पूर्ण करने के लिए अधिक व्यय के कारण हुआ।

02- विभिन्न जिलों में डायवर्सन एवं प्रवाह स्कीमें-

मूल 100.00

439.99

483.39

(+)43.40

पुनर्वि० 339.99

₹ 43.40 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 339.99 लाख का आवर्धन चल रहे कार्यों के पूर्ण करने के लिए अधिक व्यय के कारण हुआ जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

₹ 43.40 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

4711- बाढ़ नियन्त्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय-

01- बाढ़ नियन्त्रण क्षेत्र-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- बाढ़ नियन्त्रण कार्यों पर व्यय-

मूल 150.00

323.49

320.68

(-)2.81

पुनर्वि० 173.49

मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 173.49 लाख का आवर्धन कार्यों के अधिक निष्पादन के कारण हुआ।

02- ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि/कृषि और

ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक के

अंतर्गत बाढ़ नियंत्रण कार्य-

मूल 100.00

226.75

226.74

(-)0.01

पुनर्वि० 126.75

मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 126.75 लाख का आवर्धन बाढ़ नियंत्रण कार्यों के अधिक निष्पादन के कारण हुआ।

5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-

04- जिला तथा अन्य सड़कें-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-31 (क्रमशः)

796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				
01-	ग्रामीण सड़कों का निर्माण-				
	मूल	6,500.00			
			7,515.30	6,935.43	(-)579.87
	पुनर्वि०	1,015.30			

₹ 579.87 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,015.30 लाख का आवर्धन ग्रामीण सड़कों के निर्माण में अधिक व्यय के कारण हुआ जोकि अत्याधिक सिद्ध हुआ।

₹ 579.87 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

10-	प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना निर्माण				
	में वृद्धि-				
	मूल	90.00			
			270.00	270.00	..
	पुनर्वि०	180.00			

मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 180.00 लाख का आवर्धन हुआ जिसके कारणों की सूचना नहीं दी गई।

80-	सामान्य-				
796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				
06-	रोपवेज तथा केबलवेज पर व्यय-				
	मूल	200.00			
			248.24	220.77	(-)27.47
	पुनर्वि०	48.24			

₹ 27.47 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 48.24 लाख का आवर्धन जनजातीय क्षेत्रों में रोपवेज तथा केबलवेज पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

₹ 27.47 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

5055-	सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय-				
796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				
02-	बस अड्डों के निर्माण-				
	मूल	300.00			
			423.87	423.85	(-)0.02
	पुनर्वि०	123.87			

मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 123.87 लाख का आवर्धन बस अड्डों/वर्षा शालिकाओं के निर्माण पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-31 (क्रमशः)

5475 पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

02- विकास में जन सहयोग-

मूल 210.00

371.66

361.94

(-)9.72

पुनर्वि० 161.66

मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 161.66 लाख का आवर्धन कार्यों के अधिक निष्पादन के कारण हुआ।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

(vii) उच्चंत लेन-देन:-

- (i) उच्चंत के अन्तर्गत लेखाबद्ध किए गए अनुदान के अन्तर्गत व्यय में ₹ 1,514.85 लाख (₹ 1,514.85 लाख राजस्व प्रवर्ग तथा ₹ 0.00 लाख पूंजीगत प्रवर्ग के अन्तर्गत) सम्मिलित हैं।
- (ii) उच्चंत लेनदेन के स्वरूप का वर्णन अनुदान संख्या-10 लोक निर्माण कार्य- सड़कें, पुल तथा भवन के अन्तर्गत पैरा- (xi) में किया गया है।
- (iii) अथ तथा अंत शेषों सहित वर्ष 2023-24 में इस अनुदान में उच्चंत लेनदेनों का विश्लेषण विभिन्न उपशीर्षों के अंतर्गत नीचे दिया गया है :-

शीर्ष	1 अप्रैल 2023 को प्रारम्भिक शेष डैबिट (+) क्रेडिट (-)	डैबिट (₹ लाख में)	क्रेडिट	31 मार्च 2024 को अन्त शेष डैबिट (+) क्रेडिट (-)
राजस्व प्रवर्ग				
2059- लोक निर्माण-कार्य-				
01- कार्यालय भवन-				
796- जन जातीय क्षेत्र उप-योजना-				
07- उच्चंत के अन्तर्गत व्यय (स्कन्ध)-	(-)806.71	340.79	312.38	(-)778.30*
08- उच्चंत के अन्तर्गत व्यय (स्टॉक विनिर्माण)	(+)351.57	452.27	198.30	(+)605.54
09- उच्चंत के अन्तर्गत व्यय (विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम)-	(+)6,550.01	352.84	357.94	(+)6,544.91
कुल 2059-	(+)6,094.87	1,145.90	868.62	(+)6,372.15
2215- जलापूर्ति तथा स्वच्छता-				
01- जलापूर्ति-				
796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				
04- स्कन्ध-	(-)153.39	64.14	132.96	(-)222.21*
05- स्कन्ध विनिर्माण-	(+)165.81	0.08	0.00	(+)165.89
06- विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम-	(+)164.59	0.00	0.10	(+)164.49
कुल 2215-	(+)177.01	64.22	133.06	(+)108.17

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 - (समाप्त)

शीर्ष	1 अप्रैल 2023 को प्रारम्भिक शेष डैबिट (+)क्रेडिट (-)	डैबिट (₹ लाख में)	क्रेडिट	31 मार्च 2024 को अन्त शेष डैबिट (+)क्रेडिट (-)
2702- लघु सिंचाई-				
80- सामान्य-				
796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				
08- उच्चंत पर व्यय- (स्कन्ध)-	(-)521.43	228.73	237.83	(-)530.53*
09- उच्चंत पर व्यय- (स्कन्ध विनिर्माण)-	(+)186.11	29.39	8.81	(+)206.69
10- उच्चंत पर व्यय- (विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम)-	(+)613.33	46.61	46.06	(+)613.88
कुल-2702-	(+)278.01	304.73	292.70	(+)290.04
कुल राजस्व प्रवर्ग-	(+)6,549.89	1,514.85	1,294.38	(+)6,770.36
कुल मांग-	(+)6,549.89	1,514.85	1,294.38	(+)6,770.36

*ऋणात्मक शेषों के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

विनियोग लेखे

अनुदान संख्या - 32- अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम

(शीर्ष- 2054- ट्रेजरी और लेखा प्रशासन, 2055- पुलिस, 2059- लोक निर्माण-कार्य, 2202- सामान्य शिक्षा, 2203- तकनीकी शिक्षा, 2204-खेलकूद तथा युवा सेवाएं, 2205-कला एवं संस्कृति, 2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 2211- परिवार कल्याण, 2215- जलापूर्ति तथा सफाई, 2216- आवास, 2217- शहरी विकास, 2220- सूचना तथा प्रचार, 2225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, एवं अन्य पिछड़े वर्गों एवं अल्पसंख्यकों का कल्याण, 2230-श्रम, रोजगार तथा कौशल विकास, 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, 2236- पोषण, 2401- फसल कृषि-कर्म, 2402- भू तथा जल संरक्षण, 2403- पशुपालन, 2404- दूध विकास, 2405- मछली पालन, 2406-वानिकी तथा वन्य जीवन, 2408- खाद्य भण्डारण तथा भाण्डागार, 2415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा, 2425-सहकारिता, 2435- अन्य कृषि कार्यक्रम, 2501- ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम, 2505- ग्राम रोजगार, 2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम, 2801- ऊर्जा, 2851- ग्रामीण तथा लघु उद्योग, 2852- उद्योग, 3054- सड़कों तथा सेतु, 3055- सड़क परिवहन, 3425-अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान, 3452- पर्यटन, 3456-नागरिक आपूर्ति, 4055-पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय, 4058-मुद्रण पर पूंजीगत परिव्यय, 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय, 4070- अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय, 4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय, 4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय, 4215- जलापूर्ति तथा स्वच्छता पर पूंजीगत परिव्यय, 4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय, 4217- शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय, 4220-सूचना और प्रचार पर पूंजीगत परिव्यय, 4225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय, 4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय, 4250- अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय, 4401-फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय, 4402- मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय, 4403-पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय, 4406- वानिकी तथा वन्य प्राणियों पर पूंजीगत परिव्यय, 4408- खाद्य भण्डारण तथा भांडागार पर पूंजीगत परिव्यय, 4425- सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय, 4515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय, 4701- मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, 4702- लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, 4705-कमान क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय, 4711- बाढ़ नियन्त्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय, 4801- बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय, 4851- ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय, 5002-भारतीय रेल वाणिज्यिक लाईनो पर पूंजीगत परिव्यय, 5053- नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय, 5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय, 5055- सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय, 5075- अन्य परिवहन सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय, 5452- पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय, 6225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, एवं अन्य पिछड़े वर्गों एवं अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए ऋण तथा 6801-बिजली परियोजनाओं के लिए ऋण)

कुल अनुदान

वास्तविक

आधिक्य (+)

व्यय

बचत (-)

(₹ हजार में)

राजस्व प्रवर्ग

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

दत्तमत

मूल	24,76,94,47			
		26,96,17,91	23,86,75,18	(-)3,09,42,73
पूरक	2,19,23,44			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				
(31 मार्च 2024)				33,43,26

पूँजीगत प्रवर्ग**दत्तमत**

मूल	12,40,21,32			
		12,61,21,81	8,78,16,79	(-)3,83,05,02
पूरक	21,00,49			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				2,65,31,52
(31 मार्च 2024)				

टिप्पणियाँ तथा अभ्युक्तियाँ

- (i) राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 30,942.73 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से फरवरी 2024 में प्राप्त ₹ 21,923.44 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ जबकि मूल अनुदान अप्रयुक्त रहा तथा ₹ 3,343.26 लाख का अभ्यर्पण अपर्याप्त सिद्ध हुआ।
- (ii) पूँजीगत प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 38,305.02 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से फरवरी 2024 में प्राप्त ₹ 2,100.49 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ जबकि मूल अनुदान भी अप्रयुक्त रहा तथा ₹ 26,531.52 लाख का अभ्यर्पण अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

राजस्व प्रवर्ग

- (iii) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
		(₹ लाख में)	

2054- खजाना और लेखा प्रशासन-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

01- विश्व बैंक सहायता प्राप्त एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना)-

मूल	453.00			
		150.00	150.00	..
पुनर्वि0	(-)303.00			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 303.00 लाख की कमी सलाहकारों की नियुक्ति न करने के कारण हुई।

2055- पुलिस-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

02- सुरक्षा सम्बन्धी व्यय-

(i)	मूल	29.00			
			29.66	22.27	(-)07.39
	पूरक	0.66			

2059- लोक निर्माण कार्य-

01- कार्यालय भवन-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

02- मैडिकल कॉलेजों का रखरखाव-

(ii)	मूल	350.00	350.00	99.53	(-)250.47
------	-----	--------	--------	-------	-----------

03- माध्यमिक शिक्षा विभाग भवन का रखरखाव-

(iii)	मूल	190.00	190.00	119.70	(-)70.30
-------	-----	--------	--------	--------	----------

उपरोक्त तीन मामलों में ₹ 328.16 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

04- सरकारी स्वामित्व वाले आंगनबाड़ी केन्द्रों का रखरखाव-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना

	मूल	13.00			
			9.00	8.99	(-)0.01
	पुनर्वि०	(-)4.00			

मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 4.00 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

2202- सामान्य शिक्षा-

01- प्रारंभिक शिक्षा-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

03- माध्यमिक विद्यालय-

	मूल	1,285.17			
			1,263.77	1,261.99	(-)1.78
	पुनर्वि०	(-)21.40			

मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 21.40 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

06- मध्याह्न आहार-

	मूल	2,195.00			
			1,582.67	1,582.67	..
	पुनर्वि०	(-)612.33			

विनियोग लेखे

अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 612.33 लाख की कमी संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने, कुक-कम-सहायक की कम नियुक्ति तथा स्वच्छता किटों की खरीद न करने के कारण हुई जोकि केंद्रीय हिस्सेदारी जारी करने के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

- 11- अभिभावक शिक्षक संघ को सहायता अनुदान पर व्यय-

मूल	20.00			
		15.00	14.77	(-)0.23
पुनर्वि०	(-)5.00			

मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 5.00 लाख की कमी शिक्षक संघ के अंतर्गत शिक्षकों के नियमितीकरण के कारण हुई।

- 13- अनुसूचित जाति के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना

मूल	1.00			
		..	..	..
पुनर्वि०	(-)1.00			

मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान साझाकरण पैटर्न में परिवर्तन के कारण कम कर दिया गया।

- 16- जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान-

मूल	329.29			
		209.52	200.89	(-)8.63
पुनर्वि०	(-)119.77			

मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 119.77 लाख की कमी मुख्य रूप से रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

- 17- प्राथमिक/माध्यमिक विद्यालयों के भवनों की मरम्मत/रखरखाव-

मूल	600.00	600.00	547.36	(-)52.64
-----	--------	--------	--------	----------

₹ 52.64 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

- 18- उर्दू एवं पंजाबी शिक्षक-

मूल	6.00			
		..	..	..
पुनर्वि०	(-)6.00			

मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 6.00 लाख का समस्त प्रावधान शिक्षकों के नियमितीकरण के कारण कम कर दिया गया।

- 21- राज्य हेतु शिक्षण अधिगम और परिणाम सुदृढीकरण-

मूल	1.00			
		734.32	211.91	(-)522.41
पूरक	733.32			

₹ 522.41 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

मूल	258.00			
पूरक	4,027.84	6,608.88	1,907.16	(-)4,701.72
पुनर्वि०	2,323.04			

₹ 4,701.72 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,323.04 लाख का आवर्धन भारत सरकार से केंद्रीय हिस्सेदारी की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ जोकि अत्याधिक सिद्ध हुआ। जबकि भारत सरकार से ₹ 1,423.18 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ था।

₹ 4,701.72 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

22- डिजिटल शिक्षा-

मूल	1.00			
		..	..	..
पुनर्वि०	(-)1.00			

मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण कम कर दिया गया।

23- निजी विद्यालयों में कमजोर वर्ग के छात्रों

की फीस की प्रतिपूर्ति-

मूल	30.00			
		5.00	0.91	(-)4.09
पुनर्वि०	(-)25.00			

मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 25.00 लाख की कमी निःशुल्क प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

25- ज्ञानोदय अध्ययन एवं पिन गुणवत्ता योजना-

मूल	1.00			
		.	..	..
पुनर्वि०	(-)1.00			

मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण कम कर दिया गया।

26- नव भारत साक्षरता कार्यक्रम-

(i)	मूल	1.00			
			4.16	1.04	(-)3.12
	पूरक	3.16			
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(ii)	मूल	1.00			
			37.40	9.34	(-)28.06
	पूरक	36.40			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 31.18 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)। जबकि भारत सरकार से क्रम संख्या (ii) पर ₹ 9.34 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ था।

02- माध्यमिक शिक्षा-

789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-

12- श्रीनिवास रामानुजन विद्यार्थी डिजिटल योजना-

मूल	630.00	630.00	..	(-)630.00
-----	--------	--------	----	-----------

₹ 630.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

16- अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए

पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

मूल	612.00			
पूरक	0.01	3.40	3.40	..
पुनर्वि०	(-)608.61			

मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 608.61 लाख की कमी भारत सरकार द्वारा लाभार्थियों के खातों में निधियों के सीधे हस्तांतरण के कारण हुई।

21- अटल स्कूल वर्दी योजना-

मूल 1.00

..

पुनर्वि० (-)1.00

मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान देनदारियों की पूर्ति समग्र शिक्षा अभियान से करने के कारण कम कर दिया गया।

26- खेल से स्वास्थ्य योजना-

(i) मूल	50.00	50.00	..	(-)50.00
---------	-------	-------	----	----------

29- कल्पना चावला छात्रवृत्ति योजना

(ii) मूल	94.00	94.00	..	(-)94.00
----------	-------	-------	----	----------

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 144.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

31- स्वर्ण जयंती सूपर (100) योजना-

मूल 126.00

		108.17	88.00	(-)20.17
--	--	--------	-------	----------

पुनर्वि० (-)17.83

₹ 20.17 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

33-	राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूल-				
	मूल	756.00			
			129.57	..	(-)129.57
	पुनर्वि०	(-)626.43			
	₹ 129.57 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 626.43 लाख की कमी संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने, छोटे कार्यों पर कम व्यय, कार्यालय तथा अन्य व्यय के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।				
	₹ 129.57 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।				
03-	विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा-				
789-	अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-				
04-	अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति- केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
	मूल	2,640.00			
			27.00	27.00	..
	पुनर्वि०	(-)2,613.00			
	मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,613.00 लाख की कमी लाभार्थियों के खातों में निधियों के प्रत्यक्ष हस्तांतरण के कारण हुई जोकि भारत सरकार से निधियों की ज्यादा प्राप्ति के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई। जबकि भारत सरकार से ₹ 30.40 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ था।				
05-	राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान-				
(i)	मूल	53.00			
			33.70	33.69	(-)0.01
	पुनर्वि०	(-)19.30			
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(ii)	मूल	476.00			
			303.26	303.25	(-)0.01
	पुनर्वि०	(-)172.74			
	उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 192.04 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति के कारण हुई तथा इसलिए समतुल्य राज्य की हिस्सेदारी को भी कम कर दिया गया। जबकि भारत सरकार से क्रम संख्या (ii) पर ₹ 303.25 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ था।				
06-	राजकीय महाविद्यालयों पर व्यय-				
	मूल	95.60	95.60	73.03	(-)22.57
	₹ 22.57 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।				
08-	व्यवसायिक स्नातक कार्यक्रम-				
	मूल	246.00			
			123.78	..	(-)123.78
	पुनर्वि०	(-)140.22			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

₹ 123.78 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 140.22 लाख की कमी संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 123.78 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

09- खेल से स्वास्थ्य योजना-

मूल	19.00	19.00	..	(-)19.00
-----	-------	-------	----	----------

₹ 123.78 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

2203- तकनीकी शिक्षा-

789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-

02- तकनीकी शिक्षा-

(i) मूल	55.00	55.00	25.59	(-)28.41
---------	-------	-------	-------	----------

2210- चिकित्सा तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य-

03- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-पाश्चात्य

चिकित्सा पद्धति-

789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-

01- ग्रामीण स्वास्थ्य-

(ii) मूल	1,495.98	1,490.16	1,217.83	(-)272.33
----------	----------	----------	----------	-----------

पुनर्वि0 (-)5.82

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 300.74 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

03- राष्ट्रीय सुरक्षा बीमा योजना-

मूल 1.00

..

..

..

पुनर्वि0 (-)1.00

मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान योजना का क्रियान्वयन न होने के कारण समाप्त कर दिया गया।

04- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन-

मूल	11,080.00	11,080.00	7,619.00	(-)3,461.00
-----	-----------	-----------	----------	-------------

₹ 3,461.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

04- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-अन्य

चिकित्सा पद्धति-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

01 आयुर्वेदिक औषधालय-

मूल	1,923.59	1,852.04	1,756.89	(-)95.15
-----	----------	----------	----------	----------

पुनर्वि0 (-)71.55

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

₹ 95.15 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 71.55 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने तथा दैनिक वेतन भोगियों के नियमितीकरण के कारण हुई जाकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 95.15 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

05- चिकित्सा शिक्षा-प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

02- सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों का उन्नयन-

(i) मूल 2.34

.. ..

पुनर्वि0 (-)2.34

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

(ii) मूल 2.34

.. ..

पुनर्वि0 (-)2.34

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2024 में पुनर्विर्णियोजन द्वारा ₹ 4.68 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति, केन्द्रीय हिस्सेदारी की कम प्राप्ति के कारण समतुल्य राज्य की हिस्सेदारी को भी कम कर दिया गया।

05- इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज का सुदृढीकरण-

मूल 423.00

417.63 387.90 (-)29.73

पुनर्वि0 (-)5.37

₹ 29.73 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

07- डॉ० यशवंत सिंह परमार सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय, नाहन-

मूल 173.00

114.48 92.46 (-)22.02

पुनर्वि0 (-)58.52

₹ 22.02 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विर्णियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 58.52 लाख की कमी संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 22.02 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

08- डॉ राधा कृष्णन राजकीय चिकित्सा

महाविद्यालय, हमीरपुर-

मूल 190.00

190.00 8.59 (-)181.41

₹ 181.41 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

09- पंडित जवाहर लाल नेहरू सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय चम्बा-

मूल 244.00

139.00 63.19 (-)75.81

पुनर्वि0 (-)105.00

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

₹ 75.81 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विर्णयोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 105.00 लाख की कमी संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने तथा मशीनरी एवं उपकरणों की खरीद न करने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 75.81 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

11- अटल आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय
मंडी, नेरचोक-

मूल	25.00	25.00	2.51	(-)22.49
-----	-------	-------	------	----------

₹ 22.49 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

06- लोक स्वास्थ्य-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

01- एड्स नियन्त्रण कार्यक्रम-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना

मूल	1.00	1.00	..	(-)1.00
-----	------	------	----	---------

₹ 1.00 लाख समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

02- ट्रामा सेंटर-

(i) मूल 1.00

..

पुनर्वि0 (-)1.00

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

(ii) मूल 1.00

..

पुनर्वि0 (-)1.00

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 2.00 लाख समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

03- मुख्यमंत्री क्षय रोग निवारण योजना-

(i) मूल	50.00	50.00	37.47	(-)12.53
---------	-------	-------	-------	----------

04- मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना-

(ii) मूल	200.00	200.00	41.71	(-)158.29
----------	--------	--------	-------	-----------

05- मुफ्त दवाएं-

(iii) मूल	378.00	378.00	317.12	(-)60.88
-----------	--------	--------	--------	----------

उपरोक्त तीन मामलों में ₹ 231.70 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

09- सम्पूर्ण स्वास्थ्य योजना-

(i) मूल 1.00

..

पुनर्वि0 (-)1.00

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

11- सम्मान योजना-

(ii) मूल 1.00

..

पुनर्वि० (-)1.00

उपरोक्त दो मामलों में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2.00 लाख का समस्त प्रावधान संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण कम कर दिया गया।

2211- परिवार कल्याण-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

02- राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा-

मूल 1.00 1.00 .. (-)1.00

₹ 1.00 लाख समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

मूल 1.00

..

पुनर्वि० (-)1.00

मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया।

06- आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य
योजना -

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

मूल 1.00 1.00 .. (-)1.00

₹ 1.00 लाख समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

08- राष्ट्र स्वास्थ्य के अंतर्गत ढांचागत रख-रखाव मिशन-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना

(i) मूल 2,784.00 2,784.00 2,367.02 (-)416.98

09- प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य
अवसरंचना मिशन-

(ii) मूल 226.00 676.00 450.00 (-)226.00

पूरक (-)450.00

2216- आवास

03- ग्रामीण आवास-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

04- मुख्यमंत्री आवास योजना-

(iii) मूल 380.00

379.00 189.75 (-)189.75

पुनर्वि० (-)0.50

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

उपरोक्त तीन मामलों में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 832.73 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)। जबकि भारत सरकार से क्रम संख्या (i) पर ₹ 396.00 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ था।

2217- शहरी विकास-

80- सामान्य-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

01- अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन-

(i)	मूल	1.00	1.00	..	(-)1.00
-----	-----	------	------	----	---------

03- स्वच्छ भारत मिशन-

(ii)	मूल	60.00	60.00	..	(-)60.00
------	-----	-------	-------	----	----------

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

(iii)	मूल	7.00	7.00	..	(-)7.00
-------	-----	------	------	----	---------

उपरोक्त तीन मामलों ₹ 68.00 लाख समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

04- प्रधानमंत्री आवास योजना-सभी के लिए आवास (शहरी)-

मूल 88.00

पूरक	71.53	188.93	159.53	(-)29.40
------	-------	--------	--------	----------

पुनर्वि0 29.40

₹ 29.40 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 29.40 लाख का आवर्धन केन्द्रीय हिस्सेदारी के अनुपात में राज्य की हिस्सेदारी जारी करने के कारण हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ।

₹ 29.40 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

मूल 800.00

	809.10	683.10	(-)126.00
--	--------	--------	-----------

पुनर्वि0 9.10

₹ 126.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

05- अटल श्रेष्ठ शहर योजना-

मूल	100.00	100.00	..	(-)100.00
-----	--------	--------	----	-----------

₹ 100.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

12- मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना-

(i)	मूल	100.00	100.00	23.32	(-)76.68
-----	-----	--------	--------	-------	----------

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

14-	राज्य वित्त आयोग (नगर निगम)-				
(ii)	मूल	2,125.25	2,125.25	1,700.20	(-)425.05
15-	राज्य वित्त आयोग (नगर पालिका/नगर परिषद)-				
(iii)	मूल	2,097.10	2,097.10	1,677.68	(-)419.42
16-	राज्य वित्त आयोग (नगर पंचायत/अधिसूचित क्षेत्र समितियाँ या उनके समकक्ष)				
(iv)	मूल	629.81	629.81	503.85	(-)125.96
	उपरोक्त चार मामलों में ₹ 1,047.11 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।				
17-	स्मार्ट सिटी मिशन धर्मशाला-				
(i)	मूल	1.00			
	पुनर्वि०	(-)1.00	..	..	..
18-	स्मार्ट सिटी मिशन शिमला-				
(i)	मूल	1.00			
	पुनर्वि०	(-)1.00	..	..	..
	उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2.00 लाख का समस्त प्रावधान कम कर दिया गया; जिसके कारण सूचित नहीं किए गए।				
2220-	सूचना एवं प्रचार-				
60-	अन्य-				
789-	अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-				
01-	सूचना एवं प्रचार-				
	मूल	30.00	30.00	12.98	(-)17.02
	₹ 17.02 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।				
2225-	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों एवं अल्पसंख्यकों का कल्याण-				
01-	अनुसूचित जातियों का कल्याण-				
789-	अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-				
02-	निर्देशन तथा प्रशासन				
	मूल	377.50			
			279.60	266.18	(-)13.42
	पुनर्वि०	(-)97.90			
	मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 97.90 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, कार्यालय सामग्री की कम खरीद, विज्ञान एवं प्रचार पर कम व्यय, बैठकों का कम आयोजन, चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति के कारण हुई जोकि बाह्य वाहनों, पेट्रोल, तेल, स्नेहकों और वाहनों की मरम्मत पर अधिक व्यय के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

05-	स्वर्ण जयंती आश्रय योजना-				
	मूल	1,700.00			
			1,699.50	1,283.25	(-)416.25
	पुनर्वि०	(-)0.50			
	₹ 416.25 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।				
08-	प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना-				
	मूल	1.00			
			..	..	..
	पुनर्वि०	(-)1.00			
	मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया।				
10-	मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम योजना-				
	मूल	1.00			
			..	..	..
	पुनर्वि०	(-)1.00			
	मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान प्रस्तावों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया।				
11-	अनुवर्ती कार्यक्रम-				
	मूल	148.00			
			5.56	5.55	(-)0.01
	पुनर्वि०	(-)142.44			
	मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 142.44 लाख की कमी लाभार्थियों से आवेदन/प्रस्तावों की कम प्राप्ति के कारण हुई।				
12-	कम्प्यूटर एप्लीकेशन प्रोग्राम-				
	मूल	217.00			
			152.64	56.03	(-)96.61
	पुनर्वि०	(-)64.36			
	₹ 96.61 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 64.36 लाख की कमी नए पाठ्यक्रम शुरू होने से कम व्यय तथा संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।				
	₹ 96.61 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।				
14-	नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम-				
	मूल	5.00			
			4.00	4.00	..
	पुनर्वि०	(-)1.00			
	मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1.00 लाख की कमी केन्द्रीय हिस्सेदारी कम प्राप्त होने के कारण हुई तथा इसलिए समतुल्य राज्य की हिस्सेदारी को भी कम कर दिया गया।				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

- 16- विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएँ के
लिए मिलान राज्य हिस्सेदारी-
मूल 1.00

पुनर्वि० (-)1.00

मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान कम कर दिया गया जिसके कारण सूचित नहीं किए गए।

- 18- प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अश्वयुद्ध योजना-
मूल 1,964.00

पुनर्वि० (-)1,964.00

मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,964.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम हेतु विशेष केन्द्रीय सहायता प्राप्त न होने के कारण कम कर दिया गया।

04 अल्पसंख्यकों का कल्याण-

- 789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

01- प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम-

- (i) मूल 1.00

पुनर्वि० (-)1.00

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

- (ii) मूल 1.00

पुनर्वि० (-)1.00

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2024 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 2.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने तथा केन्द्रीय हिस्सेदारी की प्राप्ति न होने से समतुल्य राज्य की हिस्सेदारी को भी कम कर दिया गया।

2230- श्रम, रोजगार और कौशल विकास-

02- रोजगार सेवाएं-

- 789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

04- राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट-अप-योजना-

पूरक 251.90 251.90 .. (-)251.90

अनुपूरक अनुदान द्वारा प्राप्त ₹ 251.90 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

03- प्रशिक्षण-

- 789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

06- कौशल विकास भत्ता-

मूल 2,519.00

1,917.30

1,266.51

(-)650.79

पुनर्वि0 (-)601.70

₹ 650.79 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 601.70 लाख की कमी प्रस्तावों की कम प्राप्ति तथा यात्रा व्यय बिलों की कम प्राप्ति के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 650.79 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-

01- पुनर्वास-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

01- विकलांग पुनर्वास-

मूल 3,534.00

3,374.70

3,374.70

..

पुनर्वि0 (-)159.30

मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 159.30 लाख की कमी लाभार्थियों से आवेदनों की कम प्राप्ति तथा पेंशन के भुगतान पर सेवा शुल्क पर कम व्यय होने के कारण हुई।

02- सामाजिक कल्याण-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

01- एकीकृत बाल विकास योजना-

मूल 3,953.78

पूरक 0.01

2,861.70

2,153.79

(-)707.91

पुनर्वि0 (-)1,092.09

₹ 707.91 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,092.09 लाख की कमी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायकों के रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि केंद्रीय हिस्सेदारी के समतुल्य राज्य की हिस्सेदारी जारी करने के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 707.91 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

मूल 8,045.00

पूरक 0.01

4,896.10

4,896.07

(-)0.03

पुनर्वि0 (-)3,148.91

मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 3,148.91 लाख की कमी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं/सहायकों के रिक्त पदों को न भरने, भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने तथा वाहनों पर कम व्यय होने के कारण हुई। जबकि भारत सरकार से ₹ 7,350.78 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ था।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

04-	मुख्यमंत्री बाल उद्धार योजना-				
	मूल	100.00			
			..	..	..
	पुनर्वि०	(-)100.00			
	मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन ₹ 100.00 लाख का समस्त प्रावधान योजना निरस्त होने के कारण कम कर दिया गया।				
06-	बेटी है अनमोल-				
(i)	मूल	328.00	328.00	294.29	(-)33.71
07-	मुख्यमंत्री कन्यादान योजना-				
(ii)	मूल	300.00	300.00	230.52	(-)69.48
08-	जागरूकता अभियान-				
(iii)	मूल	8.00	800.00	0.34	(-)7.66
	उपरोक्त तीन मामलों में ₹ 110.85 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।				
12-	महिला आयोग-				
	मूल	1.00	1.00	..	(-)1.00
	₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।				
13-	मदर टेरेसा योजना-				
	मूल	252.00	252.00	225.26	(-)26.74
	₹ 26.74 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।				
16-	महिला विकास निगम-				
	मूल	5.00	5.00	..	(-)5.00
	₹ 5.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।				
20-	समेकित बाल संरक्षण योजना-				
(i)	मूल	50.00			
			37.50	37.50	..
	पुनर्वि०	(-)12.50			
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(ii)	मूल	476.00			
			357.00	357.00	..
	पुनर्वि०	(-)119.00			
	उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2024 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 131.50 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति तथा केंद्रीय हिस्सेदारी की कम प्राप्ति होने के कारण हुई तथा इसलिए राज्य की हिस्सेदारी को भी कम कर दिया गया।				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

21-	प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना-				
	मूल	38.00	38.00	29.00	(-)9.00
	₹ 9.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।				
22-	पोषण अभियान-				
(i)	मूल	25.00	25.00	3.16	(-)21.84
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना-				
(ii)	मूल	833.00	833.00	28.22	(-)804.78
	उपरोक्त दो मामलों में ₹ 826.62 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।				
23-	विकलांगों का उत्थान-				
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
	मूल	1.00			
			..	..	..
	पुनर्वि०	(-)1.00			
	मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया।				
28-	आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायकों को मानदेय-				
	मूल	4,209.00			
			4,370.42	4,188.12	(-)182.30
	पुनर्वि०	161.42			
	₹ 182.30 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 161.42 लाख का आवर्धन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं/सहायकों के मानदेय में वृद्धि के कारण हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ।				
	₹ 182.30 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।				
30-	वो दिन-				
	मूल	38.00	38.00	17.83	(-)20.17
	₹ 20.17 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।				
31-	राष्ट्रीय शिशु सदन योजना-				
(i)	मूल	9.00	9.00	..	(-)9.00
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(ii)	मूल	41.00	41.00	..	(-)41.00
	उपरोक्त दो मामलों में ₹ 50.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।				
32-	लड़कियों को विवाह अनुदान-				
	मूल	758.00			
			463.67	272.18	(-)191.49
	पुनर्वि०	(-)294.33			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

₹ 191.49 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 294.33 लाख की कमी लाभार्थियों से प्रस्तावों की कम प्राप्ति के कारण हुआ जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 191.49 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

33- मुख्यमंत्री बाल सुपोषण योजना-
पूरक 25.00

पुनर्वि० (-)25.00

मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 25.00 लाख का समस्त प्रावधान संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण कम कर दिया गया।

34- महिला हेल्पलाइन-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना

(i) मूल 1.00 1.00 .. (-)1.00

35- वन स्टॉप सेंटर-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना

(ii) मूल 1.00 1.00 .. (-)1.00

36- नारी अदालत-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना

(iii) मूल 1.00 1.00 .. (-)1.00

उपरोक्त तीन मामलों में ₹ 3.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

37- शक्ति सदन-

मूल 24.00

18.00 .. (-)18.00

पुनर्वि० (-)6.00

₹ 18.00 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 6.00 लाख की कमी केन्द्रीय हिस्सेदारी की कम प्राप्ति के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई तथा इसलिए समतुल्य राज्य की हिस्सेदारी को भी कम कर दिया गया।

₹ 18.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

38- शक्ति निवास-

(i) मूल 1.00

.. ..

पुनर्वि० (-)1.00

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

(ii) मूल 39.00

.. ..

पुनर्वि० (-)39.00

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 40.00 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने तथा केन्द्रीय हिस्सेदारी की प्राप्ति न होने के कारण समतुल्य राज्य की हिस्सेदारी को भी कम कर दिया गया।

39- महिला सशक्तिकरण केन्द्र-
मूल 1.00

.. ..

पुनर्वि० (-)1.00

मार्च 2024 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान केन्द्रीय हिस्सेदारी प्राप्त न होने के कारण कम कर दिया गया तथा इसलिए राज्य की हिस्सेदारी को भी कम कर दिया गया।

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

मूल 99.00

2.70 .. (-)2.70

पुनर्वि० (-)96.30

मार्च 2024 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 96.30 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने तथा रिक्त पदों का न भरने के कारण हुई।

41- राष्ट्रीय परिवार लाभ कार्यक्रम-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

मूल 113.00

57.66 57.60 (-)0.06

पुनर्वि० (-)55.34

मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 55.34 लाख की कमी समझौता ज्ञापनों का विस्तार न होने, राशि अप्रयुक्त रही तथा योजना के तहत आवेदनों की कम प्राप्ति होने के कारण हुई।

42- बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

मूल 1.00

1.00 .. (-)1.00

₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

45- महिला आवास योजना-

मूल 200.00

.. ..

पुनर्वि० (-)200.00

मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 200.00 लाख का समस्त प्रावधान संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण कम कर दिया गया।

48- बाल हेल्पलाइन-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

पूरक 0.02

45.13 .. (-)45.13

पुनर्वि० 45.11

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

₹ 45.13 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 45.11 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ जोकि अनुचित सिद्ध हुआ।

अनुपूरक अनुदान तथा पुनर्विनियोजन द्वारा प्राप्त ₹ 45.13 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

60-	अन्य सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण कार्यक्रम-				
789-	अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-				
02-	सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत विधवा पेंशन-				
	मूल	5,984.00			
			5,791.60	5,791.60	..
	पुनर्वि०	(-)192.40			
	मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 192.40 लाख की कमी लाभार्थियों से आवेदनों की कम प्राप्ति तथा पेंशन भुगतान पर सेवा शुल्क पर व्यय न होने के कारण हुई।				
03-	वृद्धावस्था पेंशन-				
(i)	मूल	22,554.00			
			22,216.50	22,216.50	..
	पुनर्वि०	(-)337.50			
04-	वृद्धावस्था (इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना)- केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(ii)	मूल	1,042.00			
			1,011.50	1,011.50	..
	पुनर्वि०	(-)30.50			
	उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 368.00 लाख की कमी पेंशन भुगतान पर सेवा शुल्क पर व्यय न होने के कारण हुई।				
2236-	पोषण-				
02-	पोषण भोजन तथा सुपेय का वितरण-				
789-	अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-				
01-	विशेष पोषाहार स्कीम अनुसूचित जातियों के लिए-				
(i)	मूल	199.00	199.00	124.94	(-)74.06
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(ii)	मूल	1,791.00	1,791.00	1,124.52	(-)666.48
	₹ 740.54 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।				
2401-	फसल कृषि कर्म-				
789-	अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-				
11-	फसल बीमा स्कीम-				
	मूल	252.00			
			..	..	..
	पुनर्वि०	(-)252.00			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 252.00 लाख का समस्त प्रावधान साझाकरण पैटर्न में परिवर्तन के कारण कम कर दिया गया।				
13-	उद्यान विकास- केन्द्रीय प्रायोजित योजना			
	मूल	1.00		
	पुनर्वि०	(-)1.00		
मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया।				
25-	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (कृषि)-			
	मूल	84.00		
		21.00	10.22	(-)10.78
	पुनर्वि०	(-)63.00		
मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 63.00 लाख की कमी केन्द्रीय हिस्सेदारी की कम प्राप्ति के कारण हुई तथा इसलिए समतुल्य राज्य की हिस्सेदारी का भी अभ्यर्पण हुआ।				
केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
	मूल	756.00		
		186.00	92.00	(-)94.40
	पुनर्वि०	(-)570.00		
₹ 94.40 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 570.00 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई। जबकि भारत सरकार से ₹ 406.00 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ था।				
₹ 94.40 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।				
35-	सतत कृषि राष्ट्रीय मिशन-			
	मूल	23.00		
		10.00	5.00	(-)5.00
	पुनर्वि०	(-)13.00		
₹ 5.00 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 13.00 लाख की कमी केन्द्रीय हिस्सेदारी की कम प्राप्ति के कारण हुई तथा इसलिए समतुल्य राज्य की हिस्सेदारी को भी कम कर दिया गया जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।				
₹ 5.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।				
केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
	मूल	195.00		
		90.00	45.00	(-)45.00
	पुनर्वि०	(-)105.00		
₹ 45.00 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 105.00 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।				
₹ 45.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

36-	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन- केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
	मूल	204.00			
			178.53	178.53	..
	पुनर्वि०	(-)25.47			
	मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 25.47 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति के कारण हुई।				
38-	उद्यान एकीकृत विकास मिशन-				
	मूल	212.00			
			28.63	28.62	(-)0.01
	पुनर्वि०	(-)183.37			
	मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 183.37 लाख की कमी केन्द्रीय हिस्सेदारी की कम प्राप्ति तथा सब्सिडी प्रस्तावों की कम प्राप्ति के कारण हुई तथा इसलिए राज्य की हिस्सेदारी को भी कम कर दिया गया।				
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
	मूल	1,008.00			
			200.00	200.00	..
	पुनर्वि०	(-)808.00			
	मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 808.00 लाख का समस्त प्रावधान सब्सिडी मामलों की कम प्राप्ति होने के कारण कम कर दिया गया।				
43-	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-				
	मूल	120.00			
			..	..	..
	पुनर्वि०	(-)120.00			
	मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 120.00 लाख का समस्त प्रावधान सब्सिडी मामलों की कम प्राप्ति होने के कारण कम कर दिया गया।				
47-	मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना-				
	मूल	10.00			
			0.10	0.10	..
	पुनर्वि०	(-)9.90			
	मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 9.90 लाख की कमी दुर्घटना मामलों की कम प्राप्ति के कारण हुई।				
48-	बीज और उपजाऊ सामग्री पर उप मिशन-				
(i)	मूल	32.00			
			6.82	6.82	..
	पुनर्वि०	(-)25.18			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

(ii)	मूल	240.00			
			61.43	61.43	..

पुनर्वि० (-)178.57

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 203.75 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति तथा केन्द्रीय हिस्सेदारी की कम प्राप्ति के कारण हुई तथा इसलिए समतुल्य राज्य की हिस्सेदारी को भी कम कर दिया गया।

49- कृषि मशीनीकरण पर उप मिशन-

मूल	62.00				
			19.32	9.66	(-)9.66

पुनर्वि० (-)42.68

मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 42.68 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति के कारण हुई तथा इसलिए समतुल्य राज्य की हिस्सेदारी को भी कम कर दिया गया।

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

मूल	565.00				
			174.00	87.00	(-)87.00

पुनर्वि० (-)391.00

₹ 87.00 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 391.00 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 87.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

50- परम्परागत कृषि विकास योजना-

मूल	25.00				
			7.12	3.56	(-)3.56

पुनर्वि० (-)17.88

मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 17.88 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति होने के कारण हुई तथा इसलिए समतुल्य राज्य की हिस्सेदारी को भी कम कर दिया गया।

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

मूल	220.00				
			64.00	32.00	(-)32.00

पुनर्वि० (-)156.00

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

₹ 32.00 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 156.00 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति होने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 32.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

51- मृदा की स्वास्थ्य एवं उर्वरकता हेतु राष्ट्रीय परियोजना-

मूल	7.00				
		2.60	1.30		(-)1.30

पुनर्वि० (-)4.40

मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 4.40 लाख की कमी केन्द्रीय हिस्सेदारी की कम प्राप्ति के कारण हुई तथा इसलिए समतुल्य राज्य की हिस्सेदारी को भी कम कर दिया गया।

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

मूल	50.00				
		24.00	12.00		(-)12.00

पुनर्वि० (-)26.00

₹ 12.00 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 26.00 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति होने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 12.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

52- राष्ट्रीय बांस मिशन-

(i) मूल 1.00

..

पुनर्वि० (-)1.00

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

(ii) मूल 1.00

..

पुनर्वि० (-)1.00

55- कृषि मशीनीकरण पर उपमिशन-

(iii) मूल 33.00

..

पुनर्वि० (-)33.00

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

(iv) मूल 372.00

..

पुनर्वि० (-)372.00

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

उपरोक्त चार मामलों में मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 407.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार द्वारा निधियों की प्राप्ति न होने तथा केन्द्रीय हिस्सेदारी प्राप्त न होने से राज्य की हिस्सेदारी को भी कम कर दिया गया।

58-	एंटी हेल नेट पर उपदान-			
	मूल	504.00	..	..
	पुनर्वि०	(-)504.00		..
	मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 504.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने तथा सब्सिडी मामलों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया।			
59-	मुख्यमंत्री मधु विकास योजना-			
	मूल	1.00	..	..
	पुनर्वि०	(-)1.00		..
	मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण कम कर दिया गया।			
60-	मुख्यमंत्री खुम्ब विकास योजना-			
	मूल	1.00	..	..
	पुनर्वि०	(-)1.00		..
	मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान सब्सिडी मामलों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया।			
61-	एंटी हेल नेट संरचना-			
	मूल	75.00	..	..
	पुनर्वि०	(-)75.00		..
	मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 75.00 लाख का समस्त प्रावधान मामलों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया।			
64-	कृषि कोष-			
(i)	मूल	1.00	..	..
	पुनर्वि०	(-)1.00		..
66-	कृषि से सम्पन्नता योजना (हींग और केसर)-			
(ii)	मूल	1.00	..	..
	पुनर्वि०	(-)1.00		..

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

68-	महक योजना-				
(iii)	मूल	1.00			
	पुनर्वि०	(-)1.00			
	उपरोक्त तीन मामलों में मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3.00 लाख का समस्त प्रावधान योजना का कियान्वयन न होने के कारण कम कर दिया गया।				
69-	स्वर्ण जयंती समृद्ध बागवान-				
	मूल	1.00			
	पुनर्वि०	(-)1.00			
	मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान सब्सिडी प्रस्तावों की कम प्राप्ति के कारण कम कर दिया गया।				
70-	मुख्यमंत्री कृषि संवर्धन योजना-				
	मूल	847.00	812.03	753.19	(-)58.84
	पुनर्वि०	(-)34.97			
	₹ 58.84 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 34.97 लाख की कमी संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।				
	₹ 58.84 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।				
71-	मुख्यमंत्री कृषि उत्पादन संरक्षण योजना-				
	मूल	1,285.00	456.00	451.72	(-)4.28
	पुनर्वि०	(-)829.00			
	मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 829.00 लाख की कमी सब्सिडी मामलों की कम प्राप्ति तथा इस योजना में निधियों की कम आवश्यकता के कारण हुई।				
72-	राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना कृषि-				
(i)	मूल	8.00			
	पुनर्वि०	(-)8.00			
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(ii)	मूल	75.00			
	पुनर्वि०	(-)75.00			
	उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 83.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति तथा केन्द्रीय हिस्सेदारी की कम प्राप्ति होने से समतुल्य राज्य की हिस्सेदारी को भी कम कर दिया गया।				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

74-	प्रौद्योगिकी के स्थानान्तरण के लिए समर्थन- मूल	1.00	..	..	..
	पुनर्वि०	(-)1.00			
	मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण कम कर दिया गया।				
75-	परिवर्तनकारी पहल द्वारा विशिष्ट उत्पादन, प्राकृतिक खेती तथा कृषि पर आधारित कृषक परिवारों के उत्थान के लिए हिमालयी एकीकृत मॉडल- पूरक	0.04	624.00	..	(-)624.00
	पुनर्वि०	623.96			
	₹ 624.00 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 623.96 लाख का आवर्धन लाभार्थियों को सब्सिडी के लिए निधियाँ उपलब्ध कराने, विभिन्न गतिविधियों, ईंधन, मरम्मत तथा कार्यालय व्यय के लिए निधियों की अधिक आवश्यकता के कारण हुआ जोकि अनुचित सिद्ध हुआ।				
	अनुपूरक अनुदान तथा पुनर्विनियोजन द्वारा प्राप्त ₹ 624.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे जुलाई 2024)।				
2402-	भू तथा जल संरक्षण-				
789-	अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-				
02-	संरक्षण वनरोपण मृदा संरक्षण एवं प्रदर्शन (वन विभाग)- मूल	800.00	702.65	349.44	(-)353.21
	पुनर्वि०	(-)97.35			
	₹ 353.21 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 97.35 लाख की कमी कम कार्यों का निष्पादन तथा सामग्री की कम खरीद के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।				
	₹ 353.21 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।				
03-	फार्म पर टैंक द्वारा जल का सिंचाई योजना द्वारा प्रबन्ध- केन्द्रीय प्रायोजित योजना मूल	1.00	..	..	..
	पुनर्वि०	(-)1.00			
	मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान कम कर दिया गया; जिसके कारण सूचित नहीं किए गए।				
05-	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-				
(i)	मूल	100.00	100.00	14.00	(-)86.00

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

केन्द्रीय प्रायोजित योजना					
(ii)	मूल	458.00	458.00	126.00	(-)332.00
06-	प्रवाह सिंचाई योजना-				
(iii)	मूल	202.00	202.00	172.42	(-)29.58
07-	जल से कृषि को बल योजना-				
(iv)	मूल	252.00	252.00	216.21	(-)35.79
उपरोक्त चार मामलों में ₹ 483.37 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।					
08-	सौर सिंचाई योजना-				
	मूल	126.00			
	पुनर्वि०	(-)126.00			
मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 126.00 लाख का समस्त प्रावधान संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण कम कर दिया गया।					
2403-	पशु पालन-				
789-	अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-				
02-	पशु चिकित्सा सेवाएं एवं पशु स्वास्थ्य (अस्पताल तथा औषधालय)-				
(i)	मूल	716.09			
			712.34	679.60	(-)32.74
	पुनर्वि०	(-)3.75			
06-	भेड़ एवं ऊँट विकास पर व्यय-				
(ii)	मूल	49.94			
			47.83	31.90	(-)15.93
	पुनर्वि०	(-)2.11			
उपरोक्त दो मामलों में ₹ 48.67 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।					
11-	पशु बीमारी उन्मूलन हेतु राज्य सहायता-				
(i)	मूल	2.50			
			1.19	1.19	..
	पुनर्वि०	(-)1.31			
केन्द्रीय प्रायोजित योजना					
(ii)	मूल	22.00			
			10.75	10.75	..
	पुनर्वि०	(-)11.25			
उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 12.56 लाख की कमी भारत सरकार द्वारा निधियों की कम प्राप्ति तथा केन्द्रीय हिस्सेदारी की कम प्राप्ति होने से राज्य की हिस्सेदारी को भी कम कर दिया गया।					

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

12-	पशुधन बीमारी उन्मूलन कार्यक्रम के राष्ट्रीय प्रोजेक्ट पर व्यय-केन्द्रीय प्रायोजित योजना			
(i)	मूल	1.00		
	पुनर्वि०	(-)1.00	..	..
14-	पशु चिकित्सा परिषद को सहायता अनुदान-			
(ii)	मूल	5.00		
	पुनर्वि०	(-)5.00	..	..
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना			
(iii)	मूल	5.00		
	पुनर्वि०	(-)5.00	..	..
15-	पशुधन गणना-केन्द्रीय प्रायोजित योजना			
(iv)	मूल	1.00		
	पुनर्वि०	(-)1.00	..	..
16-	पेस्ट डेस पेटिट्स रूमिनेंट्स-कंट्रोल प्रोग्राम-			
(v)	मूल	1.00		
	पुनर्वि०	(-)1.00	..	..
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना			
(vi)	मूल	4.00		
	पुनर्वि०	(-)4.00	..	..
20-	राष्ट्रीय पशुधन मिशन-			
(vii)	मूल	3.00		
	पुनर्वि०	(-)3.00	..	..
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना			
(viii)	मूल	67.00		
	पुनर्वि०	(-)67.00	..	..

उपरोक्त आठ मामलों में मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 87.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने तथा केन्द्रीय हिस्सेदारी प्राप्त न होने से समतुल्य राज्य की हिस्सेदारी अप्रयुक्त रही।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

24-	गरीबी रेखा से नीचे परिवारों को पशु चारा उपदान-				
	मूल	210.00			
			209.98	189.42	(-)20.56
	पुनर्वि०	(-)0.02			
	₹ 20.56 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।				
28-	चिक्स योजना- केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
	मूल	1.00			
			..	..	..
	पुनर्वि०	(-)1.00			
	मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान कम कर दिया गया; जिसके कारण सूचित नहीं किए गए।				
2404-	दुग्ध विकास-				
789-	अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-				
03-	डेयरी उद्यमी विकास योजना के अंतर्गत उपदान-				
	मूल	1.00			
			..	..	..
	पुनर्वि०	(-)1.00			
	मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान योजना का कार्यान्वयन न होने के कारण कम कर दिया।				
05-	दुग्ध उपार्जन गारंटेड योजना-				
	मूल	2,519.00	2,519.00	1,889.25	(-)629.75
	₹ 629.75 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।				
2405-	मत्स्य पालन-				
789-	अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-				
09-	ट्राउट पशुधन बीमा-				
	मूल	2.00			
			..	..	..
	पुनर्वि०	(-)2.00			
	मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2.00 लाख का समस्त प्रावधान मछुवारों से बीमा प्रकरण मामले प्राप्त न होने के कारण कम कर दिया गया।				
10-	प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना-				
(i)	मूल	35.00	35.00	17.41	(-)17.59
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(ii)	मूल	283.00			
			275.00	125.33	(-)149.67
	पुनर्वि०	(-)8.00			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 167.26 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)। जबकि भारत सरकार से क्रम संख्या (ii) पर ₹ 125.33 लाख अनुदान प्राप्त हुआ था।

2406- वानिकी तथा वन्य जीवन-

01- वानिकी-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

07- वन प्रबंधन की सघनता-

(i) मूल 11.00

8.61

8.61

..

पुनर्वि० (-)2.39

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

(ii) मूल 235.00

83.12

83.12

..

पुनर्वि० (-)151.88

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2024 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 154.27 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने तथा केन्द्रीय हिस्सेदारी की कम प्राप्ति के कारण से समतुल्य राज्य की हिस्सेदारी को कम कर दिया गया।

08- हिमाचल प्रदेश वन पारिस्थितिकी प्रणाली जलवायु
प्रूफिंग परियोजना (बाह्य सहायक परियोजना)-

मूल 1,385.00

34.75

24.88

(-)9.87

पुनर्वि० (-)1,350.25

मार्च 2024 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,350.25 लाख की कमी ग्राम वन प्रबंधन समितियों से मांग की कम प्राप्ति तथा सामग्री की कम खरीद के कारण हुई।

09- राष्ट्रीय वनारोपण कार्यक्रम-

(i) मूल 1.00

..

..

..

पुनर्वि० (-)1.00

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

(ii) मूल 5.00

..

..

..

पुनर्वि० (-)5.00

11- स्थायी कृषि पर राष्ट्रीय मिशन
के अन्तर्गत कृषि-वानिकी मिशन-

(iii) मूल 1.00

..

..

..

पुनर्वि० (-)1.00

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

(iv) मूल 1.00

.. ..

पुनर्वि० (-)1.00

उपरोक्त चार मामलों में मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 8.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने तथा केन्द्रीय हिस्सेदारी की प्राप्ति न होने से समतुल्य राज्य की हिस्सेदारी अप्रयुक्त रही। जबकि भारत सरकार से क्रम संख्या (ii) पर ₹ 77.47 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ था।

19- वन आग प्रबंधन योजना-

मूल 54.00

15.86 15.81 (-)0.05

पुनर्वि० (-)38.14

मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 38.14 लाख की कमी कार्यों के कम निष्पादन, रखरखाव, अन्य प्रभार गतिविधियों तथा मशीनरी और उपकरणों के लिए निधियों की आवश्यकता न होने के कारण हुई।

20- वन चकबंदी तथा सीमांकन-

मूल 57.00

.. ..

पुनर्वि० (-)57.00

मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 57.00 लाख का समस्त प्रावधान संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण कम कर दिया गया।

21- प्रबन्धादि योजना संगठन-

मूल 25.00

18.55 4.24 (-)14.31

पुनर्वि० (-)6.45

₹ 14.31 लाख के अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 6.45 लाख की कमी संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 14.31 लाख की अंतिम बचत कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

22- प्रायोगिक सिल्विकल्चर कटाई-

मूल 73.00

.. ..

पुनर्वि० (-)73.00

मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 73.00 लाख का समस्त प्रावधान कार्यों का कम निष्पादन, बाड़ लगाने के लिए सामग्री की खरीद पर कम व्यय तथा निधियों की कम आवश्यकता के कारण कम कर दिया गया।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

23-	सहायक सिल्वीकल्चर संचालन-			
	मूल	25.00		
	पुनर्वि०	(-)25.00		
	मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 25.00 लाख का समस्त प्रावधान संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण कम कर दिया गया।			
25-	चिड़ की पत्तियों का जंगल से संग्रह तथा इस पर आधारित उद्योगों में निवेश हेतु उपदान-			
	मूल	13.00		
	पुनर्वि०	(-)13.00		
	मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 13.00 लाख का समस्त प्रावधान चीड़ नीडल आधारित उद्योगों की स्थापना न होने के कारण कम कर दिया गया।			
26-	हरित भारत के लिए राष्ट्रीय अभियान-			
(i)	मूल	48.00		
	पुनर्वि०	(-)48.00		
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना			
(ii)	मूल	431.00		
	पुनर्वि०	(-)431.00		
	उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2024 पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 479.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया तथा इसलिए राज्य की हिस्सेदारी भी अप्रयुक्त रही।			
27-	राज्य वानिकी कार्यक्रम-			
	मूल	1,203.00	951.96	652.59
	पुनर्वि०	(-)251.04		(-)299.37
	₹ 299.37 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 251.04 लाख की कमी कार्यों का कम निष्पादन, सामग्री की खरीद तथा रखरखाव के लिए कम निधियों की आवश्यकता के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।			
	₹ 299.37 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।			
28-	समुदाय आधारित राज्य वानिकी कार्यक्रम-			
	मूल	1.00		
	पुनर्वि०	(-)1.00		
	मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण कम कर दिया गया।			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

02-	पर्यावरणीय वानिकी और वन्य जीवन-				
789-	अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-				
01-	राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों का विकास-				
	मूल	176.00			
			121.30	104.25	(-)17.05
	पुनर्वि0	(-)54.70			
	मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 54.70 लाख की कमी वन्य जीव अभयारण्यों एवं चिड़ियाघरों के प्रबंधन हेतु निधियों की कम आवश्यकता तथा संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण हुई।				
02-	हिमाचल प्रदेश चिड़ियाघर संरक्षण एवं ब्रीडिंग सोसाइटी को सहायता अनुदान-				
	मूल	321.00			
			1,832.00	240.75	(-)1,591.25
	पुनर्वि0	1,511.00			
	₹ 1,591.25 लाख के अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,511.00 लाख का आवर्धन चिड़ियाघरों के सुदृढ़ीकरण तथा सम्बंधित गतिविधियों के कारण हुआ जोकि अत्यधिक सिद्ध हुआ।				
	₹ 1,591.25 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।				
03-	वन्य जीवन-				
	मूल	504.00			
			69.07	61.49	(-)7.58
	पुनर्वि0	(-)434.93			
	मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 434.93 लाख की कमी कार्यों के कम निष्पादन, वन्य जीव अभयारण्यों और चिड़ियाघरों के प्रबंधन के लिए कम निधियों की आवश्यकता तथा मुआवजे के लिए मामलों की कम प्राप्ति के कारण हुई।				
04-	चिड़ियाघरों की स्थापना-				
	मूल	1,511.00			
			..	..	..
	पुनर्वि0	(-)1,511.00			
	मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,511.00 लाख का समस्त प्रावधान हिमाचल प्रदेश संरक्षण एवं ब्रीडिंग सोसाइटी को निधियों के हस्तांतरण के कारण कम कर दिया गया।				
2408-	खाद्य भंडारण और भांडागार-				
01-	खाद्य-				
789-	अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-				
02-	उपदान पर दालों, गेहूँ चावल, तेल और आयोडाईज नमक की खरीद-				
(i)	मूल	4,156.00	4,156.00	4,066.25	(-)89.75

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

03-	चीनी की खरीद-				
(ii)	मूल	1,260.00	1,260.00	949.78	(-)310.22
2425-	सहकारिता-				
789-	अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-				
06-	सभी प्रकार की अनुसूचित जाति की सहकारी सभाओं को वर्किंग कैपिटल सब्सिडी-केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(iii)	मूल	30.00			
			29.60	18.35	(-)11.25
	पुनर्वि०	(-)0.40			
	उपरोक्त तीन मामलों में ₹ 411.22 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।				
2435-	अन्य कृषि कार्यक्रम-				
01-	विपणन और गुणवत्ता नियंत्रण-				
789-	अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-				
01-	विपणन बोर्ड को मार्केटिंग बोर्ड के निर्माण हेतु सहायता अनुदान-				
	मूल	1.00			
			..	..	..
	पुनर्वि०	(-)1.00			
	मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान कम कर दिया गया; जिसके कारण सूचित नहीं किए गए।				
2501-	ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम-				
04-	एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा नियोजन कार्यक्रम-				
789-	अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-				
03-	ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोत-				
	मूल	500.00			
			100.00	100.00	..
	पुनर्वि०	(-)400.00			
	मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 400.00 लाख की कमी संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण हुई।				
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
	मूल	1.00			
			..	..	..
	पुनर्वि०	(-)1.00			
	मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया।				
06-	स्वरोजगार कार्यक्रम-				
789-	अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-				
03-	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन-				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

केन्द्रीय प्रायोजित योजना					
मूल	1,058.00	1,058.00	964.69	(-)93.31	
₹ 93.31 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)। जबकि भारत सरकार से ₹ 1,779.20 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ था।					
04-	जिला ग्रामीण विकास अभिकरण प्रशासन-				
मूल	1.00				
		..	..	..	
पुनर्वि०	(-)1.00				
मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया।					
06-	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-				
(i) मूल	63.00	63.00	44.66	(-)18.34	
केन्द्रीय प्रायोजित योजना					
(ii) मूल	605.00	605.00	402.00	(-)203.00	
उपरोक्त दो मामलों में ₹ 221.34 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।					
07-	दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना-				
(i) मूल	193.00				
		108.89	84.79	(-)24.10	
पूरक	84.11				
केन्द्रीय प्रायोजित योजना					
(ii) मूल	1,742.00				
		1,015.00	763.20	(-)251.80	
पूरक	727.00				
उपरोक्त दो मामलों में ₹ 275.90 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 811.11 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति तथा केन्द्रीय हिस्सेदारी की कम प्राप्ति से राज्य की हिस्सेदारी कम जारी की गई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।					
₹ 275.90 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।					
08-	राष्ट्रीय ग्रामीण शहरी मिशन-				
(i) मूल	14.00				
		..	..	..	
पुनर्वि०	(-)14.00				
केन्द्रीय प्रायोजित योजना					
(ii) मूल	126.00				
		..	..	..	
पुनर्वि०	(-)126.00				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 140.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने तथा केन्द्रीय हिस्सेदारी की प्राप्ति न होने से राज्य की हिस्सेदारी भी अप्रयुक्त रही।

11-	मातृ शक्ति बीमा योजना				
	मूल	76.00	76.00	20.00	(-)56.00

₹ 56.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

12-	मुख्यमंत्री ग्राम कौशल योजना-				
	मूल	1.00			
	पुनर्वि०	(-)1.00	..	..	..

मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान कम कर दिया गया; जिसके कारण सूचित नहीं किए गए।

14-	मुख्यमंत्री स्वयं सहायता समूह योजना-				
	मूल	101.00	101.00	..	(-)101.00

₹ 101.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

15-	मुख्यमंत्री महिला सशक्तीकरण योजना-				
	मूल	1.00			
	पुनर्वि०	(-)1.00	..	..	..

मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान कम कर दिया गया; जिसके कारण सूचित नहीं किए गए।

2505- ग्राम रोजगार-

02- ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

01- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा)-

	मूल	1,260.00			
	पुनर्वि०	(-)1,260.00	..	..	..

मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,260.00 लाख का समस्त प्रावधान योजना के अन्तर्गत व्यय न होने के कारण कम कर दिया गया।

2515- अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

08- राज्य पुरस्कार योजना-

	मूल	28.00			
	पुनर्वि०	(-)28.00	..	..	..

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 28.00 लाख का समस्त प्रावधान संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण कम कर दिया गया।

09-	महिला प्रोत्साहन योजना-				
	मूल	20.00	20.00	..	(-)20.00

₹ 20.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

12-	राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान-				
	मूल	54.00			
	पूरक	0.01	41.89	41.89	..
	पुनर्वि०	(-)12.12			

मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 12.12 लाख की कमी केन्द्रीय हिस्सेदार के अनुपात में राज्य की हिस्सेदारी जारी करने के कारण हुई।

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

	मूल	486.00			
	पूरक	0.01	486.00	377.00	(-)109.00
	पुनर्वि०	(-)0.01			

₹ 109.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

13-	स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)-				
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
	मूल	3,023.00			
			1,645.37	1,260.47	(-)384.90
	पुनर्वि०	(-)1,377.63			

₹ 384.90 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,377.63 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति होने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई। जबकि भारत सरकार से ₹ 1,260.47 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ था।

₹ 384.90 लाख की अंतिम बचत कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

17-	बालिका गौरव पुरस्कार योजना-				
(i)	मूल	1.00	1.00	..	(-)1.00

18-	मुख्यमंत्री जन संवाद योजना-				
(ii)	मूल	38.00	38.00	..	(-)38.00

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 39.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

19-	स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत				
	रास्ते में मिलने वाली सुविधाएँ-				
	मूल	125.00			
			..	..	..
	पुनर्वि०	(-)125.00			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 125.00 लाख का समस्त प्रावधान संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण कम कर दिया गया।

20-	आवासीय क्वार्टरों और ग्राम सेवकों झोपड़ियों का निर्माण/नवीनीकरण-				
(i)	मूल	101.00	101.00	31.09	(-)69.91
21-	राज्य वित्त आयाग (जिला परिषदें)-				
(ii)	मूल	6,207.65	6,207.65	5,914.53	(-)293.12
22-	राज्य वित्त आयोग (पंचायत समितियाँ)				
(iii)	मूल	295.70	295.70	240.34	(-)55.36
23-	राज्य वित्त आयाग (ग्राम पंचायतें)-				
(iii)	मूल	4,328.35	4,328.35	3,782.70	(-)545.65

उपरोक्त चार मामलों में ₹ 964.04 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

2851- ग्रामीण तथा लघु उद्योग-

789-	अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-				
06-	हथकरघा और हस्तशिल्प उद्योग के विकास-				
(i)	मूल	110.00	110.00	..	(-)110.00
15-	हथकरघा और हस्तशिल्प के लिए एकीकृत योजना				
(ii)	मूल	1.00	1.00	..	(-)1.00

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 111.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

19-	ग्रामीण अभियांत्रिकी आधारित उद्योग केन्द्र-				
	मूल	30.00	30.00	20.82	(-)9.18

₹ 9.18 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

25-	राष्ट्रीय हथकरघा विकास- केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
	मूल	1.00			

पुनर्वि० (-)1.00

मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार द्वारा लाभार्थियों के खाते में निधियाँ सीधे हस्तांतरित करने के कारण कम कर दिया गया।

27-	हिमाचल राज्य व्यापी क्षेत्र नेटवर्क-				
(i)	मूल	68.62	68.62	34.40	(-)34.22

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

29-	उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम हेतु सहायता-				
(ii)	मूल	150.00	150.00	62.99	(-)87.01
30-	खाद्य विधायन उद्योग हेतु राज्य मिशन-				
(iii)	मूल	120.00	120.00	5.02	(-)114.98
	उपरोक्त तीन मामलों में ₹ 236.21 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।				
33-	राष्ट्रीय बाँस मिशन-				
	मूल	1.00	1.00	..	(-)1.00
	₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।				
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
	मूल	1.00			
			..	..	..
	पुनर्वि०	(-)1.00			
	मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण कम कर दिया गया।				
34-	मुख्यमंत्री स्टार्ट अप योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन-				
	मूल	91.00	91.00	2.75	(-)88.25
	₹ 88.25 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।				
35-	सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों का औपचारिककरण-आत्मनिर्भर भारत-केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
	मूल	539.00			
			402.50	136.50	(-)266.00
	पुनर्वि०	(-)136.50			
	₹ 266.00 लाख के अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 136.50 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई। जबकि भारत सरकार से ₹ 136.50 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ था।				
	₹ 266.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।				
36-	मुख्यमंत्री स्वावलम्बन योजना-				
	मूल	1,000.00	1,000.00	513.26	(-)486.74
	₹ 486.74 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।				
37-	सूचना एवं प्रौद्योगिकी और ई-शासन-				
	मूल	611.38			
			319.08	319.08	..
	पुनर्वि०	(-)292.30			
	मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 292.30 लाख की कमी बाह्य स्रोत सेवाओं पर कम व्यय के कारण हुई।				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

2852-	उद्योग-				
80-	सामान्य-				
789-	अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-				
02-	निवेश स्कीम को बढ़ावा-				
	मूल	50.00	50.00	..	(-)50.00
	₹ 50.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।				
03-	औद्योगिक इकाइयों को प्रोत्साहन-				
(i)	मूल	200.00	200.00	153.91	(-)46.09
3425-	अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान-				
60-	अन्य				
789-	अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-				
02-	जल प्रबंधन-				
(ii)	मूल	8.00	8.00	6.00	(-)2.00
04-	हरित भवन प्रौद्योगिकी के प्रसार के लिए अपयुक्त प्रौद्योगिकी केंद्रों का सुदृढीकरण-				
(iii)	मूल	16.00	16.00	12.00	(-)4.00
05-	अनुसंधान और विकास परियोजन और हिमाचल विज्ञान सम्मेलन को समर्थन-				
(iv)	मूल	110.00	110.00	82.50	(-)27.50
	उपरोक्त चार मामलों में ₹ 79.59 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।				
07-	15 सीमांत अनुसूचित जाति परिवारों/ किसानों की क्षमता का सुदृढीकरण-				
(i)	मूल	40.00	40.00	..	(-)40.00
08-	पारंपरिक जल मिलो (घराट) की बहाली और मशीनीकरण-				
(ii)	मूल	45.00	45.00	..	(-)45.00
09-	10 प्राकृतिक झरनों का पुनरुद्धार-				
(iii)	मूल	15.00	15.00	..	(-)15.00
	उपरोक्त तीन मामलों में ₹ 100.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।				
3452-	पर्यटन-				
01-	पर्यटन अवसंरचना-				
789-	अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-				
03-	पर्यटन के लिए बुनियादी ढांचा निवेश कार्यक्रम-				
	मूल	1.00			
			..	..	..
	पुनर्वि०	(-)1.00			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण कम कर दिया गया।

80-	सामान्य-				
789-	अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-				
01-	प्रशिक्षुओं के लिए वजीफा/छात्रवृत्ति-				
(i)	मूल	25.00	25.00	19.97	(-)5.03
02-	पर्यटन का बढ़ावा और प्रचार-				
(ii)	मूल	50.00	50.00	12.18	(-)37.82
उपरोक्त दो मामलों में ₹ 42.85 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।					
3456-	नागरिक आपूर्ति-				
789-	अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-				
01-	लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कम्प्यूटरीकरण-				
	मूल	25.00			
	पूरक	0.01	25.00	..	(-)25.00
	पुनर्वि०	(-)0.01			
₹ 25.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।					
02-	उपभोक्ता जागरूकता- केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
	मूल	5.00			
			..	..	..
	पुनर्वि०	(-)5.00			
मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 5.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति होने के कारण कम कर दिया गया।					
(iv)	उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसन्तुलित हुई:-				
	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)	
			(₹ लाख में)		
2202-	सामान्य शिक्षा-				
01-	प्रारम्भिक शिक्षा-				
789-	अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-				
06-	माध्याह्न भोजन- केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
	मूल	2,394.00			
			3,437.46	3,437.46	..
	पुनर्वि०	1,043.46			
मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,043.46 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ। जबकि भारत सरकार से ₹ 1,877.63 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ था।					

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

12-	अटल वर्दी योजना-				
	मूल	1.00			
			..	159.26	(+)159.26
	पुनर्वि०	1.00			
	मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान स्कूल यूनिफार्म की खरीद न होने के कारण कम कर दिया गया।				
	₹ 159.26 लाख का समस्त व्यय वर्ष 2020-21 की आपत्ति पुस्तिका के उचंत के समायोजन के कारण हुआ।				
19-	समग्र शिक्षा अभियान-				
(i)	मूल	1,106.00			
			1,383.31	1,383.31	..
	पुनर्वि०	277.31			
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(ii)	मूल	11,701.00			
			12,447.65	12,447.65	..
	पुनर्वि०	746.65			
	उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,023.96 लाख का आवर्धन भारत सरकार से अधिक निधियों की प्राप्ति होने के कारण हुआ तथा इसलिए केन्द्रीय हिस्सेदारी के अनुपात में राज्य की हिस्सेदारी जारी की गई।				
02-	माध्यमिक शिक्षा-				
789-	अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-				
02-	माध्यमिक विद्यालय-				
	मूल	1,961.14			
			2,136.09	2,033.99	(-)102.10
	पुनर्वि०	174.95			
	₹ 102.10 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 174.95 लाख का आवर्धन छात्रवृत्ति के लिए आवेदनों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ जोकि रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई बचत से अंशतः प्रतिसंतुलित हुआ जोकि अत्यधिक सिद्ध हुआ।				
	₹ 102.10 लाख के अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।				
	₹ 2,033.99 लाख के कुल व्यय में से ₹ 100.00 लाख का व्यय वर्ष 2019-20 की आपत्ति पुस्तिका के उचंत के समायोजन के कारण हुआ।				
24-	समग्र शिक्षा अभियान-				
(i)	मूल	521.00			
			811.12	811.12	..
	पुनर्वि०	290.12			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

केन्द्रीय प्रायोजित योजना					
(ii)	मूल	4,692.00			
			7,296.89	7,296.89	..
	पुनर्वि०	2,604.89			
2210-	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-				
03-	ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ-पारख्वात्य चिकित्सा पद्धति-				
789-	अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-				
04-	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन-				
(iii)	मूल	2,595.00			
			2,708.09	2,708.09	..
	पुनर्वि०	113.09			
2211-	परिवार कल्याण-				
789-	अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-				
09-	प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसररचना मिशन-				
(iv)	मूल	1.00			
	पूरक	45.00	50.00	50.00	..
	पुनर्वि०	4.00			
2216-	आवास-				
03-	ग्रामीण आवास-				
789-	अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-				
06-	प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)-				
(v)	मूल	103.00			
	पूरक	169.48	439.01	439.01	..
	पुनर्वि०	166.53			
केन्द्रीय प्रायोजित योजना					
(vi)	मूल	399.00			
	पूरक	1,368.67	3,266.97	3,266.97	..
	पुनर्वि०	1,499.30			
2225-	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों एवं अल्पसंख्यकों का कल्याण-				
01-	अनुसूचित जातियों का कल्याण-				
789-	अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-				
15-	अंतर्जातीय विवाह पुरस्कार-				
(vii)	मूल	150.00			
			200.00	200.00	..
	पुनर्वि०	50.00			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

(viii) मूल	150.00			
		200.00	200.00	..
पुनर्वि०	50.00			

उपरोक्त आठ मामलों में मार्च 2024 पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 4,777.93 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति तथा केन्द्रीय हिस्सेदारी के अनुपात में राज्य की हिस्सेदारी जारी करने के कारण हुआ। जबकि भारत सरकार से क्रम संख्या (vi) पर ₹ 1,768.17 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ था।

2230- श्रम, रोजगार और कौशल विकास-

03- प्रशिक्षण-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

01- बेरोजगारी भत्ता-

मूल	605.00			
पूरक	20.45	1,227.15	1,127.81	(-)99.34
पुनर्वि०	601.70			

₹ 99.34 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 601.70 लाख का आवर्धन बेरोजगारी भत्ते के लिए आवेदनों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ जोकि अत्यधिक सिद्ध हुआ।

₹ 99.34 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-

02- समाज कल्याण -

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

21- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

पूरक	47.00			
		260.99	260.99	..
पुनर्वि०	213.99			

मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 213.99 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ।

43- मुख्यमंत्री सुख आश्रय कोष के लिए अनुदान-

मूल	76.00			
पूरक	1,081.82	2,443.40	1,587.40	(-)856.00
पुनर्वि०	1,285.58			

₹ 856.00 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,285.58 लाख का आवर्धन मुख्यमंत्री सुख आश्रय कोष के अंतर्गत अपेक्षित व्यय अधिक होने के कारण हुआ जोकि अत्यधिक सिद्ध हुआ।

₹ 856.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

47- मिशन वात्सल्य के अंतर्गत गैर-संस्थागत
देखभाल-प्रायोजन/पालन पोषण देखभाल/
पश्चात देखभाल-

(i)	पूरक	0.01	8.11	8.11	..
	पुनर्वि०	8.10			
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				

(ii)	पूरक	0.01	73.01	73.01	..
	पुनर्वि०	73.00			

मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 81.10 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति तथा केन्द्रीय हिस्सेदारी के अनुपात में राज्य की हिस्सेदारी जारी करने के कारण हुआ।

49- मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना-
पूरक

	0.01	100.00	100.00	..
	पुनर्वि०	99.99		

मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 99.99 लाख का आवर्धन इस योजना के अंतर्गत अधिक व्यय अपेक्षित होने के कारण हुआ।

2401- फसल कृषि-कर्म-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

18- विपणन तथा गुणवत्ता नियंत्रण-

	मूल	415.00	994.00	994.00	..
	पुनर्वि०	579.00			

मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 579.00 लाख का आवर्धन सब्सिडी मामलों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ।

44- फसल विविधीकरण (जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एंजेसी)

बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना चरण-II

	मूल	756.00	1,259.00	1,259.00	..
	पुनर्वि०	503.00			

मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 503.00 लाख का आवर्धन किसान सहायता गतिविधियों के लिए उपलब्ध कराई गई निधियाँ, जागरूकता अभियान तथा क्षमता निर्माण कार्यक्रम सहित बुनियादी ढाँचे के विकास के लिए उपलब्ध कराई गई निधियों के कारण हुआ।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

45- प्राकृतिक खेत खुशहाल किसान-
मूल 126.00

331.00 331.00 ..

पुनर्वि० 205.00

मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 205.00 लाख का आवर्धन योजना में विकासात्मक गतिविधियों के लिए प्रस्तावों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ।

76- कृषि वानिकी उप मिशन-

पुनर्वि० 1.33 1.33 1.33 ..

मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा बिना प्रावधान के ₹ 1.33 लाख का आवर्धन भारत सरकार से प्राप्त निधियों के अनुपात में राज्य की हिस्सेदारी जारी करने के कारण हुआ। निधियाँ मूल/पूरक बजट अनुमानों द्वारा प्राप्त की जानी चाहिए थी। बजट प्रावधान के बिना पुनर्विनियोजन अनुचित तथा हिमाचल प्रदेश बजट मैनुअल के पैरा 12.5 का उल्लंघन था।

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

(i) पूरक 0.01

12.00 12.00 ..

पुनर्वि० 11.99

2501- ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम-

06- स्वरोजगार कार्यक्रम-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

03- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना

(ii) मूल 76.01

107.20 107.20 ..

पुनर्वि० 31.20

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 43.19 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति तथा केन्द्रीय हिस्सेदारी के अनुपात में राज्य की हिस्सेदारी जारी करने के कारण हुआ।

16- महिला किसान सशक्तीकरण परियोजना-

(i) पूरक 0.01

14.39 7.19 (-)7.20

पुनर्वि० 14.38

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

(ii) पूरक 0.01

129.45 64.72 (-)64.73

पुनर्वि० 129.44

₹ 71.93 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 143.82 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ जोकि अत्यधिक सिद्ध हुआ।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 71.93 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

2515- अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

13- स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)-

मूल 5.00

140.06

140.06

..

पुनर्वि० 135.06

मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 135.06 लाख का आवर्धन केन्द्रीय हिस्सेदारी के अनुपात में राज्य की हिस्सेदारी जारी करने के कारण हुआ।

2801- विद्युत-

80- सामान्य

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

13- रोल बैंक पर अनुदान-

मूल 15,422.00

पूरक 948.31

26,085.00

26,085.00

..

पुनर्वि० 9,714.69

मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 9,714.69 लाख का आवर्धन सब्सिडी पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

2851- ग्रामीण तथा लघु उद्योग-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

25- राष्ट्रीय हथकरघा विकास-

(i) मूल 1.00

11.00

11.00

..

पुनर्वि० 10.00

35- सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों का
औपचारिकीकरण-आत्मनिर्भर भारत-

(ii) मूल 1.00

22.75

22.75

..

पुनर्वि० 21.75

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 31.75 लाख का आवर्धन केन्द्रीय हिस्सेदारी के समतुल्य राज्य की हिस्सेदारी जारी करने के कारण हुआ।

3054- सड़कें और पुल

04- जिला तथा अन्य सड़कें-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

01- अन्य रखरखाव व्यय-सड़क कार्य-

मूल 1,300.00

1,300.00

1,379.72

(+)79.72

₹ 79.72 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

पूँजीगत प्रवर्ग

(v) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-				
शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)	बचत (-)
		(₹ लाख में)		

4055- पुलिस पर पूँजीगत परिव्यय-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

01- पुलिस दल का आधुनिकीकरण-

(i)	मूल	12.00	12.00	..	(-)12.00
-----	-----	-------	-------	----	----------

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

(ii)	मूल	109.00	109.00	..	(-)109.00
------	-----	--------	--------	----	-----------

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 121.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

03- भवन (फोरेंसिक साइंस)-

मूल 100.00

		75.00	73.64		(-)1.36
--	--	-------	-------	--	---------

पुनर्वि0 (-)25.00

मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा ₹ 25.00 लाख की कमी संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण हुई।

04- पुलिस आवास-

	मूल	1,209.00	1,209.00	1,115.37	(-)93.63
--	-----	----------	----------	----------	----------

₹ 93.63 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

4058- मुद्रण एवं लेखन सामग्री पर पूँजीगत परिव्यय-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

01- भवनों का निर्माण-

मूल 12.00

पुनर्वि0 (-)12.00

मार्च 2024 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 12.00 लाख का समस्त प्रावधान संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण कम कर दिया गया।

4059- सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूँजीगत परिव्यय-

01- कार्यालय भवन-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

01- पूल गैर-आवासीय भवन-

मूल 948.00

		792.01	794.29		(+)2.28
--	--	--------	--------	--	----------

पुनर्वि0 (-)155.99

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 155.99 लाख की कमी संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण हुई।

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

मूल	1.00	1.00	..	(-)1.00
-----	------	------	----	---------

₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

02- न्यायपालिका की अवसररचना का उन्नयन-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना

मूल	1.00	..	..	..
पुनर्वि०	(-)1.00			

मार्च 2024 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने करने के कारण कम कर दिया गया।

05- भवन (जेल विभाग)-

(i) मूल	300.00	300.00	125.20	(-)174.80
---------	--------	--------	--------	-----------

06- कानूनगो/पटवार भवनों का निर्माण-

(ii) मूल	202.00	202.00	90.15	(-)111.85
----------	--------	--------	-------	-----------

07- जिला अटॉर्नी कार्यालयों का निर्माण-

(iii) मूल	57.00	57.00	1.00	(-)56.00
-----------	-------	-------	------	----------

09- संयुक्त कार्यालय भवन और मिनी सचिवालय का निर्माण-

(iv) मूल	126.00	126.00	86.99	(-)39.01
----------	--------	--------	-------	----------

उपरोक्त चार मामलों में ₹ 381.66 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

10- कार्यालय भवनों का निर्माण-

मूल	200.00	200.00	..	(-)200.00
-----	--------	--------	----	-----------

₹ 200.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

11- वैकल्पिक विवाद समाधान केन्द्र-

मूल	1.00	..	..	..
पुनर्वि०	(-)1.00			

मार्च 2024 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण कम कर दिया गया।

4070- अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

01- अग्निशमन सेवाएँ विभाग के पूंजीगत कार्य-

मूल	250.00	250.00	..	(-)250.00
-----	--------	--------	----	-----------

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

₹ 250.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति
पर पूंजीगत परिव्यय-

01- सामान्य शिक्षा-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

02- भवन (माध्यमिक शिक्षा)-

मूल 819.00

1,158.74

540.03

(-)618.71

पुनर्वि0 339.74

₹ 618.71 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 339.74 लाख का आवर्धन कार्यों के अधिक निष्पादन के कारण हुआ जोकि अत्यधिक सिद्ध हुआ।

₹ 618.71 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

03- भवन (माध्यमिक विद्यालय)-

(i) मूल 400.00

400.00

369.35

(-)30.65

05- कॉलेज भवनों का निर्माण-

(ii) मूल 1,486.00

1,486.00

1,220.00

(-)266.00

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 296.65 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

08- राजीव गाँधी डे.बोर्डिंग स्कूल-

मूल 500.00

876.00

150.00

(-)726.00

पुनर्वि0 376.00

₹ 726.00 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 376.00 लाख का आवर्धन कार्यों के अधिक निष्पादन के कारण हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ।

₹ 726.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

02- तकनीकी शिक्षा-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

06- राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज-

मूल 700.00

700.00

650.00

(-)50.00

₹ 50.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

03- तकनीकी शिक्षा-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

01- भवन-

(i) मूल 490.00

490.00

81.52

(-)408.48

03- मुख्यमंत्री युवा निर्माण योजना-

(ii) मूल 240.00

240.00

90.00

(-)150.00

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 558.48 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

04- कला एवं संस्कृति-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

01- भवन/बहुउद्देशीय सांस्कृतिक परिसर-

मूल	25.00	25.00	..	(-)25.00
-----	-------	-------	----	----------

₹ 25.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

4210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-

02- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

01- ग्रामीण स्वास्थ्य-

मूल	1,562.00			
पूरक	13.00	1,634.00	1,506.00	(-)127.18
पुनर्वि0	59.00			

₹ 127.18 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 59.00 लाख का आवर्धन कार्यों के अधिक निष्पादन के कारण हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ।

₹ 127.18 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

03- चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

01- इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज-

(i) मूल	453.00	453.00	..	(-)453.00
---------	--------	--------	----	-----------

02- डॉ० राजेन्द्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज, टांडा-

(ii) मूल	453.00	453.00	..	(-)453.00
----------	--------	--------	----	-----------

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 906.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

03- मेडिकल कॉलेज चम्बा-

मूल	252.00			
-----	--------	--	--	--

..	..	..
----	----	----

पुनर्वि0 (-)252.00

मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 252.00 लाख का समस्त प्रावधान संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने तथा मशीनरी और उपकरणों की खरीद न करने के कारण कम कर दिया गया।

04- मेडिकल कॉलेज नाहन-

मूल	252.00			
-----	--------	--	--	--

100.00	35.20	(-)64.80
--------	-------	----------

पुनर्वि0 (-)152.00

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

₹ 64.80 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 152.00 लाख की कमी संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 64.80 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

05- मेडिकल कॉलेज हमीरपुर-

मूल	101.00	101.00	..	(-)101.00
-----	--------	--------	----	-----------

₹ 101.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

06- लाल बहादुर शास्त्री सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय

एवं अस्पताल, नेर चौक-

मूल	57.00			
		32.00	0.19	(-)31.81

पुनर्वि० (-)25.00

₹ 31.81 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 25.00 लाख की कमी संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 31.81 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

07- हिमाचल प्रदेश सरकार दंत चिकित्सा कॉलेज शिमला-

मूल	18.00			
		0.19	0.19	..

पुनर्वि० (-)17.81

मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 17.81 लाख की कमी संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण हुई।

08- अटल चिकित्सा सुपर स्पेशलिटीज संस्थान-

मूल	252.00	252.00	..	(-)252.00
-----	--------	--------	----	-----------

₹ 252.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

09- राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों का उन्नयन-

मूल	4.66			
पूरक	108.78	111.11	111.11	..
पुनर्वि०	(-)2.33			

मार्च 2024 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 2.33 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण हुई।

04- सावर्जनिक स्वास्थ्य-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

01- भवन-

मूल	412.00	412.00	..	(-)412.00
-----	--------	--------	----	-----------

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

₹ 412.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

4215- जलापूर्ति तथा स्वच्छता पर पूंजीगत परिव्यय-

01- जलापूर्ति-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

08- जल जीवन मिशन-

मूल	1,889.00	1,889.00	1,558.12	(-)330.88
-----	----------	----------	----------	-----------

₹ 330.88 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

10- विभिन्न जलापूर्ति योजनाओं के लिए ऊर्जा
कुशल पंपों का स्थानांतरण-

मूल 1.00

..

पुनर्वि० (-)1.00

मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण कम कर दिया गया।

02- मल निकासी तथा सफाई-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

04- ग्रामीण क्षेत्रों में मल निकासी योजनाएँ (ग्रामीण
अवसंरचना विकास निधि के अंतर्गत)-

मूल	250.00			
		113.65	118.81	(+)5.16

पुनर्वि० (-)136.35

मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 136.35 लाख की कमी संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण हुई।

4216- आवास पर पूंजीगत परिव्यय-

01- सरकारी आवासीय भवन-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

01- सरकारी रिहायशी भवन-

मूल	854.00			
		433.21	304.10	(-)129.11

पुनर्वि० (-)420.79

₹ 129.11 लाख के अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 420.79 लाख की कमी संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 129.11 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

02- सामान्य प्रशासन विभाग के सरकारी
रिहायशी पूल आवासों का निर्माण-

मूल 227.00

..

पुनर्वि० (-)227.00

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 227.00 लाख का समस्त प्रावधान संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण कम कर दिया गया।

03- वन क्षेत्र के अंतर्गत निर्माण-

मूल	350.00			
		166.10	84.86	(-)81.24
पुनर्वि०	(-)183.90			

₹ 81.24 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 183.90 लाख की कमी संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने तथा कार्यों के कम निष्पादन के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 81.24 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

04- आवासीय भवनों का निर्माण-

(i) मूल	200.00	200.00	..	(-)200.00
---------	--------	--------	----	-----------

4220- सूचना एवं प्रचार-प्रसार पर पूंजीगत परिव्यय-

60- सामान्य-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

01- कार्यालय भवनों का निर्माण-

(ii) मूल	20.00	20.00	..	(-)20.00
----------	-------	-------	----	----------

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 220.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

4225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-

01- अनुसूचित जाति का कल्याण-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

01- अनुसूचित जाति निगम में निवेश-

मूल	200.00			
		..	..	..

पुनर्वि० (-)200.00

मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 200.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया।

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

मूल	200.00			
		..	..	..

पुनर्वि० (-)200.00

मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 200.00 लाख का समस्त प्रावधान निगम से प्रस्तावों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

02-	अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए विभागीय/अन्य भवनों का निर्माण-				
	मूल	251.00			
			276.62	27.00	(-)249.62
	पुनर्वि०	25.62			

₹ 249.62 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 25.62 लाख का आवर्धन कार्यों के अधिक निष्पादन के कारण हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ।

₹ 249.62 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

80-	सामान्य-				
789-	अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-				
01-	कन्या छात्रावास के भवनों का निर्माण-				
(i)	मूल	1.00	..	..	..
	पुनर्वि०	(-)1.00			
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(ii)	मूल	1.00	..	..	..
	पुनर्वि०	(-)1.00			
03-	बाबू जग जीवन राम कन्या छात्रावास-				
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(iii)	मूल	1.00	..	..	..
	पुनर्वि०	(-)1.00			

उपरोक्त तीन मामलों में मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने तथा केन्द्रीय हिस्सेदारी की प्राप्ति न होने के कारण राज्य की हिस्सेदारी को भी कम कर दिया गया।

4235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-

02-	सामाजिक कल्याण-				
789-	अनुसूचित जातियों विशेष घटक योजना-				
01-	बहुउद्देशीय सामुदायिक/आंगन बाड़ी केन्द्र- केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
	मूल	221.00			
			25.50	..	(-)25.50
	पुनर्वि०	(-)195.50			

₹ 25.50 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 195.50 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

₹ 25.50 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

05- वर्किंग वीमेन हॉस्टल-

(i)	मूल	1.00	1.00	..	(-)1.00
-----	-----	------	------	----	---------

4401- फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

01- कृषि विभाग के भवन-

(ii)	मूल	126.00	126.00	..	(-)126.00
------	-----	--------	--------	----	-----------

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 127.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

02- उद्यान विभाग का भवन-

	मूल	76.00	76.00	45.91	(-)30.09
--	-----	-------	-------	-------	----------

₹ 30.09 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

4402- मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

02- पोलीहाऊस तथा सूक्ष्म सिंचाई योजना-

ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि-

	मूल	1.00			
--	-----	------	--	--	--

..

..

..

पुनर्वि0 (-)1.00

मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण कम कर दिया गया।

4403- पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

02- भवन (पशु चिकित्सा सेवाएँ तथा पशु स्वास्थ्य)-

	मूल	252.00	252.00	179.59	(-)72.41
--	-----	--------	--------	--------	----------

₹ 72.41 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

4406- वानिकी तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय-

01- वानिकी-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

02- भवन-

	मूल	592.00			
			244.34	123.74	(-)120.60

पुनर्वि0 (-)347.66

₹ 120.60 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 347.66 लाख की कमी संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 120.60 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

4408- खाद्य भंडारण तथा भांडागार पर पूंजीगत परिव्यय-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

01-	खाद्य-				
789-	अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-				
02-	सार्वजनिक तथा अन्य उपक्रमों में निवेश-				
	मूल	13.00			
			10.30	6.63	(-)3.67
	पुनर्वि०	(-)2.70			
₹ 3.67 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2.70 लाख की कमी संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई। ₹ 3.67 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।					
02-	भंडारण और भंडागार-				
789-	अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-				
01-	गोदाम का निर्माण-				
	मूल	1.00			
			..	..	..
	पुनर्वि०	(-)1.00			
मार्च 2024 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान कम कर दिया गया; जिसके कारण सूचित नहीं किए गए।					
4425-	सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय-				
789-	अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-				
01-	सहकारी समितिओं में निवेश-				
	मूल	15.00			
			11.70	6.95	(-)4.75
	पुनर्वि०	(-)3.30			
₹ 4.75 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 3.30 लाख की कमी योजना के तहत कम निवेश के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई। ₹ 4.75 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।					
4515-	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय-				
789-	अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-				
01-	भवनों का निर्माण-				
(i)	मूल	453.00	453.00	337.00	(-)116.00
02-	कार्यालय भवनों की मरम्मत-				
(ii)	मूल	252.00	252.00	51.95	(-)200.05
उपरोक्त दो मामलों में ₹ 316.05 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।					
03-	मुख्यमंत्री लोक भवन-				
	मूल	15.00	15.00	..	(-)15.00

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

₹ 15.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

4701- मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-

01- मध्यम सिंचाई पर व्यय-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

06- कौंसिल झेरिया मंडप परियोजना पर व्यय-

(i) मूल 1.00

..

पुनर्वि0 (-)1.00

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

(ii) मूल 1.00

..

पुनर्वि0 (-)1.00

08- पर्चु खड्ड में वर्षा जल संचयन संरचना
(त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम)-

(iii) मूल 1.00

..

पुनर्वि0 (-)1.00

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

(iv) मूल 1.00

..

पुनर्वि0 (-)1.00

20- फिना सिंह परियोजना (गैर-वाणिज्यिक)-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

04- फिना सिंह परियोजना-

(v) मूल 1.00

..

पुनर्वि0 (-)1.00

उपरोक्त पाँच मामलों में मार्च 2024 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 5.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने तथा केन्द्रीय हिस्सेदारी की प्राप्ति न होने के कारण राज्य की हिस्सेदारी भी अप्रयुक्त रही।

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

मूल 3.00

2.00

2.00

..

पुनर्वि0 (-)3.00

मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 3.00 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण हुई।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

21-	नादौन क्षेत्र मध्यम सिंचाई प्रोजेक्ट (गैर-वाणिज्यिक)-			
789-	अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-			
01-	नादौन क्षेत्र मध्यम सिंचाई प्रोजेक्ट-			
(i)	मूल	1.00		
	पुनर्वि०	(-)1.00	..	..
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना			
(ii)	मूल	1.00		
	पुनर्वि०	(-)1.00	..	..
25-	मध्यम सिंचाई परियोजना (सुक्काहार) (गैर-वाणिज्यिक)-			
789-	अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-			
01-	कांगड़ा जिले में सुक्का हर परियोजना- (त्वरित सिंचाई तथा कार्यक्रम)-			
(iii)	मूल	1.00		
	पुनर्वि०	(-)1.00	..	..
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना			
(iv)	मूल	1.00		
	पुनर्वि०	(-)1.00	..	..
02-	मध्यम सिंचाई परियोजना प्रीणी, जिला कुल्लु-			
(v)	मूल	1.00		
	पुनर्वि०	(-)1.00	..	..
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना			
(vi)	मूल	1.00		
	पुनर्वि०	(-)1.00	..	..
27-	मध्यम सिंचाई परियोजना ज्वालामुखी-			
789-	अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-			
01-	मध्यम सिंचाई परियोजना ज्वालामुखी-			
(vii)	मूल	1.00		
	पुनर्वि०	(-)1.00	..	..

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

(viii) मूल 1.00

पुनर्वि० (-)1.00

उपरोक्त आठ मामलों में मार्च 2024 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 8.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने तथा केन्द्रीय हिस्सेदारी की प्राप्ति न होने से राज्य की हिस्सेदारी भी अप्रयुक्त रही।

4702- लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

01- लघु सिंचाई स्कीमों पर व्यय-

मूल	40.00	40.00	28.13	(-)11.87
-----	-------	-------	-------	----------

₹ 11.87 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

04- राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के अंतर्गत

विभिन्न जिलों में उठाऊसिंचाई योजनाएँ-

मूल	3,049.30		1,221.19	2,942.57	(+)1,721.38
-----	----------	--	----------	----------	--------------

पुनर्वि० (-)1,828.11

₹ 1,721.38 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,828.11 लाख की कमी कम कार्यों के निष्पादन के कारण हुई जोकि अत्यधिक सिद्ध हुई।

₹ 1,721.38 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

06- कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय कृषि बैंक के

अन्तर्गत विभिन्न जिलों में उठाऊ सिंचाई योजना-

(i) मूल	327.08	327.08	205.47	(-)121.61
---------	--------	--------	--------	-----------

07- त्वरित सिंचाई लाभ के अंतर्गत विभिन्न जिलों में

परिवर्तित प्रवाह सिंचाई योजना-

(ii) मूल	234.92	234.92	141.31	(-)93.61
----------	--------	--------	--------	----------

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 215.22 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

08- कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक के

अंतर्गत विभिन्न जिलों में नलकूप योजना-

मूल	640.65		317.95	319.05	(+)1.10
-----	--------	--	--------	--------	----------

पुनर्वि० (-)322.70

मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 322.70 लाख की कमी संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने तथा कार्यों के कम निष्पादन के कारण हुई।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

10-	ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष/राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के अंतर्गत वर्षा जल संचयन संरचना-				
	मूल	86.60			
			25.21	84.61	(+)59.40
	पुनर्वि०	(-)61.39			

₹ 59.40 लाख के अंतिम आधक्य की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 61.39 लाख की कमी कार्यों के कम निष्पादन के कारण हुई जोकि अत्यधिक सिद्ध हुई।

₹ 59.40 लाख के अंतिम आधक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

12- पर्वतधारा-

(i)	मूल	1.00			
			..	..	..
	पुनर्वि०	(-)1.00			

4705- कमांड क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

01- कमांड क्षेत्र विकास-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना

(ii)	मूल	1.00			
			..	..	..
	पुनर्वि०	(-)1.00			

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2.00 लाख का समस्त प्रावधान संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण कम कर दिया गया।

4711- बाढ़ नियन्त्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय-

01- बाढ़ नियन्त्रण-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

01- स्टॉक बाढ़ नियंत्रण-

मूल	201.00	201.00	173.11	(-)27.89
-----	--------	--------	--------	----------

₹ 27.89 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

07- मण्डी तथा हमीरपुर जिलों में सीर खड्ड
से बरछबाड़ से जाहू तक तटीयकरण-

(i)	मूल	1.00			
			..	..	..
	पुनर्वि०	(-)1.00			
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(ii)	मूल	1.00			
			..	..	..
	पुनर्वि०	(-)1.00			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने तथा केन्द्रीय हिस्सेदारी की प्राप्ति न होने से राज्य की हिस्सेदारी अप्रयुक्त रही।

4801- विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय-

789- अनुसूचित जातियों विशेष घटक योजना-

05- हिमाचल प्रदेश विद्युत परियोजनाओं में

न्यायसम्य योगदान-

मूल	2,166.00	2,166.00	541.50	(-)1,624.50
-----	----------	----------	--------	-------------

₹ 1,624.50 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)। मुख्य शीर्ष 4801 के अंतर्गत उप मुख्य शीर्ष '00'- विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय मुख्य एवं लघु शीर्ष की सूची में प्रदर्शित नहीं हो रहा है जोकि सरकार द्वारा वर्ष 2013-14 से गलत तरीके से संचालित किया जा रहा है।

01- जल विद्युत उत्पादन-

789- अनुसूचित जातियों विशेष घटक योजना-

02- हिमाचल प्रदेश ट्रांसमिशन निगम लिमिटेड

में इक्विटी योगदान-

मूल	202.00	202.00	50.50	(-)151.50
-----	--------	--------	-------	-----------

₹ 151.50 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

03- हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड लिमिटेड में हिस्सेदारी-

मूल	302.00	302.00	..	(-)302.00
-----	--------	--------	----	-----------

₹ 302.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

4851- ग्राम और लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय-

789- अनुसूचित जातियों विशेष घटक योजना-

01- शेयर पूंजी निवेश-

(i) मूल	4.00	4.00	2.40	(-)1.60
---------	------	------	------	---------

06- जिला उद्योग केन्द्र भवन-

(ii) मूल	25.00	25.00	15.87	(-)9.13
----------	-------	-------	-------	---------

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 10.73 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

08- विभिन्न औद्योगिक पार्कों की स्थापना-

मूल	5.00	5.00	..	(-)5.00
-----	------	------	----	---------

₹ 5.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

मूल	5.00	..	..	..
-----	------	----	----	----

पुनर्वि0	(-)5.00	..	..	..
----------	---------	----	----	----

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 5.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार द्वारा कार्यान्वयन एजेंसी को निधियाँ सीधे हस्तांतरित किए जाने के कारण कम कर दिया गया।

5053- नागरिक उड्डयन पर पूंजीगत परिव्यय-

02- हवाई बंदरगाह-

789- अनुसूचित जातियों विशेष घटक योजना-

01- हेलीपैड तथा हवाई पट्टी का निर्माण-

मूल 300.00

..

पुनर्वि0 (-)300.00

मार्च 2024 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 300.00 लाख का समस्त प्रावधान प्रस्तावों को अंतिम स्वरूप न दिए जाने के कारण कम कर दिया गया।

02- एयरपोर्ट्स/हेलीपोर्ट्स का विकास-

मूल 15,390.00

7,557.00 7,557.00 ..

पुनर्वि0 (-)7,833.00

मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 7,833.00 लाख की कमी संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण हुई।

5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-

04- जिला तथा अन्य सड़कें-

789- अनुसूचित जातियों विशेष घटक योजना-

01- ग्रामीण सड़कों का निर्माण-

मूल 9,194.00

9,320.33 9,077.42 (-)242.91

पुनर्वि0 126.33

₹ 242.91 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 126.33 लाख का आवर्धन कार्यों के अधिक निष्पादन के कारण हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ।

₹ 242.91 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

मूल 1.00

..

पुनर्वि0 (-)1.00

मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान कम कर दिया गया; जिसके कारण सूचित नहीं किए गए।

03- प्रतिपूरक पौधोरोपण (वन विभाग के शुद्ध वर्तमान

मूल्य की लागत और भुगतान)-

मूल 504.00

..

पुनर्वि0 (-)504.00

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

मार्च 2024 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 504.00 लाख का समस्त प्रावधान मुआवजे के मामलों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया।

09- मुख्य जिला सड़कें-

मूल	117.00			
		89.97	84.63	(-)5.34
पुनर्वि०	(-)27.03			

मार्च 2024 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 27.03 लाख की कमी कार्यों के निष्पादन न होने के कारण हुई।

10- राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
के अंतर्गत सड़कों का निर्माण-

मूल	15,719.00	15,719.00	15,649.37	(-)69.63
-----	-----------	-----------	-----------	----------

₹ 69.63 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

12- केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत सड़कों का निर्माण-

मूल	2,771.00			
पूरक	1,093.59	4,031.00	3,691.91	(-)339.09
पुनर्वि०	166.41			

₹ 339.09 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 166.41 लाख का आवर्धन भारत सरकार से अपेक्षित निधियों की प्राप्ति होने के कारण हुआ जोकि अत्यधिक सिद्ध हुआ।

₹ 339.09 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

13- सड़कों और पुलों की डिजाइन/विस्तृत
परियोजना रिपोर्ट के लिए परामर्श-

मूल	50.00			
		..	..	..
पुनर्वि०	(-)50.00			

मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 50.00 लाख का समस्त प्रावधान संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण कम कर दिया गया।

16- मुख्यमंत्री सड़क योजना-

मूल	1,181.00			
		1,181.76	1,135.22	(-)46.54
पुनर्वि०	0.76			

₹ 46.54 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

17- मध्यस्थता मामलों का भुगतान (सड़कें और पुल)-

मूल	100.00			
		..	..	..
पुनर्वि०	(-)100.00			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 100.00 लाख का समस्त प्रावधान मुआवजे के मामलों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया।

18-	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (फेज I व II)				
	मूल	200.00	200.00	150.00	(-)50.00

₹ 50.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

5055- सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

09- वेट इन मोशन का निर्माण--

(i)	मूल	1.00	1.00	..	(-)1.00
-----	-----	------	------	----	---------

10- बगला मुखी रोपवे का निर्माण (राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के अंतर्गत बुनियादी ढांचा विकास सहायता)-

(ii)	मूल	1.00	1.00	..	(-)1.00
------	-----	------	------	----	---------

11- ड्राइविंग प्रशिक्षण ट्रेक का निर्माण-

(iii)	मूल	1.00	1.00	..	(-)1.00
-------	-----	------	------	----	---------

उपरोक्त तीन मामलों में ₹ 3.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

12- इलैक्ट्रिक वाहन

	मूल	3,500.00	3,500.00	242.68	(-)3,257.32
--	-----	----------	----------	--------	-------------

₹ 3,257.32 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

5075- अन्य परिवहन सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय-

60- अन्य-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

01- रोपवे तथा तीव्र परिवहन व्यवस्था-

	मूल	25.00	25.00	..	(-)25.00
--	-----	-------	-------	----	----------

₹ 25.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

5452- पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय-

01- पर्यटक अवसंरचना-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

01- पर्यटन विकास-

	मूल	15,921.00	..	..	..
--	-----	-----------	----	----	----

पुनर्वि0 (-)15,921.00

मार्च 2024 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 15,921.00 लाख का समस्त प्रावधान संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण कम कर दिया गया।

80- सामान्य-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

- 01- स्कूलों/कॉलेजों के खेल मैदानी का हैलीपैड
के रूप में प्रयोग करने हेतु निर्माण-
मूल 150.00

पुनर्वि० (-)150.00

मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 150.00 लाख का समस्त प्रावधान कार्यों का निष्पादन न करने के कारण कम कर दिया गया।

- 02- नई राहें नई मंजिलें-
मूल 1.00

पुनर्वि० (-)1.00

मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण कम कर दिया गया।

**6225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों,
एवं अन्य पिछड़े वर्गों एवं अल्पसंख्यकों के
कल्याण के लिए ऋण-**

- 01- अनुसूचित जातियों का कल्याण-

- 789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

- 02- एकीकृत ग्रामीण विकास परिवारों के बच्चों
को उच्च शिक्षा के लिए ब्याज मुक्त ऋण-
मूल 2.00

पुनर्वि० (-)2.00

मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2.00 लाख का समस्त प्रावधान ऋण मामलों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया।

6801- विद्युत परियोजनाओं के लिए ऋण-

- 789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

- 03- हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम
को ऋण-

मूल 174.00 174.00 .. (-)174.00

₹ 174.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

- (vi) उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसन्तुलित हुई:-
शीर्ष कुल अनुदान वास्तविक आधिक्य (+)
व्यय बचत (-)
(₹ लाख में)

4059- सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय-

- 60- अन्य भवन-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

789-	अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-				
01-	द्वारका (दिल्ली) में हिमाचल भवन का निर्माण -				
	मूल	1.00			
			228.00	202.60	(-)25.40
	पुनर्वि०	227.00			

₹ 25.40 लाख के अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 227.00 लाख का आवर्धन द्वारका में हिमाचल भवन के निर्माण पर अधिक व्यय होने के कारण हुआ जोकि अत्यधिक सिद्ध हुआ।

₹ 25.40 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

4210- चिकित्सा एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-

03- चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण एवं अनुसंधान-

789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-

09- सरकारी मेडिकल कॉलेजों का उन्नयन-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना

(i)	पूरक	4.66			
	पूरक	861.09	1,000.00	1,000.00	..
	पुनर्वि०	134.25			

मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 161.08 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ।

04- लोक स्वास्थ्य-

789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-

02- मौजूदा आयुष संस्थानों का उन्नयन-

(ii)	मूल	21.00			
			31.94	31.93	(-)0.01
	पुनर्वि०	10.94			
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				

(iii)	मूल	193.00			
			287.41	287.41	..
	पुनर्वि०	94.41			

उपरोक्त तीन मामलों में मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 239.66 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति तथा केन्द्रीय हिस्सेदारी के अनुपात में राज्य की हिस्सेदारी जारी करने के कारण हुआ। जबकि भारत सरकार द्वारा क्रम संख्या (iii) पर ₹ 539.35 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ था।

4215- जलापूर्ति तथा स्वच्छता पर पूंजीगत परिव्यय-

01- जलापूर्ति-

789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

02- विभिन्न जिलों में ग्रामीण जल आपूर्ति स्कीमें-
मूल 252.00

601.01 682.51 (+)81.50

पुनर्वि0 349.01

₹ 81.50 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 349.01 लाख का आवर्धन अधिक कार्यों के निष्पादन के कारण हुआ जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

₹ 81.50 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

04- ग्रामीण संरचना विकास निधि/राष्ट्रीय कृषि एवं
ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक (नाबार्ड)-
मूल 5,674.00

5,810.35 5,759.46 (-)50.89

पुनर्वि0 136.35

₹ 50.89 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 136.35 लाख का आवर्धन अधिक कार्यों के निष्पादन के कारण हुआ जोकि अत्यधिक सिद्ध हुआ।

₹ 50.89 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

4235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-

02- सामाजिक कल्याण

789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-

01- बहुउद्देशीय सामुदायिक/आंगन बाड़ी केन्द्र-

मूल 26.00

50.33 39.11 (-)11.22

पुनर्वि0 24.33

₹ 11.22 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 24.33 लाख का आवर्धन केन्द्रीय हिस्सेदारी के अनुपात में राज्य की हिस्सेदारी जारी करने के कारण हुआ जोकि अत्यधिक सिद्ध हुआ।

₹ 11.22 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

4702- लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

05- विभिन्न जिलों में परिवर्तित योजना-

(i) मूल 377.45

493.72 493.00 (-)0.72

पुनर्वि0 116.27

4711- बाढ़ नियन्त्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय-

01- बाढ़ नियन्त्रण-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (समाप्त)

04- ग्रामीण अवसरंचान विकास निधि-

(ii) मूल	126.00			
		332.43	330.31	(-)2.12
पुनर्वि०	206.43			

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 322.70 लाख का आवर्धन अधिक कार्यों के निष्पादन के कारण हुआ।

5054- सड़कों तथा पुलों पर पूंजीगत परिव्यय-

04- जिला तथा अन्य सड़कें-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

04- पुलों का निर्माण-

मूल	1,914.00			
		2,042.19	2,011.76	(-)30.43
पुनर्वि०	128.19			

₹ 30.43 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 128.19 लाख का आवर्धन अधिक कार्यों के निष्पादन के कारण हुआ जोकि अत्यधिक सिद्ध हुआ।

₹ 30.43 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2024)।

14- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कार्य का विस्तार-

मूल	252.00			
		906.00	893.06	(-)12.94
पुनर्वि०	654.00			

मार्च 2024 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 654.00 लाख का आवर्धन अधिक कार्यों के निष्पादन के कारण हुआ।

विनियोग लेखे
(परिशिष्ट)
(सभी दत्तमत)
(विनियोग लेखाओं के सारांश में सन्दर्भित)

वर्ष 2023-24 के लेखाओं में व्यय में कमी के रूप में समायोजित वसूलियों के अनुमानों और वास्तविकताओं के आँकड़ों का अनुदानवार विवरण

अनुदान संख्या व नाम	बजट अनुमान		वास्तविक आंकड़े		बजट अनुमानों की तुलना में वास्तविक आंकड़ें	
	राजस्व	पूजीगत	राजस्व	पूजीगत	वृद्धि (+) राजस्व	ह्रास (-) पूजीगत
1	2	3	4	5	6	7
			(₹ हजार में)			
3- न्याय प्रशासन	3,25,00	..	3,70,60	..	(+)45,60	..
5- भू-राजस्व व जिला प्रशासन	13,60,46,42	..	12,39,18,22*	..	(-)1,21,28,20	..
08- शिक्षा	2,31,60,00	..	14,28,22	..	(-)2,17,31,78	..
10- लोक निर्माण- सड़क, पुल एवं भवन-	13,07,17,43	..	7,71,88,82	..	(-)5,35,28,61	..
11- कृषि-	..	44,02,95	..	49,20,11	..	(+)5,17,16
12- उद्यान-	..	12,93,10	..	11,46,26	..	(-)1,46,84
13- सिंचाई, जलापूर्ति एवं सफाई	10,60,04,07	..	10,46,05,34	..	(-)13,98,73	..
14- पशुपालन, दुग्ध विकास एवं मत्स्य	1,50,00	..	1,26,00	..	(-)24,00	..
16- वन और वन्य जीवन-	1,10,00,00	..	61,54,86	..	(-)48,45,14	..
17- निर्वाचन	..	..	25,98,23	..	(+)25,98,23	..
19- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	90,89,00	..	30,64,59	..	(-)60,24,41	..
29- वित्त	2,30,00,00	..	2,38,61,58	..	(+)8,61,58	..
31- जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम-	2,15,07,65	..	1,65,88,12	..	(-)49,19,53	..
32- अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम	33,33,78	..	..	..	(-)33,33,78	..
सकल जोड़-	46,43,33,35	56,96,05	35,99,04,58	60,66,37	(-)10,44,28,77	(+)3,70,32

*वित्त लेखे की विवरणी संख्या 21 में दर्शाये गये ब्यौरे से राज्य आपदा प्रबंधन निधि में से प्रयुक्त राशि को घटाएं।

© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in

<https://cag.gov.in/ae/himachal-pradesh/hi>

